राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: **3** सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का इकतालीसवां दिवस संख्या: 20

बुधवार,
12 मार्च **2025**

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम। होली की भी, धुलेंडी की भी। खूब आपके जीवन में रंग आयें। खुशहाल रहें।

प्रश्न काल। श्री रफीक खान।

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के लाभार्थी

398. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभान्वितों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभान्वितों को संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा):(1) स्वामी विवेकानंद स्कालरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेन्स योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 365 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। इनमें से 308 विदेश में शिक्षा हेतु तथा 57 देश में शिक्षा हेतु लाभान्वित हैं।

विवरण परिशिष्ट-A पर संलग्न है।

(2) स्वामी विवेकानंद स्कालरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेन्स योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कुल राशि रुपये 106.44 करोड़ का भुगतान किया गया है। अभ्यर्थियों को भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। विवरण परिशिष्ट- B पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक तो यह बतायें कि पहले तो क्या नाम था इस स्कीम का और बाद में आपने नाम चैंज कर दिया तो वह क्यों कर दिया? नाम फकत नाम बदला है कहानी है वही।

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: इसमें नाम का जिक्र नहीं है। नाम पर आपत्ति है ही नहीं, राशि पर है या उस पर सदस्यों का दिया है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, आपका मेरे को संरक्षण चाहिये। प्रश्न पूछ लूं? और दूसरा मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कितना नम्बर आपने कर दिया कि विदेश में कितने छात्र जायेंगे? पहले कितने छात्रों को मिलता था और अब कितने छात्रों को मिल रहा है और कम करने के क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा इसका नाम क्यों परिवर्तित कर दिया?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पहले क्या था इसका?

श्री अध्यक्ष: सुन लीजिये पहले, फिर आप दूसरा पूछ लेना।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हमारी सरकार के गठन के पश्चात राजीव गांधी एक्सीलेंस छात्रवृत्ति योजना में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलो, उत्तर दो।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हमारे स्वामी विवेकानन्द के नाम से किया है क्योंकि स्वामी विवेकानन्द युवाओं के प्रेरक हैं और अगर उनके नाम से रखेंगे और इसमें छात्रवृत्ति युवाओं को दी जाती है इसलिये हमने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये और इस नाम को हमने स्वामी विवेकानन्द रखा है।

दूसरा, आपने पूछा है कि पहले 500 विद्यार्थी थे अब हमने इसमें 300 विद्यार्थी विदेश में और 200 विद्यार्थी हम देश के अच्छे संस्थानों में यहां पर अध्ययन के लिये किया गया जिससे हमारे गरीब तबके के लोग यहां भी उसका अध्ययन कर सकें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 300 संख्या रखी आपने विदेश की, हमें विवेकानन्द जी के नाम पर एतराज नहीं है, हम धन्यवाद देते हैं आपको लेकिन आप कोई नया काम कर लेते। क्यों राजीव गांधी जी का नाम हमारी स्कीम का नाम चैंज करके और फिर नाम रखा उस पर आपत्ति है। आपको एक नयी स्कीम बनानी चाहिये थी और उसको ब्रोड करते और जनता के अन्दर मैसेज जाता।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रश्न क्या है?

श्री अध्यक्ष: इनको मंत्री जी जवाब दे देंगे न।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दूसरा मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि विदेश में विदेशी स्टूडेंट्स की संख्या 300 और आप उत्तर में लिख रहे हो कि विदेश में एजुकेशन लेने वालों की संख्या 308 है, तो यह कैसे फर्क है? फिर 8 किसकी मेहरबानी से आ गये या आपने अपनी मेहरबानी पर रख लिया? और पिछले एक साल में जब से आपकी सरकार आयी है कितने लोगों को लाभान्वित होने से वंचित रख दिया गया? कितने लोगों के

पैसे रिलीज नहीं हुए? यह भी जानकारी सदन को दीजिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपने 308 बताया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैंने नहीं बताया, आप बता रहे हो।

श्री अध्यक्ष: पहले सुन लीजिये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): नहीं, आप कह रहे हो न अभी तो हमने, पहले जो 2023-24 के विद्यार्थी थे और 2024-25 के थे वो भी इसमें सम्मिलित हैं। अभी हमने, जो पात्र हैं जिनको दी गई है इसलिये यह 308 है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): नहीं, तो वो इसमें शामिल हैं तो इसका मतलब आपने 300 नहीं दिये? अगर पुराने शामिल हैं तो जो 300 देने चाहिये थे वो नहीं दिये इसका मतलब। 308 कैसे हुए अगर पुराने शामिल हैं? आप कह रहे हो कि पुराने शामिल हैं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हां, बिलकुल।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): तो पुराने शामिल हैं तो इसका मतलब नये 300 को लाभ नहीं मिला?

श्री अध्यक्ष: आपके दो हो गये।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): ऐसा है इस साल का प्रोसिजर अभी चालू है अभी हमने जो पात्र आये हैं उनको दिये हैं यह। अभी तो प्रोसेस चालू है, अभी बन्द नहीं किया पोर्टल और आज भी पोर्टल चालू है। जितने भी हमारे पास जो देश में हमारे पास 57 ही आये हैं अभी देश के लेकिन कमी के कारण हम और सारे जितने इंस्टिट्यूट हैं उन इंस्टिट्यूट्स में अवेयरनेस के लिये सारे डाइरेक्टर्स से वी.सी. करेंगे और उनको अवेयरनेस के लिये उनको बतायेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और आयें। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अब हो गये आपके तीन। नो। आपको बोलना है तो बोल लें। नो। माननीय, आपको कोई उत्तर नहीं देना इनका। तीन हो गये। अब आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न है क्या आपने समय पर उन बच्चों का भुगतान नहीं किया जिसकी वजह से उन बच्चों को वहां भीख मांगनी पड़ी? हां या ना में आप जवाब दें। समय पर भुगतान किया या नहीं किया?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): हमने बच्चों को समय पर दिया है, ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): भीख मांगना अनपार्लियामेंट्री शब्द है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो देने दो फिर आप कहना।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): जो पात्र हैं उनको समय पर दिया है, जो पात्रता रखते हैं उनको समय पर भुगतान किया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपका हो गया। हां, ना में उत्तर दे दिया।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष जी, इन्होंने तो कोई पॉलिसी भी नहीं बनायी, आपने तो कोई परसेंटेज का बेस भी नहीं बनाया। हमने इसमें दस आंशिक संशोधन करके इस योजना को अच्छी बनायी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी। अब नहीं। बीच में नहीं। माननीय सदस्य।

नोखा के श्री जेठाराम डूडी खेल स्टेडियम हेतु बजट आवंटन

399. श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र नोखा के श्री जेठाराम डूडी खेल स्टेडियम नोखा के विकास हेतु विगत पांच वर्षो में कोई बजट आवंटन किया गया है? यदि हां, तो कब व कितना एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अवधि में उक्त खेल स्टेडियम में कौन-कौनसे खेलों के खेल प्रशिक्षकों व कोच की नियुक्ति कब-कब की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) विधान सभा क्षेत्र नोखा के खेल स्टेडियम श्री जेठाराम डूडी खेल स्टेडियम के विकास कार्यो हेतु विभाग द्वारा किसी भी मद/ योजना में बजट आवंटन नही किया गया हैं।

प्रदेश में खेलों को बढावा देने हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग/राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

1. प्रदेश में खेलों को बढावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम-2015 के मापदंड निर्धारित किये गये है।

2. ''मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना'' के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक मे खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/ जनप्रतिनिधि/जनसहयोग/सीएसआर/स्थानीय निकाय आदि द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि के बराबर या अधिकतम 100.00 लाख रुपये की राशि मेचिंग ग्रांट के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है।

वर्तमान मे विधान सभा क्षेत्र नोखा मे श्री जेठाराम डूडी खेल स्टेडियम निर्माण एवं विकास का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में उचित माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल स्टेडियम निर्माण एवं विकास के संबंध में विचार किया जाता है।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संभाग/जिला मुख्यालयों पर स्थित खेल स्टेडियमों में ही प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया है। आवश्यकतानुसार जिला मुख्यालयों पर अल्पकालीन खेल प्रशिक्षकों के माध्यम से भी प्रशिक्षण की सुविधा खिलाडियों

को दी जा रही है।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री महोदय, मेरे को प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं यह पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का उत्तर सुन लें। नहीं आया तो सुना दूं उत्तर? आ गया।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): मेरे द्वारा परिवर्तित बजट 2024-25 व बजट 2025-26 से पूर्व यथासमय खेल स्टेडियम नोखा के जीर्णोद्धार हेतु बजट के लिये प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री महोदय को भिजवा दिये थे, परन्तु खेल स्टेडियम नोखा के लिये राज्य सरकार ने कोई बजट क्यों नहीं दिया?

मेरे द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर यहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी श्री जेठाराम डूडी खेल स्टेडियम के विकास हेतु पत्र लिखे गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न पूछें तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): फिर भी खेल स्टेडियम नोखा के विकास का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन क्यों नहीं है, माननीय मंत्री महोदय?

श्री अध्यक्ष: हां, प्रश्न पूछो तो मैं उत्तर दिलवाऊं।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): थैंक यू। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्या सुशीला रामेश्वर डूडी जी को यह कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव कई विधान सभा क्षेत्रों से आते हैं, विधायकों से आते हैं। बजट आवंटित करते समय यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र के अन्दर किस तरह की सुविधाएं हैं। इस जेठाराम डूडी स्टेडियम के ऊपर तकरीबन एक करोड़ रुपये 2018-19 में ही लगाया गया था और साथ ही नोखा मुख्यालय पर बाबू छोटूनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 400 मीटर का एक एथेलेटिक ट्रेक भी है और एक इंडोर स्टेडियम भी है। ये सुविधाएं देखते हुए सम्भव है, क्योंकि मेरा विभाग नहीं है एफ.डी. करता है, सम्भव है इस कारण से बजट में वहां पर और अलॉट नहीं हुआ हो।

श्री अध्यक्ष: और पूछना है कुछ?

चलिये अगला प्रश्न। श्री अजय सिंह।

सांजू तहसील मुख्यालय पर कनिष्ठ अभियंता का पद

400. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में तहसील सांजू कस्बा पर विभाग का कोई भी अधिकारी कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालय सांजू में कनिष्ठ अभियंता का पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में

तहसील सांजू मुख्यालय कनिष्ठ अभियंता अनुभाग डेगाना के क्षेत्रान्तर्गत आता है। तहसील सांजू मुख्यालय पर पृथक से विभागीय कनिष्ठ अभियंता पदस्थापित नहीं है।

(2) वर्तमान में सांजू कस्बा की पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने का कार्य विभागीय उपखण्ड कार्यालय डेगाना द्वारा किया जा रहा है। सहायक अभियंता उपखण्ड डेगाना के अंतर्गत वर्तमान में 02 कनिष्ठ अभियंता अनुभाग क्रमशः डेगाना एवं बुटाटी कार्यरत है। कनिष्ठ अभियंता डेगाना द्वारा विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 01 शहर डेगाना व 92 ग्रामों की पेयजल व्यवस्था तथा कनिष्ठ अभियंता बुटाटी द्वारा विधान सभा क्षेत्र डेगाना के 65 ग्रामों की पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य किया जा रहा है।

उपखण्ड डेगाना के कार्यक्षेत्र/कार्यभार के दृष्टिगत सांजू तहसील मुख्यालय पर नवीन कनिष्ठ अभियंता का पद स्वीकृत किया जाना विचाराधीन नहीं है।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आ गया है।

मेरा एक तो मंत्री महोदय से यह कहना है कि सांजू तहसील मुख्यालय इस पर आप विचार करें, वहां कोई भी जे.जे.एम. का कोई भी और पी.एच.ई.डी. का कोई भी अधिकारी वहां नहीं बैठता और आपने जो ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस का काम देखरेख का काम एल. एंड टी. कम्पनी को दे रखा है उनका कार्य बिलकुल भी संतोषजनक नहीं है, फर्जी बिल उन्होंने उठा रखे हैं, इसके लिये पहले भी मैं बार-बार आपको कह चुका हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एल. एंड टी. कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाह रहे हैं? और एक आप ऐसी मीटिंग भी रखें जिसमें जनप्रतिनिधि और एल. एंड टी. के अधिकारी बैठ जायें। मेरे वहां पर पानी होते हुए भी पिछले चार-पांच सालों में कांग्रेस सरकार के समय न तो कोई मीटिंग हुई न इस ओर ध्यान दिया गया। अभी हरसौर गांव में इसको लेकर के एक धरना हुआ है 10 तारीख को तो पानी होते हुए हमें नहीं मिल रहा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी उन्होंने फर्जी बिल अगर लगाये हैं और किस गांव के जो भी अलग-अलग गांव हैं किस कमेटी को उन्होंने चार्ज हेंडओवर किया है? वो कह रहे हैं बार-बार कि हमने कर दिया, किसको दिया है? और इसके लिये मेरा आपसे एक यह भी आग्रह रहेगा भविष्य में कि गांवों में पानी के लिये कम से कम अलग से बजट पंचायत विभाग के माध्यम से जाना चाहिये ताकि उसका मेंटीनेंस अच्छी तरह हो और एक जल मित्र...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री अजय सिंह (डेगाना): एक जल मित्र जो है उसको भी आपने कुछ नहीं किया। अब लगाइये जल मित्र ताकि एक बार गांवों के अन्दर भी सबमें अच्छी तरह से मेंटीनेंस हो जाये। नयी कमेटी बनायें आप इसके लिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सांजू में कनिष्ठ अभियन्ता के पद हेतु पेयजल व्यवस्था एवं

कार्य का आकलन करवा कर, दोबारा वापस हम आकलन करवा लेंगे, आवश्यकतानुसार विचार किया जायेगा।

दूसरा, माननीय सदस्य ने कहा, वास्तव में यह पहले जितनी भी कम्पनियां काम करके मेंटीनेंस के वास्तव में फर्जी बिल उठाती थी। अभी मुकेश जी भाकर ने भी बताया वास्तव में पूरे नागौर में तो विशेष बहुत बड़ी प्रोब्लम थी इनके लिये हमने शिकंजा कसा है और मैं सभी जनप्रतिनिधियों को साथ में बैठा कर मेरे जितने भी एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट वालों को, इनको और माननीय सदस्य जिनकी मांग है साथ में बैठा दूंगा।

Kas/rtm/12.03.2025/11.10/1b

कंपनी के मैनेजर को भी बैठा दूंगा। उनको डाइरेक्शन दे देंगे कि विधायक ही नहीं, नीचे का कोई भी कहे और इनका कहना नहीं मानेंगे तो आप पर पैनल्टी भी लगायेंगे और आपको डीबार भी करेंगे। 100 परसेंट जनता के कहने के अनुसार काम करना पड़ेगा, ऐसा समिति को डाइरेक्शन दे देंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, दूसरा पूछना है?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य ने जल मित्र वाला भी बताया है, इसमें पंचायती राज द्वारा अभी लोगों से फार्म लिये गये हैं, इस पर बैठकर नीति बनायेंगे कि उनका पेमेंट कहां से देंगे। ऑपरेशन मेंटीनेंस की हम दोबारा नीति बना रहे हैं, बहुत जल्दी ही माननीय सदस्य को बता देंगे कि किस तरह से उनका चयन करेंगे।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय मंत्री महोदय, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी की एक टीम बनाकर नागौर जिले में एलएण्डटी ने जहां-जहां भी काम किये हैं, उसकी एक समय सीमा में जांच करवाये आप।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पूरे नागौर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में जहां-जहां भी काम कम्प्लीट हो गये और ऑपरेशन मेंटीनेंस टाइम पर नहीं कर पाये, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ बैठाकर डाइरेक्शन दे देंगे। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः हो गया। अगला प्रश्न। नो, नो, कोई अंकित नहीं होगा। केवल मंत्री जी और सदस्य।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह घोटाले पहले हो चुके हैं, इन पर काफी कंट्रोल किया है। ....(व्यवधान).... हमने अवैध कनेक्शन काट-काट कर मुकदमे दर्ज करवा कर रहे हैं। पहले करते तो यह दिक्कत ही नहीं आती। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

उदयपुर संभाग की नदियों को संरक्षित करने की योजना

401. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा विलुप्त नदियों को संरक्षित करने के लिए अब तक कौन-कौनसे

कार्यक्रम या योजनाएं संचालित हैं?

(2) सरकार द्वारा नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय, वनीकरण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने अवैध खनन, अतिक्रमण और प्रदूषण को रोकने के लिए क्या योजना प्रस्तावित है?

(3) उदयपुर संभाग की बनास, गोमती, बेड़च, गम्भीरी, आहड़, सोम व जाखम नदी के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अब तक कौन-कौनसे कार्यक्रम चलाए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) प्रदेश में विलुप्त नदियों को संरक्षित किये जाने अन्तर्गत करौली जिले की भद्रावती नदी का पुनरुद्धार किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्य करवाया जा रहा है ।

राज्य सरकार द्वारा रूपारेल, साबी एवं जोजरी नदी को पुनर्जीवित किये जाने हेतु डी.पी.आर. का कार्य बजट घोषणा 2024-25 अन्तर्गत करवाये जाने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना अन्तर्गत जोधपुर जिले की जोजरी नदी में प्रवाहित हो रहे प्रदूषित सीवरेज पानी के ट्रीटमेंट हेतु चार कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनका कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जोधपुर द्वारा किया जाना है ।

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 अन्तर्गत नदियों की साफ सफाई हेतु डिसिल्टिंग/ड्रेजिंग के कार्य सक्षम स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार कराये जाने प्रस्तावित है।

(2) नदियो को पुनर्जीवित करने अंतर्गत रिज टू वैली कैचमेंट क्षेत्र उपचारित पद्धति आधारित वानिकीकरण कार्य, जल संरक्षण कार्य, मृदा संरक्षण कार्य, नाला उपचार कार्य, प्रदूषण को रोकने संबंधी कार्य एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक संगठन एवं सूचना शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों को सम्मिलित कर डी.पी.आर. तैयार की जाकर स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाये जाने हैं ।

नदियों में अतिक्रमण के संबंध में माननीय राज्य उच्च न्यायालय द्वारा सुओ मोटो सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/2011 में पारित आदेश की पालना में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियमित मोनिटरिंग की जाती है।

खनन विभाग के अनुसार अवैध खनन करते पाये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 के तहत शास्ति के प्रावधान अमल में लिये जाते हैं तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर प्रभावी कारवाई करने हेतु एस.आई.टी. का गठन किया गया है।

(3) वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत उदयपुर संभाग की बनास,गोमती,

बेडच, गंभीरी, आहड, सोम व जाखम आदि नदियों के संरक्षण हेतु बिन्दु संख्या 2 के अन्तर्गत कार्य/कार्यवाही की जा रही है एवं बिन्दु संख्या 1 में वर्णितानुसार उपादेयता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्षः जो लिखा है, वो तो पढ़ेंगे ही। माननीय सदस्य।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि गोमती एवं बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिये विभाग ने क्या कार्य किये हैं एवं क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, जो पूछा है, उसका जवाब दें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजसमन्द से आने वाली वरिष्ठ विधायक को बताना चाहता हूं कि जल संसाधन विभाग ने जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए गोमती नदी पर पर्वत खेड़ी, तासोल (राजसमंद) में सब सरफेस बेरियर का निर्माण करवाया है एवं विभाग के अतिरिक्त जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग ने गोमती एवं बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास एवं संरक्षण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना एमजेएसए 2.0 प्रथम चरण में कुम्भलगढ़ पंचायत समिति के चिह्नित गांवों के 7,664 हेक्टर क्षेत्रफल, राजसमन्द पंचायत समिति के चिह्नित गांवों के 6,799 हैक्टर क्षेत्रफल एवं खमनौर पंचायत समिति के चिह्नित गांवों के 7,397 हेक्टर में भू एवं जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं।

जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा गोमती एवं बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के द्वितीय चरण में खमनोर पंचायत समिति के चिह्नित गांवों के 5,318 हेक्टर क्षेत्रफल, राजसमन्द पंचायत समिति के चिह्नित गांवों के 5,439 हेक्टर में भू एवं जल संरक्षण के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। संक्षेप में जवाब दो।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगी कि राजसमन्द झील में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिये देवास एवं माही घाटी से जल परावर्तन के लिये क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? साथ ही राज्य सरकार राजसमन्द में नंदसमंद बांधों को जाखम बांध के अधिशेष जल से भरने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक और नहींख तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा 2024-25 अन्तर्गत घोषणा के क्रियान्वयन में हमने जाखम बांध के अधिशेष जल को राजसमंद, चित्तोडगढ़ एवं भीलवाड़ा जिलों के बांधों जैसे मेजा, मातृकुण्डिया, भोपालसागर, राजसमंद, नंदसमंद, आदि बांधों में अपवर्तित किये जाने बाबत डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कार्यादेश राशि रुपये 12.50 करोड़ के दिनांक 10.02.2025 को जारी कर दिये गये हैं।

डी.पी.आर. प्राप्ति पर परीक्षण कर उपादेयता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। देवास से राजसमन्द झील में जल उपलब्धता बढ़ाने हेतु कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, अपितु देवास का पानी पेयजल हेतु उदयपुर जिले में अपवर्तित किये जाने हेतु देवास द्वितीय, तृतीय निर्माण के कार्यादेश जारी किये गये हैं।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): धन्यवाद, मंत्री महोदय। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: शांत रहो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उनके दोनों सप्लीमेंट्री और तीनों क्वेश्चन का एक भी जवाब नहीं आया, फिर भी उन्होंने धन्यवाद दे दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने खंड 1 में पूछा कि क्या योजनाएं हैं या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? आपने कुछ नहीं बताया, आपने बजट घोषणा का नाम ले लिया। आप कम से कम बजट घोषणा लगाते कि कौन-कौन सी बजट घोषणाएं हैं, क्या-क्या काम होंगे। इन्होंने दूसरे में पूछा है कि इनके अतिक्रमण पर आप क्या काम कर रहे हैं? तो आपने नियम बता दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत हम अतिक्रमण पर काम कर रहे हैं। तीसरा इन्होंने उदयपुर संभाग की नदियों के लिये पूछा, तो आपने कह दिया बिन्दु संख्या 2 व 1 में समाहित है। 1 और 2 तो दोनों ही खाली हैं, है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कुछ कहेंगे?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अपनी बात कह रहे हैं, बिलकुल गलत है। प्रश्न जैसा था, वैसा ही उत्तर दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या 402

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद। (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। डॉक्टर दयाराम।

जनजाति क्षेत्र में नगर पालिका की स्थापना

403. डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) जनजाति क्षेत्र में नगरपालिका खोलने के संवैधानिक प्रावधान क्या है?

(2) विगत पांच वर्षों में जनजातीय क्षेत्र में कितनी नगरपालिकाएं खोली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) जी हां। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाता है।

अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका घोषित किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर, उनके द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के भाग 2 के पैरा (5)1 के प्रावधानों के तहत इस संबंध में सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दिये जाते हैं।

(2) विगत पांच वर्षों में जनजातिय क्षेत्र में निम्नलिखित नगर पालिकाऐं खोली गई हैं:-

ऋषभदेव, घाटोल, धरियावद, दलोट, सीमलवाडा, सेमारी, सराडा-चावंड, खेरवाडा एवं झाडोल ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन नगर पालिकाओं के विरुद्ध हाई कोर्ट में पीटिशन विचाराधीन है और हाई कोर्ट ने उनके कार्यों पर एक साल से स्टे लगा दिया, वो किसी तरह की काम नहीं कर सकती है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इन नगर पालिकाओं का भविष्य क्या है?

Msk/rtm/12.03.25/1120/1c

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को और माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में किसी स्थानीय क्षेत्र को पालिका घोषित किये जाने हेतु किये गये प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर से नगर पालिकाओं के गठन के लिए निर्धारित मानदंडों में प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जाता है।

अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका घोषित किये जाने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर उनके द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची के भाग-2 के पैरा 5(1) के प्रावधानों के तहत इस सम्बन्ध में सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दिये जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी अवगत करना चाहूंगा कि 4 नगर पालिकाओं को छोड़कर बाकी जो नगर पालिकाओं का गठन किया गया, उसमें राज्यपाल महोदय की सहमति नहीं ली गयी। इन्हीं प्रावधानों के तहत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 मई, 2018 के द्वारा राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जिले के साथ-साथ उदयपुर राजसमन्द एवं सिरोही जिले के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुन: परीक्षित किया गया है। उदयपुर जिले में सेमारी, सराडा-चावंड, खेरवाड़ा, झाड़ोल एवं ऋषभदेव को नगर पालिका बनाया गया। डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा को नगर पालिका बनाया गया। बांसवाड़ा जिले में घाटोल को नगर पालिका बनाया गया। प्रतापगढ़ जिले में धरियावद एवं दलोट को नगर पालिका बनाया गया।

अब इन नवीन निकायों के गठन को माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न

याचिकाओं द्वारा चुनौती दिये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा सेमारी, घाटोल, सराड़ा-चावंड, सिमलवाड़ा, ऋषभदेव, दलोट और खेरवाड़ा के नगरपालिका गठन की अधिसूचना को स्थगित किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन निर्णय की अनुपालना के क्रम में उक्त नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना को प्रत्याहरित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है और प्रत्याहरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रत्याहरित किये जाने के बाद वे वापस ग्राम पंचायत में परिवर्तित हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ पूछना है? तीन हो गये, ये तीसरा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सरकार दोबारा इनको नगर पालिका बनाना चाहती है या नहीं?

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन पर स्थगन आदेश किया हुआ है, स्थगन आदेश की वजह से वहां कोई काम नहीं हो रहा था। इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के निर्णय की अनुपालना में नगर पालिका बनाने की जो अधिसूचना जारी की गयी थी, उसे प्रत्याहरित किया जा रहा है, वे वापस ग्राम पंचायत बनेंगी। अगर भविष्य में दोबारा वहां की आम जनता द्वारा या जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जायेगी तो जिला कलेक्टर से दोबारा उसका परीक्षण करवायेंगे और परीक्षण में अनुकूल रिपोर्ट आयेगी तो इस पर दोबारा विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द्र वर्मा।

बगरू के आबादी क्षत्र में हाई वोल्टेज की विद्युत लाइनें

404. श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू में हाई वोल्टेज की झूलती हुई विद्युत लाइनें आबादी क्षेत्रों से गुजर रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे गांवों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लाइनों को आबादी क्षेत्रों से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बगरू के आबादी क्षेत्र में विद्युत लाइनों के ढीले व अधिक लटके हुए तारों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बगरू के अन्तर्गत बडी का खेड़ा गांव के आबादी क्षेत्र से 132 केवी बगरू रीको लाइन गुजर रही है, जो कि झूलती हुई नहीं है। 33 केवी तक की हाई वोल्टेज विद्युत लाइनें जो आबादी क्षेत्र से गुजर रही हैं, जो झूलती हुई नहीं है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विद्युत लाइनों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु विद्युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-

2021 व जारी संशोधनों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आबादी क्षेत्र के ऊपर से गुजरने वाली 33 केवी क्षमता तक की विद्युत लाइनें, जिनसे दुर्घटना की संभावना हो सकती है, उन्हें आवेदक या किसी संस्था द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने पर व्यय की 50 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि निगम द्वारा वहन की जाकर शिफ्टिंग का प्रावधान है। वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में 33 केवी लाइन शिफ्टिंग के 2 व 11 केवी लाइन शिफ्टिंग के 2 प्रकरण स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।

132 केवी एवं इससे अधिक वोल्टेज वाली विद्युत लाइनों का स्थानान्तरण हेतु आवेदक द्वारा लागत की पूर्ण राशि जमा करवाने पर तथा पथाधिकार (ROW) की उपलब्धता एवं तकनीकी साध्यता के आधार पर किया जाता है।

(3) विद्युत लाइनों के तार ढीले होने की सूचना प्राप्त होने या संज्ञान में आने पर तुरंत प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में आबादी क्षेत्र में ढीले तारों को ठीक करने का कोई कार्य जैरकार नहीं है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि घनी आबादी क्षेत्र के अन्दर हाई वोल्टेज लाइन निकलती हैं। अभी हाल ही में मुहाना, महापुरा जैसे गांवों में इन लाइनों से करंट लगने से दो जवान युवकों की मौत भी हुई है। मेरा पहला पूरक क्वेश्चन रहेगा कि क्या सरकार आबादी क्षेत्रों से जो लाइनें गुजर रही हैं, उन लाइनों को 100 परसेंट निगम खर्चे पर भूमिगत किये जाने के नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो इन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं है, तो भूमिगत किये जाने के क्या नियम निर्धारित हैं? मंत्री जी, कृपया बतायें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): निगम के स्तर पर जो लाइनें बिछायी जाती हैं और माननीय विधायक महोदय जो कह रहे हैं, वे लाइनें पूर्व में आबादी क्षेत्र में नहीं थीं, परन्तु लगातार विस्तार होने के कारण उनके नीचे आबादी बस गयी है। वहां पर जो प्रावधान है, जो 33 केवी या 11 केवी की लाइनें हैं और अंडरग्राउण्ड करना है, आबादी क्षेत्र में अण्डरग्राउण्ड का जो प्रावधान है, वह स्थानीय निकाय के द्वारा या सरकार के द्वारा स्वीकृत होने पर निगम द्वारा कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम किया जाता है। वह भी अगर हटाया जाना आवश्यक है तो 50 परसेंट का, जो कि मैंने खंड-2 में बताया है कि निगम 50 परसेंट राशि वहन करेगा, 50 परसेंट आवेदक या स्थानीय निकाय वहन करते हैं। ऐसी लाइनें जो जनहित में हटायी जानी हैं, उनका प्रावधान है।

श्री अध्यक्षः दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से दूसरा पूरक क्वेश्चन है कि घनी आबादी क्षेत्र से जो लाइनें गुजरती हैं, उनको भूमिगत करने के लिए 50 प्रतिशत की राशि डिपार्टमेंट वहन करता है, यह मंत्री जी ने बताया। मगर क्या सरकार

सघन आबादी क्षेत्र से गुजर रही लाइनें, जो कि बहुत हाई रिस्क की हैं और बगरू ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अन्दर कहीं न कहीं नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनमें ऐसी दिक्कतें कहीं न कहीं आती हैं, क्या इन लाइनों को 100 परसेंट निगम खर्चे पर भूमिगत करवाने का विचार रखती है?

साथ ही, बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो मैन नगर पालिका है, वहां पर हर साल जुगल दरबार का मेला लगता है, लगभग तीन दिन यह मेला चलता है, चार से पांच लाख लोग इस मेले में एकत्रित होते हैं। गोनेर जगदीश महाराज की धार्मिक नगरी है और बाबा बस्ती नाथ जी महाराज की भी धार्मिक नगरी है। मुहाना, महापुरा, बगरू नगर पालिका सहित दर्जनों गांवों में ऐसी लाइनें हैं। क्या इसमें 100 परसेंट निगम खर्चे का प्रावधान है? अगर सरकार इसको करना चाहती है तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि अंडरग्राउंड करवाने के लिए स्थानीय नगर निकाय के द्वारा या सरकार के द्वारा ही करवाने का प्रावधान है। निगम केवल ऐसी लाइनों को शिफ्ट करने के लिए 50 परसेंट वहन करता है। 50 परसेंट निगम वहन करे, या कोई स्थानीय विधायक पैसा दे या सांसद दे, या नगर पालिका दे तो बदलने का प्रावधान है। जिस मेले की माननीय विधायक जी ने चर्चा की, है। अगर उस मेले के आयोजन में, कहीं मुख्य रास्ते में कोई लाइन रोड के ऊपर से गुजर रही है, ऐसी लाइन कोई ऊपर करने की आवश्यकता है तो मुझे बतायें। हम निगम स्तर पर उसको थोड़ा ऊंचा करके ऐसी समस्या को दूर करने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इसमें मेरा सुझाव है कि यह समस्या पर्टीकूलर सब जगहों की हैं। कई कच्ची बस्तियां हैं, 50-50 परसेंट में लाखों, करोड़ों का आपका निगम प्रस्ताव भेज देता है। वहां कोई इंडीविजुअल सेठ हो तो वह कर दे, लेकिन जहां कालोनी है, पिछड़ी बस्ती है, गरीब बस्ती है, उनसे यदि आप कहेंगे कि एक करोड़ जमा कराओ, 75 लाख जमा कराओ तो कौन करायेगा। ऐसे में सरकार या आपका विभाग कोई योजना बनाये ताकि इनको राहत मिल सके।

अगला प्रश्न। श्री लादू लाल पितलिया।

mdp/rtm/12.03.25/11:30/1d

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपके निर्देश है, वास्तविकता यह है कि लाइनें वहां से जब निकलती हैं तब नीचे कोई आबादी नहीं होती है। निगम किसी भी खेत में से लाइन निकालता है तो वह खाली होता है। उसके बाद आबादी बस जाती है और सरकारी जमीन पर भी अवैध तरीके से जो बस जाते हैं, वह समस्या है। निगम एक बार जब लाइन बिछा देता है तो उसका हम 50 परसेंट फिर भी वहन करते हैं। 50 परसेंट अगर आबादी बस गयी है, स्थानीय निकाय वहन करती है तो निगम उस पर

विचार करता है। आरओडब्ल्यू में मिलना चाहिए। दूसरा रास्ता हमें मिल जाए तो उस लाइन को शिफ्ट करने का प्रावधान हम करते हैं।

श्री अध्यक्षः इस पर विचार करना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पीएचईडी मंत्री जी भी हैं। दोनों को करवा दीजिए आधा-आधा लाइन हट जायेगी।

श्री अध्यक्षः हो गया। इस पर केवल एक लाइन कहकर विषय को समाप्त कर रहे हैं कि जब लाइनें खींची गयी, तब कोई बस्तियां नहीं थी। यह तो आज से बीस साल, तीस साल, पचास साल हो गया, अब वहां पर बस्तियां बनी हैं। निश्चित रूप से बस्तियां तो बाद में बनेगी। बस्ती जब बनेगी, घर बनता है तो दूसरी मंजिल भी परिवार की आवश्यकता के अनुसार, वह एक मंजिल ऊंची भी करता है। इस पर आप जरूर विचार करना। आपको अपने विभाग से बैठकर कोई न कोई इसका समाधान ढूंढना चाहिए।

प्रश्न संख्या 405

श्री अध्यक्षः श्री लादु लाल पितलिया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

परतापुर गढ़ी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार

406. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला बांसवाड़ा के परतापुर गढ़ी रीको औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर अनुदान/रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गढ़ी एवं जिला बांसवाड़ा में लघु उद्योग लगाकर रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा में किस-किस योजना में उद्योग लगाने पर, क्या-क्या अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) जी नहीं। वर्तमान में बांसवाडा के परतापुर गढी रीको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 3 (ए) (iv) के तहत आरक्षित औद्योगिक भूखण्डों पर ई-नीलामी में सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर पर उद्यमियों को निम्नानुसार रियायत प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	वर्ग	रियायत रियायत
1.	एससी/एसटी एससी/एसटी	50 प्रतिशत
2.	एक्स-सर्विसमेन एक्स-सर्विसमेन	25 प्रतिशत
3.	डिपेण्डेन्ड ऑफ डिजीसील्ड आर्मड फॉरसेस सर्विस	50 प्रतिशत

	पर्सनल/पैरामिलिट्री पर्सनल डिपेण्डेन्ड ऑफ डिजीसील्ड आर्मड फॉरसेस सर्विस पर्सनल/पैरामिलिट्री पर्सनल	
4.	बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति	50 प्रतिशत
5.	महिला उद्यमी महिला उद्यमी	25 प्रतिशत

नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) टीएसपी क्षेत्र जिला बांसवाडा एवं विधान सभा गढी में बेरोजगार युवाओं हेतु स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने एवं उद्यम स्थापना तथा संचालन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदकों हेतु डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है।

(3) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न वर्गों को परियोजना लागत पर 15 से 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदकों को उद्यम लगाने हेतु परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख) मार्जिन मनी अनुदान एवं ऋण पर 6 से 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है।

रीको द्वारा जिला बांसवाडा एवं डूंगरपुर में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना 2009-10 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर 1 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ करने एवं 3 वर्ष तक निरन्तर उत्पादनरत रहने पर प्रथम वर्ष भूखण्ड की कीमत का 15 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष भूखण्ड की कीमत का 15 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष भूखण्ड की कीमत का 20 प्रतिशत राशि के पुनर्भरण का प्रावधान है। योजना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल में अपनी जगह पर बैठिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि नगर पालिका परतापुर गढ़ी रीको औद्योगिक क्षेत्र का जनहित में एस.सी, एस.टी., ओ.बी.सी., सामान्य वर्ग के लिए विस्तार करने का विचार रखती है या नहीं? दूसरा, मेरा यह है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2024-25 में कितने आवेदन हुए? कितनों को लाभ दिया गया? कितने बकाया हैं? प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 15 से 35 प्रतिशत अनुदान कितने बेरोजगारों को दिया गया?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न बहुत अच्छा है। इससे जनता में जागरूकता होती है। मैं इस प्रश्न को थोड़ा विस्तार में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक बात की है, मैं उसका उत्तर देता हूं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्दर 2022 से लेकर 2025, केवल फरवरी माह

तक हमने केलकुलेशन किया है, करीब 62 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। दूसरा, डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्दर 2022 से लेकर 2025 फरवरी तक तकरीबन 98 लोगों को इस योजना से लाभ मिला है।

अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि रीको के जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उसके अन्दर एस.सी./एस.टी. वर्ग केलिए 6 परसेंट, महिलाओं के लिए 5 परसेंट, पर्सस विथ बैंचमार्क डिसेबिलिटीज 3 परसेंट, पूर्व सैनिकों के लिए 2 परसेंट और सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दिया होता है, उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनके लिए 1 परसेंट। ये परसेंटेज रिजर्वेशन रखा जाता है, एक सीलिंग होती है, एक एरिया होता है, उसके अन्दर।

इसके साथ-साथ कितनी राहत इनको मिलती है, वह भी मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताता हूं। इन रिजर्वड् इंडस्ट्रीयल प्लाट्स के लिए एस.सी./एस.टी. वर्ग, ये सभी नीलामी में उतरते हैं। नीलामी की जो भी रेट आती है, उसका एस.सी/एस.टी. मात्र 50 प्रतिशत ही देते हैं, एक्स-सर्विसमेन 25 प्रतिशत देते हैं, डिपेंडेंट ऑफ डिजीसील्ड 50 प्रतिशत देते हैं, बेंचमार्क विकलांग 50 प्रतिशत देते हैं और महिला उद्यमी 25 प्रतिशत देते हैं। ये जो दो योजनाएं हैं, जिसके अन्दर सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसमें मैन्युफेक्चरिंग के अन्दर 50 परसेंट तक और सर्विस सेक्टर के अन्दर 20 लाख तक मार्जिन मनी दिया जाता है और 15 से 35 परसेंट का इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होता है। ...(व्यवधान)... जो डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है....

श्री अध्यक्षः क्या हुआ? जो होगा नंबर से आयेगा। नंबर से आयेगा, ऐसा थोड़े ही है। मंत्री जी अपना उत्तर दे रहे हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष जी, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हम एस.सी./एस.टी. वर्ग के लिए जो योजना है, उसको लोगों तक बतला रहे हैं, उस पर आपत्ति हो रही है। मुझे अचम्भा हो रहा है। ...(व्यवधान)... देखिए जो डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना..

श्री अध्यक्षः देखिए जो बैठे-बैठे बोल रहे हैं, उनके मैं नाम फिर, मुझे मत कहना। दस बार कह चुके, मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मैं ले नहीं सकता हूं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर के अन्दर 10 करोड़ तक, ...(व्यवधान)... सर्विस सेक्टर के अन्दर 5 करोड़ तक..

श्री अध्यक्षः आप बैठिए।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): और ट्रेडिंग सेक्टर के अन्दर 1 करोड़ तक इसके ऊपर लोन दिया जाता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा यह निवेदन है कि नगर

पालिका परतापुर गढ़ी के अन्दर औद्योगिक रीको क्षेत्र का विकास करने की योजना है या नहीं है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): सुनाई नहीं दिया, वापस से पूछिएगा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा यह निवेदन है कि नगर पालिका परतापुर गढ़ी के अन्दर औद्योगिक रीको क्षेत्र का विस्तार कर लोगों को लाभ दिये जाने का विचार है या नहीं है?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर शुरू में ही दिया जा चुका है। लेकिन मैं बतला देता हूं, क्योंकि जो विस्तृत आंसर होते हैं, वह लोगों को पसंद है यहां पर, टोटल 50 हैक्टेयर भूमि इस नगर पालिका के अन्दर रीको का इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें से 15 हैक्टेयर आवासन मंडल को दिया जा चुका है कॉलोनी विकास करने के लिए। बाकी तकरीबन 35 हैक्टेयर के ऊपर दुकानें हैं, नर्सिंग होम हैं, अलग-अलग भूखण्डों के लिए वहां पर रोजगार के लिए वहां पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री हाकम अली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, एक मिनट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्षः सभी इम्पोर्टेंट है आज।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो डॉ. भीमराव अम्बेडकर योजना, आप जो बता रहे हैं, यह हमारी सरकार ने ही शुरू की थी, जिसकी आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने लोगों को फायदा मिला है?

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अन्दर 2022 से लेकर 2025 तक 98 लोगों को इससे लाभ मिला है।

श्री अध्यक्षः चलिए। श्री हाकम अली।

जेजेएम योजना के तहत पाइप लाइन डालने से क्षतिग्रस्त सड़कें

407. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना में पाइप लाइन डालने के बाद क्षतिग्रस्त सड़क व रेम्प को पुनः बनाने की जिम्मेदारी किसकी है तथा कितने समय में बनाने का प्रावधान है?

(2) यदि संबंधित फर्म द्वारा उक्त कार्य नहीं किया जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी कार्यादेशों में पाईप लाईन कार्य के साथ-साथ एवं उसकी मरम्मत करने का प्रावधान होने के कारण उक्त कार्य निविदा की शर्तों के अनुसार संबंधित संवेदक द्वारा ही किया जा रहा

है। सड़क काटने के पश्चात उसकी मरम्मत का कार्य विभागीय परिपत्र दिनांक 01.02.2023 के अनुसार किया जाना है। परिपत्र परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सड़क मरम्मत का कार्य समय पर नहीं करने पर संवेदक के विरुद्ध निविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी जगह बैठे हैं क्या? आपके पास कोई बैठा है। एक सेकंड, माननीय सदस्य, आपके पीछे कौन बैठे हैं? आपके सचेतक को कह दिया, फिर भी आप।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): मंत्री जी ने जवाब दिया है कि निविदा की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म को रिपेयरिंग करना पड़ता है, जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी, लेकिन जो निविदा संवेदक है, वह वहां धरातल पर काम नहीं कर रहा है। सबलेट काम दे रखा है। डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट वाले ने नीचे तहसील ब्लॉक को दे दिया। अब ब्लॉक वाले बोलते हैं कि हमारा तो काम सिर्फ पाइप लाइन डालने का है, रिपेयरिंग करने का नहीं है। किसको कहें, कौन जिम्मेदार है, मैंने ये पूछा था। बता दीजिए कि आप उस अधिकारी को या उस संवेदक को, संवेदक जयपुर में है, पता नहीं कौनसी कंपनी को आपने टेंडर दे रखा है?

Ans/rtm 11.40 1e 12.03.2025

नीचे धरातल पर काम करता है, वह कहता है कि हमारा काम सिर्फ पाइप डालने का है, हमारा काम रिपेयर करने का नहीं है। एक साल से सड़कें टूटी पड़ी है, वह नहीं कर रहे हैं। आपने जवाब में 30 दिन में रिपेयर करने का प्रावधान दिया है जबकि, मंत्री महोदय 30 दिन नहीं, एक साल हो गया।

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दो।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सम्बन्धित फ़र्म के खिलाफ सरकार जांच कराएगी क्या, सरकार जांच कराकर क्या कार्यवाही करेगी? पहला क्वेश्चन।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर विधान सभा में जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहा है। 127 गाँवों व 152 ढाणियों के लिए, अभी वर्तमान में 41 ग्राम में 63 ढाणियों को अभी पाइप लाइन द्वारा जोड़कर 10 हजार 406 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। शेष ग्रामों की चिह्नित ढाणियों का कार्य प्रगति पर है। 06 उच्च जलाशयों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 02 उच्च जलाशयों का कार्य प्रगति पर है। फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में पाइप लाइन के दोरान 67.3 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें से कुल 55.24 किलोमीटर रिपेयरिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 11.79 किलोमीटर सड़क मोटरेबल है। संवेदक द्वारा पाइप लाइन टेस्टिंग कार्य पूर्ण करते हुए निरन्तर सड़क का निर्माण किया रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक मेन पाइप लाइन से टंकी में पानी नहीं भरता जब तक टेस्टिंग में कभी-कभी मेन राइजिंग लाइन की वजह से, सबमें 30 दिन का है, बाकी हो सकते हैं उसमें दो-तीन महीने लग जाएं। टेस्टिंग से पहले उसकी रिपेयरिंग कर दे और बाद में कहीं लिकेज हो जाए तो दिक्कत आती है, इसलिए लेट हो सकता है। फिर भी माननीय सदस्य चिह्नित करके बता दे कि इस जगह इन्होंने गलत रिपेयरिंग की है, क्वालिटी सही नहीं की, 100 परसेंट जांच करके उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। क्वालिटी का काम कराएंगे। पहले जो भी हुई उसका नहीं कहेंगे, परन्तु अभी जो भी काम हो रहा है, आप हमें अवगत कराए। आप खुद जाए और जहां भी गलत होगी 100 परसेंट अधिकारी के खिलाफ, गलत मेजरमेंट हुआ उसके खिलाफ और ठेकेदार गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): मंत्री जी, बार-बार आपको फोन करके थोड़े ही कहेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसको कहें, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, नोडल कौन है, जिसको हम हमारी शिकायत दर्ज करा सके। बार-बार आपको थोड़े ही फोन करेंगे ...(व्यवधान)... आपने कहा कि सड़क मरम्मत कार्य समय पर नहीं करने पर संवेदक के विरुद्ध। आप संवेदक के खिलाफ तो जांच ही नहीं करा रहे हो तो क्या कार्यवाही करेंगे। आप कह रहे है 55 पाइंट कुछ कर दी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछो।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): प्रश्न यह है कि किसको कहे?

श्री अध्यक्ष: हां, यह आ गया। इसका उत्तर दिलवाता हूं। माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को किसी ठेकेदार से प्रोबलम है, काम सही नहीं कर रहा है तो वहां एक्सईएन ऑफिस है, सम्बन्धित एक्सईएन वहां बैठता है उससे कहो, अगर वह नहीं मानता है तो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सीकर में बैठता है उसको कहो, वह नहीं मानता है तो चीफ इंजीनियर को कहो, अगर कोई भी नहीं हो तो मेरा मोबाइल, मेरा वाट्सऐप परमानेंट खुला रहता है, मुझे अवगत कराइये, मैं सुनुंगा। कोई दिक्कत है तो कार्यवाही करेंगे।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: दो हो गये। अगला प्रश्न। श्री रामकेश।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक, महोदय, इसमें मेरा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सब में नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सबकी बात नहीं है, माननीय सदस्य ने कवेश्चन लगा दिया, मंत्री कार्यवाही करें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं। श्री रामकेश। हो गया, दो हो गये। बैठिये...(व्यवधान)... माननीय विपक्ष के नेता आपको शोभा नहीं देता। चार प्रश्न में आपने उत्तर पूछे। सभी महत्वपूर्ण है। अब विराजो। अंकित नहीं हो, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। अब बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): 000

श्री अध्यक्ष: नो, अंकित नहीं। दो हो गये। श्री रामकेश। आप पूछ रहे हैं या मैं अगला प्रश्न पुकारू? ...(व्यवधान)... नो, हो गये दो।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):000

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: उनके दो गये, हर कोई पर आप थोड़े बोलेंगे। ...(व्यवधान)... बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके कहने के अनुसार थोड़े ही होगा, मंत्री जी ने जवाब दिया है। मंत्री जी ने परफेक्ट जवाब दिया है। सिर्फ हल्ला करना हो गया। ...(व्यवधान)... हर प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं। बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं। इनको सिर्फ कोई ना कोई बहाना चाहिए। ...(व्यवधान)... बहाना चाहिए। यह बहानेबाजी है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कांग्रेस की बहानेबाजी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मैं अगला प्रश्न पुका रहा हूं। श्री रामकेश।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। बहुत हो गया। आज चार बार हो गया। मैं इतनी अनुमति थोड़े ही दे सकता हूं। आप मेरे से चेम्बर में आकर मिलना। अभी तो रामकेश। ...(व्यवधान)... हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह क्या है ...(व्यवधान)... वापिस क्यों आ रहे हो, हिम्मत है तो जाओ ना। सिर्फ बहानेबाजी है और कोई काम नहीं है। असत्य का पुलिंदा रखकर ...(व्यवधान)... सिर्फ असत्य में, अंतर्कलह में जूझ रही है।

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बर्हिगमन)

कहीं से इशारा आता है तो बाहर आओ, इशारा आता है तो वापस जाओ। मंत्री जवाब देने को तैयार है, आप लोग सुनने को तैयार नहीं हो। टांय-टांय फिस्स ...(व्यवधान)... ठेकेदारों को लूट कर एजेंसी बना रखी है। लूट की एजेंसी है। ...(व्यवधान)... ठेकेदारों में लूट की एजेंसी है।

प्रश्न संख्या 408

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। श्री रामकेश।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गोरधन।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल चलाने दें। ...(व्यवधान)... आप प्रश्न काल के बाद बोल लेना,

आपको समय दे दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष का आदर व सम्मान करते हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि हर बात में जान बूझकर, बिना किसी आधार के प्रश्नों के उत्तर में व्यवधान डालते हैं। यह बहाना ढूंढते है कि कोई ना कोई व्यवधान करके कैसे बहिर्गमन करे। बिना किसी आधार, बिना तथ्यों के, असत्य गलत बातें कह कर व्यवधान करते हैं। कांग्रेस की संस्कृति रही है। पूर्व की सरकार में, जेजेएम में भारी ठेकेदारों से मिली भगत करके घोटाले हुए, वह घोटाले उजागर हो रहे हैं, इसलिए बहिर्गमन कर रहं हैं। सभी मंत्रियों ने परफेक्ट जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

गौशाला निर्माण हेतु गोचर भूमि का आवंटन

409. श्री गोरधन (धोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही कि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म गोचर दर्ज की जाती है? यदि हां, तो गौ-शाला निर्माण के लिए गोचर भूमि से भूमि आवंटन नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार गोचर भूमि पर गौशाला निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) जी हां, यह सही है कि राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर में दर्ज की जाती है।

यह कि गौशाला हेतु भूमि आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1957 के तहत किया जाता है। राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1957 के नियम 6 (III) के परन्तुक में उपयुक्त सिवाय चक भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही संबंधित गांव में पशुओं की चराई के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध रहने की स्थिति में, चरागाह भूमि का आवंटन गौशाला हेतु किये जाने के प्रावधान है।

गौ-शाला हेतु चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने के संबंध में गुलाब कोठारी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के Observation के दृष्टिगत गौ-शाला प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन को व्यापक जनहित की श्रेणी में शामिल नहीं माना गया है।

माननीय न्यायालयों के आदेशों के दृष्टिगत वर्तमान में चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन गौशाला प्रयोजनार्थ नही किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 के अनुसार। यह इसका साथ में ही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोरधन (धोद): मानीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आपने कहा है कि गौशाला के प्रयोजनार्थ जो भूमि आवंटन की जाती है यह व्यापक जनहित की श्रेणी में नहीं आता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति के लिए और हमारे लिए गाय पूजनीय है। क्या गाय माता के लिए भी इसको जनहित में नहीं माना जाता? इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें आपने कभी कोई बात कोर्ट में पेश की कि जनहित की श्रेणी में इस मुद्दे को लाया जाए या गाय को जनहित में ही माना जाए? मेरे गांव में 700-800 बीघा भूमि गोचर की है। उस जमीन में से यदि हम 10 बीघा गाय के लिए नहीं दे सकते, तो मैं सोचता हूं कि हमारे लिये अच्छी बात नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं? आगे इसके आंवटन के लिए क्या प्रयास रहेंगे?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय हमारी माता है, इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। गौशाला हेतु राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 के तहत सिवाय चक भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है। गाय के साथ-साथ अन्य सभी पशुओं को चराने की व्यवस्था करना भी आवश्यक है।

VPS-RTM-12.03.2025-11.50-1f

अतः चरागाह भूमि समस्त पशुओं के हित में संरक्षित रखा जाना आवश्यक है। यद्यपि, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 7 में गौशाला हेतु चरागाह भूमि का वर्गीकरण, परिवर्तन किये जाने के प्रावधान है लेकिन रिट-पिटीशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2017 के पैरा 197, पृष्ठ संख्या 240/257 में व्यापक जनहित में ही चरागाह भूमि का वर्गीकरण करने के निर्देश दिये हैं। उक्त निर्देश में दिये गये निर्देशों के क्रम में गौशाला हेतु चरागाह भूमि आवंटन के सम्बन्ध में अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.02.2022 को गौशाला हेतु चरागाह भूमि का आवंटन व्यापक जनहित में नहीं माने जाने की राय दी गयी है इसलिए वर्तमान में चरागाह भूमि का आवंटन गौशाला हेतु नहीं किया जा रहा है। गौशाला हेतु चरागाह भूमि आवंटन के सम्बन्ध में पुनः परीक्षण करवाया जाकर तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि जब सिवायचक जमीन या गैर मुमकिन जमीन वहां पर उपलब्ध नहीं है तो हम चरागाह में से गौशाला के प्रयोजनार्थ जमीन दे सकते हैं और एक साइड में आप यह कह रहे हैं कि आप हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार, हम इस जमीन का आवंटन नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि हमारे गांवों में जब गौ-माता वहां पर घूमती है और बहुत सारी उसकी संख्या हो गयी तो उसके लिए हम किस प्रकार से उनको ठहरने के लिए, उनको ठंड से बचाने के लिए, उनको बारिश से बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं उनको रखने के लिए, आप क्या कर सकते हैं? जमीन उपलब्ध नहीं है तो फिर गांवों में हम उसका किस

प्रकार से संवर्धन या उसकी सेवा कर सकते हैं? इसके बारे में आप बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला गौशाला आवंटन का जो है, भूमि आवंटन का मामला, यह कोर्ट के माध्यम से है। अब जब तक वहां स्पष्ट निर्देश चूंकि, अभी बिलकुल साफ, स्पष्ट यह कह रहा है कि गौशाला के भूमि आवंटन नहीं की जायेगी और इसको व्यापक जनहित में नहीं माना गया है परंतु माननीय सदस्य द्वारा जो गौ-संवर्धन के लिए, गौ-रक्षा के लिए जो चिंता व्यक्त की है, उसके लिए इस नियम में पुन: परीक्षण करके कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय होगा, आने वाले समय में अपन करेंगे।

प्रश्न संख्या 410

श्री अध्यक्ष: महन्त बालकनाथ।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 411

श्री गणेश घोगरा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

खण्डार के औषधालयों में पंचकर्म की सुविधा

412. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र खण्डार के औषधालयों में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आयुर्वेद मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): विधान सभा क्षेत्र खण्डार के समस्त चिकित्सालय एवं औषधालय में नि:शुल्क औषध वितरण व चिकित्सा परामर्श की व्यवस्था है, वर्तमान में पंचकर्म की सुविधा नहीं है।

राज्य में कुल 82 चिकित्सालय/औषधालय में पंचकर्म की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है।

चरणबद्ध तरीके से गुणावगुण के आधार पर अन्य चिकित्सालयों/औषधालयों में पंचकर्म सुविधा उपलब्ध करवायी जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर खण्डार और चौथ का बरवाड़ा सब डिविजन लेवल पर आयुर्वेदिक औषधालय काफी समय से पुराना है और उसमें पंचकर्म के लिए मैं लगातार प्रयास करता जा रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे यहां पर पंचकर्म की सुविधा जल्दी ही उपलब्ध करायें। आप कब तक कराएंगे? इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर आयुष चिकित्सालय जो हमारे यहां पर नहीं है, क्या सरकार उसे तुरंत यहां चौथ का बरवाड़ा और खण्डार में खोलने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके जिले में दो पंचकर्म, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर में संचालित है और हमारे बजट घोषणा पत्र में पहले यह लिखा हुआ है कि हम चरणबद्ध तरीके से यह पंचकर्म केन्द्र खोले जाएंगे। इसमें हमने अभी 36-37 जगह पर पंचकर्म केन्द्र खोल दिये और आगे के लिए हम जल्दी ही इनके पंचकर्म की सुविधा प्रदान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): मंत्री महोदय, कब तक यह खोले जाएंगे? और दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुरेड़ी, भगवतगढ़, लसोड़ा, सिवाड़, भूरी पहाड़ी, पांचोलास, इन सभी हॉस्पिटल्स के अन्दर डॉक्टर्स/कम्पाउंडर्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो क्या जो रिक्त स्थान है, उन पर कब तक आप स्टाफ लगाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): आपके यह जल्दी ही व्यवस्था करवा देंगे और कहीं भी आपके चिकित्सकों की या नर्स/कम्पाउंडर्स की कमी है तो आप बता देना, जहां पर भी कमी है हम पूर्ति कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बेरोजगारों को प्रशिक्षण

413. श्री धर्मपाल (खेतड़ी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की दृष्टि से प्रशिक्षित करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यदि हां, तो कहां व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में कौन-कौनसे पाठ्यक्रम संचालित हैं तथा उक्त में प्रशिक्षणार्थियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कितने बेरोजगारों ने उक्त केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौड़): (1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 03 स्थाई प्रशिक्षण केन्द्रों एवं 04 अस्थाई पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहें है जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम व स्थान	कब से संचालित है (वर्ष)
1.	(स्थाई प्रशिक्षण केन्द्र) खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, पुष्कर, अजमेर	2006-07 से
2.	(स्थाई प्रशिक्षण केन्द्र) खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, सांगानेर, जयपुर	2006-07 से
3.	(स्थाई प्रशिक्षण केन्द्र) खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण	2010-11 से

	केन्द्र, माउण्ड आबू, सिरोही	
4.	(अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र) पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	2022-23 से
5.	(अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र) पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर	2022-23 से
6.	(अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र) पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा	2022-23 से
7.	(अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र) पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर	2022-23 से

(2) प्रदेश में उक्त प्रशिक्षण केन्द्र, पुष्कर, सांगानेर, माउण्ट आबू (स्थाई प्रशिक्षण केन्द्र) एवं बीकानेर, भरतपुर, कोटा व जोधपुर (अस्थाई प्रशिक्षण केन्द्र) में संचालित है।

इन केन्द्रों में वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग के आवासीय/गैर-आवासीय 01 माह/02 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हैं। संचालित पाठ्यक्रम एवं देय सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्रशिक्षण की स्थिति शून्य है।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): मुझे यह जवाब मिला है, मैंने क्वेश्चन किया था, उसका मेरा एक पूरक क्वेश्चन है मंत्री महोदय से कि झुन्झनूं जिला जो शिक्षा में अग्रणी है, वर्तमान में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एक भी प्रशिक्षण केन्द्र संचालित नहीं है तो क्या सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी या झुन्झुनूं जिला स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की मंशा रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बहुत ही सीमित यह स्किल्ड और प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। तीन इसके अन्दर स्थाई है और चार अस्थाई हैं और यह सीमित जो प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं उसके अन्दर जो हमारी संख्या है विद्यार्थियों की वह भी बहुत लिमिटेड है। अगर हमें यह लगता है कि झुन्झुनूं क्षेत्र के अन्दर इसकी जरूरत है तो इसके ऊपर विचार किया जायेगा।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): मेरा दूसरा पूरक क्वेश्चन है। मंत्री महोदय, क्या प्रदेश में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को स्वयं के रोजगार या कुटीर उद्योग किये जाने हेतु आर्थिक सहायता हेतु कम ब्याज दर पर लोन या फिर लोन पर सब्सिडी प्रदान करने की कोई योजना संचालित है? यदि है तो कौन-कौन सी योजना संचालित है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न अभी पूछा है माननीय सदस्य ने उसका यह मुख्य प्रश्न से कोई कन्सर्न नहीं है लेकिन अलग-अलग योजनाएं हैं जिनके अन्दर सब्सिडी भी मिलती है, इंटरेस्ट सब्वेंशन भी मिलता है। अलग-अलग केटेगरीज के लिए जो प्रोत्साहन है, उस तरह से यह योजनाएं बनी हुई हैं।

प्रश्न संख्या 414

श्री अध्यक्ष: डॉ. शैलेश सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री जयकृष्ण पटेल।

बांसवाड़ा जिले में नहर निर्माण एवं मरम्मत कार्य

415. श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बांसवाड़ा जिले में सरकार द्वारा माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2024 तक नहर निर्माण एवं मरम्मत के कार्य कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि से, किस-किस फर्म के माध्यम से करवाए गए हैं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में खराब गुणवत्ता के कार्य करवाये जाने के कारण नहर टूटने की समस्या आ रही है? यदि हां, तो उक्त कार्य करने वाली संबंधित फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बांसवाड़ा में उक्त अवधि में विभाग द्वारा एक करोड़ या उससे ज्यादा के कौन-कौनसे कार्य, किस-किस फर्म से करवाए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला बांसवाड़ा में उक्त अवधि में करवाए गए कितने कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की कितनी शिकायत सरकार को प्राप्त हुई? उक्त के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) बांसवाडा जिले में विभाग अन्तर्गत जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2024 तक नहर निर्माण एवं मरम्मत के करवाये गये कार्यो की राशि, फर्म का नाम आदि विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त अवधि में हुए नहर निर्माण अन्तर्गत कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, जिसकी गुणवत्ता खराब होने से नहर की टूटने की समस्या आ रही है।

(3) बांसवाडा जिले में विभाग द्वारा 1 करोड़ या उससे अधिक राशि के करवाये गये कार्यो से संबंधित फर्मो का विवरण मय भुगतान की राशि परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(4) वर्ष 2020 से लेकर अब तक करवाये गये कार्यो के संबंध में अनिमितताओं अंतर्गत गुणवत्ता संबंधी एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें विभागीय कमेटी द्वारा की गई जांच अनुसार किसी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी अनियमितता नहीं पाई गई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिये।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): पूर्व में भी बी.जे.पी. के जिलाध्यक्ष ने भी यह शिकायत दर्ज करवायी थी और मीडिया के माध्यम से भी यह बात सरकार तक आयी थी। मैंने कई जगह पर आमजन की शिकायत पर स्वयं जाकर नहर के कार्य की गुणवत्ता देखी तो उसमें घटिया काम मैसर्स नियती कंस्ट्रक्शन, मैसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन, मैसर्स पी.एस.एस.सी., जालंधर, जगदीश गुप्ता, आदि फर्म कर रही हैं। माननीय मंत्रीजी, क्या आप पूरे बांसवाड़ा जिले में पी.डब्ल्यू.डी. के चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करके इन फर्मों द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता का समय पर सत्यापन करने की इच्छा रखते हैं? यदि हां, तो क्या आप इन फर्मों को भविष्य में भुगतान पी.डब्ल्यू.डी. के चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सत्यापन के बाद ही करने की इच्छा रखते हैं, यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि नहरों के कार्यों की गुणवत्ता की जांच विभागीय अधिकारियों एवं गुण नियंत्रण एवं सतर्कता शाखा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की जा रही है तथा गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर तुरंत दुरुस्त करवाकर आगे के लिए गुणवत्तापूर्वक कार्य किये जाने हेतु पाबंद किया जाता है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ही कार्यों की गुणवत्ता विभाग के गुण नियंत्रण एवं सतर्कता शाखा के मुख्य अभियंता द्वारा किये जाने से पी.डब्ल्यू.डी. के चीफ इंजीनियर द्वारा सत्यापन किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी कोई विशेष शिकायत हो तो आप मुझे लिखित में दे दें, मैं उसकी जांच करवाकर आपको अवगत करवा दूंगा।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी, क्या बांसवाड़ा जिले में नई नहरों का निर्माण कार्य जैसे अपर-हाई लेवल कैनाल में स्थानीय आदिवासियों की निजी जमीन पर बिना जन सुनवाई, बिना सहमति, बिना अधिग्रहण किये ठेकेदार और प्रशासनिक दबाव बनाकर नहरों का कार्य किया जा रहा है तो क्या, मंत्रीजी, ऐसे अलोकतांत्रिक कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं? यदि हां, तो क्या और कब तक? मैं 86 और 87, आपका जो परिशिष्ट-'अ' है, ...(व्यवधान)...

Ssy/Rtm/12.03.25/12.00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। विधायी कार्य। राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025। श्रीमती दिया कुमारी।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यों, इस विधेयक को जनमत जानने के लिए संशोधन प्रस्ताव है। समय कम है। जो सबसे आवश्यक बात हो जरूर करिये। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): प्रश्नकाल समाप्त।

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त, वह कह चुका।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान माल और सेवा कर...

श्री अध्यक्षः 2-2 मिनट में सबको बोलना होगा।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 2 मिनट।

श्री अध्यक्षः हां। क्योंकि 3 बिल हैं और सब सदस्य, इतने सारे बोलेंगे तो अच्छा है ना कोई बोल लेगा, 2 मिनट में जो विषय है। क्यों परिचालित किया जाये और उद्देश्य बता दो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, सेवा कर पर थोड़ा सा टाइम दे दो।

श्री अध्यक्षः यह केन्द्र सरकार का है, एज इट इज होना है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नहीं, सर, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्षः हां, 2 मिनट में।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नहीं, सर, 2 मिनट में नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्षः इस पर नहीं, फिर एप्रोप्रिएशन पर बोल लेना।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बीकानेर और उसमें कर दो ना।

श्री अध्यक्षः एप्रोप्रिएशन पर सबको अनुमति है और थर्ड वाचन में भी है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नहीं।

श्री अध्यक्षः नहीं तो आप शाम तक यही चलाओ, एप्रोप्रिएशन बिल भी है आज। मेरे पास एप्रोप्रिएशन बिल भी है आज ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नहीं, इसमें मेरे को 5 मिनट दे दें। 5 मिनट में क्या दिक्कत है?

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरे 30 सैकण्ड खराब हो रहे हैं। रोहित जी, 30 सैकण्ड तो हो गये खराब। अब आप मुझे बोलने दो, नहीं तो डेढ़ मिनट है। यह 30 सैकण्ड माइनस कर दें।

श्री अध्यक्षः हर बिल पर 6-6 लोग हैं, शाम यहीं हो जायेगी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान माल और सेवा कर, जीएसटी अधिनियम 2017 को और संशोधित करने के लिए जो विधेयक लिया है, उस पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित राजस्थान की ओर बढ़ते कदम, हर घर में खुशहाली, सुनहरे सपनों की है उड़ान, पूरी होगी हर कसक, खाली राष्ट्र सर्वोपरि संकल्प हमारा, बढ़े समृद्धि सभी का उत्थान, नव राजस्थान की रचना में भारत का हो नया अभियान।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय कम है और आपने कहा है कि सीधा अपने पाइंट को ही आप बोलें तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो यह एक देश और एक कर की प्रणाली भारत में लागू हुई है उससे बिजनैस को इज ऑफ डूईंग बिजनैस हुआ है, बिजनैस में बहुत ईजीली आगे काम कर सकते हैं। उद्यमियों को इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन मैं, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी कि राजस्थान में जिस तरीके से, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं राजसमंद, मार्बल उद्योग एक बड़ा उद्योग है वहां पर। जो कर प्रणाली अपनाई गई है निम्बाहेड़ा स्टोन और कोटा स्टोन में 5 प्रतिशत तक कर होता है, जबकि मार्बल के ऊपर 18 प्रतिशत कर लागू है। मैं, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को भी यह कहूंगी कि एक अच्छी स्ट्रांग कमेटी बनायी जाये और केन्द्र में आपने बहुत प्रयास किया है, मैं इस बारे में बहुत अच्छे से जानती हूं। उसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी, वित्त मंत्री जी को लेकिन वापस से यह बात रखूंगी क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्बल में मंदी चल रही है, उद्योग बंद होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को आर्थिक नुकसान होता जा रहा है, इसके साथ सिर्फ मार्बल माइनिंग ही नहीं, मार्बल के साथ बहुत सारे छोटे बिजनैस एम एस एम ईज बहुत सारे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरेक्ट और इन डायरेक्ट इसमें इफैक्ट पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि मार्बल को मंदी से निकालने में प्लीज अपना सहयोग दें और राजस्थान, चूंकि मार्बल के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरे देश में राजस्थान का मार्बल जाना जाता है और वर्ल्ड बिजनैस पर भी हम लोग अपने मार्बल को देखते हैं तो इसलिए प्लीज इसके लिए कुछ अच्छे नियम वापस से लिये जायें और मजबूती से अपनी बात को रखें कि 18 प्रतिशत कर को कम करके वापस 5 प्रतिशत दर पर लायें, ताकि हम भी उस कांपिटेटिवनैस को सर्वाइव कर सकें। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री रोहित बोहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): स्पीकर साहब, यह जो बिल है यह बिल ना तो मार्बल से रिलेटेड है, ना यह किसी से रिलेटेड है। यह बिल जो है वह सरकार इसको ईएनए को जीएसटी से निकालने के ऊपर यह बिल है। अपन बिल पर डिसक्शन करें ना कि रेट्स के ऊपर।

मेरा आपसे यह कहना है कि इसमें हमारे यहां सरकार ऑलरेडी इसको वैट पर चला रही है क्योंकि और काफी सारी स्टेट्स ने यह काउंसिल में मीटिंग की कि भाई, यह जीएसटी में बिल नहीं होना चाहिए। यह स्टेट सब्जेक्ट है, it should go to the VAT. It is a basic issue in this bill. यह समझना पड़ेगा विदाउट डिस्कसिंग कि भाई, हम क्या करना चाह रहे हैं।

अब इसमें जो इनने पाइंटर्स डाले हैं, जो इनने डाला है, जैसे यह फोर्थ पाइंट में इज ऑफ डूईंग बिजनैस बिलकुल खत्म करना चाह रही है यह सरकार। इनने क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर

दिया है टाइम लिमिट में। जो यह पाइंट नंबर फोर है उसमें, उसमें क्या है कई बार कनफ्यूजन में हम कोई टैक्स नहीं भरते हैं सपोज और मेरे को आप यह कहते हो कि साहब, आपने यह गलत किया तो मेरे को कम से कम आई टी सी लेने का तो मेरा हक होना चाहिए ना, क्योंकि मैं आई टी सी तो लूं। मेरे को आप आई टी सी भी नहीं लेने दे रहे हो और उसको टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इसमें आपने टाइम लिमिट डाल दी है, why do you want to restrict my time. आप रिस्ट्रिक्ट ही मत करो इस टाइम को, let me allow, कि मेरे को जो आई टी सी है, let me allow to take the ITC. आप आई टी सी नहीं लेने जा रहे हो, you are restricting my time. यदि मैं कर रहा हूं, इसको ओपन करिये, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रिस्ट्रिक्शंस को हटाइये कि, there has to be a time limit. उस टाइम लिमिट को कम करिये।

दूसरा, पाइंट नंबर 5, 16सी, यह 16(6) है, आप क्या करते हो, रजिस्टर्ड डीलर को आपने अफसरों को इतनी पावर दे दी कि वह आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल कर सकता है? यदि आज सेलर मेरे को कोई माल देता है और जो गलत है और मैं उसको रीप्रोसेस कर देता हूं, वह बिल यदि गलत है तो मैं उस बिल का पेमेंट यदि बाई चैक करा हुआ है तो, that means I have bought that. May be the Seller is not giving you a right bill, तो आप सेलर के खिलाफ कार्यवाही करो, इसमें डी.वाई. बीथेल का केस है मद्रास हाई कोर्ट का, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अपने यहां कैसे लगा सकते हो? जब हाई कोर्ट ने रुलिंग दे रखी है तो उस पर आप कैसे कर सकते हो यह, this is absolutely wrong. You have to take, डी.वाई. बीथेल का जो केस है मद्रास हाई कोर्ट का उसमें आपको लेना पड़ेगा और उसमें आप एक चीज और मांगने लगे हो कि भाई, आप हमें टोल नाकों की रसीद दो, व्यापारी आपको कहां से टोल नाकों की रसीद देगा? यदि ट्रक के अन्दर कोई माल आ रहा है, how can I give you टोल नाके की रसीद, मैं किस-किस ट्रांसपोर्टर के पास जाऊंगा और टोल नाकों की रसीद लूंगा?तो सरकार, यह जो काम हो रहा है, यह जो इनने पाइंट करे हैं 16(6) में, this is absolutely wrong. This is the prudence of the D.Y.Beathel, मद्रास हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप इसको कर रहे हो।

दूसरा है, 6 नंबर जो पाइंट है, उसमें आप बिल्डिंग पर आई टी सी नहीं देते हो, वैल टेकन, आप बिल्डिंग पर आई टी सी मत दो, बट आप आई टी सी मुझे लिफ्ट पर तो दोगे, यदि मैंने गुड्स लिफ्ट करा रखी है और गुड्स के लिफ्ट सें मैं गुड्स इधर से उधर करता हूं, that means I am shifting goods from one place to another, और यहां मैं अपना हयुमन रिसोर्स लिफ्ट के अन्दर एक पाइंट से दूसरा पाइंट पर ले जाता हूं तो उसकी तो आई टी सी आपको मुझे देनी पड़ेगी ना, how can you stop that. आपने वह आई टी सी रोक रखी है। उस पर आपने लोगों को आई टी सी को आपने दिया, उस पर आपने पेनल्टीज लगा दी, no one is there to listen about penalties. कि भाई यह पेनल्टीज

क्यों लगी। आप बिल्डिंग पर मत दो, बट आप लिफ्ट के ऊपर केसेज जितने आपके पास पैंडिंग हैं, उनको खत्म कराइये। उनको आप क्यों नहीं खत्म कराना चाह रहे हैं?

अब आइये पाइंट नंबर 9, साहब टाइम लगेगा मैं अकेला ही बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने कहा था, साढ़े 4 मिनट हो गये ...(व्यवधान)... 5 मिनट आपने कहा, मैंने 5 मिनट दे दिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, और कोई बोलेगा ही नहीं ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अकेले ही बोल रहे हैं हमारी तरफ से तो यह।

श्री अध्यक्ष: फिर कोई नहीं बोलेगा। हरिमोहन जी नहीं बोलेंगे? कोई नहीं बोलेगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हरिमोहन जी बोलेंगे, दूसरे पर।

श्री अध्यक्ष: एक ही बोल रहा है तो मैं बात करुं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दो जने। दो जने।

श्री अध्यक्ष: फिर एक ही कहो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, ये दो ही हैं ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, फिर एक काम कर दें, ऐसे ही पास कर दें। फिर क्या मतलब है सर?पाइंट ही यही है और कोई बोलेगा ही नहीं। मैं जो पाइंट बोल रहा हूं यदि वैलिड पाइंट नहीं हो तो आप बताओ।

श्री अध्यक्ष: आप बोल रहे हो तभी तो आपको 5 मिनट दिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, 5 मिनट नहीं होता, you are discussing a Bill!

श्री अध्यक्ष: 10 मिनट तो नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, गलती अपनी है, सरकार की गलती है।

श्री अध्यक्ष: बौहरा जी, पालन करो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपने आर सी एम का प्रोविजन किया, पाइंट नंबर 9 में, मेरा यदि माल अहमदाबाद से आता है और मैं यहां पर पेमेंट करता हूं जयपुर में उस ट्रक भाड़े का तो मेरे को स्टेट गवर्नमेंट का एस जी एस टी और मेरे को सेन्ट्रल सी जी एस टी में, आर सी एम में मुझे छूट मिलेगी। बट आपकी सरकार ने क्या किया? आपने कह दिया जो अहमदाबाद से बिल है, उसको आपको आई जी एस टी में करना पड़ेगा। भाई, आई जी एस टी में कैसे करेंगे?it is a neutral revenue. मैंने तो आपको एक बार रेवेन्यू दे दिया आर सी एम में चाहे मैं किसी में भी दूं, इस पर केसेज पड़े हुए हैं। इस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसको आप ठीक करवायें। यदि रेवेन्यू न्यूट्रल है, आपको तो रेवेन्यू एस जी एस टी से मिले या सेन्ट्रल सी जी एस टी से मिले, उसको आपको ठीक करना चाहिए।

फिर एक आया है पाइंट नंबर 13 एक्सपोर्ट ड्यूटी का, मैं माल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने उस पर लगा दी, मुझे तो आपको, आप रिटर्न नहीं करोगे, मेरे यूनिट को ही आप अनवाइबल कर रहे हो। यदि मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी दी है, यदि आपने चार्ज किया है एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, you have to return that duty.

spp/rtm/12.03.2025/12.10/1h

क्योंकि सब एक्सपोर्टर्स को मिलती है, why are you not returning the duty over here? आप मेरा प्रोडेक्ट ही अनवायबल कर रहे हो, how can you make my product unviable, यदि मैं एक्सपोर्ट पर ड्यूटी दे रहा हूं तो और लास्ट पांइट मेरा यह है जो 74 (ए) है और 73 है, सर 73 में यह होता था कि आपको यदि नॉन फ्रॉड केस है तो आपको 10 प्रतिशत पेनल्टी लगती थी, if it is a non-fraud case. और जो फ्राड केस है, उस पर आपको 100 प्रतिशत पेनल्टी लगती है। अब आपने क्या किया, 73 और 74 को मिलाकर 74 (ए) का आपने एक नया प्रावधान कर दिया और उसमें क्या किया जो फ्रॉड केसेज हैं और जो नॉन फ्राड केसेज हैं, सबको एक व्याख्या में आपने डाल दिया तो इसका मतलब आपका नॉन फ्रॉड केस पर भी आपको 100 प्रतिशत ड्यूटी देनी पड़ेगी। यह पाइंट नंबर 25 है। 31 मार्च तक एमनेस्टी है। ..(व्यवधान)...सर, देखो काम इतना लम्बा है..(व्यवधान)..काम करें तो ढंग से करें।

श्री अध्यक्ष: आप तो इतने विद्वान हैं कि आप इस पर एक घंटा बोल सकते हो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक घंटा नहीं बोल रहा, लास्ट पांइट है।

श्री अध्यक्ष: लेकिन अब मेरी सीमा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपकी सीमा है तो मेरी सीमा है। मैं नहीं बोलता।

श्री अध्यक्ष: तीन बिल के बाद एप्रोप्रिएशन बिल भी है। फिर एप्रोप्रिएशन बिल पर कोई नहीं बोल पायेगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बस एक सैकण्ड, 31 मार्च को आप एमनेस्टी लेकर आये, 17,18,19, 20 की नॉन फ्रॉड केसेज पर। मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आपने इसको सिक्स मंथ्स के लिये कह दिया कि इसको आप एक साथ पेमेंट कर देंगे, वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे। आपका पोर्टल ही नहीं चल रहा है तो 31 मार्च तक हम पेमेंट कैसे करेंगे? आप पोर्टल को सुचारू करो और इसको तीन महीने के लिये और बढ़ाओ जिससे कि हम उसका पेमेंट कर सकें जिससे कि काम आगे चल सकें। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप इसको जनमत जानने के लिये हमारे पास भेजें।

श्री अध्यक्ष: अब हरिमोहन जी का तो नंबर गया। इन्होंने कहा हमारी ओर से एक ही बोलेगा। आपके ही शब्द हैं। सदन में रिकार्ड है। आप दो मिनट बोल लो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह तो राइट है। यह तो अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: आपके नेता ने कहा तो मैं क्या करूं?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं इसमें मोटा-मोटा बता देता हूं, फिर टेबल कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, टेबल कर दो। टेबल करने का अधिकार सबको है। आपके सामने ही है, चार बजे आखिरी वक्ता बोलेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): गुड्स और सर्विस टैक्स की अनुपालना में जो विसंगतियां हैं,

GST का उदगम गुड्स और सिम्पल टैक्स के लिये हुआ था, परंतु व्यावहारिक रूप से यह गब्बर सिंह टैक्स बन गया, जिसके निम्न उदाहरण हैं:-

1. इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिला है। एक तरफ केन्द्र सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को प्रमोट कर रही है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनैस व्यापारी को मिल सके। परंतु GST में रजिस्ट्रेशन को लेकर असेसमेंट तक अधिकारियों का दबाव बढ़ रहा है। जैसे GST रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन वैरिफिकेशन कर दिया जिससे GST रजिस्ट्रेशन में सात दिन से एक माह तक का समय लग रहा है, क्योंकि अवांछित डाकुमेंट्स मांगे जा रहे हैं इससे नये व्यापारी को GST नंबर लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं GST रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के बिना उचित कारण के निरस्त की जा रही है। इससे अधिकारियों का दखल बढ़ रहा है। विक्रेता की गलती की सज़ा क्रेता को मिलती है। GST में इनपुट तथा आउटपुट का सिस्टम है। पंजीकृत व्यापारी को किसी भी GST रजिस्टर्ड व्यापारी से GST बिल के द्वारा खरीद करता है एवं चैक से भुगतान करता है जिसमें माल की लागत के साथ टैक्स की राशि भी शामिल होती है। परंतु यदि विक्रेता ने GST का समय पर भुगतान नहीं किया या रिटर्न समय पर नहीं भरा तो क्रेता को GST का इनपुट नहीं मिलता। अत: विक्रेता की गलती की सज़ा क्रेता को मिल रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला। हो गया आपका?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 18 प्रतिशत ब्याज GST में टैक्स से 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है, जबकि रिफंड पर सरकार 6 प्रतिशत ब्याज देती है, जो न्यायोचित नहीं है। जबकि इनकम टैक्स में भी ब्याज 12 प्रतिशत लगाया जाता है। मानवीय भूल और गलतियों का जुर्माना GST में अधिकारी लोग छोटी-छोटी भूलों को तकनीकी गलतियों पर भारी जुर्माना लगा देते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने जुर्माने को एक आय का साधन बना लिया है। GST के रिटर्न में रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं है। GST एक ऐसा कानून है जिसमें व्यापारी को भगवान मान लिया गया है, जिससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, जो पूर्णतया गलत है। GST में व्यापारी द्वारा एक बार जो रिटर्न भर दिया जाता है, उसको रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, जिससे व्यापार में अननैसेसरी जटिलताएं बढ़ती हैं। GST में व्यापारियों तथा सलाहकारों की समस्याओं का रिवाइज ऑप्शन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: डॉ. सुभाष गर्ग। आपने उस समय नहीं कहा। चलो अब कर दो।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप अनुमति दे दें माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपने ही कहा था मैं बाकी टेबल कर दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): अब कर दूं।

श्री अध्यक्ष: इतना तो पढ़ दिया आपने। चार मिनट हो गये। मैं आखिर कब तक, शाम तक थोड़े ही मैं यह बिल चलाऊंगा। आप टेबल कर दो। चार मिनट हो गये, दो मिनट की जगह। हो गया तो टेबल कर दो न। ...(व्यवधान).. आप तीन मिनट में खत्म करो। आपको

मैंने निवेदन किया, आप लोग विद्वान हैं कि एक-एक घंटा बोल सकते हैं, आप सक्षम हैं। ..(व्यवधान).. आप टेबल कर दें, आ जाएगा। यह मुझे पहले ही पता था। इसलिए मैंने एक की जगह दो किये। माननीय सुभाष गर्ग, आप शुरू करें।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आज हम सबकी मजबूरी है। फिर भी आपको अवसर दे दिया। आप टेबल कर दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मैं टेबल कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल कर दो। आपका अधिकार है।

(श्री हरिमोहन शर्मा द्वारा शेष वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।)

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): GST बिल के सन्दर्भ में जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उनको ध्यान में लाना चाहता हूं जिससे कि सदन के माध्यम से सरकार इन चीजों को केन्द्र के समक्ष भिजवाये और जो व्यावहारिक कठिनाइयां, जो आम आदमी को, आम व्यापारी को और उद्योगपतियों को, जो MSE इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों को अभी मेरे से पूर्व वक्ता हरिमोहन जी शर्मा ने भी कहा है कि पेनल्टी और दण्ड की जो कार्यवाहियां की जा रही हैं, वह इतनी की जाती हैं कि कई बार वह छोटा व्यापारी नहीं दे पाता। दूसरा मेरा कहना यह है कि इनकी दरों का सरलीकरण और किया जाये। क्या कारण है कि वन नेशन और वन टैक्स की अपन जब बात करते हैं तो वन नेशन वन टैक्स के तहत एक ही दर क्यों नहीं प्रतिपादित कर दी जाये जिससे कि सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तीसरा, बात मैं यह कहना चाहूंगा वैट के, जैसे राज्य सरकार को दे रखा है, पेट्रोल और डीजल के लिये मैं यह चाहूंगा कि अब पेट्रोल और डीजल को भी GST के अधीन लाया जाये जिससे कि हमारे राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां बड़ी दिक्कतें आती हैं। पेट्रोल और डीजल पड़ोस के राज्यों में बड़ा सस्ता है, 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक अंतर है और राजस्थान में काफी मंहगा है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। पर GST की कल्पना यह थी कि वन टैक्स वन रेट वन नेशन तो इसकी तरफ हमें प्रयास करना चाहिये और जो GST की दरें हैं, कई बार 18 प्रतिशत, 24 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 6 प्रतिशत इसमें विषमताएं इतनी हैं और इनका जो सॉफ्टवेयर है, वह इतना है कि जो पोर्टल का कह रहे थे, वह पोर्टल इतना डिले हो जाता है, उसका सर्वर काम नहीं करता जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है तो उन प्रेक्टिकल कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों की सुविधा के लिये GST सिस्टम के प्रोसीजर को, मैकेनिज्म को डवलप किया जाये, चेंज किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी राजस्थान की GST ग्रोथ 13 प्रतिशत है, जो कि पिछले 5 वर्षों के लिये दिये गये भारत सरकार की गारंटी से 14 प्रतिशत न्यूनतम से भी कम है। मेरा निवेदन है कि इसकी मियाद

अब खत्म होने पर है। साथ ही साथ इसकी भरपाई के लिये हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, इसके लिये आप बताएं। साथ ही साथ GST रिफंड की जो प्रक्रिया है, वह बहुत ज्यादा जटिल है। उसके अन्दर सरलीकरण करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो हमारे करदाता हैं, वह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं CGST के बीच में, RGST और वैट और अदर टैक्सेज के अन्दर तो इसके अन्दर भी कुछ समाधान होना जरूरी है। साथ ही साथ व्यापारियों का ज्यादा समय रिटर्न भरने में ही लग जाता है। इसमें भी सरलीकरण करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों को विदित है हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदीजी के ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'वन नेशन वन टैक्स' की अवधारणा के तहत वर्ष 2017 में GST एक्ट लागू किया। जो कि आजादी के बाद कर प्रणाली में देश का सबसे बड़ा टास्क रिफोर्म है। माननीय प्रधान मंत्रीजी की को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की सोच के तहत संविधान के अनुच्छेद 279 (ए) में GST काउंसिल का प्रावधान किया गया है। इस कांउसिल में केन्द्र के साथ-साथ सभी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है तथा GST से सम्बन्धित मामलों में सहमति से निर्णय लिये जाते हैं। GST काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप संसद द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम और राज्यों की विधान सभा एवं विधान परिषदों द्वारा राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन किया जाता है। राजस्थान में इसी अनुरूप राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन किया जाकर GST काउंसिल के निर्णय के अनुरूप प्रावधान किये जाते हैं।

jyg/rtm/12.03.25/12.20/1j

करों में एकरूपता रखने हेतु ये नवीन प्रावधान केन्द्र तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से एक ही दिनांक से लागू किया जाना आवश्यक होता है। इसलिए केन्द्रीय वित्त अधिनियम 2024 के अनुरूप राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में भी उसी अनुरूप संशोधन अपेक्षित था। उस समय राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी अत: 10 दिसम्बर 2024 को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024 लाया गया। अब इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 लाया जा रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को आज यह भी बताना चाहूंगी कि आपके दिये गये सुझावों पर अंतिम निर्णय जी एस टी काउंसिल भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है। हम आपके सुझावों को आगामी जी एस टी काउंसिल की बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत कर देंगे, क्योंकि अब तो यह ऑर्डिनेंस हो चुका है और आज बिल के द्वारा इसको रिप्लेस किया जा रहा है। इसलिए अभी जो भी सुझाव आये हैं इनको आगे आने वाले, एक

बार रिव्यू करके अगली जी एस टी काउंसिल की बैठक में ये सारे सुझाव हम लोग रखेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि जीएसटी संग्रहण का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार को तथा 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होता है। कर संग्रहण की यह व्यवस्था ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर माननीय सदस्य को बोलना चाहूंगी कि आज तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, यह ऑलरेडी पास हो चुका है और ये मेंडेटरी होता है, इसमें कोई भी सुझाव आपके आये, आयें भी हैं, वो सारे जी एस टी काउंसिल की बैठक में रखे जायेंगे और इसके अलावा मैं अभी कोई भी मेरे रिप्लाई में इस बारे में ना तो कुछ आश्वासन दे सकती हूं और ना मैं इसके सजेशन के बारे में आगे कुछ कह सकती हूं। ये सारी चीजें जी एस टी काउंसिल की बैठक में रखेंगे, रिव्यू करने के बाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कर संग्रहण की यह व्यवस्था 2017 से निरंतर है और इसमें हमारा प्रदेश भी पूरी भागीदारी निभा रहा है। मैं अपने विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहूंगी कि उनकी सरकार के समय भी इसी प्रकार से जी एस टी के संग्रहण की व्यवस्था थी। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। ...(व्यवधान)... मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी कि राज्य के ऑन टैक्स रेवेन्यू में जी एस टी का हिस्सा लगभग 43 परसेंट है। वर्ष 2024-25 में जी एस टी के माध्यम से 52,100 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है जो कि वर्ष 2025-26 में बढ़कर 63,600 करोड़ रुपये होना प्रस्तावित है। इस विधेयक के पारित होने से कर संग्रहण व्यवस्था में, एफिशिएंसी में निरंतरता आयेगी तथा राजस्व वृद्धि होने के साथ-साथ करदाताओं को भी राहत प्राप्त होगी। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:-

ईएनए पर जीएसटी नहीं लगाया जायेगा तथा राज्य की मांग के अनुरूप इस पर वैट लगाने की अधिकारिता जारी रह सके तथा राज्य को वैट के रूप में राजस्व प्राप्ति हो। करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए एमनेस्टी लायी जाकर धारा 73 के तहत जारी डिमाण्ड नोटिस के सम्बन्ध में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है।

करदाताओं के अपील के मामलों में राहत प्रदान करते हुए अपील के लिए आवश्यक जमा राशि की सीमा को 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ रुपये किया गया है। अपील करने की समय सीमा बढ़ायी गयी है। करदाताओं को राहत प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आई टी सी का दावा करने के लिए समय में बढ़ोतरी की गयी है ताकि करदाताओं द्वारा दावा की गयी वैध आई टी सी का लाभ प्राप्त हो सके।

अब पंजीकृत करदाताओं से खरीद करने वाले व्यक्तियों को इनवाइस जारी करने और आईटीसी का दावा करने के लिए समय प्रदान किया जायेगा ताकि आई टी सी क्लेम की समय सीमा निर्धारित हो सके एवं पंजीकृत करदाताओं द्वारा दावा की गयी आई टी सी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से मिलान पर पूरा टैक्स दिया जाना सुनिश्चित हो सके। शून्य दर

वाली वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में ऐसी वस्तुओं जो निर्यात शुल्क के अधीन हैं, आई जी एस टी में अनयूटिलाइज्ड आई टी सी को रिफण्ड की अनुमति नहीं दी जायेगी ताकि आई टी सी का दोहरा लाभ नहीं लिया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 से कर निर्धारण हेतु धारा 73 और 74 के स्थान पर धारा 74-ए को शामिल किया जाकर दोनों धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की समय सीमा को एक किया गया है। अनुसूची थर्ड में संशोधन किया गया है जिससे हेल्थ बीमा प्रीमियम को माल या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जा सके। यह प्रावधान स्पष्टीकरण के रूप में किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगी, हम जनहित के कार्यों को समयबद्ध रूप से सम्पादित करने तथा जनता से किये अपने वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने का कार्य पूर्ण मनोयोग से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये? ...(व्यवधान)...

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

...(व्यवधान)...

प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाये? ...(व्यवधान)...

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

...(व्यवधान)... खण्डश: पर बोलना। ...(व्यवधान)... मैंने करा ली वोटिंग। ...(व्यवधान)... करा ली, ध्वनि मत से हो गया। ...(व्यवधान)... हो गया।

खण्ड 2 से 38। तक कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 38 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 38 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये? ...(व्यवधान)...

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती दिया कुमारी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान माल और सेवा कर

(संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: खण्ड 3 में, दो मिनट के लिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया वो तो हमको भी पता है कि हम यहां पर कोई पास नहीं कर सकते, it is just a formality, जो हम यहां कर रहे हैं। यह तो होगा तो काउंसिल में ही होगा बट मैंने जो आपको 25 नम्बर का कहा था जिसमें मैंने आपको कहा था वो आपके हाथ में है मंत्री महोदय, आप डेट बढ़ा दीजिये क्योंकि आपका पोर्टल नहीं चल रहा है, आप ईज ऑफ डूइंग की बात करते हैं, राइजिंग राजस्थान की हम बात करते हैं, अगर आपका पोर्टल नहीं चल रहा है, 31 मार्च तक उस डेट को बढ़ाया जाये जिससे व्यापारी वर्ग को फायदा मिल सके नहीं तो यहां थोथी घोषणाएं करने से कुछ काम नहीं होगा। यदि आपका पोर्टल नहीं चलता है तो, it is not our problem. It is a problem of the Government. कि गवर्नमेंट को यह ठीक करना पड़ेगा, यह आपके हाथ में है, जो मैं कहना चाह रहा था, वो तो मेरे को भी पता है कि आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं है पर जो आपके हाथ में है उसका अनाउंसमेंट करवाइये, वो तो आपको अनाउंस करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर दीजिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बात माननीय सदस्य ने रखी इसको एक्जामिन करके यदि ऐसा हुआ तो फिर आगे जो भी कुछ होगा उस पर निर्णय लेंगे, बिलकुल जनहित में ही काम होगा, जनता के हित में ही हमारे प्रधान मंत्रीजी काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जनता ने उन पर लगातार विश्वास भी जताया है। अब राजस्थान में भी डबल ईंजन की सरकार है, यह डबल ईंजन की सरकार जनता के हित में काम करेगी, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसकी जानकारी करके एक्जामिन करके उचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया गया।

MLS/RTM/12.03.2025/12:30/1k

श्री झाबर सिंह खर्रा। ...(व्यवधान)... वो तो ना हो गयी न। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय...।

...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को, अमेंडमेंट के प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने, आपने तो पता ही नहीं होगा, हमारे सबने ना कहा।

श्री अध्यक्ष: विराजें। मंत्री जी को बोलने दें। ...(व्यवधान)... विराजो। अंकित नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: अभी आपके तीन बिल्स और हैं। ...(व्यवधान)... आपके विपक्ष के नेता बोल लेंगे जितना उसमें बोलना है।

विधेयक पर विचार

भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: डॉ. सुभाष गर्ग। ...(व्यवधान)... हां, पहले तीन बोल लेंगे, तब बोलना। पहले इनका परिचालित है। ...(व्यवधान)... विचारार्थ ही तो रखा है इन्होंने। इन्होंने विचारार्थ तो रख दिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सदस्यगण, कृपया ध्यान से सुनें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने राय ले ली। आप बैठिये। ...(व्यवधान)... सब बोलोगे तो आज...। जो सम्बन्धित है व्यक्ति, जवाब देने के लिए हूं, कोई आवश्यकता होगी तो आपसे राय ले लूंगा।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025, यह इम्पॉर्टेंट इश्यू है माननीय अध्यक्ष महोदय और मैं एक मात्र विधायक हूं भरतपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में, इसलिए कम से कम 10-12 मिनट इस पर बात करने का मौका दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर विकास प्राधिकरण, 2025 जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से पहले भेजा गया था, और क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है, इसलिए आनन-फानन में इस बिल को लाया गया और सदन के समक्ष रखा गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब भी किसी प्राधिकरण को जरूरत पड़ती है, अपन नगरपालिका घोषित करते हैं, नगर परिषद् घोषित करते हैं, नगर निगम बनाते हैं, एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि किसी भी क्षेत्र को, रीजन को विकास प्राधिकरण के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो क्या पैरामीटर्स हैं? क्या अरबन डवलपमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान के ऐसे कोई पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइंस हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जहां तक जानकारी है, मैं बताना चाहूंगा, अब तक जितने भी विकास प्राधिकरण स्थापित किये गये थे, ज्यादातर पॉपुलेशन एक क्राइटीरिया रहा। अच्छी

बात है, भरतपुर विकास प्राधिकरण लेकर आये हैं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन लाने से पहले इस पर 6-7 महीने स्टडी करते, जनमत को भेजते, पब्लिक के विचार लेते। मैं खुद विधायक हूं और मुझे ही नहीं मालूम कि ऑर्डिनेंस कब आया, आया, यह जरूर मालूम पड़ गया, उससे पहले कोई एक्सरसाइज की गयी, नहीं की गयी, डवलपमेंट अथॉरिटी बिल लेकर आये, इसके बारे में कोई कंसल्टेशन जन प्रतिनिधि से नहीं किया गया। मैं यह बताना चाहूंगा, जयपुर के बारे में कहना चाहूंगा...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): इससे सिद्ध होता है कि वहां का एम एल ए जागरूक नहीं है। ...(व्यवधान)...

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): गर्ग साहब, सुन लीजिये प्लीज, यह कोई विवाद का मुद्दा नहीं है, न मैं कोई आलोचना कर रहा हूं, मैं केवल अपने विचार रख रहा हूं, इसको ध्यान में रखें मंत्री जी, यह मेरा मकसद है। 1982 में जे डी ए बनाया गया था, तब उसकी पॉपुलेशन थी 10 लाख। अब बीकानेर को जो बनाया जा रहा है डवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी पॉपुलेशन 2031 में होगी 11 लाख, अभी 2021 में तो 6 लाख 44 हजार है। भरतपुर की पॉपुलेशन, जो अभी 3 लाख 28 हजार है, 2031 में 4 लाख 36 हजार होगी। 2031 में कितनी होगी, 4 लाख 36 हजार। तो आनन-फानन में जो बी डी ए का विस्तार कर दिया गया, उससे गांव वालों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यह सत्य है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)। समय-सीमा... धारा 156 पढ़ लो।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सर, यह अधिकारों का हनन है। आप 4-5 मिनट और बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: 156 पढकर आओ आप।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): मैंने प्रस्ताव दिया है, 3-4 लोगों की लिस्ट है, मुझे दो मिनट और बोलने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: आपके 5 मिनट हो गये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कर लीजिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): एक मिनट मुझे दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप बोलते ही जा रहे हो।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): भरतपुर का ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसमें जुडिशियल ऑफिसर का कोई प्रोविजन नहीं है। उसमें दिया हुआ है स्टेट ऑफिसर। जनता जब पहुंचती है, स्टेट ऑफिसर से तंग होकर के ही तो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाती है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसमें जुडिशियरी का शब्द डालें। दूसरा, एम पी, एम एल ए नहीं हैं, मेयर है, जिला प्रमुख है। आप अपने अधिकारों का खुद ही हनन कर रहे हैं। उस क्षेत्र में आने वाले विधायक और उस क्षेत्र में आने वाले एम पी का कोई उसमे पार्टिसिपेशन नहीं है। एक क्लॉज

में कहा जा रहा है, ''By virtue of'', इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं उस पर आना नहीं चाहता। कितनी गलतियां हैं इसमें, उस पर तो मैं आना ही नहीं चाह रहा।

एक क्लॉज है, उसमें देखेंगे, आपने लिख रखा है कि एमपी या एमएलए अगर इसके मैम्बर बनते हैं और वह मैम्बरशिप सीज हो जाती है, स्वत: खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रोविजन कहीं नहीं है उसका कि एम एल ए, एम पी होंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसको आप कंसीडर करिये। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, अच्छी चीज है, लेकिन बिना विस्तार की आवश्यकताओं को देखते हुए, जरूरत है या नहीं, कोई स्टडी नहीं, कहीं कोई डी पी आर इस तरह की नहीं बनायी गयी...।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): न कोई एक्सरसाइज हुई है। मैं मानता हूं, यह पॉलिटिकल डिसीजन है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी वर्किंग में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वे आप समझते हैं, जेडीए के बाद भी...।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, इसमें धारा 10 में समितियों का गठन, धारा 14 में अन्य कृत्यकारी बोर्डों का गठन और यातायात बोर्ड का गठन, जिस तरीके से हमारी नगरपालिका अन्तिम छोर की एक संस्था होती है, उसमें भी आपकी बहुत सारी समितियों के गठन का प्रोविजन करते हैं, कल हमारे माननीय मंत्री सुमित जी गोदारा भी खाद्य सुरक्षा में अपनी एक समिति के गठन की बात कर रहे थे और पिछली सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि आपने समितियों का गठन नहीं किया।

यही मैं कहना चाहता हूं कि कानून हम बनाते हैं, हम बोर्ड गठित करने की बात करते हैं, कमेटी गठित करने की बात करते हैं या हमारा जो भी सिस्टम है, उसको चलाने की बात करते हैं। उसके बाद उस कानून के प्रोविजन का पालन अगर कार्यकारी एजेंसियां नहीं करती हैं तो फिर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्रोविजन इसमें मुझे कहीं नहीं दिखा कि आपने कोई प्रोविजन किया हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें कानून बना दें और इसके बाद वहां इस बोर्ड को चलाने वाले व्यक्ति इस कानून का कहीं पालन नहीं करते। माननीय मंत्री महोदय, नगरपालिका के किसी भी बोर्ड में आपकी समितियों का गठन नहीं है और फिर आपकी नगरपालिकाएं चल रही हैं, तो कानून लाने के बाद इस कानून की पालना होना बहुत जरूरी है, इसलिए कानून आप लेकर आएं।

दूसरा, जनमत जानने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका क्षेत्र विस्तार, इस भरतपुर विकास प्राधिकरण में आपने जैसे गांवों की संख्या दी है बहुत बड़ी, लेकिन गांवों के

किसी भी व्यक्ति को या वहां की जनता को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि हमारा क्षेत्रफल कितना है और क्यों हमें प्राधिकरण में शामिल किया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूं, प्राधिकरण में जिन लोगों को शामिल करते हैं, उन लोगों को भी जानकारी हो और उस क्षेत्र के लोग उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं कि नहीं यह भी पता हो।

एक मैं माननीय गर्ग साहब की बात का समर्थन करता हूं कि जे डी ए ट्रिब्यूनल जो आपका होता है, इस लॉ को पढ़ने के लिए हमें हर सब्जेक्ट में लॉ के व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन बोर्डों में ट्रिब्यूनल जो बनता है, उसमें आप लॉ के व्यक्ति को शामिल नहीं करते, जुडिशियरी के व्यक्ति को शामिल नहीं करते। प्रशासनिक अमले को आप जुडिशियरी सौंप देते हैं तो फिर अर्थ नहीं रहता ट्रिब्यूनल का, इसलिए ट्रिब्यूनल में जिनको शामिल करें, वो जुडिशियरी के व्यक्ति हों, जो कानून के ज्ञाता हों, कानून के बारे में जानकारी रखते हों।

एक बात और कहना चाहता हूं, इसमें आप जब भी किसानों को, जेडीए का विकास जब हो आपका, विकास में जब आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं, उसमें आप उनकी भूमि अधिग्रहीत कर लेते हैं और भूमि अधिग्रहण के बाद में उनको विकसित भूमि देने की बात करते हैं या उनको कहीं दूसरी भूमि देने की बात करते हैं, लेकिन फिर वो जेडीए का चक्कर लगाता रहता है। जिस तरीके से जयपुर में आपके पास हजारों प्रकरण होंगे, इस तरीके की समस्या न आये और जनता की भूमि अवाप्त करने के बाद उसको रियायत, बड़ी पारदर्शी तरीके से निश्चित समय में मिले। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं तो पहले सरकार को धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि आप भरतपुर और बीकानेर का प्राधिकरण ले आये। मेरा तो एक ही निवेदन है कि अगर आपको लाना ही था तो आप राजभवन के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से लाये, जब एक महीने बाद ही बजट सत्र आ रहा था, बजट पर चर्चा हो रही थी, डिमांड्स पर हो रही थी तो आप अगर सदन में ले आते तो हो सकता है कि पक्ष और विपक्ष के कई सारे सुझावों के माध्यम से हम और बढ़िया तरीके से कर सकते थे।

मेरा निवेदन है कि आज 42वां दिन है, अध्यादेश का एक जो नियम मैं पढ़ रहा था, आखिरी दिन आप जब पास कर रहे हैं, खैर आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें, वैसे करवाएं, पर मेरा निवेदन है कि इसमें अगर सबकी राय ले ली होती तो कई सारी चीजें और ढंग से हो सकती थीं। साथ ही साथ, मेरा निवेदन है कि प्राधिकरण बना तो देते हैं हम, लेकिन स्थानीय निकाय और निगम में क्षेत्र विभाजन का विवाद जो है, वह हमेशा रहता है। इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी।

MKD/RTM/12.03.2025/12:40/1l

जब भी कोई प्राधिकरण बनता है तो आय का मूल स्रोत किसानों से ली गई अधिकृत

भूमि है। किसानों से ली गई भूमि को बेचकर हम आय अर्जित करते हैं, लेकिन किसान का कोई हिस्सा तो सुनिश्चित होना चाहिए। आज हम जो जमीन ले रहे हैं, उसके बारे में किसानों को, उसके बदले में हम दे क्या रहे हैं। इसके बारे में मुझे लगता है कि विशेषकर चर्चा की जरूरत है। साथ ही साथ, अधिकारी और हमारे जो कर्मचारी स्तर के लोग हैं, वे सारे निर्णय लेते हैं। जिसमे हमारे जो भी लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती।

मेरा निवेदन है कि कहीं ना कहीं इसे पूरे तरीके से अधिकारियों पर नहीं छोड़ कर हमारे जो स्थानीय लोग हैं, उनको भी इसमें वरीयता देनी चाहिए। साथ ही साथ, प्राधिकरण सिर्फ जमीन अधिग्रहण और बेचने का ही काम कर रहा है।

श्री अध्यक्षः माननीय, हो गया।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप विस्तार से सोच के कुछ बढ़िया लोगों के लिए करें, जनता के लिए करें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के नगरीय क्षेत्र में गत वर्षों में हुए तीव्र विकास के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में काफी विनियोजन हुआ है तथा प्रदेश के बड़े नगरीय शहरों में तीव्र विकास की आवश्यकता महसूस हो रही है।

भरतपुर शहर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर है। जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग साढ़े तीन लाख है तथा गत वर्षों में उक्त नगर का तेजी से विकास हो रहा है तथा नगर का समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से आवासित होता जा रहा है।

भरतपुर में नगर विकास न्यास कार्यरत था, जो उक्त क्षेत्र के तीव्र सुनियोजित एवं योजनाबद्ध विकास की गति को देखते हुए पर्याप्त नहीं होने से सुनियोजित एवं तीव्र विकास के लिए भरपूर विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी।

भरतपुर के व्यवस्थित एवं तीव्र विकास तथा राजकीय विभागों, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्था की सहभागिता एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित हो सके। इसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2024-25 के समय भरतपुर विकास प्राधिकरण बनवाने की घोषणा की गयी थी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन हेतु भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 लाया गया। भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाकर प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है।

साथ ही, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम प्राधिकरण एक्ट्स एवं अध्यादेश में न्यासों व प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रावधान हेतु आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध

में विधेयक की धारा 9, 95 व 97 को संशोधित, प्रतिस्थापित नया जोड़ा जाकर भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 विधान भा में पेश किया गया है।

भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 के अंतर्गत गठित भरतपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सचिव के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का पदस्थापन किया जा चुका है।

साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व में जब नगर विकास न्यास, भरतपुर था, तब इसमें कुल 53 राजस्व ग्राम थे और उनकी 18,960.95 हेक्टेयर भूमि इसके क्षेत्रफल में थी। अब जब भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है तो इसमें भरतपुर तहसील के 173 गांव, रारह के 8 गांव और कुम्हेर के 29 गांव कुल 210 गांव सम्मिलित किए गए हैं। इनका क्षेत्रफल 53205.58 हेक्टेयर है। नवगठित भतरपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर के कुल राजस्व ग्राम विधानसभा क्षेत्र भरतपुर, डीग, कुम्हेर एवं नदबई के अंतर्गत आते हैं।

जैसा माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने जुडिशियल अधिकारी के मामले में एक बात की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हो चुका है कि जुडिशियल अधिकारी को डाइरेक्टर लाकर पद पर किसी भी विकास प्राधिकरण में नहीं रखा जा सकता।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): ट्रिब्यूनल के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर दीजिये। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, उधर नहीं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): जो निर्णय है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भरतपुर विकास प्राधिकरण विधयेक, 2025 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को जनमत संग्रह जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन विधेयक प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2 से 102। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 102 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खंड 2 से 102 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री झाबर सिंह खर्रा, प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई खंड 3 पर बोलने वाला है? आप बोल चुके हैं।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सर, इस पर तो अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: खंड 3 पर दूसरा बोलेगा। नहीं, अधिकार नहीं, आप बोल चुके हैं, आपको अवसर मिला है। बाकी कोई भी बोल सकता है। इसमें बाकी कोई भी बोल सकता है। इधर से किसी को बोलना है, कोई भी कहीं से बोल सकता है। आपका हो गया। आपका हो गया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हमारी तरफ से दे दो।

श्री अध्यक्ष: आप बोलो ना, आपमें से मना नहीं है। ये बोल चुके हैं। व्यवस्था, एक बार जो बोल चुका, दूसरी बार उसको अनुमति नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, वहां का लोकल मसला है।

श्री अध्यक्ष: He can't say.आप में से किसी को बोलना है तो बोलें। नियमों में नहीं है, बोल चुके हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हमारी तरफ से दे दो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को, आप बोलो ना, आपको मना है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): भरतपुर के विधायक हैं। सर, भरतपुर का विधायक नहीं बोलगा तो कौन बोलेगा? ये कह रहे हैं, हमारी तरफ से दे दो।

श्री अध्यक्ष: (..व्यवधान..) बोल चुके हैं। (..व्यवधान..)

प्रश्न यह है कि भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 पारित किया गया।

बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, झाबर सिंह खर्रा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यहां लाने की ही जरूरत नहीं थी, साहब। ये तो यूं ही पास है। साहब, कोई विचार ही नहीं हो रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसे पास होते हैं क्या कानून?

(..व्यवधान..)।

श्री अध्यक्षः हो गया स्वीकार। स्वीकार किया गया, भाई। आपमें से मैंने कहा कोई बोलना चाहे, बोलो। आपका तो हो गया (..व्यवधान..)।

विधेयक पर विचार

बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्षः डूंगरराम गेदर। सभी को परमीशन दे रहा हूं।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025, बीकानेर शहर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को मिलाकर बीकानेर रीजन बनाने का कार्य सरकार द्वारा बिना सोचे समझे, बिना किसी सर्वे के, बिना क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों यथा जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, महापौर, नगरपालिका चेयरमैन, पंचायत समिति प्रधान की राय लिए बगैर लिया गया फैसला है और जल्दबाजी में बिना स्टडी के लिया गया फैसला है।

इससे पहले भी पैरीफेरी के नाम पर नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को शामिल करने का काम आप करते है।

सूरतगढ़ में 2007 में 8 किलोमीटर के क्षेत्र को इसी तरह से शामिल किया, जिसमें रंगमहल ग्राम पंचायत का क्षेत्र, पीपेरण ग्राम पंचायत का क्षेत्र, माणकसर ग्राम पंचायत का क्षेत्र आदि को शामिल किया गया। आज उस क्षेत्र के किसानों को खातेदारी नहीं दी जा रही है। भूमाफिया लोग शहर के नजदीक मिलीभगत करके खातेदारी ले आते हैं, लेकिन आमजन को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में किसान कोई मकान बनाता है, तो नगरपालिका व प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, लेकिन भूमाफिया जमीनों के टायर लगाकर के प्रशासन की मिलीभगत करके जमीनों को हाइवे के पास रोड के पास तरमीम करवाने का काम करते हैं।

बीकानेर विकास प्राधिकरण की सरंचना के अन्दर, जो अध्याय 2, क्रमांक 4 में आपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के सदस्य के नाम, महापौर, नगरपालिका चेयरमैन को जिला प्रमुख को शामिल किया है, लेकिन उस क्षेत्र के पंचायत समिति प्रधान, उस क्षेत्र के सरपंच को शामिल नहीं किया गया है। जिससे बीकानेर रीजन के समिति के पदाधिकारी व प्रशासन को मनमानी करने का मौका मिलेगा। जिससे उसका नाजायज फायदा उठाएंगे।

अतः इस कमेटी में पंचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच को भी शामिल किया जाए।

इस विधेयक में स्पष्ट नहीं है कि बीकानेर रीजन में सिर्फ नगरपालिका का क्षेत्र ही सम्मिलित होगा या ग्रामीण क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाएगा।

Bhs/Rtm/12.03.25/12.50/1m

क्योंकि बीकानेर से नापासर की दूरी 20 से 22 किलोमीटर है और देशनोक की दूरी 20 से 25 किलोमीटर है। वहीं दूसरी ओर नाल हवाई अड्डा खारा इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर के नजदीक है, क्या उसको भी इसमें शामिल किया जायेगा या नहीं? इस तरह से यह विधेयक क्षेत्र के सम्बन्धित किसी भी स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। बीकानेर विकास प्राधिकरण के विधेयक 2025 रीज़न के विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर, स्कीम बनाने के नाम पर इस विधेयक में हवाला दिया गया है, 2040 तक का हवाला दिया गया है जिससे किसानों की ढाणी, गांव में रहने वालों की खाली पड़ी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जे की घटनाएं बढ़ेंगी। प्रशासन द्वारा विकास व नियमों का, कानून का हवाला देकर किसानों को परेशान किया जायेगा। इस विधेयक के माध्यम से नगरपालिका देशनोक, नगरपालिका नापासर या उसके बाद ऐसे ही क्षेत्र के इसमें इसी विधेयक का हवाला देकर या इसी तर्ज पर इस तरह की नगरपालिकाओं की स्वतंत्रता को खतरा भी पैदा किया जायेगा इसलिए मेरा यह कहना है कि इस विधेयक को जनप्रतिनिधियों की राय जानने, क्षेत्र की जनता की राय जानने के लिये छह माह के लिये वापस लौटाया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़)।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बीकानेर विकास प्राधिकरण का विधेयक पेश किया गया है सरकार कितनी गंभीर है और कितनी वहां के क्षेत्र के लोगों के प्रति जागरूक हैं, इसी से पता चलता है कि किस तरह से आनन-फानन में यह विधेयक विधान सभा में पेश किया गया है, आज छह सप्ताह से सदन चल रहा है पर ऐसी क्या दिक्कत आ गयी कि लास्ट दिन आज जब एक तरफ वित्त विधेयक पेश होना है, उस पर चर्चा होनी है, विनियोग विधेयक पर चर्चा होनी है, जिसके बीच में इनको लाया गया ह।, पहले भी लाया जा सकता था, जहां लोगों की, विधान सभा से माननीय सदस्यों की राय जानी जाती पर एक आनन-फानन में लाया गया है, जिसमें दो शहरों को शामिल किया गया है, 188 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। 188 गांवों का मतलब हो गया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 गांव हैं यानी दो विधान सभा क्षेत्रों जितने बड़े ग्रामीण एरिया को शामिल किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जे डी ए जयपुर विकास प्राधिकरण है, उसकी कॉपी पेस्ट करने की एक तरह से कोशिश की गई है पर तुलना यह नहीं की गई कि जयपुर और बीकानेर में फर्क कितना है। जयपुर की जनसंख्या 2011 के लास्ट जनगणना हुई है, जिसमें 30-35 लाख है, वहीं बीकानेर की जनसंख्या पांच-साढ़े पांच लाख 2011 की जनगणना में है। छह गुना फर्क है तो छह गुना फर्क का मतलब यह हो गया कि वहां जयपुर तक पहुंचने के लिये छह गुना ज्यादा समय चाहियेगा। क्या उतना बड़ा एरिया तब तक पहुंच पायेगा? एक तरफ 20-20,25-25 किलोमीटर के दो शहर नापासर, देशनोक ले लिये गये। वहां की उन नगर पालिकाओं का क्या होगा? वहीं बहुत लम्बा-चौड़ा भूभाग 181 गांव का इस बीकानेर विकास प्राधिकरण में शामिल किया जा रहा है, जबकि वहां के ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया न कोई प्रधान, न कोई सरपंच इसमें मेंबर बनाया गया न एम.एल.ए.,

एम.पी. इसमें मेंबर है, सिर्फ प्रमुख को और दोनों बीकानेर शहर के मेयर को इसमें शामिल करने की बात की गई है, तो वहां की बात कैसे जायेगी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग लगे हुए हैं, वहां आसपास के एरिया में बहुत सारे एग्रीकल्चर वेयरहाउस बने हुए हैं बीकानेर के चारों तरफ, उन एग्रीकल्चर वेयरहाउसेज का क्या होगा? वह बिना कन्वर्जन के वहां बनते हैं, जिनको सरकार की छूट के तहत उन लोगों ने वेयरहाउस बनाये, उनका क्या होगा? बहुत सी इन्डस्ट्रीज वहां लगी है। एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल एरिया में बिना कन्वर्जन के लगी है, अब जब प्राधिकरण आ जायेगा तो उनको कन्वर्जन की और बाध्यता हो जायेगी। सरकारी बाध्यता होगी उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है तो कितनी गंभीर है? कम से कम उन इंडस्ट्रीज का भी आपको सोचना चाहिए था। एक लंबा-चौड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र का भाग है, उसके बारे में सोचना होगा कि वहां के लोगों का क्या होगा। एक तरफ तो 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी कि अलवर को एन.सी.आर. से हटाया जाये, एन.सी.आर. से बाहर निकाला जाये। जब वहां इतनी परेशानी है, दिल्ली और एन.सी.आर. में तो बीकानेर के लगते हुए इन गांवों में कितनी ज्यादा परेशानी होगी यह आपको सोचना पड़ेगा। इसलिये मेरी आपसे मांग हैं कि इसको छह महीने के लिए जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर विकास प्राधिकरण की संरचना जो दी है वह संरचना में बोर्ड में इन्होंने सोलह सदस्यों को इंगित किया है लेकिन इसमें एम.एल.ए. और एम.पी. का कहीं नाम नहीं दिया और इसी सरंचना के बाद इन्होंने उप धारा 6 में जहां इन्होंने इंगित किया है कि संसद या राज्य विधानमंडल का या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी निगम, परिषद, बोर्ड, निकाय का, चाहे वह नियमित हो या नहीं हो, सदस्य होने के कारण प्राधिकरण का सदस्य हो जाता है, तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से कहना चाहता हूं इस विकास प्राधिकरण की संरचना में भी शामिल किया जाये, इन दोनों सदस्यों का जो नाम सांसद और एम.एल.ए. का जो आपने उप धारा 6 में दिया है, यह सरंचना में धारा 4 में नहीं दिया गया है इसलिये सरंचना में इसको शामिल किया जाये।

इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब आप बीकानेर प्राधिकरण में 188 गांव जिसमे आप मुख्य शहर बीकानेर, नापासर, देशनोक नगरपालिकाएं इसमें शामिल की गई हैं। प्राधिकरण लागू होने के बाद 188 गांवों को शामिल करना बहुत बड़ा विस्तार है और 188 गांवों में ग्राम पंचायतें होंगी कितनी आपकी? उनके कितने सरपंच हैं? उन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की और सरपंच की जब तक आपकी भूमि अवाप्त नहीं की जाती है, जब तक आप वहां विकसित नहीं करते हो, तब तक क्या सरपंचों के अधिकारों का हनन होगा या वहां ग्रामीण ग्राम पंचायत काम करेगी? ग्राम पंचायत अगर काम करेगी तो फिर जेडीए की बाधा नहीं आनी चाहिए जब तक आप उन ग्राम पंचायतों को विकसित नहीं

करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक मैं कहना चाहता था पट्टे का जो, अब सबसे बड़ी चीज़ है इनमें समस्या आयेंगी एक तो इजाजत तामील और एक पट्टा जो ग्राम पंचायत जारी करेगी या जेडीए जारी करेगा या उनकी इजाजत तामील भवन निर्माण की इतने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोग अवेयर नहीं होते हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हमारे किसान लोग रुटीन में अपना भवन निर्माण करेंगे और ये जेडीए का डंडा 24 घंटे उन पर नहीं लटकना चाहिये, इसको निर्धारित करने की जरूरत है। इनके साथ ही मैं कहता हूं सरपंच को जो विकास की बात कर रहे थे, इनमें आपके भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन जायेगा। आपके नगरपालिकाओं में बहुत कुछ बना हुआ है और नियम और कानून कोई मायने नहीं रखते। मैं मेरी नगर पालिका की पर्टिकुलर बात करूं तो फाइलें गायब हैं मंत्री महोदय, कम से कम 15 और 20 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार है और आपके पास मैंने लिखित में भी दिया है और आपके डी.एल.बी. को भी हमारी नगर पालिका ने लिखित में दिया है, उसके बाद न तो एफ.आई.आर. हुई है और न दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ कोई कार्यवाही हुई है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इन भ्रष्टाचारियों से बचाने का भी काम करना। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्षः डॉ. विश्वनाथ मेघवाल।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर विकास प्राधिकरण 2025 बनाए जाने पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और विधेयक 2025 के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल का उद्देश्य है बीकानेर शहर नापासर, देशनोक और निकटवर्ती क्षेत्र लगातार रूप से विकसित और आबाद होते जा रहे हैं। यह महसूस किया गया कि इस क्षेत्र के समुचित, सुव्यवस्थित विकास के लिये बीकानेर रीजन बनाया जाये, जिसके लिए अनेक सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य संगठन लगातार कार्यशील थे कि बीकानेर प्राधिकरण की स्थापना की जाये। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अन्य संगठनों की मांग को महसूस करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बीकानेर को बीकानेर विकास प्राधिकरण बनाया इसके लिए धन्यवाद। बी.डी.ए. बनने से बीकानेर रीज़न की बढती जनसंख्या के लिये आवासन, सामुदायिक सुविधा, नागरिक सुख-सुविधाएं एवं अन्य योजनाओं की सुचारु रूप से व्यवस्था हो सकेगी। बी.डी.ए. के गठन से बीकानेर के विकास को नई दिशा व गति मिलेग़ी। बीकानेर शहर प्रदेश स्तर पर प्रगति करेगा। बी.डी.ए. के गठन से आमजन के काम लोकल लेवल पर समयानुसार निस्तारित किए जाएंगे। इसके अंदर 90 गांव थे पहले आज इसको बढ़ाकर 188 गांव शामिल कर लिया गये हैं, जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र भी है। नगर नियोजन विभाग द्वारा बीकानेर के चहुमुखी विकास हेतु भविष्य की आवश्यकता अनुसार 90 राजस्व ग्राम हेतु बीकानेर का नवीन मास्टर प्लान 2040 प्रकाशित किया गया है। जन-प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा चर्चा कर आमजन के आपत्ति और सुझाव भी मांगे

गए थे। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि बीकानेर ...। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः हां सुझाव दो न।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): न्यू बीकाणा नया शहर बनाया जाये और पर्यटन की दृष्टि से बीकानेर को बढ़ावा दिया जाये। मेरा एक सुझाव है कि जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि एम.एल.ए. और एम.पी. धारा 4 और 7 में जो बीकानेर विकास प्राधिकरण की संरचना में और समिति गठन में एम.एल.ए. और एम.पी. को भी इसमें जगह दी जाये, जिससे कि प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाकर बीकानेर का विकास हो सके। यह मेरा आपसे निवेदन है और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने मेरे द्वारा जो प्रस्ताव जनमत जानने के लिए दिया गया था, मैं उसको वापस लेता हूं। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः श्री गोविंद सिंह डोटासरा (अनुपस्थित)। श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान विधान सभा का किसी कानून के पास करने में +++ है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, ...।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा एतराज है इन शब्दों को विलोपित किया जाये। राजस्थान विधान सभा का +++ नहीं है आपने जो कहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): हां +++ है, +++ है। +++ है कानून के मामले में।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): राजस्थान विधान सभा का +++ नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः क्या अधिकार है? रामकेश जी विराजो। क्या कहा? मैंने सुना नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह कहा कि राजस्थान विधान सभा में विधेयक पारण का +++ है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कानून के मामले में कानून पास करने में यह +++ है।

श्री अध्यक्षः यह हटाया जाता है। आप केवल विधेयक पर बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका राजनीतिक जीवन काल विधायक के रूप में आप लम्बे समय से यहां पर देख रहे हैं।

Kas/rtm/12.03.2025/13.00/1n

हमारा प्राथमिक कर्तव्य कानून बनाने का है। विधान सभा की संरचना ही इसलिए की गई है कि विधिसम्मत कानून बनाने का काम यह विधान सभा करे। वो काम तो आपने जीरो पर कर दिया, अन्य काम आगे आ गये। मान्यवर, आप देखिए कि कानून कैसे पास होता है? कानून ऐसे पास होता है कि इतने से बोल गये और कह दिया पास, पास, पास! यह कानून है?

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, जब आप और हम थे, तब 9 बिल एक दिन में पास किये गये हैं? आपको जानकारी दे दूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): नहीं, यह कानून नहीं है, यह कानून की हत्या है। बिल की हत्या है, हमारे अधिकारों की हत्या है। ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नियमानुसार कानून पास हो रहा है, सभी सदस्यों को मौका मिल रहा है। ....(व्यवधान).... आपको अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। आपको कोई अधिकार नहीं बीच में बोलने का, मैं जवाब दे रहा हूं, मेरा अधिकार है। नियमानुसार कानून पास हो रहा है, सभी लोगों को मौका मिल रहा है। ....(व्यवधान)....

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): ....(व्यवधान).... कुछ तो शर्म करो, कानून ऐसे पास होते हैं क्या? ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका टाइम पूरा। आप ऐसे बोलेंगे तो टाइम तो वही है। आप विषय पर बोलिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कानून ऐसे पास नहीं होते हैं। मान्यवर, आप देख लीजिए, आपका राजनीति का इतना लंबा जीवन काल है। साहब, ऐसे कानून पास होते हैं क्या, दो मिनट में कानून पास और चलो।

श्री अध्यक्ष: पहले भी ऐसा हुआ है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष: अब आप बोल रहे हैं या नहीं, मैं अगला नाम पुकारूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह सरकार का अविवेकपूर्ण निर्णय है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन्होंने आर्डिनेंस के माध्यम से दिसम्बर में यह दो प्राधिकरण बनाये। इनका पूरा विजन था कि तत्काल प्रभाव से बड़ी गंभीर आवश्यकता है जो ऑर्डिनेंस निकालने की जरूरत पड़ी कि यह काम होना चाहिये। इसमें 5 पैसा भी नहीं रखा, बीकानेर यूआईटी का जो 62 करोड़ रुपये था, वह रख दिया, उसमें से भी एक पैसा आज तक नहीं खर्च नहीं हुआ। न फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और न किसी प्रकार की व्यवस्था है। प्राधिकरण इस प्रकार से बनता है क्या? प्राधिकरण का मतलब है जिस गंभीरता से आप जयपुर प्राधिकरण को देख रहे हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने जो ऑर्डिनेंस निकालने का फैसला किया, वह भी निंदनीय है और आप लोगों की नीयत में, सरकार की नीयत में खोट है और इस खोट के कारण यह कानून पास करवाया जा रहा है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक उसमें अधिकारों का भी सवाल है। मेरे यहां भी केडीए कोटा का बना है, मैं जानता हूं उसमें ग्राम पंचायतों के सरपंचों की क्या हालत है, वहां पर रहने वाले आदमियों की क्या हालत है। दो-दो प्रशासनिक नियंत्रण हैं, न वो मकान बना सकते हैं, न चबूतरा बना सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से वहां की नगर पालिका शामिल है। मेरा तो विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि हमारे अधिकारों की हत्या न की जाये। कानून जिस ढंग से पास होना चाहिये, उस ढंग से ही होना चाहिये। तत्काल ऑर्डिनेंस आ गया और तत्काल आ गये। सरकार सो रही थी क्या? नींद आ रही थी क्या? विधान सभा इतने दिन से चल रही है, सरकार को नींद आ रही थी क्या? यह

जो हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मान्यवर, आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे अधिकारों के रक्षक हो, आपकी जिम्मेदारी है कि कानून कैसे पास हो। इस प्रकार कानून पास करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मैं इसकी निंदा करता हूं और चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बीकानेर विकास प्राधिकरण की बात चल रही है, मेरा निवेदन है कि 188 गांव, 2 शहर और लगभग सवा पांच लाख की आबादी जो आपने इसमें शामिल की है, इसमें आने वाले तमाम पंच, सरपंच और साथ ही साथ पंचायत समिति, जिला परिषद और तमाम जनप्रतिनिधियों को आपको इसकी संरचना की कमेटी में शामिल करना चाहिये। अभी मेरे से पूर्व सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एमपी, एमएलएज को भी इसमें जगह देनी चाहिये। साहब, एमएलए, मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम सब लेजिस्लेटर हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप सभी का संरक्षण हमें चाहिये कि कोई भी विधेयक आये तो उसमें पूरी तरह से बात रखने का मौका हमें दें, बाकी सरकार बहुमत में है, जो चाहे आप करें, पर कहीं न कहीं इस पर चर्चा होना जरूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, उत्तर दें।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के नगरीय क्षेत्र में गत वर्षों में हुए तीव्र विकास के कारण रीयल एस्टेट क्षेत्र में काफी विनियोजन हुआ है तथा प्रदेश के बड़े नगरीय शहरों में तीव्र विकास की आवश्यकता महसूस हो रही है। बीकानेर शहर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 9 लाख है तथा गत वर्षों से उक्त नगर का तेजी से विकास हो रहा है तथा नगर का समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से आवासित होता जा रहा है। बीकानेर में नगर विकास न्यास कार्यरत था, जो उक्त क्षेत्र के तीव्र सुनियोजित एवं योजनाबद्ध विकास की गति को देखते हुए पर्याप्त नहीं होने से सुनियोजित एवं तीव्र विकास के लिये बीकानेर विकास प्राधिकरण की स्थापना किये जाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी।

बीकानेर के व्यवस्थित एवं तीव्र विकास तथा राजकीय विभागों, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्था की सहभागिता एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2024-25 के समय बीकानेर विकास प्राधिकरण बनवाने की घोषणा की गई थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन हेतु भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 लाया गया था। भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिये बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाकर प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। साथ ही राजस्थान नगर सुधार अधिनियम प्राधिकरण एक्ट व अध्यादेश में न्यासों व प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी

प्रावधानों हेतु आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में विधेयक में धारा 9, 95 व 97 को संशोधित प्रतिस्थापित नया जोड़ा जाकर बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 विधान सभा में पेश किया गया है। बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 के अंतर्गत गठित बीकानेर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सचिव के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का पदस्थापन भी किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर विकास प्राधिकरण की अधिसूचना 15.12.2024 को जारी की गई थी। जब वहां नगर विकास न्यास था, उस समय कुल गांवों की संख्या 90 थी और प्राधिकरण के गठन के समय जो नये गांव जोड़े गये हैं, उनकी संख्या 98 है और इस प्रकार कुल 188 ग्राम बीकानेर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आयेंगे।

साथ ही जिन माननीय सदस्यों ने विधेयक में सांसद और विधायकों के बारे में बात व्यक्त की है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 4 (12) के तहत 7 गैर शासकीय सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा। एमएलए, एमपी के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के सदस्य नामित किये जा सकते हैं।

साथ ही भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिन्दु उठाया था, जेडीए एक्ट 1982 में ट्रिब्युनल के सम्बन्ध में जो प्रावधान रखे गये हैं, वही प्रावधान भरतपुर विकास प्राधिकरण एक्ट और बीकानेर विकास प्राधिकरण एक्ट में रखे गये हैं। इन प्राधिकरणों में भी न्यायिक अधिकारी ही होंगे, इसलिए अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 102 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 102 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 102 किये गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): हम तो पक्ष में हैं ही नहीं, यह +++ है।

Msk/rtm/12.03.25/1310/1o

श्री अध्यक्ष: अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

(स्वीकृति)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री झाबर सिंह खर्रा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: कोई बोलना है तो बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय और सरकार बिना चर्चा कराये, अध्यादेश के माध्यम से बनाना चाह रही है, इसके पीछे क्या कारण है? यह विकास किस प्रकार से हो रहा है, वह दिख रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उस खण्ड में, 3 में कोई भी बोल सकता है। आपमें से भी कोई बोलना चाहेगा तो इसमें अनुमति है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज इस सरकार को, जब आपको पता था कि विधान सभा चलेगी तो जिस समय विधान सभा चले, उस समय आप बिल लेकर आते। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बोलने दें।

श्री रामकेश (गंगापुर): जब नेता, प्रतिपक्ष बोलते हैं तो ये बार-बार क्यों खड़े होते हैं?

श्री अध्यक्ष: मैं उसके लिए बैठा हुआ हूं। आप क्यों खड़े हैं? आपको किसने कहा? आपके नेता बोल रहे हैं, आप खड़े क्यों होते हो? मैं उसके लिए बैठा हूं। इसके लिए आपको लाइसेंस थोड़े ही मिल गया है कि आप बोलेंगे।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को तो सैकण्ड स्टेज पर बैठा

दिया था।

श्री अध्यक्षः ये नहीं बोले थे। आप उस पर पहले बोल चुके थे, ये नहीं बोले थे। खण्ड-3 में कोई अनुमति लेकर पूछ सकता है।

एक माननीय सदस्यः आपने बोहरा साहब को अनुमति दी थी तो गर्ग साहब को भी देते।

श्री अध्यक्षः बोहरा साहब को कहां दे रहा हूं? खण्ड 3 में नहीं दे रहा हूं। सबके साथ बराबर का..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यानी एक तो सरकार की गलती है और उसके बाद आप उस पर पर्दा डालना चाहें तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। ऐसी क्या जल्दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है, भरतपुर और बीकानेर दोनों विधेयकों के 100 से ज्यादा पेज हैं। ऐसा आप क्या अध्यादेश ले आये और उसके बावजूद भी। पहली बात तो अध्यादेश की जरूरत नहीं थी, आप सीधा ही बिल लेकर आते। लेकिन उसके बावजूद नियमों में, आपके पास किताब है। आजकल तो आप बहुत मोटी वाली पढ़ रहे हैं। हमने वह देखी नहीं, वह किताब आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपके ज्ञान का यहां वर्धन हो रहा है, निश्चित रूप से पूरा सदन उसको देख रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि नियम 213 के तहत सदन शुरू होने के छह सप्ताह के अन्दर टेबल करना होता है। आपने नहीं किया। यह विधि विभाग की गलती है। सरकार कहां सो रही थी कि आज आखिरी दिन, यह तो अध्यक्ष जी की मेहरबानी है कि आज समय मिल गया और एक घंटे के अन्दर आप तीन-तीन महत्वपूर्ण बिल पारित करवा रहे हैं। आपका बहुमत है, आप करा लीजिये लेकिन राजस्थान की जनता के हित में ये बिल नहीं हैं। एक-एक बिल, एक-एक दिन की चर्चा चाहता था कि पूरे-पूरे दिन उस पर चर्चा हो, लेकिन आप लोग, चूंकि बहुमत है, बहुमत के आधार पर आप इसको पारित करेंगे। हम जितना भी आब्जेक्शन करें, उसके बावजूद भी पारित करेंगे, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का अन्याय आप राजस्थान की जनता के साथ मत कीजिये। इतना बड़ा विकास का मामला है। आपको इस पर पूरी चर्चा करानी चाहिए। इसके अन्दर एक-एक सदस्य की राय आती। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पुरजोर रूप से इन बिलों का विरोध करते हैं और मैं कहना चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति या जनमत जानने हेतु भेजा जाये और इसको पारित नहीं किया जाये।

बहिर्गमन

इसके बिल के विरोध में हमारा पूरा दल बहिर्गमन करता है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब जानते थे, विकास के काम में आड़ देने का काम, विकास के काम में व्यवधान करने का काम और व्यवधान करना ही कांग्रेस की नीति बन गयी है। चाहे बीकानेर हो, चाहे भरतपुर हो या राजस्थान का और कोई शहर हो, उसका समुचित विकास कैसे करना, समग्र विकास कैसे

करना, डवलपमेंट के लिए एजेंसियों को साथ जोड़ना, इसलिए ही ये विकास प्राधिकरण लाये जाते हैं। विकास प्राधिकरण के पीछे सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इन शहरों का और आसपास की बस्तियों का, आसपास के गांवों का विकास हो। कांग्रेस हमेशा विकास के विरूद्ध रही है। विकास के विरूद्ध रहने वाली कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विजन नहीं, पूरी कार्यवाही में भाग लिया और अब कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे हैं और बहाना ढूंढकर चले गये। मेरा निवेदन है कि ऐसी बहिर्गमन करने वाली पार्टी के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। बिना किसी आधार के गये हैं।

विधेयक का पारण

बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025, श्रीमती दिया कुमारी प्रस्तुत करेंगी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्षः श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, दो मिनट बाद, इसके बाद बोल लूं? कागज लेने जा रहा था, कागज पड़े हैं।

श्री अध्यक्षः पहला नाम आपका ही है। श्री रविन्द्र सिंह भाटी। (अनुपस्थित)

श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की रीति-नीति के बारे में बताना चाहूंगी कि किस तरह से पिछले पांच सालों में कांग्रेस ने इस प्रदेश में, जो पैसा बजट में प्रोविजन किया, उस बजट के प्रोविजन के बावजूद भी उसको खर्च नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के बजट एस्टीमेट 23488 रुपये राजस्व घाटा दर्शाया गया था कि 23488 रुपये का राजस्व घाटा होगा, लेकिन इसके बावजूद जो राजस्व घाटा एक्चुअल में हुआ, वह 134 प्रतिशत अधिक हुआ है। इसका मतलब है कि 31491 रुपये अधिक राजस्व घाटा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार लगातार के वर्षों में यदि 2023-24 की बात करूं तो 2023-24 में भी 24895 करोड़ रुपये..

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय मंत्री जी, आप दूसरे प्रस्ताव, वित्त

विधेयक को विचारार्थ लीजिये। आप दोनों पर एक साथ बोलें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): दोनों पर, ठीक।

श्री अध्यक्ष: एक ही रख पाये, मैंने सोचा दोनों आ गये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ठीक है।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2025

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल, कन्टीन्यू करिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जो पहले बोल दिये, उनका क्या होगा? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कोई बोला नहीं है, पहली ही बोल रही हैं। इस विधेयक पर कोई नहीं बोला है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं वापस रिपीट कर देती हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इस पर कोई नहीं बोला है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं वापस रिपीट कर देती हूं। कोई बात नहीं है। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: पहली बोल रही हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं वापस रिपीट कर रही हूं, आपको क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, पहली ही बोल रही हैं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): जो बोल चुकी हैं, उसका क्या ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां भई, मैं वापस रिपीट कर रही हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं है, आप विराजें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन को आर्डर में लेकर आइये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो महिला सदस्य बोलना चाहती हैं, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि पांच साल कांग्रेस ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है, इस प्रदेश को कर्ज में डुबाने का काम किया है। कर्ज में डुबोने के साथ प्रदेश के विकास..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कांग्रेस की सोच नहीं है। यह नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दे रहे हैं, जो आपको नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, जानकारी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि किस तरह से कांग्रेस ने पांच साल में इस प्रदेश के विकास को अवरूद्ध किया है और काम करने की बजाय बहाने ढूंढे। मैंने आपको 2022-23 का उल्लेख किया। इनके शासन का जो अंतिम वर्ष 2023-24 था, उसके कुछ आंकड़े बताकर अपनी बात पूरा करना चाहूंगी। 20895 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे को आपने बजट एस्टिमेट में दर्शाया था।

mdp/rtm/12.03.25/13:20/1p

बजट एस्टीमेंट में दर्शाने के बाद में जब वह फाइनेंशियल यीअर पूरा हुआ तो यह जो राजस्व घाटा था, यह बढ़कर 38954.07 करोड़ रुपया हो गया, यानी की जो राजस्व घाटा आपने बताया था बजट एस्टीमेट में, वह 150 गुना से भी अधिक राजस्व घाटा हुआ तो आप आंकड़ों में कुछ और दिखाना चाहते हैं और वास्तव में जब वह यीअर निकल जाता है तो आप करते कुछ और हैं। यह आपकी कार्यशैली दिखाती है, यह दिखाता है कि आप किस तरह से काम करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आप देखिए सकल राजकोषीय घाटा जो 2022-23 में 58211.55 करोड़ रुपये था, यानी की 88 परसेंट घाटा हुआ और इसी प्रकार से 104 परसेंट घाटा जो आपने बजट एस्टीमेट में दिखाया था, वह बाद में जाकर 4 परसेंट और बढ़ा, यानी की आपने घाटे को और बढ़ाने का काम किया है बल्कि उसको कम करने का काम करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से देखिए आप राज्य का जो कर राजस्व है, माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठी हैं, मैं उनका भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि स्टांप और पंजीकरण से जो राज्य को आय होती है, वह 76.5 परसेंट, जो आपने बजट में 632 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया था, वह एक्चुल में 484 करोड़ रुपये ही आपको प्राप्त हुआ और 2023-24 में यह और भी घटा, 73 परसेंट हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 2024-25 और 2025-26 दोनों बजट में स्टांप पर आपने रिबेट दी है। आपने 50 लाख तक के फ्लैट्स पर रिबेट दी है। इसके अतिरिक्त आपने संयुक्त रजिस्ट्री करने पर 0.5 परसेंट की रिबेट दी है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने पत्नी, पुत्रवधू, पोती और दोहिते-दोहिती के पक्ष में निष्पादित सैटलमेंट डीड को भी स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण छूट देकर पूरी तरह से मुक्त किया है। ये हमारी सरकार का ही विज़न है कि हम किस तरह से आम आदमी को राहत देना चाहते है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक्सचेंज करने पर, कृषि भूमि की संपत्तियों को एक्सचेंज करने पर स्टांप ड्यूटी घटाकर 2 प्रतिशत की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार में स्टांप ड्यूटी पर जो सेस लगा हुआ है, 30 परसेंट सेस है, 10 परसेंट गो सेस है और 10 परसेंट मानवजनित आपदा पर है। मैं निवेदन करना चाहूंगी की यह जो आपदा है, यह वाला जो 10 परसेंट का सेस है, क्योंकि उस समय कोविड के समय यह सेस लगाया गया था, तो मेरा निवेदन है कि इस सेस को आप हटाने का काम करें, क्योंकि अब कोविड जैसी कोई महामारी नहीं है, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

इसके अतिरिक्त माननीया मेरा एक और निवेदन है की इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेन्टर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, परंतु जो स्टेट में हो रहा है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो बसें हैं, माननीया मंत्री महोदया, उन बसों का रजिस्ट्रेशन अब राजस्थान में न हो कर अब पूर्वोत्तर भारत में होने लगा है, क्योंकि हमारे यहां जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वह 40 हजार रुपये पर-मंथ है, जबकि उन राज्यों में यही रजिस्ट्रेशन की फीस 2 हजार रुपये पर-मंथ है। आप देखेंगे जितने राजस्थान में वीडियो कोचेज चल रहे हैं, उन सब पर जो नेम प्लेट लगी हुई हैं, वह आसाम की या नागालैंड की नेमप्लेट होगी। यदि हमारे यहां रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हमको रेवेन्यू नहीं मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो तीन लाख रुपये पर-व्हीकल ले रही है, उसमें से जितने राज्यों में जितने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके शेयर में उनको पैसा मिलता है। इस प्रकार हमको दो तरफ से रेवेन्यू घट रही है। एक तरफ से तो यह रेवेन्यू घट रही है और दूसरी तरफ से जो रजिस्ट्रेशन की रेवेन्यू आने वाली थी, वह भी घट रही है। इस और आप ध्यान देंगे तो राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा।

इसी प्रकार से प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स जो हैं, वे प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स आपने चला रखे हैं। अजमेर की मैं बात करूं तो चार फिटनेस सेंटर्स में से तीन फिटनेस सेंटर्स बंद हैं, क्योंकि वे कालाबाजारी करते हैं, गलत व्हीकल का फिटनेस करते हैं। ऐसे में हम राज्य सरकार की ओर से ही, चूंकि एक करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट है इसमें, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। यदि हम एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके फिटनेस सेंटर्स संचालित करें तो गाड़ियों को फिटनेस एक्चुअल भी हो पाएगा और साथ ही साथ हमको रेवेन्यू भी मिलेगा और गलत गाड़ियां जो फिटनेस करवा कर, क्योंकि नंबर प्लेट बदल देते हैं, व्हीकल को नहीं ले जाते हैं और वहां जाकर ये करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक-दो पाइंट और निवेदन करना चाहूंगी। मैंने नगरीय विकास विभाग की डिमांड के समय भी यह निवेदन किया था, माननीय वित्त मंत्री महोदया को निवेदन है कि नगर निगम के कर्मचारियों को चुंगी के पुनर्भरण के पेटे आप जो राशि देते हैं, वह हर साल 10 प्रतिशत बढ़ा कर देते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो 10 प्रतिशत राशि है, वह आप बढ़ाकर दे तो रहे हैं, लेकिन

उसमें से वेतन और भत्तों के निमित्त जितनी खर्च हो रही है राशि, सिर्फ वही राशि नगर निकायों के पास जमा होती है। बाकी की राशि आप वापस मांग लेते हैं। यह 1998 का जो समझौता है, उसका वायलेशन है। प्लीज़ आप ऐसा न कीजिए ताकि नगर निगम को भी राहत मिले। निवेदन है कि जिस तरह से आपने पेंशनर्स को, जो आउटडोर में दिखाने वाले पेंशनर हैं, जो मेडिकल का है, उस आउटडोर पर पेंशनर की लिमिट 30 हजार रुपया है।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उस 30 हजार को बढ़ाकर 50 हजार यदि सभी प्रकार के पेंशनर को, जिसमें नगर निगम के पेंशनर भी हैं, उनको यदि करेंगे तो नागरिको को भी जो कर्मचारी हैं, उनको सहूलियत मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा। इतना ही कह कर मैं अपनी बात पूरी करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया,बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को आज हमको धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने पिछले 10 सालों में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व 13वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर है। बहुत जल्दी आने वाले पांच वर्षों में हम तीसरे नंबर पर होंगे। हिन्दुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल जी और हमारी उप-मुख्य मंत्री, वित्तमंत्री दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहली बार, अध्यक्ष महोदय आपने भी महसूस किया होगा और हमने भी महसूस किया है कि जो यह बजट प्रस्तुत हुआ है, कांग्रेस के पिछले राज में जिस तरह बजट प्रस्तुत होता था और हमेशा घाटे का बजट प्रस्तुत होता था। पहली बार हमारे मुख्य मंत्री, हमारी वित्त मंत्री जी ने इस बजट में एक मंशा ज़ाहिर की है, उसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि कर्जा लेने से ज्यादा हम कर्जा चुकाने पर ध्यान देंगे। यह इस बजट की सबसे बड़ी बात है। यह छोटी-मोटी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हालत क्या कर दी इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने पिछले पांच वर्षों में? किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन मैं हमारे मुख्य मंत्री, हमारी वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेहनत करके यह बजट तैयार किया और बजट में कई बातें आपने ऐसी रखीं, चाहे इसको हम ग्रीन बजट कहें, चाहे हमारे एमएलएज को 10-10 करोड़ रुपये नान-पेचेबल सड़कों के देना, मिसिंग लिंक में देने की बात की और सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया है किसान सम्मान निधि, जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी ने प्रारंभ की थी और हमने यह कहा था कि हम 6000 को 12000 करेंगे। गत बजट में हमने 2000 बढ़ाए। इस बजट में 1000 बढ़ाए। यह इस बजट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। किसानों का

ध्यान हमने रखा है।

अध्यक्ष महोदय, संशोधन होना चाहिए। अभी अनिता जी ने भी कई बातें कहीं। जिस तरह राजस्थान में, पूरे विश्व की कोरोना महामारी के बाद स्थिति खराब होती जा रही है,अर्थव्यवस्था। उस अर्थव्यवस्था को कैसे कंट्रोल में लाया जाए? मैं तो समझता हूं कि कोरोना महामारी के दो वर्षों के बाद जो तीन वर्ष कांग्रेस पार्टी ने राज किया, वह कोरोना से बड़ी महामारी थी, इस राजस्थान के लिए। उन्होंने और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): फिर भी आप जिंदा है। सबसे बड़ी बात है कि फिर भी आपको जिंदा रखा, कांग्रेस के राज में।

श्री अध्यक्ष: माननीय, बैठिए। हरमोहन जी, आप भी। आप विद्वान हैं, ध्यान है सबको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपने इस राजस्थान को और हिन्दुस्तान को, जब-जब भी राज किया हरिमोहन जी, सत्यानाश कर दिया इस देश का। आज हम कर्जे में डूबे हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है।

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर आइए, बजट पर आइए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 मिलियन डालर तक पहुंचाने का रखा गया है, जिसके लिए हमारी सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है।

Ans/rtm 13.30 1q 12.03.2025

निश्चित रूप से इस बजट में जो कहा गया है, उससे हमारा लक्ष्य 350 मिलियन तक पहुंचेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि इस बजट की जो खूबसूरती है, जैसा मैंने बताया किसान सम्मान निधि हो, ग्रीन बजट बनाना हो, एमएलएज द्वारा कहीं काम कराया हो, स्टेट हाईवेज हों, बाईपास रोड हो, फ्लाई ओवर हो, एलिवेटेड रोड हो, आरओबी- आरयूबी बनानी हो, ब्रिज बनाने हों, इस तरह के 5 हजार करोड़ से अधिक की लागत के काम इस बजट में हमारी माननीय वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने किए हैं।

सबसे बड़ा काम किया है 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 6 हजार करोड़ रुपये दिए, आज तक आपने कभी नहीं दिये। आने वाले समय में पूरे राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। आप राजस्थान के किसी भी गांव में जाओ, किसी शहर में जाओ, लोग एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान की सरकार का जो बजट आया है, चाहे वह पिछला बजट हो या यह बजट हो, अब यह कांग्रेस वाले हर बात पर जैसा कि हमारे जोगाराम जी कह रहे थे कि हर बात पर विरोध करके निकल जाते हैं इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अच्छी चीज़ का विरोध किया है। जब भी कोई अच्छा काम होता है, इनको अच्छा नहीं लगता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री ने सपना देखा है राजस्थान को हिंदुस्तान का नंबर वन राज्य

बनाने का, निश्चित रूप से वह बनेगा, इस बजट के माध्यम से उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में पूरा करिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): विशेष रूप से सात वर्षों की अवधि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के अंतर्गत 12 हजार 500 करोड़ रुपए की लागत इस बजट में देने की घोषणा की गई है। राजस्थान रोजगार निधि 2025 में 500 करोड़ रुपये विवेकानंद रोज़गार सहायता कोष बनाया है। किसानों के लिए अलग से कृषि बजट दिया गया है। किसान सम्मान निधि की बात मैंने की है। इस बजट में जो यह बातें हैं, मैं सराहना करता हूं और मैं समझता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे लिये, राजस्थान के लिए गौरवशाली वर्ष होगा, विकास का वर्ष होगा। अब जूली जी भी आ गये हैं, जूली जी भी इस बात को बता सकते हैं। बार-बार विरोध करके निकल जाते हैं। जूली जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के बजट की सराहना करो।

श्री अध्यक्ष: बजट पर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): राजस्थान वित्त विधेयक,2025 जिसे मेरे द्वारा तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु प्रस्तावित किया गया था, उसे में वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: दोनों प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। उसके पहले एक व्यवस्था है।

घोषणा

विनियोग व वित्त विधेयकों पर एक साथ चर्चा की परम्परा की अनुपालना व आय-व्ययक के तृतीय चरण पर पूर्व उठाये गये विषयों की पुनरावृत्ति नहीं करने की अपेक्षा

माननीय सदस्य गण, जैसा कि आपको विदित ही है कि सदन में राजस्थान विनियोग विधेयक व राजस्थान वित्त विधेयक पर कुछ वर्षों से एक साथ चर्चा की जाती रही है। आज भी इन दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जाएगी। माननीय सदस्यों को विनियोग विधेयक व वित्त विधेयक के पारण की स्टेज पर विचार प्रकट करने की अनुमति दी जाएगी।

माननीय सदस्य गण, विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक पर सदन में प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद करने का पूरा अधिकार है। अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था है, जिस पर सदन में विचार किया जाएगा। इससे पूर्व बजट की प्रथम अवस्था पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं, उसके पश्चात् द्वितीय अवस्था बजट पर अनुदान की माँगों पर सदन में वाद-विवाद के दौरान भी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उसके पश्चात् अब बजट के पारण की तीसरी अवस्था में सदस्यों को विनियोग विधेयक पर वाद- विवाद का अवसर उपलब्ध रहता है। लेकिन हमें यह देखना है कि सदन में बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान तथा अनुदान की माँगों पर विचार के समय जिन विषयों को उठा दिया गया हो उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो।

विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद का क्षेत्र लोक महत्व के या विधेयक में आने वाले

अनुदानों में अंतर्निहित नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहता है जो पहले ही उस समय न उठाए जा चुके हों, जब कि संगत अनुदानों की माँगें चर्चाधीन हैं। विभिन्न अनुदान की माँगों से संबंधित वाद-विवाद के दौरान जिन विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो चुकी हो, वह मुद्दे विनियोग विधेयक पर चर्चा की विषय-वस्तु नहीं बन सकते हैं। वित्त विधेयक पर माननीय सदस्य राजस्थान सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली शिकायतों या सरकार की वित्तीय नीति से संबंधित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार की नीति की समीक्षा कर सकते हैं, जिनके कारण कोई घाटा हुआ हो। संक्षेप में सारे प्रशासन की समीक्षा की जा सकती है, परंतु उन प्रश्नों को पुनः नहीं उठाया जा सकता जिन पर पहले वाद-विवाद में चर्चा हो चुकी हो।

यह मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि हम सारगर्भित चर्चा करें, तो माननीय सदस्य इन सब बिन्दुओं पर चर्चा कर सकेंगे।

समय की सीमा है, चार बजे विपक्ष के नेता बोलेंगे और पांच बजे सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी उसका रिप्लाई करेंगे।

अब मैं पहला नाम पुकार रहा हूं। श्री रोहित बोहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, पहले आप विचारार्थ रखेंगे।

श्री अध्यक्षः एक सेकण्ड। आपसे ही बुलवाऊंगा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाये?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2025

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 59, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 59 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 59 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1- अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?"

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री प्रेम चन्द बैरवा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री नहीं हैं। वित्त मंत्री खुद ही नहीं हैं तो विचारार्थ कौन पेश करेगा?

श्री अध्यक्षः मंत्रिमण्डल है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इस विषय को लेकर बहुत गंभीरता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, मंत्रिमण्डल पूरा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सामूहिक जिम्मेदारी है, तो अब की बार जो बजट आये वह बजट भी बैरवा जी से पढ़वा देना, मेहरबानी होगी।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः श्री प्रेम चन्द बैरवा दूसरा प्रस्ताव, वित्त विधेयक भी।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2025

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री रोहित बोहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई डिफरेंस हो गया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अच्छा बोलते हैं, बोलने दो। हां, बोलिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। बजट के मायने सिर्फ यह नहीं होते कि वित्त मंत्री जी, सदन में आने वाले वर्ष में हमें किस प्रकार से आमदनी होगी, कितना खर्च होगा, उसका हिसाब दे दें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अब वित्त मंत्री जी आ गई।

श्री अध्यक्ष: आ गई तो अब दुबारा नहीं होगा। यह व्यवस्था नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): उसके साथ आंकड़ों में भारी मोटी-मोटी किताबें, बजट एट ए ग्लांस, बजट एट ए स्टडी टेबल कर दें। बल्कि बजट का मायने यह होता है कि आने वाले समय में हम प्रदेश के किस प्रकार से एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मजबूत करेंगे, किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जेनेरेट करेंगे, किस प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, सेविंग्स को एनकरेज करेंगे, इन्हीं नीतियों से बजट बनाया जाता है। अनफॉर्च्युनेटली बजट आपने बिल्कुल नॉन सीरियस बना दिया है। नये नये नामों से योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है, पर धरातल पर कुछ नहीं मिलता। बजट स्पीच में वाहवाही लूटने के लिए बड़ी- बड़ी घोषणाएँ की जाती हैं, मगर बजट पत्रों में इंटरनली जाकर प्रोविजन्स देखें तो पता चलता है कि राजस्थान की जनता के साथ किस तरह से धोखा किया जा रहा है।

VPS-RTM-12.03.2025-13.40-2a

वह धोखा कैसे किया जा रहा है इसकी शुरूआत, सबसे पहले मैं आपके ग्रीन बजट जो आपने यह नया ग्रीन बजट पहली बार दिया है, उस पर मैं अपना भाषण शुरू करना चाहूंगा। ग्रीन बजट का, माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बजट का टोटल आउट-ले 27854 करोड़ था। इस ग्रीन बजट में यह अनाउंस कराया गया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जिसमें 150 करोड़ रुपये का प्रोविजन करा गया और प्रोविजन कितना हुआ? बजट में अनाउंसमेंट किया 150 करोड़ का और प्रोविजनिंग करी 25 करोड़ रुपये की। राजस्थान ग्रीन चेलेंज फंड, बड़े-बड़े जारगन्स यूज करे कि राजस्थान ग्रीन चेलेंज फंड, 100 करोड़ रुपये का बजट अनाउंसमेंट और प्रोविजन कितने का? 10 करोड़ का। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डवलपमेंट सेंटर, बड़ा भारी जारगन यूज किया गया, 250 करोड़ रुपये का अनाउंसमेंट और दिया कितना 25 करोड़ का। ...(व्यवधान)...

(समय 13.41 बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

मानननीय सभापति महोदय, मेरे दस मिनट नहीं हुए हैं, अभी ही चालू हुआ हूं, उसको करेक्ट कर लीजिए। अरावली हिल्स पर विकास के लिए 250 करोड़ का अनाउंसमेंट और प्रोविजन कितने का? 100 करोड़ का। क्या मजाक लगा रखा है? अनाउंसमेंट कुछ करते हैं, बजट में प्रोविजनिंग कुछ करते हैं, सरासर असत्य बोलने का काम इस बजट में किया गया।

मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना, बड़ा अनाउंसमेंट, 2700 करोड़ का बजट देंगे। वन मंत्रीजी, 100 करोड़ ही मिलेंगे 250 करोड़ की जगह और जल स्वावलंबन मंत्रीजी, 2700 करोड़ का अनाउंसमेंट है और मिलेंगे कितने? एक हजार करोड़। मतलब, 1700 करोड़ रुपये आपको मिलेंगे ही नहीं। सबसे बड़ा मजाक किसके साथ किया? फार्मर्स के साथ किया। क्या बोला? ढाई लाख फार्मर्स को हम 25 करोड़ रुपये देंगे फोर नेचुरल फार्मिंग तो क्या मजाक लगा रखा है? पर फार्मर क्या कोस्ट आयी एक हजार रुपया। एक हजार रुपये में वह क्या लेकर आयेगा? बायो पेस्टिसाइड। उसको एक थैला भी नहीं मिलेगा एक हजार रुपये में बायो पेस्टिसाइड का, क्या मजाक लगा रखा है? एक हजार रुपये में आप नेचुरल फार्मिंग करवाओगे, वाह, क्या बजट दिया है?

इसी तरह से राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म की आपने घोषणा की। वह किस बेस पर करी कि कार्बन क्रेडिट जो बिकते हैं, उसी तरह से राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म ट्रेडेबल कर देंगे। कार्बन क्रेडिट की तो ट्रेडिंग इंटरनेशनली ही बंद हो गयी है। कुछ पैसा ही नहीं मिलता है कार्बन क्रेडिट पर लोगों को। एक सेंट, दो सेंट पर वे कार्बन क्रेडिट बेचते हैं तो आप किस तरह से यह ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म को चालू करोगे? जरा इसको विस्तार से बता दीजिए, वित्त मंत्री महोदय।

आपने अनाउंस करा कि 900 करोड़, 16 सिटी में तीन वर्ष के लिए यह प्रोविजन करेंगे ग्रीन बजट में। सब हवा-हवाई। 900 करोड़ का कोई बजट का प्रोविजन नहीं है। बजट में लिखा ही नहीं है, ग्रीन बजट में कि 900 करोड़ रुपये वह 16 सिटीज को कब देंगे? यह तीन साल का बजट है तो यह ही नहीं पता कि इस साल आयेगा वह बजट का पैसा, अगले साल आयेगा या तीसरे साल आयेगा। यह बजट इस साल का है, अगले साल का है या उससे अगले साल का है, यह भी किसी को नहीं पता पूरे सदन में तो क्या मजाक लगा रखा है?

एक नया शब्द निकाला सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी में आपने आर.एंड डी. के लिए कितना पैसा दिया? 27854 करोड़ का आपका बजट है, आपने कितना पैसा दिया? दो करोड़ रुपये। कितना परसेंटेज में हुआ? पाइंट वन परसेंट और आर.एंड डी. के लिए हमें पैसा कितना चाहिए? कम से कम 20 परसेंट पैसा चाहिए तब हम अपनी आर.एंड डी. कर सकेंगे।

प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है, आपने RIPS के अन्दर, राइजिंग राजस्थान में किसी को इंसेंटिव दिया? एक पैसे का इंसेंटिव नहीं दिया, to promote circular economy, अब आप बात कर रहे हैं बड़ी-बड़ी इकोनॉमी की।

आज बड़ा चमत्कार का दिन है। आज ही एक दिन था कि ग्रीन बजट पर मैं बोलने वाला था और आज ही पेपर में यह न्यूज आयी है कि वर्ल्ड की तीन मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कहां है? राजस्थान के अन्दर। कौन-कौन सी हैं? वर्ल्ड की, आप पढ़िये, यह पत्रिका की हैडलाइन्स हैं, फर्स्ट पेज पर। गंगानगर, हनुमानगढ़ और भिवाड़ी। तीन सिटीज आपकी वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं। उसके बारे में आपने ग्रीन बजट में एक शब्द भी नहीं लिखा है। आपके क्रिया-कलापों में, करनी और कथनी में कितना डिफरेंस है, यह इसी से पता पड़ता है। As per the Swiss Company, I.Q.Air, एन.जी.टी. ने 45 करोड़ का फाइन गंदगी के लिए भिवाड़ी में की। एन.जी.टी. द्वारा 45 करोड़ का आपके ऊपर फाइन किया गया तो क्या करा आपने? भिवाड़ी में करीबन 6500 यूनिट चल रही है, कोलेबोरेशन में जिसमें जापान के हैं, कोरिया के हैं, फ्रांस के हैं और यह भिवाड़ी शहर राजस्थान का आठ परसेंट जी.डी.पी. का शेयर देता है आपको, आठ परसेंट, करीब-करीब 17 हजार करोड़ की आपको रेवेन्यू देता है, सिर्फ एक शहर और उस शहर का आपने क्या हाल कर रखा है? It is one of the most polluted cities in the world. क्या मजाक लगा रखा है। जिस शहर से आप पैसा कमाते हो, कम से कम उस शहर की तो सफाई करो। उनके तीन डेलिगेशन आ गये, सी.एम. को अप्राइज कर दिया, इंडस्ट्री मिनिस्टर को अप्राइज कर दिया, वन मंत्रीजी उसी जिले के हैं, वे अभी बातों में लगे हुए हैं। भिवाड़ी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है उनका। 17 हजार करोड़ रुपया जो भिवाड़ी दे रहा है, उस पर भी आपका एक पैसा का ध्यान नहीं है, मंत्रीजी, आप भिवाड़ी के ऊपर ध्यान दीजिए।

इसी तरह से आपको राजस्थान, जयपुर और वेस्टर्न राजस्थान की बात करूंगा मैं आपसे। हमने, पहली कंट्री हैं हम, इस देश में पहला स्टेट हैं हम, मैंने उस दिन भी बोला था कि हमने क्लाइमेट रिफ्यूजीज बनाना शुरू कर दिया है। हमारे यहां से माइग्रेशन छह-छह, सात-सात महीने का होने लगा है और वेस्टर्न राजस्थान से, उम्र क्या है बच्चों की? कोई 40 और 44 साल की उम्र में करीब-करीब 60 परसेंट लोग वहां से माइग्रेट करते हैं, दूसरे स्टेट्स के अन्दर नौकरी के लिए या अपना लाइवस्टाक लेकर जाते हैं, अपनी गाय-भैंस लेकर जाते हैं या अपनी शीप्स लेकर जाते हैं। सात महीने का है और वह क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार को वहां सस्ते दामों में, जितनी कैबिनेट मीटिंग होती है, सस्ते दामों में सोलर एनर्जी के लिए उनको पार्क्स बनाने के लिए जमीन सस्ती देनी है। राजस्थान को क्या फायदा है? राजस्थान को एक फायदा नहीं है। न ट्रांसमिशन पर पैसा है, न रिन्यूएबल एनर्जी पर हमको पैसा मिलता है बट, हमें क्या खराब करना है? हमें खराब करना है बाड़मेर और जैसलमेर को। आप ने जाल की ट्रीज कटवा दी। आपने खेज़ड़ियों की ट्रीज कटवा दी जो दो-दो साल पुरानी ट्रीज हैं बट, कोई एम.एल.ए. बोलने वाला नहीं है, एक भाटी के अलावा एक एम.एल.ए. नहीं बोलेगा, सबके मुंह पर पट्टियां बंधी हुई हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हो आप? आपकी डिस्ट्रिक्ट का सत्यानाश हो रहा है। आप क्यों नहीं बोलते हो? और नहीं बोलोगे तो आपको जनता अगली बार उखाड़ फेंकेगी, यह मैं दावे से कहता हूं कि अगली बार आपको जनता

उखाड़ फेंकेगी, नहीं बोलोगे तो, कुर्सियों पर बैठे रहोगे तो। दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने वहां पर। आपके तो पी.पी.ए. साइन नहीं है, जहां से आपको यह बिजली मिले। बिना पी.पी.ए. साइन किये हुए आप सस्ते में बिजली में दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप बैठो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सोलर नहीं लगाया आपने? आपने जमीनें नहीं दीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नहीं दी। इतनी नहीं दी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इतनी ही दी है आपने।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपने तो 17 कैबिनेट मीटिंग करके ...(व्यवधान)... कैबिनेट मीटिंग में आपने लैंड दी है फ्री ऑफ कोस्ट। क्या बात कर रहे हो आप?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आपने दस हजार हैक्टेयर दी है आपने खाली ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमारे दस हजार हैक्टेयर पर आप तो एक लाख हैक्टेयर दे चुके हो। ...(व्यवधान)... खेज़डियों की ट्रीज किसने काटी? पूछो विश्नोई साहब से। इन्होंने काटी है। आपने दो डिग्री टेम्परेचर, काजरी, जो कि सेंटर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या कहा?

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपको ही, आसन को सम्बोधित कर रहा हूं, सर।

श्री सभापति: हां।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): काजरी की रिपोर्ट है कि एक डिग्री राइज टेम्परेचर में बाड़मेर, जैसलमेर में एक डिग्री जब टेम्परेचर राइज होता तो, evapotranspiration जो होता है, वह 35 एम.एम. टू 96 एम.एम. हो जाता है। It translates into the additional water requirement of 1.57 mld water per annum, जहां पर पानी नहीं है बट, दो डिग्री और एक डिग्री बढ़ने से वहां पर इतने पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो कौन जिम्मेदार है? हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। हमें 2030 तक, क्लाइमेट चेंज में यू.एन. बॉडी में हम साइन करके आते हैं, इंडिया साइन करके आता है तो यह तो आपका काला चिट्ठा है। आप क्या ग्रीन बजट में लिखते हो, तीन वर्ड्स - climate adaptation, climate mitigation और आप लिखते हो environmental sustainability, यह तीन जारगन्स आपने पूरे ग्रीन बजट के अन्दर किये हैं और कुछ नहीं किया।

Ssy/Rtm/12.03.25/13.50/2b

उसमें क्या करा एसडीआरएफ का भी पैसा डाल दिया है 27,854 करोड़ कहाँ से बने, अब पता है आपको? आपने क्या करा, उसमें सब नहरों का, पानी का पैसा डाल दिया जो डवलपमेंट करोगे, आपने ऊंट प्रजनन का भी पैसा डाल दिया, वह भी मेरे ख्याल से ग्रीन बजट है, आपने हाथियों का पैसा डाल दिया प्रजनन का, वह भी मेरे ख्याल से ग्रीन बजट का पार्ट है? क्यों इसको धोखा दे रहे हो, धोखा मत दो, हमारी आँखों पर काली पट्टी नहीं

बंधी है। आपके ये पाप उजागर करके छोड़ेंगे हम, क्या यह मजाक लगा रखा है आपने, काहे की एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है, बड़े-बड़े वर्ड यूज़ कर लिए 27,854 करोड़ का बजट दे रहे हैं। पूरा इर्रिगेशन का बजट, पूरा बिजली का बजट और पूरा एग्रीकल्चर का बजट आपने इस में डाल दिया, कुछ उद्योग का पार्ट भी इस बजट में डाल दिया, काहे के ग्रीन बजट की बात कर रहे हो?

आपको यह पता है जयपुर में क्या हो रहा है? जयपुर में एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, पिछले 20 सालों में एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, उससे क्या नुकसान हो रहा है? आप और हम को नुकसान नहीं हो रहा है, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो पॉवर्टी लेवल पर लोग रहते हैं, उनको ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, ना रोडें अच्छी मिल रही है, ना उनको बिजली, पावर सप्लाई पूरी मिल रही है, यह नुकसान उनका हो रहा है।

यह आपका, हमारा जो प्लान बन रहा है, हमारा जो मास्टर प्लान बन रहा है, क्या आप उसमें क्लाइमेट का ध्यान रख रहे हो? नहीं, आप सिर्फ कॉन्क्रीट के जंगल खड़े कर रहे हो, कॉन्क्रीट के जंगल खड़े करने से आपका यह जो टेम्परेचर लेवल है यह और बढ़ के तैयार हो जाएगा। क्या अपन कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं सर? ऐसा मजाक गरीबों के साथ, आपके मास्टर प्लान में आपने कुछ क्लाइमेट का ध्यान ही नहीं रखा है।

हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए जयपुर जैसी सिटी के लिए, हमारा ग्रीन कवर होना चाहिए करीब-करीब 10 पर्सेंट का। हमारा ग्रीन कवर क्या है? 4.98 पर्सेंट का हमारा ग्रीन कवर है जयपुर जैसी सिटी में, क्या मजाक कर रहे हो, यह सिर्फ ग्रीन बजट देने से, ऊपर नाम लिखने से है कि कंट्री में पहली स्टेट है कि ग्रीन बजट लेकर आ रहे हैं, क्या मजाक की बात कर रहे हैं, काहे का ग्रीन बजट है? बता दे इसमें, ग्रीन बजट में आपने क्या करा है, इन सब चीजों का ध्यान रखा है क्या?

जब हमने सरकार छोड़ी थी तो जो एसडीजीपी है आपका, सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल प्रोग्राम उसको कहते हैं, क्योंकि हमने यूएन में चार्टर साइन कर रखा है कि 2030 तक एसडीजीपी का हमें 100 पर्सेंट फॉलो करना पड़ेगा, जब हमारी सरकार गयी थी तब हम 60 पर्सेंट पर थे और जब आपकी 1 साल सरकार रहने के बाद, आपने इसको घटाकर 59 पर्सेंट कर दिया और स्टेट्स में, 33 स्टेट्स में हमारी रैंकिंग को आप 20 लेकर आ गए, यह आपका ग्रीन बजट का पार्ट है क्या? यह आपने करा क्या ग्रीन बजट का पार्ट? आपने हालत खराब कर दी राजस्थान में, मैं इस बार बोल ही ग्रीन बजट पर रहा हूँ क्योंकि आप सबसे पहली बार ग्रीन बजट लाये। ग्रीन बजट कुछ नहीं है एक मिथ्या चीज़ है जो आप लेकर आये।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): कौन सुन रहा है आपकी बात को?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इसको आप देखो, ईआरसीपी को देखो, बड़ी-बड़ी बात करी थी ईआरसीपी में कि ईआरसीपी में हम यह करेंगे, भाई, ईआरसीपी का जो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था वह अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह जी के बीच में हुआ, सेकंड एग्रीमेंट

वसुन्धरा जी के बीच में और बाबूलाल गौर जी के बीच में हुआ, जब रिवर लिंकिंग की बात आई थी तो उसमें 700 एमसीएम पानी जो अपर स्ट्रीम का पानी है वह मिलना था मध्यप्रदेश को, क्योंकि वह अपर स्ट्रीम में था और राजस्थान क्योंकि नीचे था इसलिए हमें 200 का पानी मिलना था। आप जो लेकर आ रहे हो वह यह चीज़ लेकर आ रहे हो, उसमें तो हमें 200 एमसीएम पानी ही मिलना है। अब आपने जो टेबल करा अपना एमओए या एमओयू जो भी आपने साइन करा, जब वसुन्धरा जी थी तो 3510 एमसीएम पानी मिलना था, 1500 इरिगेशन के लिए, 1786 ड्रिंकिंग वाटर के लिए और 224 इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमें पानी मिलना था पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, यह हमारा मैनडेट था। आपने क्या करा अनाउंसमेंट, कि हम 4102.60 एमसीएम पानी देंगे, कहा से दोगे, वह भी आपने लिखकर भेजा कि 1744 ड्रिंकिंग वाटर के लिए यानी पिछली बार से यह 40 एमसीएम पानी कम हो गया, इरिगेशन में जो पहले 1500 था वह 1359 रह गया, करीब 141 एमसीएम पानी और रिड्यूस कर दिया और इसी तरह से इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो 224 था वह आपने 205.7 कर दिया। क्या आप कर रहे हो, और फिर आपने क्या करा, आपने 522.8 एमसीएम पानी बोला, हम रीसाइकल करके लाएंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कौन सी स्टडी है जो बताइए आप यह 522 एमसीएम पानी ले आओगे या यह भी असत्य का पुलिंदा है जो आप लोगों ने हमारे बीच में दिया है? क्योंकि रीसाइकल वाटर जो मध्य प्रदेश ने लिया है वह सिर्फ 30 एमसीएम लिया है और हम क्या ले रहे है 522 एमसीएम क्योंकि हमें दिखाना है कि हम ज्यादा पानी ईआरसीपी में आपको दे रहे हैं, वह नहीं दे रहे हो।

केन-बेतवा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 4373 एमसीएम पानी का प्रोजेक्ट है, उसमें रीसाइकल वाटर कितना लिया है, 43 एमसीएम पानी लिया है और हम क्या ले रहे है 522.8 और यह कोई अफसरों की नई चीज़ की पैदाइश है, इस पर कोई स्टडी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इसमें कोई स्टडी नहीं है। हमने विकिपीडिया देख लिया, जहाँ- जहाँ हम देख सकते थे, हमें रीसाइकल वाटर का बताओ तो सही कौन सी स्टडी है? आज तक एक स्टडी नहीं हुई है, यह सिर्फ असत्य का पुलिंदा है जो हमें दिया गया है।

इसी तरह से आपने बजट अनाउंसमेंट करा और बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा 950 करोड़ रुपये धौलपुर लिफ्ट और काली तीर योजना के लिए दिए जाएंगे और प्रोविजन कितने का करा, 435 करोड़ का तो करा काली तीर के लिए और 125 करोड़ करा आपने धौलपुर लिफ्ट के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): एक साथ थोड़े ही लगायेंगे सारे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): तो अनाउंस मत करो 950, फिर समझो बात को, फिर उतना ही लिखो ना जितना यूज़ होंगे, किस बेवकूफ ने कहा है कि वह पूरा लिखो, किसी ने कहा है या आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): यह बेवकूफ शब्द हटाया जाये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बेवकूफ अनपार्लियामेंटरी नहीं है, अनपार्लियामेंटरी नहीं है, चेक करा लीजिए, इट्स नॉट अनपार्लियामेन्टरी।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): आपको जो बोल दिया उसको हटवाया? आपको श्रीमती बोल दिया था उसको हटवाया? हां जी, आपको कह रहा हूं मैं, श्रीमती बोल दिया था आपको उसको नहीं हटाया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आज अपन क्या कह रहे हैं? अनाउसमेंट कुछ कर रहे हैं और प्रोविजन कुछ कर रहे हैं बजट में, यह क्या कर रहे हैं अपन? जितना बजट देना है, उतना अनाउंसमेंट करो, उतना प्रोविजन करो, यह क्या कर रहे हो आप?

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वही कर रहे हैं जो करते आये हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सिर्फ असत्य बोलने के अलावा कुछ नहीं, मिथ्या भाषणों के अलावा कुछ नहीं है। अब आप जो बात कर रहे थे 350 बिलियन की इकॉनामी कर देंगे, बहुत बड़े-बड़े शब्दों में लिखा है। सर, 10 मिनट आपने पहले लिए थे मेरे से। आपने पहले ही ले लिए थे, वह स्पीकर साहब ले गए थे, मेरी गलती नहीं है, आप बात कर लो 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 350 बिलियन की इकॉनामी की आप बात करते रहे और बड़े-बड़े शब्दों में दोनों बजट में आपने बात करी 350 बिलियन इकॉनामी की, 2030 तक कर देंगे। मैं रिटन में गारंटी कर सकता हूँ कि 350 बिलियन तो आप सपनों में भी नहीं कर सकते हो और चाहिए तो लिखकर भी दे दूंगा एफिडेविट में।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): होता कितना है?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): और यह तो पता ही नहीं होगा इनको।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): हां, तो बता दो इनको।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जिसके लिए ग्रोथ चाहिए 16 परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रियल टर्म में ग्रोथ 10 परसेंट से ऊपर नहीं है विथ इन्फ्लेशन, ग्रोथ और इन्फ्लेशन मिलाकर 10 परसेंट नहीं, आप 16 परसेंट कर लोगे?

इस साल जो आपने कहा था कि हम 17.81 करोड़ की जीडीपी करेंगे, आप ने 70 हजार करोड़ की जीडीपी इस साल कम की है, जो आपने अनाउंसमेंट करा। अगले साल आपने क्या कहा, हम 19.81 करोड़ का जीडीपी लेकर आयेंगे इस साल 2025-26 में, कितना होगा, 1 लाख करोड़ कम का जीडीपी हो रहा है। अपन क्या बात कर रहे हैं? यानी सब चीज़ में असत्य बोलने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है।

spp/rtm/12.03.2025/14.00/2c

असत्य, असत्य, असत्य भाषा। सर, एक बड़े जबरदस्त फिगर्स आए। जीएसटी में इन्होंने

कहा, बजट था 55,800 करोड़ कि हम 5,200 करोड़ की रेवेन्यू लेंगे फर्स्ट जनवरी तक जीएसटी में इनको सिर्फ 34,864 करोड़ रुपये मिले हैं which is only 62 per cent of your revenue target. 10 महीने में और सेल्स टैक्स में 29 हजार करोड़ इन्होंने कहा था, हमें मिलेंगे और मिले कितने जनवरी एंड तक, 19,344 66 per cent जबकि हो जाने चाहिए थे 80 per cent से ऊपर और सेल्स टैक्स एक्साइज़ ड्यूटी में इन्होंने बोला 17 हजार 100 करोड़ और रिवाइज्ड एस्टीमेट में दिया 17 हजार करोड़ और जनवरी फर्स्ट तक अनऑडिटेड फिगर्स तक, ये आये हैं 11,796 दैट मीन्स 69 per cent के सिर्फ फिगर्स आए हैं, तो यह जितने फिगर्स आपने दिए हैं, ये सब गलत फिगर्स दिए हैं, अब आप क्या करोगे? आप के कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो 44,216 करोड़ का था, आपने खर्च कितना करा? 25,780 करोड़, मतलब सिर्फ 58%, कैपिटल आउटले सिर्फ 58% खर्च करा, अब ये क्या करेंगे? कैपिटल आउटले का पैसा खर्च नहीं करेंगे तो जो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट इनको कम करना है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट इनका और बढ़ चुका है। इनका 25,758 का रेवेन्यू डेफिसिट था। इन्होंने रिवाइज़ में कहा कि हम 32 हजार करोड़ पर खत्म कर देंगे। 33,243 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुका है, 1.9% से भी ऊपर आप चले गए हो, ऑलरेडी जा चुके हो। As per on audited figures of 31st January, आप ऑलरेडी ऊपर जा चुके हो, तो कहां से कम करोगे? ये भाई कितना अच्छा मैनेजमेन्ट है? वह बोल रहे थे ना निम्बाहेड़ा से आने वाले विधायक, सत्यानाश तो आप 2 साल में कर दोगे राजस्थान की इकॉनोमी का। यदि फिगर्स देखे हों तो 2 साल में ही सत्यानाश हो जाएगा। तीसरे साल सैलरीज नहीं मिलेगी, ना आपको ना हमको। पैसा ही नहीं रहेगा सरकार के पास। ऐसा सत्यानाश करोगे आप? ऐसा सत्यानाश करोगे आप?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इसकी वजह है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप हो वजह, आप हो वजह। आपको पता है ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: प्लीज सदस्य, आसन को संबोधित कीजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): वह डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं?

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित कीजिये। विराजिये। ..(व्यवधान)..

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): जब-जब कांग्रेस की सरकार आयी है, राजस्थान की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ कर रख दिया है। जब-जब कांग्रेस की सरकार आयी है, हमें तो आये साल भर हुआ है। इन्होंने जो स्थिति खड़ी की है...(व्यवधान)..

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। ..(व्यवधान)..

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपने डेढ़ साल में ही सत्यानाश कर दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने मुझे सम्बोधित किया है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: मैंने कह दिया है, आसन को सम्बोधित करेंगे। आप विराजिये। प्लीज

विराजिये। विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 2 साल में 1 लाख 60 हजार करोड़ का लोन ले लेंगे, जो हमने 5 साल में 2 लाख 80 हजार करोड़ का लोन दिया। ये इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ...(व्यवधान).. सर, मेरे 10 मिनट आपने पहले ही काट दिये।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये। दस मिनट नहीं, हो गया। आपके 25 मिनट ही लिखे हुए हैं, 33 मिनट हो गये? इसलिये विराजिये, माननीय सदस्य। आप विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): न्यूट्री किट, बस लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं। न्यूट्री किट्स पर आपने बोला कि हम 2.35 लाख महिलाओं को बजट में 25 करोड़ रुपये देंगे न्यूट्री किट्स के लिए, कॉस्ट पर महिला क्या आई? इमेजिन करो आप कि कॉस्ट पर महिला क्या आई? बजट बनाने वाले हैं न इतने होशियार लोग, कॉस्ट पर महिला आई हेल्थ, मिनिस्टर साहब, 7 रुपये प्रतिदिन। क्या न्यूट्री किट्स दोगे आप 7 रुपये में, बता देना मुझे जवाब में, कौनसी न्यूट्री किट्स आएंगी 7 रुपये रोज़ में? बता दीजियेगा, जैसे नेचुरल फार्मर्स के साथ बेईमानी हुई ना, कि एक हजार रुपये दोगे उसको और वह नीचे नेचुरल फार्मिंग करेगा? मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि ये बजट बिलकुल हमारी आशाओं के विपरीत, लोगों के विपरीत है और ये नीचे वाले गरीब आदमियों के लिए कुठाराघात वाला बजट है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय श्री शत्रुघन गौतम। अंकित नहीं हो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका हृदय के अंत:करण से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिये राजस्थान को एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया गया। माननीय सभापति महोदय, जैसा आप को विदित है कि वित्त के बिना कुछ नहीं है और अभी विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे और बजट के भाषण पर, राज्यपाल के अभिभाषण पर बजट पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हम सबको मिलकर और चिंता करनी चाहिए कि राजस्थान के हित में, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल जी की सरकार ने और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने और सारी सरकार की, जो वित्त विभाग की टीम है, उसने जो काम किये हैं, हमारे प्रयासों के कारण राजस्थान के 2024-25 के औद्योगिक क्षेत्र में 5.77 प्रतिशत औद्योगिक विकास की ग्रोथ हुई है, जिससे प्रदेश के रोजगार में नवीन अवसर सृजित होंगे। हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन के माध्यम से राजकोषीय घाटे में नियंत्रण रखा है। हमारी सरकार ने राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम के निर्धारित सीमा में रखा है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जनता के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं लगाते हुए और बिना उसके संसाधन जुटाने का

प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान में केवल 2023-24 में 4.5% की वृद्धि हुई, जबकि हमारे कार्यकाल में संशोधित अनुमान में 30% से अधिक वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुमानों में 15% से अधिक अनुमानित वृद्धि की गई।

हमारे प्रदेश के मुखिया का कुशल वित्तीय प्रबंधन है, जिस तरह की परिस्थितियां प्रदेश ने देखी हैं और प्रदेश ने झेली हैं, हमारे अतिशीघ्र परिणामस्वरूप वर्ष 2025-26 की जीएसडीपी का 16.75% बढ़कर 19 लाख 89 हजार 835 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो 2030 तक बढ़कर 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध है। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठकर बात कीजिये या अपनी लॉबी में चले जाइये। खड़े-खड़े बात कर रहे हैं।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): आपको निवेदन आपके समकक्ष लाऊं, क्या आपके विचार में लाऊं कि 2018-19 में बजट के अंदर राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने 17 हजार 454 करोड़ का अनुमानित घाटा माना था। 5-10 परसेंट ऊपर नीचे हो तो माना जाये, लेकिन अंत में क्या हुआ? 28,900 करोड़ पहुंच गया घाटा। इसी तरह से 2019-20 में सेकंड बजट रखा, 27,014 करोड़ का घाटा अनुमानित था, लेकिन अंत में 36,371 करोड़ रुपये घाटा पहुंचा। मैं 2021-22 के बजट की बात करूं, 23,750 करोड़ रुपये अनुमानित घाटा माना था और घाटा 35 हजार करोड़ से ऊपर पहुंचा। इसी तरह से रेवेन्यू रिसीप्ट की भी बात करें, चाहे बजट के व्यय की बात करें। माननीय सभापति महोदय, 2019-20 में अपने लक्ष्य रखा 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये की रेवेन्यू आएगी, लेकिन अंत में क्या हुआ? एक लाख 40 हजार करोड़ की रेवेन्यू आयी। कितना अंतर रहा? 24 हजार करोड़ का अंतर रहा। यह सामान्य बात नहीं है। ये सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं। इसमें विचार करना चाहिए पूर्ववर्ती सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के लोगों को, जो आज बड़ी-बड़ी बात सदन में कर रहे हैं। इसी तरह राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय में एक लाख 91 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था और जब खर्चा करने की बात आयी, सभापति महोदय, तो 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये, 14 हजार 500 करोड़ रुपये कम खर्च किये। यह राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी की सोच है। संकल्प के साथ, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को तो आपने कहा था, जब मुख्य मंत्री ने शपथ ली थी कि पर्ची सरकार, आपके तो बड़े कुशल प्रबंधन करने वाले आपके मुख्य मंत्री तो तीसरी बार बने, राजस्थान की जनता में तीसरी बार मुख्य मंत्री बनने के बाद भी ये क्या कर पाए? ये आप सब जानते हैं?

राइजिंग राजस्थान की बात करें तो राइज़िंग राजस्थान आपकी सरकार ने तीसरे साल में किया, लेकिन भजन लाल जी की सरकार ने पहले साल में राइजिंग राजस्थान का आयोजन करके और 35 लाख करोड़ के एमओयू करे और राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान के युवा को, राजस्थान के हर तबके को रोजगार के माध्यम से, क्योंकि अगर किसी राज्य का

औद्योगिक विकास होता है तो माननीय सभापति महोदय, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह कर्नाटक हो, आज इस ऐसी स्थितियां राजस्थान हर तरह से संपन्न है, चाहे वह हमारे माइनिंग का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं कीं? आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये लोग कहते है कि जो बात कर रहे हैं कि तीसरी बार, आप पहली बार में नए थे 1998 से 2003 तक, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो, फिर 2008 से 2013 से वापस सरकार में आए। फिर भी आपने ऐसा कोई प्रबंधन नहीं किया जिससे आप कंटीन्यू आये। ये चीज़ सबको सोचनी चाहिए लेकिन राइज़िंग राजस्थान से आज औद्योगिक विकास का एक खाका खींचा है।

jyg/rtm/12.03.25/14.10/2d

छोटी-छोटी-सी जगह पर एमओयू हुए हैं और हमारे राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हर महीने इसकी बैठक लेकर और निश्चित रूप से जो एमओयू हुए हैं उनका रिव्यू करके कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये धरातल पर उतरना चाहिए इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जनता पर भार न आये इसके लिए आवश्यक कदम उठाये हैं। पिछली सरकार के राजस्व में सिर्फ 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमारे कार्यकाल में 24.30 परसेंट की वृद्धि हुई।

माननीय सभापति महोदय, पूंजीगत व्यय में हमारी सरकार ने जो काम किये हैं, दोनों बजट के अन्दर, ये पूंजीगत व्यय, कांग्रेस सरकार केवल ऋण लेकर अनावश्यक और अनुपयोगी, अनुत्पादक, लोक लुभावन घोषणाओं पर व्यय करती थी जिससे प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं मिला और यह सब जानते हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास हेतु ढांचागत आधारभूत संरचनाओं पर व्यय करने पर बल दिया। जहां कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26 हजार 645 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय किया था वहीं हमारी भजन लाल जी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ढांचागत आधारभूत संरचनाओं पर व्यय में दुगनी से अधिक वृद्धि करते हुए 53 हजार 686 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान प्रस्तावित किया है। आधारभूत पूंजीगत कार्यों पर अधिक व्यय किये जाने से अर्थव्यवस्था में मल्टीपल प्रभाव दृष्टिगत होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम पूंजीगत कार्यों पर व्यय की बात करें तो निश्चित रूप से सड़क क्षेत्र में हमारी सरकार ने चाहे पिछला बजट हो चाहे यह बजट हो, 2025-26 का बजट हो, सडकों के माध्यम से, सड़क प्रदेश की प्रगति का एक पर्यायवाची है। सड़क है तो विकास है, किसी गांव में सड़क है तो उस गांव की पहचान है। किसी गांव से या कस्बे से हाईवे निकलता है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होती है। आज सड़क का निर्माण करेंगे, 2008-13 में एक सड़क का जो आप सब जानते हैं, किसको दी गयी, यह जांच का विषय है, जयपुर-केकड़ी-शाहपुरा, जो कि मुख्य मंत्रीजी के बहुत नजदीक थे, आरएसआरडी से बीओटी पर टोल रोड दिया गया, 2008-13 में और 2013 में आखिर में, 2014 या 2015 में

शुरू हुआ, वसुन्धरा जी की सरकार आने के बाद और जब उस टोल में उनके अनुरूप फायदा नहीं हुआ, घाटे का सौदा था तो माननीय सभापति महोदय, उस टोल को विथ्ड्रा कर लिया गया। उस कम्पनी को लाभ पहुंचाने के लिए 2018-23 के बीच में उस टोल को विथ्ड्रा करके आज उस टोल को वापस आरएसआरडीसी चला रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम सरकार में आते हैं, सरकारें बनती हैं, जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं हमसे ...(व्यवधान)... सब जानते हैं +++ कौन है, +++ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को दिया गया था यह ठेका, दिखवा लीजिये, जांच का विषय है माननीय सभापति महोदय, और उसमें कौन पार्टनर था, यह राजस्थान की जनता और आठ विधान सभा क्षेत्र के लोग जानते हैं कि इस रोड को वापस कैसे किया। ...(व्यवधान)... वो निकलेगी न बजरी तो, ठेका दिया है आपने, ठेका दिया है, वो भी बताऊंगा आपको। ...(व्यवधान)... नियम से आ जाना, मनीष जी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य। आप आसन को सम्बोधित कीजिये। ...(व्यवधान)... आप विराजें।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं बताऊंगा, नियम से आ जाना, बजरी पर भी बताऊंगा। बजरी में आप सुनना चाहते हो तो आपके ही मुख्य मंत्री ने 2013 में 11-11 सौ हैक्टेयर की लीजें सैंक्शन की थी, इस पर चर्चा करा लीजिये, आपकी सरकार ने गाद निकालने के नाम से, आपकी सरकार ने ठेका दिया बीसलपुर में, ईआरसीपी में तो निश्चित रूप से ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज सदस्य, आपके नेता, प्रतिपक्ष को दे दो, वो बहुत होशियार हैं, वो आपकी बात बोल देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इस राजस्थान की सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो स्वप्न में कभी सोच नहीं सकते थे और वो 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की स्वीकृति प्रदान करके उनकी डीपीआर बनाने का काम किया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। 9,600 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़कें, 13,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों के उन्नयन का कार्य, 181 स्टेट हाईवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, कस्बों के बाईपास, आरओबी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कस्बों और शहरों के लिंक रोड बनेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबने पिछली सरकार में देखा होगा कि बजट में लोक लुभावने काम किये जाते थे लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने हर विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ के नोन पेचेबल और नई सड़कें स्वीकृत करने का काम किया है, मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से उनको।

माननीय सभापति महोदय, जल ही जीवन है। जेजेएम के माध्यम से हमारी सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जेजेएम के माध्यम से 2028 तक स्वीकृति बढ़ाकर राजस्थान की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान की जनता में इस तरह का संदेश है कि हर

घर सोच है कि हर घर में नल से जल पहुंचे, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और पूरी टीम ने जो काम किया है, इस साल 20 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम करेंगे।

निश्चित रूप से, माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को ओर वित्त मंत्रीजी को कि हर विधान सभा क्षेत्र में 5 हजार से अधिक आबादी के लिए अटल पथ गौरव योजना चलायी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सात-आठ से ज्यादा ग्राम पंचायतें इसमें जुडेंगी।

माननीय सभापति महोदय, किसान की बात करते हैं, हम किसान को आदर्श मानकर हम काम करते हैं, किसान गर्मी की लू में तपते हुए, सर्दी के अन्दर ठिठुरते हुए काम करता है और किसान की चर्चा हम यहां करते हैं, किसान के बारे में सोचते हैं लेकिन राजस्थान का यह गरीब किसान का बेटा, यह मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने जो प्रधान मंत्री सम्मान निधि में 6 हजार रुपये दिये जाते हैं उसमें 3 हजार रुपये बढ़ाकर 9 हजार रुपये देने का काम किया है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह आपने बहुत बड़ा राजस्थान के किसान के हित में काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, ईआरसीपी की बात करें। अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि ईआरसीपी में समझौता किया, इस समझौते में हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। यह मिलकर काम करें लेकिन ईआरसीपी के ग्राउण्ड पर, धरातल पर एक्जीक्यूट करने का, धरातल पर टेंडर होकर लागू हो उसको माना जाता है और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने पांच-सात बार दिल्ली-जयपुर, जयपुर-दिल्ली जाकर भारत सरकार के प्रधान मंत्रीजी से मिलकर, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रीजी से मिलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है। 14 जिलों में पानी में फ्लोराइड है, पीने का पानी नसीब नहीं होता था, निश्चित रूप से आज इन 14 जिलों में लाखों हैक्टेयर भूमि पर किसान के हित में जब पानी पहुंचेगा, कोई कहता है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो तालाब जोड़े हैं, दो बांध जोड़े हैं लेकिन, मित्रों, मैं तो आपको सदन में, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा काम किया है। आज दो में पहुंचा है तो बाद में पांच में भी पहुंचेगा। आपने तो सपने दिखाये, आपने तो बात की, आपने कहा कि हम करेंगे, केवल इसलिए कि माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री से आपके सम्बन्ध सामान्य नहीं थे इसलिए राजस्थान में उसको चर्चा करके केवल दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-जयपुर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा की बात करें, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है, केवल थोथी घोषणाएं, केवल अव्यावहारिक घोषणाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मोबाइल बांटने थे 4,000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के तो पहले बजट में क्यों नहीं बांटे, दूसरे में क्यों नहीं बांटे, तीसरे में क्यों नहीं बांटे, आखिरी के बजट में आप मोबाइल बांट रहे हो? आखिरी के बजट में आपको लग रहा है कि जनता में किस मुंह से जायेंगे। खाद्य सुरक्षा

किट बांट रहे हो, नमक, मिर्ची तक दे रहे हो, तेल की बोतल दे रहे हो, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता स्वाभिमान के लिए जानी जाती है, वीरता के लिए जानी जाती है, शौर्य के लिए जानी जाती है, आप तो उसकी इज्जत उछालने का काम कर रहे हो? उसके प्यार और विश्वास से खेलने का काम कर रहे हो? निश्चित रूप से, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक टीम बनाकर हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हर माननीय मंत्रीजी को निर्देशित करते हुए बजट घोषणा को गम्भीरता से लेते हुए धरातल पर उतारने का काम किया है। निश्चित रूप से युवाओं के लिए आप खुद देख रहे हो कितनी बार पेपर आउट हुए और क्या हुआ, आपको पता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आना सागर झील जो पिछले स्मार्ट सिटी में ली गयी और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को और अजमेर के जन प्रतिनिधियों को पूर्ववर्ती सरकार को एनजीटी समय-समय पर आगाह करती रही कि आना सागर की झील पर निर्माण नियमों और मापदण्डों में नहीं है, इसे नियमों और मापदण्डों में किया जाये, किसी ने इस ओर देखा नहीं, किसी ने इसकी जांच नहीं करायी और आज क्या हुआ, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई 150 करोड़ रुपये मिट्टी में मिले हैं तो कौन जिम्मेदार है?

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने चम्बल रिवर फ्रण्ट बहुत अच्छा बनाया, इसके लिए धन्यवाद इनको लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 2019-20 में आपकी सरकार आयी तो यूआईटी कोटा में 450 करोड़ रुपये जमा थे, उस साल 116 करोड़ का लोन यूआईटी कोटा ने लिया। माननीय सभापति महोदय, 2020-21 आया तो यूआईटी कोटा में 781 करोड़ रुपये थे, जब लोन लिया तो 447 करोड़ रुपये का लोन हुआ और जब 2022-23 आया तो 422 करोड़ रुपये यूआईटी के खाते में थे और 388 करोड़ रुपये का लोन लिया।

MLS/RTM/12.03.2025/14:20/2e

माननीय सभापति महोदय, जब आपको पता था कि 2023-24 चुनावी साल है और चुनावी साल में यूआईटी कोटा में 151 करोड़ रुपये और आपका लोन था 359 करोड़ रुपये का और उस साल आपकी देनदारियां थीं 800 करोड़ रुपये कोटा यूआईटी को ठेकेदारों को भुगतान करना था। इस तरह का आपने बनाया चम्बल रिवर फ्रंट, इस चम्बल रिवर फ्रंट का संचालन करने के लिए यूआईटी पर डेढ़ करोड़ रुपये का भार आता। क्या आप 1500 करोड़ लगाकर भी यह नहीं कर पाये कि डेढ़ करोड़ रुपये की आमदनी तो होती। वह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर तो होता, अपने पैरों पर तो खड़ा हो जाता। आपने 200 रुपये का उस पर देखने का भार लगाया। एक तरफ 50 रुपये लगाया, जिधर कम लोग जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अगर यह करना था, 1500 करोड़ रुपये का यूआईटी कोटा लोन लेकर अगर गरीबों को मकान बनाकर देती तो वह गरीब दुआ देता कि मुझे छत मिल

गयी। आज कोटा की अर्थव्यवस्था बरबाद हो गयी, कोटा की स्थिति खराब हो गयी। कोटा के बारे में चिन्ता करने वाला कौन है? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज कोटा में देखें तो कोटा में रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्री के अन्दर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोटा निम्नता पर पहुंच गया है, नीचे ही नीचे स्थान है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ...(व्यवधान)... वह तो सबको पता है और वो तो नहीं ले सकते। यूनुस खान भी नहीं ले सकते। कोटा में सब जानते हैं कि कौन-सा नारा चलता है, कौन-सा नहीं चलता।

श्री सभापतिः आपस में चर्चा नहीं, माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में हमारे भजन लाल जी की सरकार से और इनकी सकारात्मक सोच से, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की सोच से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रभाव राज्य की प्रति व्यक्ति आय से परिलक्षित होता है। जहां वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 66 हजार 477 रुपये थी, हमारे वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 11.5 परसेंट बढ़कर 1 लाख 85 हजार 53 रुपये हो गयी।

माननीय सभापति महोदय, यह एक सकारात्मक पहलू है, यह सकारात्मक दिशा में जा रहा है, जिसमें मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किये हैं, सरकार ने प्रयास किये हैं, जो इस डबल इंजन की सरकार ने प्रयास किये हैं, उसको मैं धन्यवाद दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, जो महत्त्वपूर्ण विभाग है इस राजस्थान प्रदेश का और शिक्षा का मतलब देखें तो हर गरीब व्यक्ति, हर गरीब किसान, अन्तिम छोर पर आने वाला व्यक्ति भी यह सोचता है, मेरे बेटे को पढ़ाओ, मेरे बेटे को आगे बढ़ाओ। अपने पेट पर पट्टी बान्धकर अपनी खर्च की कटौतियां करके अपनी व्यवस्थाओं को किस तरह से वह मैनेज करता है, लेकिन उसका सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ गया, मेरा बेटा पढ़कर अगर सरकारी सेवा में आ गया तो वह आने वाले कल की मेरी लाठी बन जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा। हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए वर्ष 2025-26 में 1 लाख 256 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है, जो वर्ष 2023-24 से 72 हजार 516 करोड़ से 38 परसेंट अधिक है। इसके लिए मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दूंगा, बहुत-बहुत बधाई दूंगा। माननीय सभापति महोदय, युवाओं को रोजगार की बात करें, रोजाना कहते हैं विपक्ष के माननीय सदस्य कि ये नौकरियां हमने निकाली हैं, ये नौकरियां हमने निकाली हैं, ये आपने नहीं निकालीं। ये राजस्थान की जनता के गाढ़े पैसे से निकाली हैं। आपको निकालनी थीं तो 2019 में निकालते, 2020 में निकालते, 2021 में निकालते, 2022 में निकालते।

क्यों पेपर आउट हुए? आपके बनाये हुए लोग आरपीएससी के मैम्बर्स थे, वे जेल गये। हां, अगर हमारे मुख्य मंत्री के मन में खोट होता तो आपकी इन निकाली हुई भर्तियों को नियुक्ति नहीं देते। 89 हजार बच्चों को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने सकारात्मक काम किया

है। 1 लाख 73 हजार से अधिक पदों की भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, जिसका कैलेंडर जारी कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, किसी से छिपा हुआ नहीं है।

लास्ट में मैं निवेदन करूंगा, यह डबल इंजन की सरकार है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, ये लोग भी नहीं सोचते थे कि इनकम टैक्स की सीमा 12 लाख रुपये हो जायेगी। कभी सपना नहीं सोचा था कि 12 लाख रुपये तक इनकम टैक्स फ्री होगा। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद।

नरेन्द्र मोदी जी की सकारात्मक सोच है और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की वजह से ही आज जेजेएम के अन्दर हमें 2028 तक की छूट दी गयी। यह सामान्य बात नहीं है। आपको भी मौका मिला था, आप तो कर ही नहीं पाये। आपकी तो जो भी परिस्थितियां थीं, आपके टाइम में 40-40 परसेंट अबव रेट गयी। आप तय ही नहीं कर पाये कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे ग्रीन बजट, ग्रीन बजट। माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में यही कहूंगा कि ग्रीन बजट सामान्य बात नहीं है, एक सकारात्मक सोच है सरकार की।

अगर किसी घर में एक बहू शादी होकर आती है तो उसको एक, दो या चार महीने में आप अच्छी या बुरी नहीं कह सकते। उसके एक शिशु हो जायेगा, एक बच्चे को जन्म दे देगी और वह बच्चा 7वीं या 8वीं में पढ़कर बड़ा हो जायेगा। जब सारी परिस्थितियां सामान्य होती हैं, तब कहना चाहिये कि यह बहू अच्छी है या खराब।

श्री सभापति: श्री शान्ती लाल जी धारीवाल।

श्री शत्रुघन गौतम (केकड़ी): लेकिन आप तो पहले दिन ही कहने लगे, यह ऐसा है, यह वैसा है। मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर सकारात्मक सुझाव उन्होंने दिये होते तो आज उधर नहीं, इधर बैठे होते। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

निर्माणाधीन सिविल लाईन्स पुलिया (जयपुर) में आई दरार

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): सभापति महोदय, बाईस गोदाम पुलिया, जिसको सिविल लाईन्स पुलिया कहते हैं, वह दो चरणों के अन्दर पुलिया बनी। उसके बीच में इतनी लम्बी और इतनी चौड़ी, कम से कम 4-5 इंच की दरार आ गयी है। कभी भी यह पुलिया ध्वस्त हो सकती है। वह पुलिया दब चुकी है, इसलिए मेरा स्वायत्त शासन मंत्री जी से, नगरीय विकास मंत्री जी से निवेदन है कि उसकी भार क्षमता का आकलन करवाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। ध्यान में आ गया सरकार के।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2025

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): दरार पैदा करने का काम तो ये ही करते हैं। सभापति महोदय, मैं बड़े अफसोस के साथ, दु:ख के साथ निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यह सरकार कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम ही नहीं कर पायी। प्रदेश में सबसे ज्यादा आवश्यकता थी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम होना चाहिये, वह सरकार का दायित्व था, लेकिन ये कर नहीं पाये। सबसे बड़ी नाकामी तो यह थी कि पहले ही बजट में आपने कैपिटल आउटले के प्रोविजन को काट दिया। इतना ही नहीं, सरकार अपने मंत्रियों के खर्चे का ही हिसाब नहीं लगा पायी कि मंत्री क्या खर्चा करना चाहते हैं, कितना खर्चा करना उनको बजट में अलाऊ करना चाहिये। इसकी वजह से ही तो आप सप्लीमेंटरी ग्रांट लेकर आये। जो सरकार अपने मंत्रियों के खर्चों का पता नहीं लगा पायेगी, वह किस प्रकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन करेगी? क्या राहत दे पायेगी वह गरीबों को?

केन्द्रीय करों में जो आपका हिस्सा है, जो अनुमान आपका था, उसमें जीएसटी में आपका 1700 करोड़ रुपया कम हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स में 3500 करोड़ रुपया कम मिलेगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटी में 50 प्रतिशत पैसा कम मिलेगा ओर सोशल सर्विसेज में तो आपके 2 हजार रुपये ही काट दिये। यह तो पहले इंजन की हालत है। दूसरा इंजन तो आपका फेल है। पहले इंजन की करतूतें बता रहा हूं मैं आपको। ये सब चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि प्रदेश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। परचेजिंग कैपेसिटी जो पहले थी, उससे और कम हो गयी। कॉरपोरेट का बिजनेस भी कम हो गया।

पिछले 10 सालों में केन्द्र सरकार ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाईं, वे सारी कॉरपोरेट के हित में बनाईं, गरीब के हित में नहीं बनाईं। सारी कॉरपोरेट के हित में बनाईं। मतलब अमीर तो अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। पूंजी सिमट गयी सारी की सारी। यह देश और प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

MKD/RTM/12.03.2025/14:30/2f

मैं इस बात को गम्भीरता से कह रहा हूं कि यह देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आप अमेरिका की हालत देख लो, वहां पर 40 परसेंट की कमी हो गई है और मन्दी चालू हो गई है। उसका असर यहां पर भी धीरे-धीरे आएगा, रोक नहीं पाओगे, जैसे मनमोहन सिंह जी ने रोक लिया था।

केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में 4 लाख करोड़ रुपये के शेयर बांट दिये। रेलवे के बांट दिए, पब्लिक पब्लिक सेक्टर के बेच दिए। आज अगर उनकी कीमत देखी जाये तो 18 लाख करोड़ रुपये है, 18 लाख करोड़ रुपये के शेयर बांट दिए। आप अपनी संपत्ति को बेच रहे हो, कारखाने बेच दिए। वह तो पहले की बात हो गयी, यह तो अभी-अभी हुआ है। ये अभी-अभी हुआ है कि 4 लाख करोड़ से भी अधिक के शेयर रेलवे के, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के बांटे गए हैं, जिनकी कीमत मैंने बताया कि 18 लाख करोड़ रुपये होती है, आज की तारीख में।

यह कीमत मैंने नहीं बतायी है। यह सूचना कंपनी वाइज सरकार की वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ इंवेस्टमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री पर उपलब्ध है। मैंने वहां से फिगर लिए हैं। आपने करप्शन को इन्स्टिट्यूशन लाइज कर दिया, संस्थागत कर दिया। एक दिन किसी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो और दूसरे रोज़ ही उसको पार्टी में ले लो। तो ये तो आपने भ्रष्टाचारियों का आश्रम बना दिया भारतीय जनता पार्टी को, भ्रष्टाचारियों का।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): उसके सरगना तो आप ही थे (..व्यवधान..)।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): हां, मैं ही था, मैं ही था, मैं आपकी वो बातें बताऊंगा तो पता लग जायेगा कि कौन था, कौन नहीं था।

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): देश की पॉलिटिक्स को आपने कम्युनलाइज कर दिया। सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लिया और माथे पर संविधान लगाने का ड्रामा करने वाले, इन्होंने सबसे ज्यादा संविधान की मजाक उड़ाई, सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ा। लोकतंत्र की हत्या की। ज़हरीले साम्प्रदायिक भाषण बीजेपी के नेताओं ने दिये।

इतिहास में यह पहली बार है कि संसद में चुनाव की वोटर लिस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, पहली बार। संसद में इस बात के लिए कभी डिस्कशन नहीं हुआ। क्यों? आखिर क्यों हो रहा है? इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर क्या ऐसी वजह आ गई, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट तक संसद में डिस्कस की जा रही है।

आपको ध्यान है, अपने प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी साहब अमेरिका गये थे। वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति...

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): आप मोदी जी का नाम ले सकते हैं, (..व्यवधान..) इंदिरा गांधी का नहीं (..व्यवधान..)।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): गोपाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं।

श्री सभापतिः प्लीज, विराजिये, विराजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया है।

श्री रामकेश (गंगापुर): (..व्यवधान..) पहले आप उनको बिठाओ, गोपाल जी को।

श्री सभापतिः आप विराजिये। प्लीज, आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आसन को सम्बोधित करते हुए।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): +++

श्री सभापतिः विराजिये, विराजिये। आपका नम्बर आ रहा है। आप उनसे बुलवा देना।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): (..व्यवधान..) जबरदस्ती मन की बात बता रहे हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): (..व्यवधान..) यह डिलीट करवाइये।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री महोदय, विराजिये। आप जवाब दे देना इधर। डिलीट कर

देना।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): सभापति महोदय, 2017-18 में...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इतने वरिष्ठ आदमी हैं, कोई सत्य बात तो रखो सदन में, जो जाये बात, ऐसे कुछ ही बोल देते हो खड़े होकर।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आप बैठिये ना। सवाल का जवाब तो कायदे का देते नहीं हो और यहां बातें कर हो बेकार की। आप विराज जाओ।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 2017-18 में जो मजदूरी मिला करती थी, वह मिलती थी 9,454 रुपया, वह घटकर के अब 2223-24 में 8,591 रह गई है। मजदूरी घट गयी। मजदूर को मिलता क्या है, मजदूरी ही तो मिलती है ना, वह भी घट गयी। यानी, उसकी इनकम 9.1 परसेंट कम हो गयी। इसमें महिलाओं की हालत तो सबसे ज्यादा बदतर है, स्वरोजगार में लगी महिलाओं की मजदूरी जो 4338 रुपये थी, वह घटकर के 2950 रह गई। यानी कि 32 परसेंट गिरावट आई है। अब बताइए, वह कैसे अपना घर पालेगी? कैसे बच्चों को पालेगी? कैसे उसका जीवन व्यतीत कर पाएगी वो? हालत ये है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करो तो भारत सरकार ने 10 सालों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 100 परसेंट बढ़ा दी और डीजल पर 343 परसेंट बढ़ा दी। ट्रांसपोर्ट महंगा नहीं होगा क्या? जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो किराया भी महंगा होगा, हर सामान महंगा होगा। फूड इंफ्लेशन 9.10 परसेंट की दर से बढ़ी है। मजदूरी और इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई।

आदमी के भोजन की थाली पर महंगाई की वो मार पड़ी है कि खाने की चीजें भी उसको नसीब नहीं हो पा रही हैं। जितना वह आज से पहले, 5-7 साल पहले खाता था, उतना नहीं खा पा रहा। वे चीजें थाली से गायब हो गईं।

आप पांचवीं अर्थव्यवस्था का ढोल पीटते है। आप चांद पर पहुंच जाओ ना, कौन मना कर रहा है? अगर महंगाई और बेरोजगारी, आर्थिक तंगी से इस देश की जनता त्रस्त है, तो लानत है आपकी इस डबल इंजन सरकार पर, लानत है, मैं हवा हवाई वादों के लिए आपको लानत भेजता हूं।

सभापति महोदय, देश के 55 परसेंट किसानों की बात कर रहा हूं। 55 परसेंट किसानों में प्रत्येक किसान पर 1 लाख रुपये या उससे अधिक का कर्जा है, 2014 से 2023 के बीच। देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, लाखों। पूंजीपतियों के साढ़े 16 लाख करोड़ रुपये इस सरकार ने माफ किए, लेकिन किसी किसान का पैसा माफ़ नहीं किया। किसान के कर्जे का एक पैसा माफ नहीं किया। किसान फंसता जा रहा है, केसीसी का एनपीए बढ़ता जा रहा है। मादक पदार्थों और ड्रग्स का कारोबार पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहा है। मस्क के राकेट से भी तेज चल रहा है। पहले तो आपने उड़ता हुआ पंजाब देखा होगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विकास-विकास चल रहा है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): विराजो, विराजो। पहले तो उड़ता हुआ पंजाब देखा होगा आपने, अब उड़ता हुआ राजस्थान भी देख लेना। गैंगस्टर आए दिन धमकियां देते रहते हैं।

अब मैं दो बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा और अपना भाषण खत्म कर दूंगा। मैंने दोनों में प्रश्न लगाए थे। मुझे प्रश्न का जवाब क्या दिया। आपका वार्षिक प्रतिवेदन क्या लिखता है और आपकी आर्थिक समीक्षा की किताब क्या लिखती है, वह बताना चाहता हूं।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट विधान सभा में रखी गई। उसके पेज 17 पर, 2024-25 में 82 हजार 205 व्यक्तिगत शौचालय बनाने का लक्ष्य था। उसके अगेंस्ट में वास्तिवक उपलब्धि जो रही, आपने सिर्फ 26 हजार 436 व्यक्तिगत शौचालय बनाये, लेकिन मुझे जो जवाब दिया मेरे सवाल पर, मुझे जो जवाब दिया उसमें आपने बता दिया कि 1 लाख 31 हजार 354 शौचालय बना दिये, कहां हैं भाई? कहां बना दिये? ये जो किताबें हैं, ये किताबें लाया हूं, मैं इसलिए लाया हूं। ये देखो आप।

Bhs/Rtm/12.03.25/14.40/2g

यह वार्षिक प्रतिवेदन है और यह आर्थिक समीक्षा है। क्या लिखते हो? इसका मतलब यह है कि या तो मंत्री असत्य बोलता और या यह किताबें असत्य हैं। इसी प्रकार सामुदायिक शौचालय आप ने बताया कि 2002 बना दिये रिपोर्ट में बताया कि 344 सामुदायिक शौचालय बने हैं। रिपोर्ट कहती है आपकी 344 ही बने हैं और आप कहते हो कि साहब, 2002 बना दिये। कितने गांवों को खुले शौच से मुक्त किया है, इसका तो जवाब ही नहीं दिया और 1,31,354 शौचालय बनाना बता रहे हो तो इस पर कितना खर्चा हुआ है, यह बता दो। बजट तो आपने 100 करोड़ रुपये का, 100 करोड़ में से सिर्फ 74 करोड़ रुपये ही ट्रांसफर किया है। 74 करोड़ रुपये में आपने 1,31,354 शौचालय बना दिये। शाबाश! बहुत बढ़िया चल रही है सरकार।

दूसरा सवाल, सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... सांप्रदायिक सद्भाव ...(व्यवधान)... मेरा अन्त में यह है कि अन्नपूर्णा रसोई के बारे में आपने 9 करोड़ 21 लाख थालियों के लिए 250 रुपये करोड़ का प्रावधान बजट घोषणा 2024-25 में किया। कितनी थालियों का? 9 करोड़ 21 लाख और 250 करोड़ रुपये 2024-25 के बजट में किया आपने। स्वायत्त शासन विभाग की रिपोर्ट कहती है पेज 41 पर बताया कि 2024 तक 23 करोड़ 3 लाख 39 हजार 784 थालियां उपलब्ध करा दी गईं। शाबाश! वाह- वाह, वाह-वाह।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त कीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): वाह, लक्ष्य तो था आपका 3 करोड़ 21 लाख बजट था 250 और करवा कितनी दी आपने? 23 करोड़ 3 लाख 39 हजार 784 मान्यवर, एक थाली पर 22 रुपये लगते हैं सरकार के। इस हिसाब से तो नौ महीने में 506 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, अभी तो तीन महीने बाकी हैं।

श्री सभापतिः प्लीज़ सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अभी तीन महीने बाकी हैं जब आपको पता है की 23 करोड़ लोग इस साल भोजन कर चुके हैं, अगर आप इस बात को कहते हैं कि 23 करोड़ लोगों को अपना भोजन करा दिया तो फिर घटाकर के भाई इस बार 9 करोड़ क्यों रख दिया?

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): क्या भूखे मारोगे क्या लोगों को? शाबाश! इसीलिए, सभापति महोदय, मैंने शुरू-शुरू में जो बात आपसे कही थी, वह यह थी कि मुझे बहुत दुख है इस बजट को देखते हुए और इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि यह सरकार डबल इंजन की जो बात करते हैं न, तो यह इंजन तो आपका कंपलीट फेल है और रहा-सहा जो वह इंजन चल रहा है उसके सहारे-सहारे हो।

श्री सभापतिः श्री अतुल भंसाली जी। अंकित नहीं होगा। हो गया। हो गई आपकी बात हो गई पूरी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान वित्त विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस सदन में ...(व्यवधान)... हम सब ने 19 फरवरी का एक स्वर्णिम अवसर देखा जब हमारी डबल इंजन सरकार माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में और माननीय उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ने एक स्वर्णिम बजट और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान की ओर बढ़ाने के लिए एक और कदम दूसरा कदम इस 16वीं विधान सभा का रखा। मैं उसके लिए कविता रखना चाहूंगा,

'युवाओं को समर्पित बजट में सपनों को पंख,
रोजगार की गारंटी, प्रतिभा को कुशलता,
स्वरोजगार को पोषण मिला है।
आस्था को सम्बल, महिलाओं को शक्ति,
वृद्धों को सम्मान, विरासत को संरक्षण मिला है।
अपराधियों को भय, नकल पर नकेल,
आमजन को सुरक्षा का कवच मिला है।
इस बजट में योजनाबद्ध विकास,
कुशल वित्तीय प्रबंधन से समाज के
हर वर्ग को संतुष्टि का उपहार मिला है।'

माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक माननीय धारीवाल जी वित्तीय प्रबंधन की, वित्तीय कुशलता की और उससे पहले आदरणीय बोहरा जी ने इतने बड़े आंकड़े पेश किए और जब बजट पर अपना अभिभाषण दिया, पर वह जीरो टू हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और जब बात सुनने का मौका आया तो उस समय भी वह सदन छोड़कर चले गये थे

और अभी भी वह सदन के जस्ट बाहर जा रहे हैं। आदमी जब बोलता है, सदन में बहुत प्रामाणिकता के साथ बोलता है और जिस तरह से माननीय धारीवाल जी ने अपनी पिछली सरकार की खूबियां गिनाईं और उन्होंने बोला, हवा में हमारा बजट बन गया, हवा में आंकड़े आ गये, पैसे कहां से आएंगे, बजट कहां से आएंगा, खर्च कहां करेंगे, कैसे खर्च करेंगे? मैं उसके ऊपर उनको थोड़ा-सा उदाहरण देता हूं। मैं उस जोधपुर से आता हूं जहां के सम्माननीय आपके विधायक सरदारपुरा से आदरणीय अशोक जी गहलोत जिनको आप जादूगर कहते हैं वह तीन बार इस सदन में राजस्थान के मुख्य मंत्री के रूप में बैठे हैं और उन्हीं की नाक के नीचे और आप जब स्वयं शासन मंत्री थे आपकी नाक के नीचे हमारे जोधपुर विकास प्राधिकरण में सैकड़ों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ और 2013 से 2018 की सरकार के अंदर उसकी जांच हुई और तत्कालीन अध्यक्ष उस समय जेल में गये। जल जीवन मिशन उसको आपने जन जीमण मिशन बना दिया और पूरे राजस्थान के अंदर 2018 से लेकर 2023 के बीच में रूडिप के जितने भी काम हुए लगभग सभी कामों में घोटालों से भरपूर हुआ और हमारे जोधपुर में भी जांच रिपोर्ट में निकला है कि 32 करोड़ रुपये का घोटाला माननीय मुख्य मंत्री के ऑफिस से फ़ोन कर कर तत्कालीन कलेक्टर और अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के अवांछनीय तरीके से वह काम शिफ्ट किये गये और उस शिफ्टिंग काम से 32 करोड़ के सिर्फ बिल उठे और वह घोटाले हुए। यह तथ्यात्मक रिपोर्ट है और वह रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, यह क्या बोल रहे हैं, एक्सपंज कराइये यह। आप कोई नोटिस देकर के बात करें। नोटिस दिलवाइये आप। जवाब देंगे मुख्य मंत्री। एक्सपंज कराइये यह सब आप। नहीं-नहीं, इस तरह से नहीं।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): यह हकीकत है और आपकी रिपोर्ट आयी है। मैं सरकारी रिकार्ड का हवाला देकर बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य, नाम लेकर के...(व्यवधान)... आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान)... एक्सपंज कराइये इसको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पारीक साहब, आपके सामने जो अभी आरोप लगा रहे थे, वह कुछ नहीं है? ...(व्यवधान)...सभापति महोदय, आप एक्सपंज करो तो उनको भी करो, दोनों को करो फिर। ...(व्यवधान)...

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): मैं सरकारी रिपोर्ट का हवाला देकर बोल रहा हूं ...(व्यवधान)... मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, इसकी रिपोर्ट आयी हुई ...(व्यवधान)... और माननीय धारीवाल जी ने बात की फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तो 2022-23 का जो कांग्रेस सरकार का बजट था और 2023-24 का जो अनुमानित बजट था, आप अपने खुद के गिरेबान में झांककर देखिये कि 2023 में जो कि चुनावी साल था और वह गुलाबी पोस्टर और गुलाबी अखबार से पूरा राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान भरा हुआ था और आपने फ्री की घोषणाओं का अंबार लगा दिया। फ्री मोबाइल, फ्री यह, फ्री अनाज और उसका भार किसके

ऊपर बढ़ा? आप 1 रुपया चुका कर गये नहीं, दूसरे मद के खाते इन फ्री के गिफ्ट के अंदर बांट दिये और 2024 से 2025 तक आज तक राजस्थान उसको झेल रहा है।

सभापति महोदय, आप बात करते हो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, उस समय आपका क्या मुंह बन्द था? क्या आपकी सरकार ने आपकी सुनी नहीं थी? आपकी और बोहरा जी की जो इतने फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन रहे हैं? मैं आपको उसके बाद बताता हूं, आप जो तथ्यात्मक बात कहते हैं मैं और बोलता हूं।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): परिसम्पत्तियां बनायी हैं।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): काहे की बनायी? मोबाइल से? मोबाइल परिसंपत्तियां थी?

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): आपने जो फ्री मोबाइल बांटे क्या वह परिसंपत्तियां थीं क्या? अब मैं आपको बताता हूं एक एग्जीक्यूटिव समरी जो 2024-25 और 2025-26 के बजट के बाद में जो डबल इंजन की भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार है उसने जो 2 साल का बजट दिया, उससे जो पूरी दुनिया में एक परिदृश्य बना, उसकी एग्जीक्यूटिव समरी किताबों में, लेखनों में, टीवी में, अखबार में आयी उसकी मैं आपको सुनाता हूं -

This document provides a detailed comparative analysis between the Congress-led Rajasthan budget 2019-20 to 2023 and BJP-led Rajasthan budget for 2024-25 to 2026, highlighting the substantial fiscal and developmental improvement under BJP governance. The analysis underscores the contrasting approaches taken by both governments across key areas such as fiscal discipline, infrastructure development, welfare efficiency, revenue mobilization, employment and green governance.

The Congress budget of 2019-20 reflected significant fiscal mismanagement, with a fiscal deficit exceeding the FRBM limit and an unsustainable debt-to-GSDP ratio. Revenue shortfalls and underutilized capital outlays were evident, hindering the state's progress. Welfare programs, including social security and healthcare, faced delays and inefficiencies, exacerbated by weak tax compliance and poor governance. Additionally, Congress's focus on populist schemes, such as subsidy-driven expenditures, impeded long-term growth and development.

Kas/Rtm/12.03.2025/14.50/2h

जिसकी आप बात कर रहे थे कि हमने परिसंपत्तियां बनाईं, कहां बनाईं? अब मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दो बजट के बारे में क्या लिखा है – In contrast, the BJP's 2024-25 budget emphasizes fiscal consolidation, with a reduced fiscal deficit and a sharp focus on infrastructure development. The government has prioritized capital expenditure, increasing allocations for roads, metro expansions, and rural water infrastructure, along with a notable rise in job creation through strategic policies. The BJP's use of technology-driven governance, including digitization of welfare schemes,

AI audits, and GIS mapping for revenue collection, has minimized leakages, ensuring more effective delivery of services. Furthermore, BJP's commitment to sustainability through a green budget, renewable energy initiatives, and a focus on skill development reflects a forward-looking approach, positioning Rajasthan as a model for sustainable growth.

The BJP's emphasis on structural reforms over populist measures is a marked shift from Congress's approach, allowing the state to make significant strides in economic growth, employment generation, and infrastructure development. Key achievements include Rajasthan's ranking as the top state for ease of doing business in 2024 (No. 1 State in India), and a strong GSDP growth rate of 17 per cent in 2024-25, outpacing Congress's 11.2 per cent in 2019-20. जो उनका पहला साल था और हमारा पहला साल है।

In conclusion, the BJP's budget for 2024-25 showcases a comprehensive strategy for long-term economic stability, growth, and governance, offering a stark contrast to Congress's populist and inefficient policies. Through targeted investments, technological innovations, and sustainable practices, the BJP has transformed Rajasthan's fiscal and developmental trajectory, positioning the state for future prosperity. एक भविष्य का राजस्थान, भविष्य का भारत हम क्यों कहते हैं? हमने इसीलिए राइजिंग राजस्थान किया है। 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिये रोहित बौहरा जी ने कहा कि आपने बजट बनाया 27 हजार करोड़ का और प्रोविजन किया 100 करोड़ का। किसी में बजट बनाया 300 करोड़ का, प्रोविजन किया 5 करोड़ का। किसी के लिये बजट बनाया 1 हजार करोड़ का और प्रोविजन किया पहले साल में 50-50 करोड़ का। रोहित जी और जितने भी यहां सदस्य हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस विधान सभा का जब यह भवन बना होगा, इस विधान सभा के भवन की जब प्लानिंग बनी होगी, हो सकता है इसका 500 करोड़ का बजट बना होगा। जब माननीय भैरोंसिंह जी ने प्रोजेक्ट को कंसीव किया और उसकी पूरी प्रोजेक्ट डिटेल बनाई होगी, इसके पूरे डाकूमेंट बने होंगे, योजना बनी होगी, उसका बजट भी निकला होगा, उसके बाद सबसे पहले उसके लिये प्रोविजनिंग की होगी, नक्शा कौन बनायेगा, उसकी परमिशन के कितने पैसे लगेंगे, लैंड डवलपमेंट के कितने पैसे लगेंगे, फिर प्लानिंग के लगेंगे, स्ट्रक्चर के लगेंगे, फर्नीचर के लगेंगे, एसी के लगेंगे और फिर अन्य सुविधाओं के लगेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने पहले ही दिन 105 हो या 70 करोड़ रुपये भर कर यहां लाकर रख दिये कि बिल्डिंग बना दो, अब आप जानो और आपका काम।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भी सम्मानित सदस्यों को कहना चाहूंगा कि भविष्य का निर्माण बातों से नहीं होता है और जादूगर की छड़ी से तो कतई नहीं होता। कुछ नहीं किया उन्होंने, पहले दो साल होटलों में निकाल दिये, उसके बाद सरकार अस्थिर हो गई, उनके सारे एमएलएज को मुख्य मंत्री बना दिया। मैं तो जोधपुर में भुगत भोगी था, सारे एमएलए उनकी वसूली की दुकान बन गये। सारे एमएलए अपने-अपने विधान

सभा क्षेत्र के मुख्य मंत्री बन गये। ऐसे प्रोग्रेस होती है, यह इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यह इनका फिस्कल मैनेजमेंट है?

माननीय धारीवाल को मैं याद दिलाता हूं कि माननीय धारीवाल जी ने कोटा पर इतना ध्यान दिया, जोधपुर का अशोक जी ने ध्यान रखा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उस समय के स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल जी के नेतृत्व में जिन्होंने कोटा को डवलप किया, जोधपुर में उन इंजीनियरों की पूरी टीम, इनके नगरीय विकास की पूरी टीम पांच दिन जोधपुर आकर रही। कोविड चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की हमारे शहर दक्षिण की मेयर के साथ मैं भी इनसे मिला था। इन्होंने बहुत बड़े सपने दिखाये कि माननीय अशोक जी ने कोटा जैसा जोधपुर बनाने का आदेश देकर हमको यहां भेजा है। इनकी कोई प्राइवेट एजेंसी थी, जिन्होंने वहां पर आर्किटेक्चर का और डिजाइनिंग का काम किया था, वो भी आये थे। 7-8 दिन वो सब लोग जोधपुर के ताज हरि महल पैलेस में रुके थे। कोविड का टाइम था, सुरक्षा बहुत जरूरी थी। चाहे ये मिनिट्स निकाल कर देख लें, इनकी अंतरआत्मा इनको बतायेगी कि वो 7 दिन की विजिट, अशोक जी का आदेश पूरा का पूरा नाथी के बाड़े में चला गया। एक भी काम उस विजिट का पूरा नहीं हुआ और जोधपुर जैसा पहले था, ऐसा ही आज है। मैं चैलेंज देता हूं, आप मेरे साथ जोधपुर की विजिट कर लो, मैं आपको बता दूंगा। आप बोलते बहुत अच्छा हो, पर कब? आपका ज्ञान बहुत अच्छा होता है, कब? माननीय रोहित बौहरा को केवल यह ज्ञान कब आता है? जब वो विपक्ष में बैठे होते हैं, तब यह सब ज्ञान आपको याद आता है। यह ज्ञान आप जब पक्ष में रहते हो, तब याद नहीं आता है, क्योंकि उस समय आपकी बोलती बंद होती है। यह था जवाब आपका कि आपने प्रोविजनिंग कम क्यों की और बजट ज्यादा क्यों बनाया। बजट हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि हमने एक नये भारत का, एक नये राजस्थान का, विकसित राजस्थान का सपना देखा है और उस सपने को कैसे बुनेंगे, उसकी रूपरेखा और नींव रखी है और नींव रखने में, डिजाइन करने में और चालू करने में जितने रुपये चाहिये, हम मितव्ययता को जानते हैं, हमको मालूम है फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, यह देखते हुए बजट में हमने प्रोविजनिंग की है।

मैं दूसरी बात करता हूं। आप बोलते हो कि हमने युवाओं का ध्यान रखा, युवाओं पर कुठाराघात हुआ। इन युवाओं के बारे में आपने सोचा कब? इन युवाओं के बारे में पूरे पांच साल तक आपने सोचा नहीं, यह सोचा भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, चाहे आईटीआई के माध्यम से, स्किल डवलपमेंट के माध्यम से, युवाओं को ट्रेंड करने के माध्यम से, किस-किस क्षेत्र में रोजगार बढ़ सकता है, उन क्षेत्रों की पहचान करके अटल इनोवेशन सेंटर, स्किल डवलपमेंट सेंटर, आईटीआई के माध्यम से इस बजट में प्रोविजन किया है कि जो युवा रोजगार के लिये भटक रहे हैं, उनको स्किल मिले और उनकी स्किल देखते हुए प्राइवेट और गवर्नमेंट में ... धारीवाल जी, दो मिनट और सुन लो मेरी बात। आप का ही बच्चा हूं, सुनोगे तो अच्छा लगेगा। ....(व्यवधान).... मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ज्ञान आपको यहीं आया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, यहां केवल एक रीटा जी बहन बैठी हैं, पूरी कि पूरी कांग्रेस यहां से वॉकआउट करके जा चुकी है। धारीवाल साहब, आप तो विराज जाओ, आप तो कम से कम हमारे सीनियर हो।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): मैं फिस्कल डवलपमेंट पर बोलूंगा। बजट घाटा कम करना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है और उससे भी बढ़िया हॉयर कैपक्स और आधारभूत ढांचे को बजट बढ़ाने के बाद भी हमने घाटे को कंट्रोल रखा है, यह रोहित बौहरा जी का आंसर है।

दूसरा, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एआई का उपयोग करते हुए हमने कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन को रखा है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके, यह हमारी ट्रांसपेरेंसी की एक विशेषता है।

Msk/rtm/12.03.25/1500/2j

उसके बाद ग्रीन बजट के द्वारा, स्किल डवलपमेंट के द्वारा, हमने युवाओं को रोजगार के लिए सवा लाख की सरकारी गारंटी दी और डेढ़ लाख की प्राइवेट नौकरी की गारंटी का काम हमने किया है। सपनों की जादूगर सरकार, जिसने पेपर लीक में कुठाराघात किया, हमने वापस युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, उनको संबल देने के लिए हम काम कर रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री अतुल भंसाली (जोधपुर): अंत में मैं कहना चाहूंगा, इस बजट का संकल्प है, आगे बढ़े राजस्थान, विकसित बने राजस्थान, विकसित राजस्थान अभियान में हर परिवार को घर, हर घर को नल, वृद्धजनों को आशीर्वाद, नारी शक्ति का सक्रिय साथ, हर युवा को कौशल, पात्र को रोजगार, रोजगार सृजन को पूंजी, सौर ऊर्जा को सिरमौरता, पेयजल को आत्मनिर्भरता, कृषि से समृद्धि, आस्था से संबल, मंत्रगान है। लक्ष्य है, विकसित भारत में विकसित राजस्थान का, सिरमौर योगदान का, विकसित राजस्थान, श्रेष्ठ राजस्थान, आत्मनिर्भर राजस्थान और जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री हरि मोहन शर्मा जी। प्लीज सदस्य 4:00 बजे नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, आपको 10 मिनट दिया है, 10 मिनट में आपकी महत्वपूर्ण बात रख दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): जितना भी समय दिया कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं मौजूदा सभी विधायकों को होली की बधाई दूं और ये भरोसा करूं कि जो मधुर वातावरण अब तक चला आ रहा है, उसको कटुता में आप बदलने का प्रयास न करेंगे, उसके लिए आपका अग्रिम आभार व्यक्त कर दूं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): समय सात मिनट दिखा रहा है।

श्री सभापति: प्लीज, यह समय सही करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मान्यवर, लंबी-चौड़ी बात करने का तो समय नहीं है, क्योंकि

बोलते ही फिर कहेंगे, बैठ जाओ। मैं दो चीज..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कांग्रेस का समय खराब चल रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैंने घड़ी का टाइम नोट कर दिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आपका 2024-25 का जो बजट था, उसके दो उदाहरण पेश कर रहा हूं। एक उदाहरण तो है कि आपने 2024-25 के बजट में प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल आवश्यकता अनुसार विधान सभा क्षेत्रों में दो वर्षों में, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, दो वर्षों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवैल देने की घोषणा की। 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवैल 200 विधान सभा क्षेत्रों में। हर वर्ष 2 हजार ट्यूबवेल और 4 हजार हैंडपंप। 4 हजार हैंडपंप को तो छोड़ो आप? दो हजार ट्यूबवेल को भी छोड़ो, महाराज। आपसे 10 ट्यूबवेल भी नहीं लगे। मैं पूरे राजस्थान की बात कह रहा हूं। अब आप बीच में मत बोलो। मेरे 5 मिनट तो यों ही खो गये। आपने यह घोषणा की और अब वर्तमान में 2025-26 के बजट में आपने कहा कि 1 हजार ट्यूबवेल और 15 सौ हैंडपंप लगायेंगे। आपने पहले जो घोषणाएं की हैं, आप कहेंगे कि नहीं, हमने तो पांच-पांच, इसको पढ़ लेना। पढ़ने में अर्थ यही है कि हर साल ये लगेंगे, तो ये आपने काम किया?

माननीय ऊर्जा मंत्री जी विराज रहे हैं। 2024-25 के बजट में माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपने कहा था 2 साल में 2 लाख 8 हजार घरेलू कनेक्शन देंगे। बजट में यही लिख रखा है। आप हां, 2025-26 में 2 साल में 2 लाख 8 हजार देने की बात करने वाले, वे तो पूरे ही नहीं किये और 2025-26 में कहते हैं कि हम तो 5 लाख देंगे।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अभी दो साल कहां हुए?

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 2 लाख 8 हजार दो साल में। यह मैं पढ़कर सुना दूं। लिखा हुआ है, पढ़ लो। इसको पढ़ लो या मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक साल हुआ है साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप क्या हैं? क्या आप ऊर्जा मंत्री हैं?

श्री सभापति: प्लीज, आपस में न उलझें। प्लीज सदस्य, आसन को संबोधित कीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सर, मैंने ये दो छोटे-छोटे उदाहरण दिये हैं। आइये, आप राजस्थान में विकास करना चाहते हैं? विकास करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान का वातावरण भी शांत रखना पड़ेगा। मुख्य मंत्री जी जिस विचार से राजस्थान को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन आपके विधायक ही, पूरे राजस्थान के गिनती के विधायक वातावरण बिगाड़ कर वैमनस्यता पैदा करके अशांति पैदा करना चाहते हैं तो कहां विकास होगा? मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि विकसित राजस्थान के लिए शांत वातावरण चाहिए, सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहिए, हल्की भाषा का प्रयोग नहीं चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम, आपके निर्देशों की पालना आपके विधायक करा लें, ताकि राजस्थान में शांति बनी रहे। ये अशांति पैदा का करने का काम नहीं करें।

राइज़िंग राजस्थान की बात आ गयी? आपने हमने शाइनिंग इंडिया भी देखा? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। बड़े-बड़े बोर्ड थे। सारे हिंदुस्तान में चुनाव का समय था। चुनाव के समय में शाइनिंग इंडिया चल रहा था और रिजल्ट क्या आया? साफ। यह जो राइजिंग राजस्थान है, यह राइजिंग राजस्थान प्रचार के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। चाहते हम भी हैं, विकास हो, लेकिन 35 लाख करोड़ का आपका एम ओ यू जब धरातल पर आयेगा, प्रोसेस में आयेगा, उस पर इतना भारी खर्च किया जा रहा है, गजब का है। पूरे 1 साल में आप बजट प्रावधान के हिसाब से धरातल पर कुछ नहीं कर पाये। माननीय मुख्य मंत्री जी, ये कह रहे हैं कि जादूगर। माननीय मुख्य मंत्री जी कम जादूगर नहीं हैं। कोई खर्चा नहीं, लेकिन जिधर देखो, जिधर राइजिंग राजस्थान। चाहे दुनिया के देशों में देखो, चाहे हिंदुस्तान में देखो और चाहे यहां देखो। चाहे यहां बुलाकर जो कार्यक्रम चार-चार हजार रुपये की थाली का किया, उसको देखो, जनता में तो भ्रम तो पैदा हो गया कि राजस्थान तो बड़ी चीज है। आपने बहुत अक्ल के साथ अपनी अकर्मण्यता को उसमें छिपा लिया, इसके लिए आपको मैं हृदय की गहराई से बधाई देना चाहता हूं।

इसके साथ ही, आप देखिये, मैं यह नहीं करना चाहता हूं कि जो बजट आपने पास किया, उसको आप किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं? ये सोच समझ कर, यह जो सरकारी संपत्ति है, इसके आप और हम ट्रस्टी हैं। हम इसको बेशुमार बेतरतीब से अपनी निजी लाभ के लिए, पार्टी के लाभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए, अगर हम इस सरकारी संपत्ति को बेरहमी से लुटा देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यह आपने किया था।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आप ये देखिये, आपने 100 करोड़। माननीय सभापति जी, गये थे क्या, जो फिल्म इंडस्ट्री का अभी चला था? 100 करोड़ रुपये बर्बाद किये हैं। सारे अखबार आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे ही पैसे की बर्बादी आप न करें। न आप जा सके, न देख सके और न कुछ, 100 करोड़ का बजट, 100 करोड़ खर्च कर दिये। ऐसे बर्बाद नहीं करें।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, मुझे अपेक्षा है कि जिस परिवार से, जिस साधारण परिवार से वे यहां आये हैं, यह राजस्थान का एक इतिहास है, चाहे इसमें हमारे जय नारायण व्यास बने हों, टीकाराम जी पालीवाल बने हों, चाहे सुखाड़िया साहब बने हों, चाहे हरिदेव जोशी बने हों, चाहे माथुर साहब बने हों, चाहे पहाड़िया साहब बने हों, चाहे अशोक जी गहलोत बने हों, सब गरीब परिवारों के थे। कोई भी धनपति नहीं था, केवल मात्र वसुंधरा जी संपन्न परिवार की थीं। उसके बाद एक गरीब परिवार का आदमी मुख्य मंत्री बना। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को यह संदेश..

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): तो फिर तो अधूरा रह जायेगा।

श्री सभापति: आपके पूरे 10 मिनट हो गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देने के लिए दो लाइन बोल लेने दें।

श्री सभापति: धन्यवाद दे दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मान्यवर जो गरीबी से ऊपर उठता है न? राजस्थान के लोग उसको एक अच्छी दिशा से देखते हैं। उनके मन में भाव होता है कि एक अच्छा, गरीबी से उठने वाला हमारी रक्षा करेगा, हमको विकास देगा।

mdp/rtm/12.03.25/15:10/2k

हमारे साथ सद्भावना रखेगा। मैं उनको एक विनम्र सलाह देना चाहता हूं। वैसे हमारे सदन के नेता हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से कभी-कभी मुझे भ्रम हो जाता है कि....

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा। प्लीज, विराजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): पूरा तो बोलने दीजिए। सेन्टेंस ही नहीं..

श्री सभापति: मैंने आपको पहले ही कहा था दस मिनट है आपके। दस मिनट हो गये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आपने मुझे..

श्री सभापति: आपके भी दस मिनट है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बीस लिखे हैं, चार बजे बोलेंगे विपक्ष के नेता।

श्री सभापति: वह वापस चैंज हो गये हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यह क्या बात हुई? ऐसे मत कीजिए, अन्याय मत करो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बात नहीं। आप भी यहां बैठते हैं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): ये देखिए आप ...(व्यवधान)... 15 मिनट बोले आप।

श्री सभापति: हो गया, हो गया। आप बोलिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका आभार।

माननीय सभापति महोदय, हमारे दो बजट अभी तक पारित हुए। प्रथम बजट 2024-25 का बजट और यह वर्तमान का बजट राजस्थान के यशस्वी जनहितार्थ मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा और हमारी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा, ये दोनों ही बजट राजस्थान के समग्र और सर्वांगीण विकास हेतु, ये बजट राजस्थान के लोगों के हित के लिए, विकास के लिए दिए गए।

पहला बजट 2024 को जब दिया गया तो माननीय दिया कुमारी जी ने सरकार के पहले ही बजट में जो अपार घोषणाएं कीं और उन बंपर घोषणाओं को देखकर ये लोग बहुत चकित हो गए, अचरज में आ गए कि पहले बजट में इतनी बम्पर घोषणाएं, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो 2022-23 का जो अन्तिम सत्र का बजट था, चुनाव से पूर्व वाला बजट, उसमें ऐसी घोषणाएं की थी। हमें तो सिर्फ लोगों को दिखाना था, इसलिए हमने घोषणाएं की थी। अब ये कैसे पूरा करेंगे? लेकिन अब इनके दिल से पूछो, ये यहाँ बैठे हुए हैं, वास्तव

में यदि बजट पर संकल्पबद्धता के साथ काम हुआ है, सालभर के अंदर तो निश्चित रूप से यह अचरज से हमारी ओर देख रहे हैं और यहां सदन में चाहे कुछ भी बोलते हो, लेकिन इनको धरातल पर जब हमारी घोषणाएं सारी क्रियान्वित होती हुई नजर आती हैं तो ये हमें शाबाशी भी देते हैं, मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा भी करते हैं।

सभापति महोदय, हमने घोषणा पत्र के 58 परसेंट और बजट घोषणाओं के 73 परसेंट वादों को पूर्ण कर यह सिद्ध किया है कि हमारी कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। सभापति महोदय, यहां पर बताना जरूरी हो जाता है कि 2018 से 2023 तक, पांच वर्ष में इन्होंने जो बजट घोषणाएं की थीं, उनका हश्र क्या हुआ? हम भी जानते हैं, प्रदेश भी जानता है और सारे लोग जानते हैं कि इनके खाने के दांत अलग हैं और इनके दिखाने के दांत अलग हैं। यहां खड़े होकर जो यह अपने राग अलाप रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? कितनी वास्तविकता है? ये तो आपका जमीर जानता है। परंतु मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं आपके असली चेहरे से आपकी वास्तविकता से की आप करते क्या हैं और दिखाते क्या है, क्योंकि 5 साल भुगता है उन्होंने आपको?

आपने 2023 का चुनाव आते-आते नारा दिया 'पांच साल बेमिसाल' और आपके पांच साल बेमिसाल के इस नारे की राजस्थान की जनता ने हवा निकाल दी। आप को धूल चटाते हुए राजस्थान की आम आवाम ने आपको जिस तरीके का मैंडेट हमको मिला तो निश्चित रूप से आपको आपके आईने में उन्होंने आप की असली शकल दिखा दी कि आपने क्या किया राजस्थान वासियों के लिए? आपने पांच साल तक असत्य वादे, घोषणाएं करें, लोगों को भरमाने का प्रयास किया। चुनाव आते-आते आपने अंतिम बजट में ऐसी अपार घोषणाएं कर दीं जिनके न कोई सिर था, न पैर, न हाथ, सिर्फ घोषणाएं, घोषणाएं, सोचा, जादूगर की जादूगरी चल जाएगी। लेकिन लोग इस बार आपके झांसे में नहीं आए। आप लोगों को यह संदेश देना चाहते थे, राजस्थान की जनता को कि हमें जिता देंगे तो ये रेवड़ियां हम आपको बांटेंगे, लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है माननीय धारीवाल साहब, बार-बार नहीं चढ़ती है।

लोगों ने आपके सत्ता के गुरूर को धराशायी कर दिया। आप का जो अंतिम बजट था, आपकी विदाई से पूर्व, उसका क्या हाल था, यह मैं सदन में बताना चाहता हूं। ये गलत बात है कोटा वालों की सुनो आप दोनों। वर्ष 2022-23 में, माननीय धारीवाल साहब, 3 लाख 55 हजार 222 करोड़ 83 लाख 6 हजार की राशि खर्च करने की अनुमति आपने सदन में पारित कराई थी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): धारीवाल साहब, अपने साथी की सुनो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): तब आप केंद्र सरकार को लेकर बहुत परेशान थे, आपकी रातों की नींद हराम थी और वह तो अब भी है। अब माननीय भजन लाल जी की सरकार से आपकी नींद हराम है। जिस तरीके से आपने मतलब गालियां बकते हुए भी केंद्र सरकार से प्राप्त ग्रांट और केंद्रीय करों का वह हिस्सा जो केंद्र सरकार ने आपको प्रदत्त किया

था, वह आपके इस बजट का आधार था। रिज़र्व बैंक का लोन आपके बजट का आधार था। आपने कुछ भी नहीं किया। जो जितनी भी घोषणाएं कीं या तो केंद्र सरकार का हिस्सा या फिर रिज़र्व बैंक से लिए लोन, यह आपके बजट का, जो मैं बताना चाहता हूं और आपके सदन के नेता जी माननीय गहलोत साहब..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): विधायकों को बांध कर रख दिया और क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा और क्या? होटलों में रख दिया और क्या कर सकते थे?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): फाइव स्टार होटल घुमा दिया। आपके सदन के नेता माननीय गहलोत साहब, इन पांच सालों में मात्र पांच या सात बार इस सदन में आये होंगे। कितने गंभीर थे? वह आते थे या तो यह एप्रोप्रिएशन का बिल पारित कराने आते थे या वित्त मंत्री के रूप में बजट पढ़ने के लिए आते थे। इसके अलावा उनको कोई चिंता ही नहीं थी कि सदन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपने बढ़िया, मस्त, यह स्थिति थी, कोई गंभीरता नहीं है। 8 करोड़ जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं। सिर्फ कुछ दिन के कुछ दिन आये होंगे, गलत कह रहा हूं क्या साहब? वास्तव में वह नहीं आए।

आपके कुल बजट के कंसोलिडेटेड फंड 71 हजार करोड़ कंपोनेंट की आंतरिक राशि 71 हजार 387 करोड़ रुपये में से 28 हजार 838 करोड़ रुपये सिर्फ आपने ब्याज की अदायगी पर खर्च कर दिए थे। याद होना चाहिए आपको। आपके इस बजट के कंसोलिडेटेड फंड की कंपोनेंट राशि और दिए गए ब्याज की अदायगी की राशि का जो 1 लाख 1 हजार 618 करोड़ रुपये था, वह आपने ऋण के रूप में बर्बाद कर दिया। जनता जनार्दन को वह ब्याज का बोझ उनके कंधों पर डाल दिया। 2022-23 के आपके कुल बजट का 33 प्रतिशत कर्जे पर आधारित था और प्रदेश की जनता को वह कर्ज के रूप में आज भी अदा करना पड़ रहा है। लेकिन इधर आपने देखा होगा कि यह दो सत्र हुए, इन दोनों सत्रों में हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा, (समय-सूचक-घंटी) जब वह सदन की कार्यवाही से, यह क्या घंटियां बजाते हैं, बात तो चालू ही नहीं हुई।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सदन में आने का प्रयास करते हैं सभापति महोदय, और अगर नहीं भी आ पाते तो उनको हर विधायक ने क्या कहा है, क्या उसकी समस्या है, इसकी जानकारी रहती है और निश्चित रूप से वह जानते हैं कि यह सदन कितना आवश्यक है। कितनी गंभीरतापूर्वक यहां काम करना चाहिए और निश्चित रूप से वह सब बातों पर पूरी गंभीरता के साथ अपना निर्णय लेते हैं और इन सब बातों पर गंभीर रूप से विचार करते हैं।

मैं समझता हूँ कि यह भाव अगर आप लोगों के होता, यह भाव आप लोगों के मन में आया ही नहीं, सिर्फ सत्ता का सुख भोगो, लोग जिता दें तो विधायक बनकर अपना और अपने परिवार वालों का भला करो। यहां आकर गाली-गलौच करो, अपशब्द बोलो, हो-हल्ला मचाकर सदन की कार्यवाही को स्थगित करा दो, व्यवधान डाल दो, बाधित कर दो, ये काम, ये विधायक होने का फर्ज थोड़े ही है साहब? विधायक होने का फर्ज है कि राजस्थान

की हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको विधायक बनाकर यहां भेजा हम उनके लिए सार्थक बातों को यहां पर कह सके। कोई अच्छी चीजों को हम बता सकें, अच्छे सुझाव दे सकें, जिससे सरकार कोई ना कोई अच्छे निर्णय ले सकें। यह काम राजस्थान की जनता के प्रति हमारा भी दायित्व है और आपका भी दायित्व है।

Ans/rtm 15.20 2l 12.03.2025

पांच साल तक आपकी सरकार ने युवाओं को बरगलाया। रोजगार तो उनको दिया नहीं और 19 बार। आपकी कोई रोक नहीं। कानून व्यवस्था फेल। खेल, कानून व्यवस्था, तुष्टिकरण, सरकारी भर्ती के नाम पर बरगलाते रहे, महिलाओं को मोबाइल के नाम पर बरगलाया, किसानों को ऋण माफी के नाम पर बरगलाया। बहुत सारे हथकंडे आपने इन पांच सालों में किये, परन्तु किया धरा कुछ नहीं, सिर्फ अपने मुँह मियां मिट्ठू बनते रहे। हद तो तब हो गयी जब आपने बिना किसी तैयारी के 19 ज़िले घोषित कर दिए। आपने सोचा चुनाव आ रहे हैं, हमारे विधायक जीत जाएंगे, लेकिन अधिकांश आपके विधायक वहां से हार गए और आपके प्रत्याशियों को हार की माला पहनाई और विदा कर दिया।

हमारे प्रदेश की जी एस डी पी 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। पिछले साल की तुलना में 16.75 फीसदी बढ़ोतरी, हमारा लक्ष्य 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर उस क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है, जो प्रदेश के आय का स्रोत उत्पन्न कर सकता है। खनन के लिए प्रभावी नीति से अवैध खनन पर रोक लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अभी तो बहुत ज्यादा है। आपके पास बोलने वाले नहीं है।

श्री सभापतिः माननीय सुभाष जी गर्ग। समाप्त कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सुभाष जी, विराजो। दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। राजकोषीय हमारी जी एस डी पी का 4.25 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो एफ आर बी एम अधिनियम के तहत अनुमत सीमा में, हमने जनता पर करो का कोई बोझ नहीं डाला।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): एक सेकेंड, इनको एक जरूरी बात बता रहा हू। इसके बावजूद भी कुशल वित्तीय प्रबंधन से ...

श्री सभापतिः समाप्त कीजिये।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे..

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): देनदारी हमारी जी एस डी पी का..

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। पाइंट आफ इन्फार्मेशन। ललित जी यादव।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

सूचना

अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाओं का वितरण

श्री ललित यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अलवर के राजीव गाँधी सामान्य चिकित्सालय के अंदर आज की तारीख में, सुबह 11:00 बजे एक्सपाइरी डेट की दवाई वितरित हो रही है, जो मुख्य मंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत वह दवाई दी जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण परिवेश के लोग आते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं और उसकी डेट देख नहीं पाते हैं। मेरा सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दें। डबल इंजन की सरकार की हवा निकल रही है, इस पर ध्यान देने का काम करें, जिससे लोगों को राहत मिल सके।

श्री सभापति: श्री सुभाष जी गर्ग। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

राजस्थान विनियोग विधेयक, 2025 एवं राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 का पारण

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): पांच मिनट से पहले ही कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रत्येक सरकार जब सत्ता में आती है तो उसका लक्ष्य विकास करने का ही होता है। जब सरकार बदल जाती है तो भूमिकाएं चेंज हो जाती है और एक दूसरे को आरोपित करने की संस्कृति बढ़ती चली जाती है। विधायिका और कार्यपालिका, मैं बार-बार इस चीज को कहता रहा हूँ कि कार्यपालिका जो नीतियां सरकार बनाती हैं उनका क्रियान्वयन करती है और जो कमियां रहती हैं विधायिका उन मुद्दों को सदन में उठाते हैं और इसलिए उठाया जाता है कि इस कार्यपालिका कार्य में अपना सुधार करें और हमारा लक्ष्य है कि जनता का अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ कैसे पहुँचे।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगा, एक नोबेल प्राइज विनर के एक कोटेशन का मैं यहां उल्लेख करना चाह रहा हूँ कि विकास की शर्तें क्या है। उस विकास की शर्तों को अगर देखें, उन्होंने एक बुक लिखी है हाउ नेशन फेल। राष्ट्र क्यों फेल होते हैं, जो राष्ट्रों के ऊपर भी खरी उतरती है और राज्यों के ऊपर भी खरी उतरती है। उन्होंने कहा कि अब क्या है जनरली देश या राज्य उपभोक्ता बनने की राह पर चल पड़े है। We are becoming a consumer rather than a manufacturer or like an agriculture producer.

तो उनका यह कहना है कि हमें उपभोग की जगह निर्माणी क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा और कृषि क्षेत्र, इन दोनों में छलांग लगानी पड़ेगी, तब जाकर हम अपने विकास के लक्ष्य को पूरा करना कर पाएंगे। उन्होंने यह कहा इसलिए जो बेसिक कम्युनिटीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च एंड डवलपमेंट, सड़क, संचार जैसे अंतरसंस्थात्मक जो क्षेत्र हैं, उनमें सरकारी व्यय

बढ़ता रहना चाहिए। होता क्या है? हमने 1 लाख 60 हजार का बजट पास किया, पिछली बार की तुलना में 10 हजार करोड़ बढ़ा दिया। लेकिन अब रियल रेट देखिए, रियल ग्रोथ रेट क्या है? उसको अगर मनी-फ्लेशन को माइनस कर दिया जाए, अगर वह रेट मुश्किल से चार या पांच परसेंट आती है, जबकि उनका यह मानना हैं ...(व्यवधान)... वह हर सरकार में होता है, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूं।

मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट का शिक्षक होने के नाते उसकी बात कर रहा हूं, हम जब इस पक्ष में थे तो हमने भी यही कहा, आज आप हैं तो आप भी वही कर रहे हैं। लेकिन बेसिक शर्त क्या ह?, लक्ष्य क्या है? विकास करना। इसके लिए इन सेक्टर्स में जो ग्रोथ होनी चाहिए एक्सपेंडिचर की, वह ग्रोथ जनता की मांग के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, वहां के रहने वाले लोगों के अनुरूप ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है। हमारा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर चाहे वह लोक लुभावनी घोषणाएं हो, उन पर घटता चला जा रहा है, तो वह रेट बहुत कम आती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, आप पिछले 20 वर्षों का निकाल लीजिये, मैं पांच वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यू जस्ट 20 वर्षों का अध्ययन कर लीजिये, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा उस तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ा। रेवेन्यू रिसीट्स क्या कारण है, वह कम होती है? रिवाइज्ड एस्टीमेट एक्चुअल एक्सपेंडिचर और बजट एस्टीमेट में अंतर क्यों आता है, इसको हम चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? क्योंकि हम विधायिका के कर्तव्य को निभाना नहीं चाहते हैं। हम जब होते हैं तो हम अपनी वाहवाही करते हैं, आप हो तो अपनी वाहवाही करते हो। हमारा लक्ष्य क्या है? जनता के उस व्यक्ति को, जिसने हमें चुनकर भेजा है, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग यह कैसे मिले। आज भी कितने लोग अछूते रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, थार में जाइए, रेगिस्तान में जाइये, क्या स्थितियां हैं? ट्राइबल बेल्ट में जाइए, डूंगरपूर, बांसवाड़ा, उदयपुर जाइये, आप गांव में जाइये, पूर्वी राजस्थान में जाइये, तो इन चीजों के ऊपर हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, बोलना तो था लेकिन आपका आदेश है, मैं खत्म करता हूं। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि हमें इन मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है। राजनीति से ऊपर उठ कर हमें जो पब्लिक फाइनेंस के फिजिकल पैरामीटर्स है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, फाइनेशियल डिसिप्लिन हैं, उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापतिः रीटा जी चौधरी।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): सभापति महोदय, आपने वित्त और विनियोग विधेयक पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। सभापति महोदय, राज्य सरकार के संपूर्ण खजाने का मालिक, हकदार यह सदन होता है और सदन की बिना अनुमति के एक रुपया भी इधर से उधर नहीं होता है। यह भी तय है कि बहुमत सरकार के पास है, वह वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक भी पारित करवा लेगी और उनको अधिकार भी मिल जाएगा यह पैसा खर्च करने का।

सभापति महोदय, मेरे स्वर्गीय पिता श्री राम नारायण चौधरी जी कहते थे कि राजनीति में सदैव उच्च मूल्यों को बनाए रखना और मैं भी इस तरफ ध्यान देती हूं। शायद उनको कहीं ना कहीं लग गया था कि राजनीतिक जो मूल्य हैं उनमें गिरावट आ रही है। हमारे माननीय सत्तापक्ष के सदस्य यहां बैठे हैं, यह हम लोगों को विरोधी के रूप में नहीं लेकर शत्रु के रूप में लेते है। हम आपके शत्रु नहीं है। आपसे हमारा मतभेद हो सकता है, आपके विचार हमारे विचारों से नहीं मिलते, आपकी नीतियां हमारी नीतियों से नहीं मिलती है, आपकी योजनाएं, आपके कार्यक्रम हमसे नहीं मिलते हैं। सभापति महोदय, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने यहां बजट पढ़ा, उसके अंदर जिस तरीके से कांग्रेस, बीजेपी किया गया, जिस तरीके से बजट का एलोकेशन हुआ, मैं उसके खिलाफ हूं।

(समय : बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, हम राजस्व घाटे पर आते हैं। पिछले बजट में सरकार का राजस्व घाटा अनुमान था 25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रूपये, अब संशोधित अनुमान में यह घाटा 31 हजार 939 करोड़ 15 लाख पहुंचा। घाटा बढ़ने का प्रमुख कारण है कि हमें राजस्व प्राप्तियां नहीं हुई हैं। राजस्व व्यय ज्यादा हुआ और आय कम हुई है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए जो बजट में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है।

राजकोषीय घाटे पर आये तो अनुमान 70 हजार 9 करोड़ 47 लाख लगाया था, संशोधित अनुमान राजकोषीय घाटा 70 हजार 90 करोड़ 84 लाख का हुआ, जो एफ आर बी एम एक्ट राजस्थान 2005 में इस राजकोषीय घाटे को स्टेट जी डी पी के 3 प्रतिशत से कम लाने की गाइड लाइन जारी हुई थी।

VPS-RTM-12.03.2025-15.30-2m

पिछले बजट में आपका राजकोषीय घाटा 3.93 था, इस बजट में भी आपने 84,643 करोड़ 63 लाख के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है जो एस.जी.डी.पी. से 4.25 परसेंट है। यह एफ.आर.बी.एम. एक्ट, 2005 की सीमा के बराबर है, इसके बारे में भी कि कैसे हम इसको कम करेंगे, इस पर भी इस बजट में कहीं पर भी कोई बात नहीं आयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं असेट मोनेटाइजेशन पर आती हूं। अब राज्य की माली हालत बहुत ज्यादा खराब है। परिसम्पत्तियों को किराये पर देने की बात हो रही है जिससे वेतन और पेंशन का ही केवल भुगतान होगा और यह विषय एक चिंताजनक विषय है। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इस बजट में यह दावा किया है कि असेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से राजस्व जुटायेगी और मैं यह समझती हूं कि दो साल पहले केन्द्र की सरकार ने भी अपने बजट में इस तरीके का प्रावधान किया था और हम लोग भी लगभग उसके पीछे चल रहे हैं लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपने तो परिसम्पत्तियां तो बनायी नहीं, जो बनायी वह कांग्रेस सरकार ने बनाई। आप उनको गिरवी रख दोगे, आप

उनको प्राइवेट सेक्टर के अन्दर दे दोगे लेकिन उसका वैल्यूएशन कौन करेगा? उसमें करप्शन नहीं हो, इस पर भी कोई बात इस बजट के अन्दर, कोई प्रावधान नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे टाइम पर भी कर्जा लिया गया और उससे पहले भी सरकारें कर्जा लेती आयी हैं। फर्क इतना है कि हमने जो कर्जा लिया उसमें महंगाई से राहत देने के लिए लोगों की मदद की, हमने जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है, उसके अन्दर वह पैसा लगाया। आप तो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं तो आप यह बता दें कि आपको कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? आप कर्जा लेकर परिसम्पत्तियां गिरवी रखकर क्या दिखाना चाहते हैं? राजस्थान पर कर्ज बढ़कर सवा सात लाख करोड़ रुपये हो गये यानी, एक राजस्थानी के ऊपर एक लाख रुपये का कर्ज हो गया और इसके बारे में भी हमारे बजट के अन्दर किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं करा है। सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के साधन के ऊपर इस बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं करा है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार अपनी आय बढ़ाने के उपाय करती तो शायद राजस्व घाटा कम हो जाता, ऋण कम हो जाता। राजस्थान का युवा इतना टेलेंट है, माननीय सभापति महोदय, आप आई.टी. और बी.पी.ओ. की बात नहीं करते, उसकी सम्भावनाएं आप तलाशते नहीं हैं। जयपुर हब है इसका। हम बैंगलोर और गुडगांव की बात करते हैं लेकिन अगर जयपुर की तरफ इसका ध्यान दिया गया होता तो निश्चित तौर पर यहां पर यह इंडस्ट्रीज आतीं।

मोटे तौर पर इस बजट के अन्दर इनकम और ग्रोथ पर कम फोकस किया गया है। मेरे साथी रोहित ने बात की ग्रीन बजट की। माननीय सभापति महोदय, ग्रीन बजट सरकार पहली बार लेकर आयी और लाना भी चाहिए, हमें पर्यावरण के बारे में चिंतित भी होना चाहिए। सरकार ने 27,854 करोड़ रुपये का हरित बजट दिया। वह बजट ऊर्जा विभाग से थोड़ा लिया, थोड़ा कृषि विभाग से लिया, थोड़ा वन विभाग से लिया और उसको एक ग्रीन बजट का रूप दे दिया। 2020 के अन्दर भारत में बिहार पहला राज्य था जो ग्रीन बजट लेकर आया था और उसकी हालत ऐसी खराब हो गयी, उनको उस बजट के अन्दर कटौती करनी पड़ी, यह एक विचारणीय विषय है।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि सरकार को पर्यावरण को बचाने की दिशा में भी सोचना होगा। शायद ग्रीन बजट भी सरकार इसी दिशा में लेकर आयी है लेकिन ऐसा करने से पहले अगर हम बुनियादी ढांचा यहां पर तैयार कर लेते, बुनियादी साधन हम जुटा लेते तो अच्छा रहता। सपने देखने अच्छी बात है, सपने देखते हैं तो आसमान की तरफ सिर रहता है लेकिन पाँव हमारा जमीन पर होना जरूरी होता है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की नेचुरल फार्मिंग की आपने बात करी, ग्रीन बजट के अन्दर और एक बुनियादी बात है कि किसान प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को क्यों काम में लेगा? उसका तो प्रोडक्शन घटेगा। माननीय सभापति महोदय, अभी तो हम

एम.एस.पी. भी उनको पूरा नहीं दे पा रहे हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव हम लोगों को देना चाहिए था ताकि वह इस तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ वह अपना ध्यान बढ़ाये और पर्यावरण के ऊपर भी उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था।

श्री सभापतिः कंक्लूड करें।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): माननीय सभापति महोदय, बस मैं अपनी दो लाइन से बात खतम करूंगी। इस बजट को देखकर यही लगता है कि आपके पाँव जिस दिशा में पड़ रहे हैं उससे जनता को कोई खास उम्मीद नहीं है। मुईन अहसन जज्बी के एक शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी-

जब कश्ती साबित-ओ-सालिम थी
साहिल की तमन्ना किस को थी
अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर
साहिल की तमन्ना कौन करे?

माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सदस्य को मैंने अभी सुना। मैं अपनी बात श्रीरामजी से करना चाहूंगी। राम राज्य में अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी क्योंकि वहां व्यक्ति के विकास के लिए धनोपार्जन पर तो जोर था पर अर्थ पुरुषार्थ धर्मनिष्ठ हो, इसकी शर्त भी थी। वहां पर यह कहा गया था कि जो धन गरीब, दु:खियों और लाचारों पर खर्च नहीं होता, वह धन नष्ट हो जाता है इसलिए राम राज्य में प्रजा के कल्याण और विकास पर विशेष जोर था।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार भी इसी विचार पर काम करते हुए जो धन है, वह किस तरह से गरीब पर खर्च हो, गरीब की आय बढ़े और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी कैसे प्रथम पंक्ति में आये, इस पर जोर दिया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी का एकात्म मानववाद इसी पर आधारित है कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लेकर आये और प्रथम पंक्ति में लेकर आये।

अभी कांग्रेस के आने वाले माननीय साथियों ने ग्रीन बजट पर बहुत चर्चा की पर मैं यह बताना चाहूंगी कि पिछले कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो सदन के मुखिया थे, सदन के नेता थे माननीय अशोक गहलोतजी वे कृषि बजट लेकर आये थे और कृषि बजट में उन्होंने कितना खर्च किया? यदि हम यह देखें तो हमें यह पता पड़ेगा कि विभिन्न सेवाओं में पूंजीगत व्यय की स्थिति क्या है? सोशल सर्विसेज में जो बजट रखा गया था 2022-23 में, 2023-24 में उसका सिर्फ हमने 62 प्रतिशत ही खर्च किया। इसके अतिरिक्त आर्थिक सेवाओं के लिए जो बजट रखा गया, उसका 54.1 परसेंट ही खर्च हुआ और जनरल सर्विस में जो बजट रखा गया उसका 41.4 परसेंट और टोटल एक्सपेंडिचर 2022-23 की यदि मैं बात करूं

तो टोटल एक्सपेंडिचर 56.9 परसेंट था और इसी तरह से यदि 2023-24 की मैं बात करूं तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वह 70 परसेंट से भी कम था तो यह हमें यह दिखाता है कि आपकी मंशा कैसी है? हम किसी और पर तो दोषारोपण करते हैं लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो आप क्या करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा पर सब सदस्य बहुत जोर देते हैं कि राजस्थान को शिक्षित प्रदेश बनाना है और शिक्षा बहुत जरूरी है,...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः समाप्त करें, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): शिक्षा आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करती है लेकिन पिछली सरकार में जब मैं शिक्षा पर, यह जो सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत आता है, पूंजीगत व्यय की बात जब मैं करती हूं तो आप यह देखिये कि 2022-23 में ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बजट एस्टीमेट 1743 करोड़ रुपये था। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री रफीक पठान। रफीक भाई।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जो खर्च किया इन्होंने 59 परसेंट ही किया। ...(व्यवधान)... क्या हुआ, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पठान बना दिया। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः रफीक खान।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, क्या हुआ? आप बोलने नहीं देना चाहते। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये। प्लीज।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो फिर आपने नाम ही क्यों पुकारा? नाम ही नहीं पुकारते आप। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज। चार बजे विपक्ष के नेता बोलेंगे। मेरे से ज्यादा बोले हैं आप। विराजिये। ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ग़रीब-ए-शहर तो फ़ाक़े से मर गया, अमीर-ए-शहर का नाम बदल गया। नाम बदलो सरकार है यह, मैं अभी बताऊंगा कि नाम बदलो सरकार कैसे है।

यूं नाम बदलने से गुरबत नहीं जाती, जागा गरीब तो अमीर-ए-शहर बदल गया। अगर

गरीब जाग जायेगा तो अमीर-ए-शहर बदल जायेगा, राजस्थान की हुकूमत बदलेगी, यह आप ध्यान रखना। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मेरे से ज्यादा बोले हैं आप। 12 मिनट से अधिक बोले हैं आप। पांच मिनट लिखे हैं इसमें ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अजमेर को तो वैसे ही नहीं मिलना था टाइम। आप ऐसे सोचा मत करो, हर्ट मत हुआ करो, यह आदत डाल लो चार साल। ...(व्यवधान)...

बजट और राज्यपाल का अभिभाषण पिछले साल के कार्य का लेखा-जोखा है। आप जयपुर की बात करते हो तो पहले जयपुर से ही शुरू कर लेता हूं।

Ssy/Rtm/12.03.25/15.40/2n

सुनो, जयपुर की आपने बात कर दी। सुखाड़िया जी मुख्य मंत्री बने तो उदयपुर निहाल हो गया, अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री बने जोधपुर निहाल हो गया, वसुंधरा जी बनी तो धौलपुर, झालावाड़ निहाल हो गया, धारीवाल साहब ने कोटा में अभूतपूर्व काम कर दिया, हमारे पास तो एक के साथ 2-2 फ्री हैं, एक मुख्य मंत्री है, 2-2 उप मुख्य मंत्री हैं फिर भी जयपुर निहाल नहीं हो रहा है, इसलिए आप जयपुर की बात मत करो। 5 साल बाद पता लगेगा, अभी डेढ़ साल तो गुजर गया, डेढ़ साल निल बटा निल।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): रफीक भाई, हम जो सपने देखते हैं, पूरे करते हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अगर आप बोलोगे तो मैं बीच में बैठ जाऊंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम दिन में देखते हैं और पूरा करते हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दिशाहीन, कपोल कल्पित और शब्दों का मायाजाल और हर राजस्थान के इंसान को कर्ज में डुबो देने वाला बजट आपने पेश किया है।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

आप बात तो कर रहे हो, इस बजट के अन्दर मेरे को यह समझ नहीं आता कि इसमें आपने पूरी किताब में, आप एनालेसिस करना, पूरी किताब में मजदूर कितनी बार लिखा? पूरी किताब में आपने कच्ची बस्ती की बात कब की? झौपड़ पट्टी की बात कब की? स्ट्रीट वेंडर को कहां बसा रहे हो? उसकी बात कब की? महलों से नहीं होती है, महलों से बात नहीं बनती है। ई-रिक्शा की बात कब की? ऑटो रिक्शा की बात कब की? खलासी, ड्राइवर, मजदूर किसी की आप बात नहीं कर रहे हो। आप ग्रीन बजट और पता नहीं साढ़े 300 बिलियन इकॉनामी, वह भी डॉलर में बात कर रहे हो। उस पर भी बोलूंगा, अभी आपको बताऊंगा डॉलर बिलियन इकॉनामी में क्या है। कोई विजन नहीं है। विजनलैस बजट जिसके अन्दर आम आदमी को कोई राहत नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इसमें गरीबों के बारे में और आम आदमी के बारे में भी सोचो।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी अशोक गहलोत जी ने, आपने कहा हम डेढ़ सौ देंगे और डेढ़ सौ में भी कंडीशन लगा दी। किसी को दे रहे हो क्या डेढ़ सौ? आप जब साल में एनालेसिस करोगे, आपने तो जो 100 यूनिट के एलिजिबल आदमी जो रह गये थे हमसे, उनको भी बिजली की यूनिट बढ़ाकर नहीं दे पाये। आप डेढ़ सौ की बातें कर रहे हो और साल बीतेगा तब पता लगेगा कि डेढ़ सौ भी आप किसी को नहीं दे पा रहे हो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): दे रहे हैं, सोलर में दे रहे हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 35 लाख करोड़ एम ओ यू, बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं, बहुत लंबी-लंबी बातें, बड़े-बड़े व्यापारी पूरी दुनिया से बुला लिये, पधारो म्हारे देश और खाने के बर्तन में चम्मच बोल गये, प्लेटें बोल गई, खाना नहीं बचा उनको खिलाने के लिये। कौनसे अरेंजमेंट की बात कर रहे हो आप? राज़ी हो रहे हो। पूरा नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया खाली प्लेटें दिखा रहा है। खाली डिब्बे दिखा रहा है। क्या हो रहा है, एम ओ यू में क्या हुआ?

प्रधान मंत्री जी आये, सारे आदमी खड़े होकर के प्रधान मंत्री जी का स्वागत किया, मुख्य मंत्री जी खड़े हुए, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ, एक आदमी वह कौन था जो टांग पर टांग धरे बैठा रहा, मुख्य मंत्री खड़े होकर प्रधान मंत्री का स्वागत कर रहे हैं और पूरी राजस्थान सरकार खड़े होकर स्वागत कर रही है, एक आदमी अपनी कुर्सी पर विराजा हुआ है। ऐसे मत करो, जिनके आँगन में अमीरी के सजर लगते हैं उनको हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। तो अमीरों के प्रति इतनी मत करो आप।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने बजट दे दिया, इसमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं है। कहां इंडस्ट्री लाओगे? कैसे रोजगार दोगे? कैसे आम आदमी लाभान्वित होगा? कैसे गरीब लाभान्वित होगा? पिछला जब आपने बजट दिया था तब आपने कहा कि हम टैक्सटाइल पार्क ला रहे हैं। कहां है वह टैक्सटाइल पार्क? आपने कहा कि हम सिरेमिक पार्क ला रहे हैं। कहां है वह सिरेमिक पार्क? आपने कहा हम लॉजिस्टिक हब बनायेंगे पाली में। कहां है वह लॉजिस्टिक जब? आपने कहा कि हम अजमेर में, अध्यक्ष महोदय, आपके अजमेर में कैमिकल पार्क बनायेंगे। कहां है कैमिकल मेनुफैक्चरिंग पार्क? जोधपुर को हैंडीक्राफ्ट हब बनायेगे। निल बटा सन्नाटा है। ना जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट हब बनाया, ना अजमेर में बनाया, ना पाली में बनाया। जयपुर में गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, जयपुर में गारमेंट पार्क के लिए आप बात कर रहे थे। क्या किया, क्या किया जरा यह बताओ आप? क्या किया यह तो बता दो जरा मेरे को? 'तू इधर-उधर की बात ना कर, यह बता कि काफिला कैसे लुटा।'

साढ़े 300 बिलियन डॉलर इकॉनामी, एक बिलियन डॉलर में कितने रुपये होते हैं जरा बता दो। बहुत उछल रहे हो आप मंत्री महोदय। एक डॉलर में कितने रुपये होते हैं? एक बिलियन डॉलर में रुपये बता दो आप मेरे को। मैं पूरे सदन के सामने सवाल कर रहा हूं।

बार-बार उठते हो आप, इस बात का जवाब दे दो खड़े होकर।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक सेकण्ड।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक बिलियन डॉलर में कितने रुपये होते हैं जरा बता दो। साढ़े 300 बिलियन की बात हो रही है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक सेकण्ड। आप कोई यहां परीक्षा मत लो टीचर की तरह। कितने होते हैं, क्या होते हैं? आप तो बोलो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपसे कुछ तो सीखूंगा। मैं आपसे कुछ तो सीखूंगा।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): रफीक भाई, गुरुजी के होते हुए आप कैसी बात कर रहे हो।

श्री अध्यक्षः डॉलर पूछना हो तो मेरे से पूछना ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): साढ़े 300 बिलियन डॉलर इकॉनामी की बात कर रहे हैं। यह अगर बता दें कि एक बिलियन डॉलर में कितने रुपये होते हैं तो अच्छा लगेगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): गुरुजी यह तो आप क्वेश्चन कर लो उनसे। वह बता देंगे।

श्री अध्यक्षः पूछना होगा तो आपसे पूछूंगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में भी साढ़े 300 बिलियन डॉलर बोला है। लेकिन पिछले वाले बजट में डॉलर 84 रुपये का था और अब डॉलर हो गया 88 रुपये का तो आपके हाथ से 5-6 परसेंट तो पहले ही सरक गया। पहले दिन में ही आगे चला गया। कौनसे साढ़े 300 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हो? कुछ अचीवमेंट नहीं होगा। रोहित जी अभी बोलकर गये। 16 परसेंट की चाल चलोगे? 16 परसेंट आप बोल गये। 16 परसेंट की चाल तब चलेंगे जब डॉलर स्टेबल रहेगा। यह डॉलर भी तो भाग रहा है। 2 कदम यह चलेंगे 2 कदम जमीन सरक रही है तो कहां से अचीव करेंगे यह ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विभिन्न मुद्राओं पर एक दिन क्लास रखेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक डायलॉग याद दिलाता हूं, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती है, बांग्लादेश का रुपया कमजोर नहीं होता है और क्या कारण है कि हिन्दुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। याद है, मैं लाया हूं इसमें, इसमें लाया हूं, अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं सुना दूं इसको। मोदी जी की आवाज है। आपको पसंद नहीं आयेगी। आप यह मोदी जी की आवाज नहीं सुनना चाहोगे, कि क्या कारण है, आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हिन्दुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है।

श्री अध्यक्षः एक-आध मिनट में पूरा करो, 48 है आपका लास्ट।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 15 मिनट हैं मेरे। 15 मिनट हैं।

श्री अध्यक्षः 45 हो गये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हुकुम मेरे 15 मिनट हैं। अभी टाइम है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, एक मिनट है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कॉरपोरेट टैक्स 30 परसेंट से 22 परसेंट कर दिया और गरीब आदमी को कोई राहत नहीं दे रहे हो। आपने यह बजट दिया है, जब मुख्य मंत्री जी जवाब देवें तो मुख्य मंत्री जी बता दें कि गरीबों के लिए कितने मकान बना रहे हैं? कच्ची बस्ती वालों को कैसे बसा रहे हैं? स्ट्रीट वेंडर के लिए क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? मजदूर के लिए क्या पॉलिसी है? यह जरूर बतायें जब जवाब दें तब।

हां, एक काम तो आपने किया। वह तो मैं बताना भूल ही गया। आपने एक काम बहुत जोरदार किया और वह क्या काम किया, नाम बदलो, नाम बदलो काम तो आपने किये बहुत अच्छे से। एक साल के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: एप्रोप्रिएशन बिल पर ही सब लोग बोलो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): चिरंजीवी योजना को आपने आयुष्मान में बदल दिया। इंदिरा रसोई को आपने अन्नपूर्णा में बदल दिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी को आपने मुख्य मंत्री शहरी रोजगार में बदल दिया। मुख्य मंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर के पन्ना धाय बाल गोपाल कर दिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): जूली साहब, यह पिटे हुए ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं यह कह रहा हूं कि आप नाम बदलने में एक्सपर्ट हो। अध्यक्ष महोदय, आपने भी अजमेर में नाम बदला लिया।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। काम करने से होगा। परफोरमेंस देने से होगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपकी भावना आ गई।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं 2 पंक्तियों में मेरी बात खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, 2 पंक्तियों में।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इन काली सदियों के सर से जब रात का आँचल ढलकेगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें ...(व्यवधान)... यह कह देंगे ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जब दु:ख के बादल पिघलेंगे तब सुख का सागर छलकेगा।

श्री अध्यक्ष: कोई भी मंत्री या विधायक किसी को रोक नहीं सकता। रोकने का अधिकार मुझे है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जब अंबर झूमकर नाचेगा तब धरती नगमे गायेगी। वह सुबह कभी तो आयेगी, वह सुबह कभी तो आयेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बैठिये। ललित यादव। नहीं हैं? (अनुपस्थित)

spp/rtm/12.03.2025/15.50/2o

श्री गोपाल शर्मा, पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओनली वन मिनट। हो गया, बोल गये। आप बोल गये। आपका पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। एक इधर से, एक इधर से। ..(व्यवधान).. चलिये बैठिये।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप बोल गये न।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): श्री पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह राजपुरोहित। लास्ट 9 मिनट में पूरा करना है। चार बजे नेता प्रतिपक्ष का शुरू होगा। ..(व्यवधान).. मैं बोला कहां?

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाईन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, शीशे की अदालत थी ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आपका भाषण तो हो गया। भाषण नहीं दिया तो आपका नाम नहीं है। बोलना नहीं। आपका पाइंट ऑफ इंफोर्मेशन है। पांइट ऑफ इंफोर्मेशन देनी थी। भाषण नहीं, केवल पांइट ऑफ इंफोर्मेशन। माननीय सदस्य बालक नाथ जी, आप बैठिये। आप बोल चुके, रिकार्ड पर आ गया। बैठिये। माननीय सदस्य छगन सिंहजी। आप बोल लिये फिर कैसे कह रहे हो नहीं बोला? रिकार्ड पर है। रिकार्ड में आ गया।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एप्रोप्रियेशन बिल, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: नहीं, आज आपका नाम नहीं है। अंकित नहीं हो, विराजो। पहले मुझे भेजोगे नाम। छगन सिंहजी आप बोलें। जो कभी-कभी आयेंगे, उनके लिये आवश्यकता नहीं है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 54,999 करोड़ 94 लाख 58 हजार रुपये का जो प्रावधान रखा है, उसके लिये मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज जो अपना विनियोग बिल है, आज पास होगा। उसमें पक्ष और विपक्ष के हमारे साथियों ने काफी बातें कहीं। अभी जो विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि रुपया कैसे गिरता है, वहां का रुपया गिरता नहीं, गिरने का कारण तो विपक्ष ही है। जब भी कोई ऐसा काम होता है तो आप लोग देश का अपमान कैसे हो, आप कोई भी मौका नहीं चूकते। यह आपका ध्येय है। आपके नेता बाहर विदेश में भी जाते हैं तो देश का अपमान ही करके आते हैं। आप यह काम करते हैं। हमेशा ही यह काम करते हैं। इसलिये हमेशा ध्येय रखो कि विपक्ष में आप जरूर हो, लेकिन भारतवासी हो, हिन्दुस्तान का भला कैसे हो, यह आपको सोचना चाहिये। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी ग्रीन बजट की चर्चा कर रहे थे। ग्रीन बजट कैसे आया? आपने हरियालो राजस्थान की कल्पना नहीं देखी। 7 करोड़ से ऊपर

पेड़-पौधे लगाये और उसमें भी आप लोगों ने कहीं सहयोग नहीं किया। कहीं भी जाकर एक भी पेड़-पौधा लगाने का काम नहीं किया। हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधान मंत्रीजी ने भावनात्मक रिश्ते जोड़ने के साथ में एक पेड़ मां के नाम शुरू किया था, उसमें भी आपने सहयोग नहीं किया। कभी तो अच्छे कामों के लिये सहयोग किया करो। मैं आपको इसलिये कह रहा हूं माननीय सदस्य, कि यह देश और प्रदेश अपना है। जो भी भला काम होता है उसकी चर्चा करो। आप यहां आकर जो बजट बना है और बजट में जो-जो घोषणाएं हुई हैं, उनकी चर्चा करते, जो कमियां होतीं उनको बताते। सिर्फ और सिर्फ देश का, प्रदेश का अपमान कैसे हो, वह चर्चा करने में लगे रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमने देखा है बजट का आवंटन, कृषि में 14 हजार 75 करोड़ का आवंटन किया है, लगभग 5.73 प्रतिशत। ग्रामीण विकास के लिये 10.15 प्रतिशत, शहरी विकास के लिये 6.25 प्रतिशत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये 28.25 प्रतिशत, पेयजल एवं ऊर्जा के लिये 19.68 प्रतिशत, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये 28.5 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये 12.54 प्रतिशत, आधारभूत विकास के लिये 10.87 प्रतिशत, औद्योगिक विकास के लिये 1.27 प्रतिशत और सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं प्रत्येक क्षेत्र में अपने प्रदेश का विकास कैसे हो, इस तरह से बजट आंवटित किया है।

मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस प्रदेश के भले के लिये, जिस प्रकार से पिछला बजट आया था, जुलाई में बजट आया था उसमें जो राजस्व प्राप्तियां हुईं और उसके बाद में व्यय को लेकर अब की बार जो बजट में प्रावधान किया है कि इस बार जो प्राप्तियां हो रही हैं और उसका व्यय भी बराबर हो, उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गयी है तो 5 लाख 37 हजार 184 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हैं और उसका खर्च है 5 लाख 37 हजार 68.94 करोड़ रुपये, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि 101 करोड़ की बचत कैसे होगी, यह अपने आप में सरकार का विजन बताता है कि हम जितनी आय हो रही है, उतना ही खर्चा कर रहे हैं। यह अपने आप में बराबर का मापदण्ड तय किया है। यह पिछली बार जब हमने ज्यादा खर्च किया था, अबकी बार हम इसको समान्तर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का यह उद्देश्य है। किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा कैसे बढ़ें, चिकित्सा क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ें, यह भी विजन देखा होगा और जो ग्रीन बजट दिया है, किसानों के साथ हम न्याय कैसे करें, अलग अलग किसानों को ऋण की राशि ज्यादा कैसे मिले, इसकी भी चिंता की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषकर लम्बी बात नहीं करूंगा और मैं तो इनको यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रफीक जी बार-बार चर्चा करते हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा-

वो एक संमदर खंगालने में लगे हुए हैं,
हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं।
जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं,

वो हमारी पगड़ी उछालने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं।।

धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः शुरू करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): महाराज जी को बुलाओ।

श्री अध्यक्षः महाराज जी नहीं बोलेंगे। महाराज जी, विराजो, आपका नाम नहीं है।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): मेरा नाम है।

श्री अध्यक्षः मैंने उस समय बुलाया था। जब तक मुझे लिखकर नहीं भेजोगे, पर्ची कौनसी दे रहे हो। पर्ची में विषय नहीं लिखा था। आप ऐसे नहीं बोलोगे। ..(व्यवधान).. अंकित नहीं हो।

श्री ललित यादव (मुण्डावर):000

श्री अध्यक्षः आप पहले मुझे लिखकर तो भेजो, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जब तक मेरे पास लिखित में नहीं भेजोगे, तब तक नहीं।

श्री ललित यादव (मुण्डावर):000

श्री अध्यक्षः कुछ नहीं लिखा है। पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या है? ऐसे थोड़े होता है। ऐसे अचानक नहीं कि कुछ भी बोल लो। मेरे को लिखकर दो, मैं अनुमति जरूर दूंगा। विराजो आप तो। माननीय विपक्ष के नेता, टीकाराम जूली। एक सैकण्ड। जो भी विपक्ष के नेता बोलें, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जब सदन के नेता बोलें तो एक भी शब्द बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं दोनों ओर के पक्षों को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। कोई बोलेगा तो फिर मैं किसी को नहीं रोकूंगा। यह दोनों के लिये है। सदन के नेता बोलें, तब भी कोई नहीं बोलेगा। ...(व्यवधान).. मैं बोल रहा हूं। मेरा काम आप मत करो। ..(व्यवधान).. नहीं, अब आप बैठो। संसदीय मंत्रीजी, नो। मैंने नाम पुकार लिया है, फिर आपने मजाक समझ रखा है हाउस को। आप बोलो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय-

'एक आंसू भी हुकूमत के लिये खतरा है।

तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना।।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप पधारे, आपका स्वागत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। पक्ष-विपक्ष के सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस डिबेट के अन्दर भाग लिया। होली और धुलण्डी, दोनों त्योहारों की भी मैं शुभकामनाएं आप सब लोगों को देता हूं और यह भी प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार होली के रंग हैं, उसी प्रकार से खुशियों के रंग आपके जीवन में समाये। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रमजान का पाक महीना भी चल रहा है। रमजान की भी मैं सभी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले की कुदरत है, कभी होली और रमजान साथ आता है, कभी दीवाली और ईद साथ आती है, यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश का भाईचारा है, यही इस देश का इतिहास है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो लिखा हुआ था, वह सारा पढ़ ही दिया था। उसके बाद जो चर्चा हुई तो मैंने भरतपुर का जिक्र कर दिया तो इसका मतलब मुख्य मंत्रीजी मेरी बात मानते हैं, अगले ही दिन भरतपुर पहुंच गये और पांच-छह घंटे लम्बी मैराथन मीटिंग ली। अधिकारियों को डांट भी लगायी, अच्छी बात है। लेकिन अगले ही दिन यहां पर भरतपुर के सदस्य के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ गया। यह आपकी कार्य-प्रणाली का नमूना है कि किस प्रकार से आपकी सरकार काम कर रही है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान की विधान सभा के इस गौरवशाली इतिहास के अन्दर कई नियम-कानून बने।

jyg/rtm/12.03.25/16.00/2p

ऐसा ही एक नियम-कानून माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का बना, काफी बार उसको और मजबूत करने का काम किया गया, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके इस आसन पर विराजते हुए माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जो कानून बना हुआ है कि जो उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होंगे, उसमें लोकल एमएलए का नाम होगा, उसको बुलाया जायेगा लेकिन आपकी सरकार के मंत्रियों के बेटे, विधायकों के बेटे, परिजन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर वो उद्घाटन करते हैं, उन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं, उनके अन्दर जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ...(व्यवधान)... यह आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हो, यह बाबा साहब अम्बेडकर के बनाये हुए संविधान का अपमान कर रहे हो, यहां जो नियम बन गया उसको आप पालना नहीं करा रहे हो। अगर आपने इतना ही कर रखा है तो आपका धर्म बनता है, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप उस आदेश को पारित कराकर कैंसिल करा दीजिये, कोई जरूरत नहीं है हमारा नाम आये, नहीं आये। पर जिन लोगों को जनता ने नकार दिया, जिनको हरा दिया, जिनको घर बैठा दिया उनको पूछ-पूछकर आप सड़कें दे रहे हो, उनसे उद्घाटन करा रहे हो, ये जो माननीय सदस्यों का अधिकार है उसके साथ आप यह दोहरा व्यवहार कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे कहना चाहूंगा, यह परम्परा रही है इस सदन की, कोई सदस्य किसी भी पार्टी का हो, हम तो 66 ही हैं, बाकी तो आप सब लोग ही हो तो हम 66 अगर इस नियम को पालन कराने में हमारा नाम आ जायेगा तो आपको कहां दिक्कत है, आपका तो आयेगा ही आयेगा। इस चीज का, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है और जो नियम पिछले बने थे उसमें तत्कालीन नेता, प्रतिपक्ष, उप नेता, प्रतिपक्ष, सब लोगों की सलाह करके वो नियम बने थे, मैं चाहूंगा कि आप उनकी पालना करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करना चाहूंगा जेजेएम की, बहुत हंगामा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, बार-बार बातें हो रही हैं। जेजेएम में आपने आरोप लगाया कि हमने कम काम किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 25 लाख नल लगाने की बात कही थी 2024-

25 के बजट के अन्दर और आपने लगाये 10 लाख, क्यों नहीं लगाये आपने? अब तो डबल इंजन की सरकार है न, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमने कहा कि राजस्थान की परिस्थितियां सही नहीं हैं। यहां पर खर्चा ज्यादा होता है। आपने नहीं माना, मजाक उड़ाया हमारा। आपके मंत्री ने खुद माना कि राजस्थान के अन्दर नल लगाने का खर्चा ज्यादा आता है। अब आपको नहीं लगेगा? सबसे पहले हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रधान मंत्रीजी को लेटर लिखा था, आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आपने तो विरोध किया था। फिर मैं कहना चाहूंगा, आप जेजेएम की वेबसाइट है उसको चेक कर लेना, 2022-23 के अन्दर हमारी सरकार ने 13 लाख 88 हजार कनेक्शन दिये थे और आपने 2024-25 में 9 लाख 9 हजार कनेक्शन दिये हैं। अब तो डबल इंजन की सरकार, चौथे हिस्से में ही सिमट गयी है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपसे सवाया काम हमने किया है। आप बहुत बात करते हो कि राजस्थान पिछड़ा रहा और आप लोगों ने काम नहीं किया, बजट का पूरा उपयोग नहीं किया, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, 2022-23 में जब हमने 13 लाख 88 हजार कनेक्शन दिये, तो मध्य प्रदेश जहां आपकी सरकार है, 8 लाख 90 हजार कनेक्शन दिये हैं, यह स्थिति है। इसी प्रकार से 2023-24 में जब 12 लाख 17 हजार कनेक्शन हमने दिये तो एमपी ने दिये 11 लाख 30 हजार कनेक्शन, यह आपकी हकीकत है।

बातें आप कर लो, मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा। आप लोगों ने तय कर लिया, टार्गेट कर लिया कि कांग्रेस के जो लोग हैं, ...(व्यवधान)... जमा दूंगा, चिंता मत करो।

उनको विचारधारा की वजह से आपने टार्गेट करना शुरू कर दिया। बोर्ड, निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों से इस्तीफे मांगने शुरू कर दिये, जो न्यायिक प्रक्रिया से थे, उनकी सुविधाएं हटानी शुरू कर दीं आपने, और यही नहीं, कांग्रेस के प्रधान, कांग्रेस के चेयरमैन, उनको टार्गेट करके राजस्थान के अन्दर हटाया जा रहा है। यह बाबा साहब अम्बेडकर के बनाये संविधान का आप लोग अपमान कर रहे हो। मैं सीधा आरोप लगाता हूं आप लोगों पर ...(व्यवधान)... आपका डिपार्टमेंट प्रधान को कोटा के अन्दर एक महीने का नोटिस देता है कि एक महीने के अन्दर आपको जवाब देना है, मात्र 29 सेकण्ड के बाद में वो ऑर्डर जारी करता है निलम्बित करने के, ये आपके शासन का तरीका है? नजरिया है? इस प्रकार से काम करते हो आप लोग? यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। यहां तक कि अगर कोई कोर्ट का आदेश लेकर भी वापस आ जाये, कोर्ट का आदेश भी लेकर आ जाये, उसको भी आप...।

श्री अध्यक्ष: एक सेकण्ड, मेरा आग्रह है कि आज वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर बहस है। उस विषय पर कंसंट्रेट करके बोलेंगे तो लाभ होगा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ही विषय है, वो ही विषय है, मैं विषय से बाहर नहीं हूं। ...(व्यवधान)... मैं विषय से बाहर नहीं

हूं।...(व्यवधान)... मैं विषय से बाहर नहीं हूं। यह बात मैं कहना चाहूंगा।

आपने कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके निलम्बन आप रद्द नहीं कर रहे हो? यह काम रह गया आपका? और यही नहीं विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, जो प्रिंसिपल लगे हुए हैं, एचओडी लगे हुए हैं, उनको डाइरेक्टरों में आप बदल रहे हो, जयपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर क्या हो रहा है, प्रोफेसर निमाली सिंह के साथ क्या हो रहा है? सिर्फ उसने राहुल गांधी की मीटिंग करा दी, स्कूटी की तो आप उसके लिए कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे हो? यह हालत है आपकी? ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा। आरएसएस अपना सौंवा...।

श्री अध्यक्ष: एक सेकण्ड। वह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह अप्रोप्रिएशन बिल है, यह महामहिम के अभिभाषण पर था, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, बीच में नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): ये बीच में कैसे बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बीच में नहीं, मैं परमिशन से बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)... आपके कहने से नहीं रुकूंगा। ये जो आरोप आपने लगाये थे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर हरिमोहन, माननीय सदस्य, बैठें। ...(व्यवधान)... मैंने दी है अनुमति, आप इनसे कहें कि आप भी अनुमति लेकर बोलें। ...(व्यवधान)... बाकी बैठो। ...(व्यवधान)... बाकी सब बैठो। यह कोई बहस का मुद्दा नहीं है। ...(व्यवधान)... बैठिये, माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)... सब बैठिये। सदन चलाने की मेरी जिम्मेदारी है, जब मैं इधर इनको कह रहा हूं तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं? ...(व्यवधान)... आपको अनुमति दे दी मैंने बोलने के लिए। ...(व्यवधान)... इनको अनुमति दी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में अपनी बात रखो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है हम अप्रोप्रिएशन बिल पर डिबेट में भाग ले रहे हैं, अप्रोप्रिएशन बिल की बात नहीं कर रहे हैं, इधर-उधर की बात कर रहे हैं, और जो विषय नहीं है, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, जिसका इस सदन से लेना-देना नहीं है, चाहे वाइस चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी हैं, या कोई और है, उनका नाम लिया है, उनको डिलिट फरमाया जाये। इनको अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने क्या कारनामे किये थे, रात को 12 बजे ऑर्डर करते थे और आज भाषण दे रहे हो? याद करो अपने आप को। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। आपका विषय आ गया? ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज दिन में भी

मीडिया में कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुख्य मंत्री जी का भाषण अच्छे से हो। ...(व्यवधान)... मैंने आज मीडिया में कहा है। ...(व्यवधान)... इस बात को मैंने पहले ही कहा है। और आप यह जो व्यवस्था का प्रश्न और ये मोटी-मोटी किताब पढ़ रहे हो न, मेरे भाषण खत्म होने के बाद में एक अक्षर दिखा देना कि मैं इस पर नहीं बोल सकता तो अगली बार नहीं बोलूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः ...(व्यवधान)... माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान)... आपस में बहस थोड़े करवानी है? मुख्य मंत्रीजी उत्तर दे देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप मेरे से उम्र में ज्यादा हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, ...(व्यवधान)... मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आरएसएस के इशारे पर कई नियम बदले गये। मैं अपील करता हूं आज इस मंच के माध्यम से करता हूं, अगर आरएसएस के अन्दर हिम्मत है तो राजस्थान के अन्दर अभियान चलाये कि वो छुआछूत को खत्म करेंगे और दलितों को आगे लेकर आने का काम करेंगे। ...(व्यवधान)... इस पक्ष में आप हैं या नहीं हैं, आप बताइये? ...(व्यवधान)... अच्छी बात है। तो दलितों के पक्ष में नहीं हो? ...(व्यवधान)... तो दलितों के पक्ष में नहीं हो क्या आप लोग?

(सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों का
अपने आसन पर खड़े होकर व्यवधान)

मुझे खुशी होती, आप सब लोगों का समर्थन मुझे मिलता।

श्री अध्यक्षः आप संगठन का नाम सोच-समझकर लें, नहीं तो मुझे हटाना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

MLS/RTM/12.03.2025/16:10/2q

मुझे खुशी होती कि आप सब लोग समर्थन करते कि इस देश के संविधान में छुआ-छूत को मिटाने का प्रावधान किया गया है तो हम उसके अन्दर सहयोग करेंगे, आप सब खड़े होते तो मुझे खुशी होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करना चाहूंगा गरीब की, मैं बात करना चाहूंगा उस पेंशन के आसरे जो लोग रहे रहे हैं, उनकी। बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं। सब लोगों ने कहा कि पेंशन टाइम पर दे रहे हैं, लेकिन मैं तो जनता के बीच से आता हूं। मैं बताता हूं, आप लोगों ने क्या कहा और पेंशन कब आ रही है। मुख्य मंत्री जी ने अभिभाषण पर कहा कि हमने दिसम्बर तक की पेंशन दे दी। वित्त मंत्री जी ने 27 फरवरी को कहा कि हमने जनवरी, 2025 तक की पेंशन दे दी और 24 फरवरी को रीटा चौधरी जी के क्वेश्चन के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने नवम्बर तक की पेंशन दे दी और एसजेईडी की डिमांड पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि हमने दिसम्बर, 2024 तक की पेंशन दे दी। यह आप लोगों ने कहा है।

और मैं बताता हूं आपको, आपने कब की पेंशन कब दी है। अप्रैल की आपने जून में, मई

की जुलाई में, जून की सितम्बर में, जुलाई की अक्टूबर में, अगस्त की नवम्बर में, सितम्बर की नवम्बर में, अक्टूबर की नवम्बर में और जनवरी में, नवम्बर की जनवरी में, दिसम्बर की फरवरी में और जनवरी, फरवरी, दी ही नहीं। किस सनातन की बात करते हो, दीपावली पर आपने पेंशन नहीं दी। आज होली का त्योहार है, होली पर आपने पेंशन नहीं दी, मुख्य मंत्री जी, मुझे इस चीज का दुःख है। यह हकीकत है। मैंने आपके विभाग से ही ये आंकड़े लिये हैं। यह क्यों है? आंकड़ों के अन्दर यह भ्रान्ति क्यों है? मुझे कहना नहीं चाहिये, आपके यहां के मैंने आश्वासन मांगे थे, आश्वासन देने से मना कर दिया गया। 106 आश्वासन आपके माननीय मंत्रियों ने सवा साल के अन्दर यहां पर दिये हैं और जो पैंडिंग हैं, जिन पर कार्यवाही नहीं हुई, जो यहां बोल गये और वो आज पैंडिंग बोल रहे हैं, यह बात मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस पर ध्यान दीजिये।

आपने गेहूं खरीद की बात करी। कितना गेहूं खरीद रहे हैं आप? सरसों बाजार में आ रही है, सरसों खरीदने की व्यवस्था नहीं और गेहूं अभी आया नहीं। आपने कांटे लगवा दिये। क्यों भई, क्योंकि सरसों जो है, वह 5900 की जगह 5200 बिक रही है और गेहूं का समर्थन मूल्य से ज्यादा बाहर बाजार में भाव है तो यह खाली दिखावा क्यों कर रहे हो आप लोग? दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। आप सरसों की खरीद करवाइये। कोई फसल हो, कोई मतलब नहीं है किसान के लिए। आपने कहा, 12 हजार देंगे। आपने अपनी घोषणा में कहा। 58 परसेंट में वो यस है या नो है, यह मेरी समझ से बाहर है। हजार-हजार रुपये बढ़ा रहे हो आप तो किसान की तो गलती नहीं है। गेहूं के समर्थन मूल्य का आपने कहा कि हम 2700 देंगे। आपने 150 रुपये बढ़ाकर इतिश्री कर ली, क्यों भई, 2700 कौन देगा? हां तो आपने करी है उनको 2700 देने की।

जिस समय आप देंगे, उस समय तो ऑटोमैटिक ही रेट बढ़ गये होंगे। किसान को तो इसका फायदा ही नहीं मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, यह बात मैं कहना चाहूंगा। न पानी मिल रहा है, न एमएसपी पर खरीद हो रही है, न किसान सम्मान निधि मिल रही है। यह हालत आप लोगों ने करी है। मूंगफली के लिए तो जो हालत है, आप सबके सामने है। किसान धरने पर बैठे हैं। जहां गर्मियों में पानी की रोक होती थी, आपने तो जनवरी, फरवरी में ही वहां पर रोक लगा दी किसानों के लिए, तो फसल बरबाद हो जायेगी, उन किसानों के बारे में भी सोचना। आप बार-बार कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मेरे को कभी हो सकता है, जमाबन्दी चैक करानी पड़ जायेगी, यह चक्कर पड़ जायेगा फिर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आईफा। आईफा का आयोजन हुआ राजस्थान के अन्दर। मैं यह देख रहा था कि यह आईफा का प्रमोशन हो रहा है कि राजस्थान का प्रमोशन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटूश्याम जी के नहीं दे पायी, 120 करोड़ गोविन्द देव जी के नहीं दे पायी और आईफा के 100 करोड़। ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिये आपने।

और वह आईफा, जिसके अन्दर, ये माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, कुछ ही चेहरे नजर आ रहे थे वहां पर। वो फ्रंट लाइन की फोटो निकलवा लेना गोल्डन पास की, 7-7 लाख रुपये के पास जिनको फ्री में दिये गये, वह जनता के गाढ़ी खून-पसीने की कमाई थी। यहां तक कि इन मंत्रियों, विधायकों और विपक्ष का तो जिक्र ही छोड़ दो आप, किसी को पूछा ही नहीं आपने। यह तो आप लोगों की हालत है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय, बीच में नहीं। धारीवाल जी, बीच में नहीं। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, मुझे इतना दु:ख हुआ उस दिन कि माननीय मुख्य मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, सांगानेर के अन्दर अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस होने के बावजूद, गर्भवती होने के बावजूद, 2 साल के बच्चे के सामने, आप जिस विभाग के मुखिया हैं, आप तो मालिक ही हैं, लेकिन गृह मंत्री भी यहां पर हैं, आपकी विधान सभा है, उस महिला के साथ पुलिस के कॉन्स्टेबल के द्वारा बलात्कार किया गया। पुलिस आईफा अवॉर्ड मना रही थी और उधर उस के साथ बलात्कार हो रहा था। और आईफा के अन्दर, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं यह कहना चाहूंगा, आप सब लोग फोटो खिंचाने में व्यस्त थे, वे फोटोएं भी मैं बता दूंगा तो ये कहेंगे कि नेता, प्रतिपक्ष इस प्रकार की बातें करता है।

हमें, क्या लाभ हुआ राजस्थान को आईफा से? कितने बड़े स्टार आये? किसी भी टूरिस्ट स्थल पर वे गये? एक भी स्थान पर नहीं गये। और कौन-सा बड़ा नाम आया शाहरुख खान के अलावा, बाकी तो सब दो नम्बर वाले सैकंड ग्रेड थे, फर्स्ट ग्रेड वाला तो कोई नहीं आया। ...(व्यवधान)... माधुरी, अब आजकल सैकंड में ही हैं वो। समय गया माधुरी दीक्षित जी का। 'दिल', 'बेटा' फिल्में जब थीं, तब माधुरी दीक्षित थीं, पर आज जो बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स आने चाहिये थे, कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन ही नहीं आया तो फिर क्या आया?

एक बात और कहना चाहूंगा, आपने सोनू निगम को नहीं बुलाया, यानी ऐसा एक महीने में क्या हो गया कि राइजिंग राजस्थान में तो आपने सोनू निगम को बुला लिया और इतना बड़ा आयोजन, जो फिल्म इंडस्ट्री का ही हो रहा था, उसमें सोनू निगम नहीं बुलाया। सोनू निगम को भी बुलाना चाहिये था। अच्छा गाता है। अच्छा गाता है सोनू निगम। उसको भी आप लोगों को मैं समझता हूं, बुलाना चाहिये था। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कोई मान लो, हमारी किसी बात पर काट कर दे या हमें कोई सुझाव दे दे और उसको हम नहीं मानें, उसका आगे से रास्ता नहीं बन्द करना चाहिये। मैं दो लाइनें आपको रामचरितमानस की सुनाना चाहूंगा-

सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास"।।

यानी कि यदि मंत्री, वैद्य, गुरु भय या लाभ सा सत्य न बोलकर मीठी बातें करें तो राज्य, शरीर और धर्म, तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। तो ये जो चारों तरफ लोग आपको जो मीठी-

मीठी बातें कर रहे हैं न, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है मुख्य मंत्री जी।

जनता के बीच में जाइये। आजकल मुख्य मंत्री निवास के दरवाजे गरीबों के लिए तो बन्द ही कर दिये बताये। ...(व्यवधान)... ओटीएस के अन्दर तो आप जन सुनवाई करते थे, मेरी सुन लो पूरी बात, फिर आप खुद ही मेरे पक्ष में आ जाओगे, लेकिन जब से आप सिविल लाइंस शिफ्ट हुए, आपने तो जन सुनवाई करनी बन्द कर दी। दो अफसर बैठा रखे हैं। वे ऑफिसर मिलते हैं तो ऑफिसर तो जिलों में ही बैठे हैं, तहसीलों में ही बैठे हैं, वे वहीं मिल लेंगे।

MKD/RTM/12.03.2025/16:20/3a

लोग आपसे मिलने आते हैं कि हम मुख्य मंत्री जी के पास जायेंगे, किसान के बेटे के पास, हमारी अरदास वहां लगायेंगे, वहां हमारी सुनी जायेगी, लेकिन आम जनता के लिए दरवाजे बन्द हैं और खास लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं।

एक बात और कहना चाहूंगा। वहां से जो दिव्यांगजन आते हैं, उनके लिए वहां से कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बाईस गोदाम से मुख्य मंत्री निवास तक इलेक्ट्रिक व्हीकल या किसी भी साधन की व्यवस्था करवा दीजिये। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लोग आते हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप नहीं करवाएं तो मुझे इजाजत दे देना, मैं करवा दूंगा, क्योंकि मेरे तो स्टाफ का मामला है, मेरे तो साथी भाई हैं। मुझसे उनका दुःख देखा नहीं जा रहा है। यह बहुत गंभीर विषय है। माननीय मुख्य मंत्री, यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

फोटो की चर्चा नहीं करूं तो ही ठीक है, बड़ी चर्चाओं में है कि आइफा के जो बैनर, पोस्टर, उनमें फोटो किसकी थी और कार्यक्रम में तवज्जो किसकी थी। वह तो आप सब लोग जानते ही हैं। यह बात मैं नहीं कहना चाहूंगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी सुना है, आप कोई यूट्यूब चैनल लेकर आ रहे है, 8-10 करोड़ की लागत से बड़ा मामला है। उसे आप जिला लेवल तक, पता नहीं कहां- कहां लेकर जायेंगे, तो वह बीजेपी का चैनल रहेगा या सरकार का चैनल रहेगा? उसमें हमारा भी कोई हिस्सा रहेगा, एकाध न्यूज आयेगी या नहीं आयेगी? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आज सरकारी चैनल हैं। अपने विधान सभा का यूट्यूब चल रहा है। लोक सभा का भी चल रहा है तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अपना यूट्यूब तो अपना है ही ना विधानसभा का, पर वही ब्रांडिंग का खेल है, उसके लिए आप उसको लेकर आ रहे हैं, यह मैं कहना चाहूंगा।

एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ अलग हटकर है। आजकल मुझे पता चला है, ओटीएस में कुछ अलग चल रहा है। कौन लोग हैं? जो ओटीएस के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उनका क्या प्लान हैं? वे किस विषय की ओर, वो बंगाल या राजस्थान के हिसाब से प्लान कर रहे हैं या पहले हरियाणा या महाराष्ट्र में काम हुआ है, इस पर प्लान कर रहे हैं, किस प्रकार के परिसीमन पर प्लान कर रहे हैं, यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। इस चीज़ का

थोड़ा सा ध्यान रखो। अदर स्टेट में और राजस्थान में दिन-रात का अंतर है। इसलिए राजस्थान को राजस्थान ही रहने देना, यह मेरा आपसे अनुरोध है। यह बात है।

बात आई एक्टर की। आपने अपना फेवरेट एक्टर देश के प्रधान मंत्री जी को बता दिया। बात यहां तक नहीं थी, उसी दिन विडियो एडिट कराकर, उसके अंदर हीरो शब्द डलवाया गया और ये कहा गया कि मुख्य मंत्री जी से तो हीरो के बारे में पूछा था। ये सब लोग जानते हैं, हीरो तो हीरो ही होता है। डॉक्टर साहब..।

श्री अध्यक्ष: बजट पर चर्चा करें, तो अच्छा रहेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आऊंगा, अगला बजट पर ही है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): (..व्यवधान..) एप्रोप्रिएशन के अलावा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया। जब मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। जब सीएम साहब बैठे हैं तो आपको बीच में, नहीं, नो। मैंने कह दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हीरो में और एक्टर में अन्तर है। हीरो जनप्रतिनिधि भी हो सकता है। हीरो जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, हीरो अधिकारी भी हो सकता है, हीरो सेना का जवान भी हो सकता है, हीरो तो एक खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन एक्टर तो एक्टर ही होता है। आपने कहा, उसके लिए आपको धन्यवाद। ये बात मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप बजट पर।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बजट पर मैं कहूंगा तो फिर आप कहोगे कि..।

श्री अध्यक्ष: बजट पर जितना बोलना है, आज बिल ही है (..व्यवधान..) दूसरा था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बजट में आपने पत्रकारों के लिए आरजीएचएस की घोषणा की थी। यहां पीछे पत्रकार सुन रहे होंगे, किसी की हो गयी हो तो बता देना, भई। नहीं, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। अब बजट पर आऊं तो बजट पर भी नहीं। यानी, ऐसी घोषणा करते ही क्यों हो, जो पूरी नहीं हो। यह बात मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप आसन को ही सम्बोधित करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम इनके मकान की योजना लेकर आए। लॉटरी तक निकल गई, लेकिन आप चयन नहीं कर पा रहे। मुख्य मंत्री जी, इनका चयन तो करवा दो, यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

काफी डिपार्टमेन्ट हैं, जिनके लिए आपने पहले बहुत घोषणाएं की थीं, लेकिन उनकी और आपका ध्यान नहीं है। उस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

यूटीबी के अन्दर, जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत मेहनत की। आज उनको सीएसआर रूल 2022 में शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको शामिल कीजिये। जिनको हटा दिया, उनकी क्या गलती है, उनको लगाइए, जब तक आप पक्की भर्ती नहीं कर रहे हैं। यानी, संविदा से हटाकर संविदा पर ही लगा रहे हो। इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे।

इसी प्रकार से अग्निशमन के अन्दर, जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं, फायरमैन लगे हुए, ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको आप संविदाकर्मी बनाइये, यह बात मैं कहना चाहूंगा।

आप आरएसएलडीसी का गठन नहीं कर रहे हैं। आरएसएलडीसी के लिए तो आप ही की सरकार में, आप लोगों ने बड़ी-बड़ी आवाज उठाई थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि राज़ बदलते ही, उधर तो ये बात थी, फिर इधर ये। यानी कि हमारे समय में तो आरपीएससी भंग होनी चाहिए और आपका राज़ आ गया तो सवा साल से आरपीएससी पर चर्चा ही नहीं।

आप लोग कह रहे हो कि अब पेपर लीक नहीं हो रहे है। कानून किसने बनाया? देश के अंदर सबसे पहले पेपर लीक के विरुद्ध कानून अगर किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है। जिसकी वजह से इस पर लगाम लगी है। आपका भी कोई रोल नहीं है, यह बात मैं बताना चाहूंगा।

इसी प्रकार से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जो कार्मिक लगे हैं, उनको भी आप संविदा पर नियोजित किए जाने को समाप्त करें और उनका राजकीय कर्मचारी के हिसाब से जो हैं, उस हिसाब से आप इनका चयन करें। इसी प्रकार से 104 और 108 के जो ड्राइवर हैं, उनकी बात मैं कहना चाहूंगा।

एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं, इतनी गहराई तक जाते हैं। भारत सरकार ने भी उनके लिए अलग से विशेष भत्ता अनाउंस किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अन्दर, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, आप इसको कीजिये।

आपने कंप्यूटर अनुदेशक ठेके पर ले लिए। आप आरटीई का भुगतान नहीं कर रहे हैं, पुराने रेट पर कर रहे हो, उनकी रेट बढ़ाने की जरूरत है, ये निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर बहुत जगह कुलपतियों पर अलग-अलग प्रकार के आरोप लग रहे हैं। मैं किसी को इंगित नहीं करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस दिशा में आप सही फैसला लेंगे, सही निर्णय लेंगे, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ़ आप कार्रवाई करेंगे, यह मुझे उम्मीद है।

राजीविका के अंदर समूह का गठन नहीं हो पा रहा है, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। आप उनको मानदेय देने का काम करेंगे। आशा सहयोगिनी हैं, उनको संविदा रूल्स 2022 के अंदर शामिल करेंगे, यह बात मैं आपको कहना चाहूंगा। आपने हमारे राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया। अब आप अटल प्रेरक स्कीम लेकर आ रहे हैं। काफी राजीव गांधी युवा मित्र सुसाइड तक कर चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। उनकी सेवाओं को देखते हुए, हमने तो हमारी तरफ से यह प्रपोजल भी आपको दिया था कि राजीव गांधी प्रेरक की जगह अटल प्रेरक आप कर लीजिये, तो अटल प्रेरक तो आपने कर लिया तो अब उसमें आप इन लोगों को प्राथमिकता से इसके अंदर नियुक्ति दे, ये अपील मैं आप लोगों से करना चाहूंगा।

एक पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता हर बार बढ़ता है, पर हमारी सरकार बढ़ाती है। आप की सरकार आती है तो बढ़ाते ही नहीं, इनका मैस भत्ता बढ़ाइये। इनके प्रमोशन का जो मामला

चल रहा है, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का। वह बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसको पूरा कराने की जरूरत है, प्रक्रिया लगभग पूरी है, कोई एकाध जगह कहीं दिक्कत आ रही है। आपका इंटरफेयर होगा, तो इन लोगों का भला हो जायेगा।

आज भी ये लोग काम तो उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन काफी अंतर है, इस चीज़ के अंदर, इस पर मैं समझता हूं आप जरूर गौर करेंगे। यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा।

इसी प्रकार से होमगार्ड के जवान हैं, 12 महीने काम की डिमांड कर रहे हैं। आज इस महंगाई के युग में मैं समझता हूं, हमें उनको 12 महीने काम देना चाहिए। अपने को उनका ईएसआई, पीएफ भी काटना चाहिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा।

आप कई विभागों के अन्दर एमनेस्टी लेकर आ गये, लेकिन रीको में नहीं आई। आप देखना, इसमें अगर कोई सुधार आप कर सकें तो मैं समझता हूं, इससे भी आम जनता को इस चीज का फायदा मिलेगा।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात कही, उस पर आना चाहता हूं। आपने कहा कि आपके राज के 88 हजार टैबलेट हमने बांटें, अच्छी बात है। क्योंकि आखिरी साल की घोषणा थी, हमारे समय में टेंडर वगैरह सब हो गए थे, लेकिन बांट नहीं पाए। आप लोगों ने बांट दिए, बहुत अच्छा आपने बांट दिए। लेकिन, हमने जब महिलाओं को स्मार्ट फोन बांटने शुरू किए तो 35 लाख स्मार्ट फ़ोन तो हमने बांट दिए थे, आप एक महिला वित्त मंत्री होते हुए, महिलाओं के लिए स्मार्ट फ़ोन जो बंट रहे थे, उन पर आपने रोक लगा दी।

Bhs/Rtm/12.03.25/16.30/3b

1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को फ़ोन मिलने थे, लेकिन आप ने रोक लगा दी। वह महिलाओं के लिए 3 साल के इन्टरनेट के साथ उस चीज़ को हमने दिया था और इंडियन काउन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, दी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आई.टी. मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इन्टरनेट यूजर्स की संख्या 10% बढ़ने पर जी.डी.पी. में 1.08% की बढ़ोतरी होती है इसलिए हमने ये बांटे थे तो यह बात आपकी समझ से बाहर है मेरे को लग रहा है। आप लोग नहीं बांटना चाहेंगे कि महिलाओं का उत्थान हो जाये। यह आपकी सरकार जहां आ रही है वहां आप महिलाओं को 2000-2500 दे रहे हैं तो फिर राजस्थान में आप क्यों नहीं दे रहे हैं? यहां भी मातृ शक्ति को आप दीजिये न, उनकी मदद कीजिये। क्या यह जरूरी है कि चुनाव के आखिरी वर्ष में ही घोषणा करेंगे? या तो यह प्लान है आप लोगों का। अगर आखिरी वर्ष में आपने घोषणा की तो राजस्थान की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। अगर उनके बढ़ाने हैं तो इसी बजट के अंदर आप बढ़ाइए यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि मैंने कोई आंकड़े गलत दिये हैं। आप आंकड़ों को चेक करवा लीजिये। एक आंकड़ा क्राइम का था वह जरूर मैं अपहरण बोल गया था बलात्कार की जगह वे आंकड़े दे दिये, इसके अलावा एक भी आंकड़े के अंदर

कोई गलती नहीं है, यह आप चेक करा लेना। आपने कहा कि कैपिटल एक्सपंडिचर आपने 2023 की तुलना में 44% बढ़ाकर 2024-25 में 38 हजार 288 करोड़ कर दिया, पर आपने सच जो छुपाया है न, वह मैं बताता हूं कि आपने कैपिटल एक्सपंडिचर का बजट 44 हजार 216 करोड़ रखा था और उस पर आप 13% कम खर्च करा कर पाये हैं, तो अपनी जो कमी है उसको बतायेंगे नहीं, क्योंकि आपका खर्चा 38 हजार 288 करोड़ ही हुआ है। यह आपकी कमी है, इसके अंदर आपकी बड़ाई ही नहीं है, यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आंकड़े आप चेक करा लेना। हमारी सरकार ने 2023-24 में कैपिटल एक्सपंडिचर के लिए 38 हजार 61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। चार महीना आपकी सरकार, तीन महीने आचार संहिता रहने के बावजूद 34 हजार 844 करोड़ रुपये हमने व्यय किये यानी हमारी सरकार के सात महीने और आपके 15 महीने में केवल 4000 करोड़ का अंतर रहा है। यह है आपके सवा साल का सुशासन।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जी.डी.पी. पर आ जाइए आप। आप ने कहा कि जो कर्ज बढ़ रहा है इसके जो आंकड़े हैं उसको आपने छुपाने की कोशिश की, मैं उजागर करता हूं उनको। आपने 2024-25 के लिए अनुमान लगाया कि स्टेट जी.डी.पी. का 35.97% ही कर्ज होगा पर रिवाइज्ड एस्टीमेट में यह बढ़कर 37.65% निकल कर आ गया यानी कि एफ.आर.बी.एम. की कर्ज लिमिट 38.2 तक आप पहुंच गये। यही है लास्ट, इससे आगे गये तो पेनल्टी लगेगी आपको। आपने अनुमान लगाया कि स्टेट जी.डी.पी. का 36.5% का कर्ज होने जा रहा है, जैसे पिछली बार आपने अनुमान से लगभग 2% ज्यादा कर्ज के रेश्यो पर आप पहुंचे थे, वैसे ही अगर आप गणना करेंगे तो आप 38.5 की लिमिट को पार कर जायेंगे और आप इस तथ्य को छिपा नहीं सकते कि आप की सरकार ने 2 साल में ही 1.56 लाख करोड़ का जो कर्ज है वह आप लेने जा रहे हैं। यह तो ऑन रिकॉर्ड है और इसका मतलब यह है कि हर राजस्थानी पर 1 लाख का कर्जा आप उसके सर पर मांड कर जा रहे हैं, यह बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको डबल इंजन की ताकत की बात बताता हूं कि 2025-26 में 85 हजार 716 करोड़ का हिस्सा केंद्रीय करों से मिलेगा जो कि 2023-24 से 17 हजार 653 करोड़ रुपये ज्यादा है लेकिन यही अनुमान तो आपने पिछली बार भी बताया था तो उसमें तो 2000 करोड़ रुपये आप लोगों को कम मिले, यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नये फाइनेंस कमीशन की सिफारिश है कि केंद्र सरकार केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से घटाकर 40% करे। अगर वह सिफारिश लागू हो गई न तो राजस्थान का हिस्सा भी 1% और कम हो जायेगा जो पहले ही कम मिल रहे हैं। यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा। स्टेट जी.डी.पी. की जो बात कर रहे हो आप कि 2024-25 के बजट की तुलना में 65 हजार 695 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है पर आपने यह छिपा लिया कि पिछली बार बजट में वादा किया था कि प्रदेश की जी.डी.पी. 2025 तक 17 लाख 81 हजार करोड़ रुपये हो जायेगी तो इसका क्या हुआ?

वहां तक पहुंची ही नहीं है, 17 लाख 4 हजार करोड़ ही पहुंची, 77 हजार करोड़ रुपये कम रही और आपके टार्गेट से आपकी स्टेट जी.डी.पी. 4% कम है तो कहां ले जाओगे इस राजस्थान को? डबल इंजन कब काम आयेगा? यह बात मैं कहना चाह रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बोलो मत। नो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अब राजकोषीय घाटा आप देख लीजिये। 2024-25 के लिए राजस्व घाटा 4.1% रहा, जो एफ.आर.बी.एम. की अनुमत सीमा में है पर आपने यह नहीं बताया कि 2024-25 के लिये स्टेट जी.डी.पी. के राजस्व घाटे का अनुमान 3.9% लगाया है जो कि 4.1% हो गया था मुख्य मंत्री जी। अभी आपने पिछले बजट में 25 हजार 758 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया, पर इसका 31 हजार 939 करोड़ पहुंचने का अनुमान है यानी राजस्व घाटा आपके अनुमान से 24% ज्यादा जायेगा। आपने कहा राजकोषीय घाटा अनुमत सीमा में है तो यह भी 70 हजार करोड़ से बढ़कर 84 हजार 643 करोड़ से ज्यादा हो जायेगा। आपका राजकोषीय घाटा स्टेट जी.डी.पी. के रेश्यो में 1.4 से बढ़कर 1.9% हो गया, जो आपने अनुमान लगाये हैं न उन सब से ज्यादा है। यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्री जवाब दे रहे थे कि एफ.आई.आर. हमारे समय में कम हुई। मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे से पहले भी एक साथी ने एक शेर यहां पर पढ़ा था कि,

'तू इधर-उधर की बात न कर, यह बता काफिला क्यों लुटा?
मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।'

मुख्य मंत्री जी, राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है कि आपके कॉन्स्टेबल दलित महिला से बलात्कार कर रहे हैं और पुलिस उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर रही है आसानी से। आप बताइए आपने उस एस.एच.ओ. पर क्या कार्यवाही की? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े आपके अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद जाकर के एफ.आई.आर. दर्ज हुई है जो नियम हमारी सरकार ने बनाया था कि महिला की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करेंगे, उसका यह नतीजा हो रहा है तो इसलिए एफ.आई.आर. दर्ज कम हो रही है, गृह राज्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। दर्ज ही नहीं करोगे तो यही हालत रहेगी और आपके पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गंभीर अपराधों में वांछित अपराधियों की कुल संख्या 1,43,523 है, जो आप अरेस्ट ही नहीं कर पाये यानी लगभग डेढ़ लाख लोगों को तो आप अरेस्ट नहीं कर पाये, गंभीर जिन पर आरोप लग रहे हैं और आप पीठ थपथपा रहे हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार में 2024 के अंदर महिला अपराध के 37,700 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं यानी कि रोजाना 103 महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी, शेम की बात है यह क्योंकि 'नहीं सहेगा राजस्थान' का नारा लेकर,

भाषण देकर जीत कर आ गये और अब वह बोर्ड हटा दिये, उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। यह बात मैं कहना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा, रोज़ चार हत्याएं भी हो रही हैं यह भी ध्यान रखना आप प्रदेश में। हां, इसी प्रकार से अपहरण के 10,629 मुकदमे 2024 के अंदर दर्ज हुए यानी कि हर एक घंटे में एक व्यक्ति का अपहरण हो रहा है संसदीय मंत्री महोदय, हर एक घंटे में एक व्यक्ति का अपहरण राजस्थान के अंदर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: मुझे बताओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह बात मैं कहना चाहूंगा और एक साल के अंदर 7339 बच्चे लापता हुए हैं जिनमें से 84% बच्चियां हैं, 501 बच्चे तो अब भी लापता हैं, जिसमें 451 बच्चियां हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? उन बच्चियों को कौन ढूंढ कर लेकर आयेगा? लेकिन वह नहीं ढूंढना है, आईफा चल रहा है राजस्थान के अन्दर।

Kas/rtm/12.03.2025/16.40/3c

2022 की तुलना में 2024 में दुष्कर्म के साथ हत्या के मामले 18.75 परसेंट बढ़े हैं। 2022 की तुलना में 2024 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले 10.12 परसेंट बढ़े हैं और 2024 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 26.32 परसेंट मामलों में अभी भी जांच पेंडिंग चल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी, कब करोगे आप जांच? 11 परसेंट से अधिक तो आपके पॉक्सो के मामले पेंडिंग हैं, जिनमें जांच नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एससी, एसटी के 18 परसेंट मामले पेंडिंग हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ब्याज माफिया से लोग परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, यह स्थिति है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: आपका टाइम हो रहा है, आप बोलो। बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। आप आपके नेता को ही नहीं बोलने दे रहे हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्री जी, आज मैं आपसे युवाओं के लिये भी कहना चाहता हूं कि युवा किस ओर जा रहा है। युवा इस देश की शक्ति है, ताकत है, इस देश का भविष्य है युवा, लेकिन युवाओं को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं? युवा के बारे में हमारा प्लान क्या है? मुख्य मंत्री जी, मुझे बड़ा दुःख हुआ, आपने क्राइम को लेकर मीटिंग ली थी और उसमें आपने कहा कि हमारे यहां से शराब तस्करी होकर गुजरात जा रही है, आपने खुद ने कहा। इसका मतलब क्या है, गुजरात में तो शराब बंद है ना, वहां शराब बिक रही है और यहां आपके नीचे शराब की तस्करी हो रही है, इन शब्दों के मायने ये हैं, यह मैं कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में 65 परसेंट से ज्यादा युवा हैं और प्रदेश की तकदीर वो युवा बदल सकते हैं, लेकिन वो आज किस दिशा में हैं? युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है। हालत यह हो गई है कि गली-गली, मोहल्ले में एक-एक ठेले पर आपको नशा उपलब्ध है, नशा मिल सकता है। एक-एक लोग जानते हैं, एक-एक पुलिस का अधिकारी जानता है, लेकिन उस पर हम लोग कार्यवाही नहीं करना चाहते। जयपुर में रात में क्लब कितने बजे तक खुल रहे हैं, कितने बजे तक हुक्का बार चल रही हैं, क्या आपको पता नहीं है? प्रदेश की

राजधानी में इस प्रकार से हो रहा है, तो हम दूसरों को क्या सीख देंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी, यह बात मैं कहना चाहता हूं। आज देश में अलग-अलग प्रकार के माफिया, कहीं बजरी माफिया, कहीं भू-माफिया, कहीं खनन माफिया और कहीं नशा माफिया पनप गये हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किसने पनपाये?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो आप देख लीजिए डेढ़ साल में किसने पनपाये। इनको वो पनपा रहे हैं, जिनको मेरी बात पर एतराज है, यह बात मैं कहना चाहूंगा। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न-उत्तर नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): गुजरात के गांधी नगर में 74 लाख की शराब पकड़ी गई, वह राजस्थान से गई थी। यानी तस्करों के साथ मिलकर जो अभियान राजस्थान में चलाया जा रहा है, यह उन युवाओं को उन्माद, सांप्रदायिकता, अभद्रता, नशा, अपराध की ओर धकेल कर इन युवाओं का जीवन बरबाद नहीं कर रहा, इस राजस्थान का आने वाले समय में ऐसा इतिहास हो जायेगा कि जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा।

अल्लामा इकबाल का एक शेर है,

'वतन की फिक्र कर ऐ नादान मुसीबत आने वाली है,
तेरी बर्बादियों के मश्वरे आसमानों में हैं
न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दुस्तान वालों
तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में'

आज हमें संभलने की जरूरत है। हम नहीं संभलेंगे तो जिस प्रकार से पंजाब के जो हालात हो रहे हैं, वो उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता राजस्थान बनने में देर नहीं लगेगी। आज समय है मुख्य मंत्री जी, हम इसके लिये कदम उठा सकते हैं, यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज पारण के अंतिम चरण में यह विधेयक पहुंच गया है। इस पर काफी चर्चा हुई है, इस सदन की भी चर्चा हुई है, इस सदन के इतिहास की भी चर्चा हुई है। इस बजट में सबको कुछ न कुछ मिला होगा, लेकिन हमें क्या मिला? इस सदन को क्या मिला? इस सदन की जो परम्पराएं हैं, इसकी जो विरासत है, उसको क्या मिला? इस पूरी चर्चा के दौरान इस सदन में कई प्रकार की बातें यहां हुईं। मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहूंगा। हम आज भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को याद करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से यहां अपनी गौरवशाली परम्पराएं छोड़ीं। यही नहीं, यहां हरिदेव जोशी, मोहन लाल सुखाड़िया जैसे नेता रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आसन पर भी नरोत्तम लाल जी जोशी, परसराम मदेरणा, डाक्टर सी.पी. जोशी जैसे सख्त लोग भी रहें और उन्होंने इसे गरिमामय बनाने के लिये कई ऐसे उदाहरण पेश किये, लेकिन हम क्या लेकर जा रहे हैं? यह

लोकतंत्र का पवित्र सदन है, जहां हमें इस प्रदेश की जनता की सेवा करने की जो एक ललक पैदा होनी चाहिये, वो नहीं हो रही है। यहां रहे भैरोंसिंह जी उप राष्ट्रपति पद तक गये, लेकिन क्या हम लोग उनके साथ रहकर भी उनके जीवन से प्रेरणा नहीं ले सके। उनके बताये हुए मार्ग पर नहीं चल सके, क्या हम हमारे शब्दों का चयन इस प्रकार से करें कि किसी दूसरे व्यक्ति की गरिमा, इस सदन की गरिमा पर आंच आये, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं होनी चाहिये। मैं सदन के नेता से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से कटुता, द्वेष, गतिरोध बढ़ता जा रहा है, वो नहीं बढ़ना चाहिये। इस सदन में कई बार इस प्रकार के क्षण आये हैं, लेकिन हमें सूझ-बूझता के साथ उस चीज का निर्णय करना चाहिये। हम लोकतंत्र में जो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उसे निभाते-निभाते हम कहीं भूल जाते हैं कि भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता, जो बना हो कड़वी बोली से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जिस प्रकार से सदन की मर्यादाएं तार-तार की गईं, किसी धर्म विशेष को लेकर बात की गई, मैं बात करना चाहूंगा जलियां वाला बाग़ हत्याकांड की। जब जलियां वाला बाग़ में अंग्रेजों के द्वारा 1500 निर्दोष हिन्दुस्तानियों को मार कर डाल दिया गया और जब पत्रकारों के सामने वार्ता हुई, तो अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग भाग रहे थे और भागते हुए गिर गये। उनमें एक व्यक्ति का बेटा, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार खान था, उसने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर एक भी पठान की पीठ पर गोली दिखा दो, तो हम इस स्वतंत्रता संग्राम से अपना नाम वापस ले लेंगे। अध्यक्ष जी, पांच दिन तक पोस्टमार्टम चला और 76 के 76 पठानों की छाती पर गोलियां पाई गईं, यह हमारे देश का इतिहास है। आप किस प्रकार से बात करते हो?

अगर हम बात करें हल्दी घाटी युद्ध की, तो यह लड़ाई हिन्दू-मुसलिम की नहीं थी, यह लड़ाई सल्तनत की थी। मैं सही बता रहा हूं, जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, वो कभी समाज को दिशा नहीं दे सकते, हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिये, यह बात मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। हसन खां मेवाती इस राजस्थान की, देश की लड़ाई लड़ते-लड़ते शहीद हो गया।

Msk/rtm/12.03.25/1650/3d

हाकिम सूरी शहीद हो गया और आज हमारे माननीय सदस्य के लिए जिस प्रकार की बात कही गयी। मैं कहना चाहूंगा कि उनके पिता हाजी छोटू खां निर्मल हिन्दी के कवि थे। 1960 में जब राजस्थान में अकाल पड़ा तो उन्होंने कविता पाठ करके चंदा इकट्ठा किया और लोगों की मदद की, यह हमारा इतिहास है। यह बात मैं कहना चाहूंगा। हम इस प्रकार की बात करते हैं। आज किसी को हम धर्म के नाम पर टार्गेट करेंगे तो कल टीकाराम जूली को दलित के नाम पर टार्गेट करोगे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। यह राजस्थान की गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है कि यहां पर जो जहर घोलने वाली ताकतें हैं, उनको हमेशा

पीछे बैठाया है और यह पवित्र सदन इस राजस्थान के अन्दर जब कभी भी इस प्रकार के मौके आये, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राजस्थान की बढ़ोतरी के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए एक साथ होकर आगे बढ़ाने का काम किया है, यह बात मैं आपको कहना चाहूंगा।

माननीय, कुंभ की बात आयी। ...(व्यवधान)... यह आपने ही बोला था, मैंने नहीं बोला था। मुझे बड़ा दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है कि कुंभ की हमारी महान विरासत इस देश की वर्षो-वर्षो से चलती हुई आयी है, उस कुंभ पर आप लोग राजनीति करना चाहते हैं। आपसे खाटू श्याम बाबा का तो मेला नहीं संभल रहा, आप कुंभ की बात कर रहे हैं। तीन दिनों तक वहां पर हड़ताल रही है। मेरा आपसे एतराज है, सदन के नेता से, कि आप कुंभ गये और आप सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही ले गये। इसलिए मैं कहना चाहूंगा। उस दिन भी दो-तीन लोग बोले थे कि आप लोग चलो, आप लोग साथ चलो, आपके भी पाप धो आयेंगे। तो मैंने कहा, पहले आप अपने धो लो, हमने तो ऐसे पाप नहीं किये हैं। ये लाखों-करोड़ जो इस देश के लोग हैं, उनकी आस्था के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। कुंभ के अंदर भगदड़ मची। दिल्ली के अंदर स्टेशन पर भगदड़ मची। यानी कि आज तक, आप स्पीच में बता देना कि कितने लोगों की डैथ हुई है, अगर ये आंकड़े हैं तो।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान के विषय नहीं हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान से ही कुंभ में हवाई जहाज भरकर गयी है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं भी गये, हमें क्यों नहीं लेकर गये? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मंशा है, वह साफ नहीं है। आप लोगों के लिए मेरे पास एक छोटी-सी कविता है।

तुम्हारी अर्थियां उठें
मगर ये ध्यान में रहे
कि मेरे लिये जो है सजी
वो सेज ना खराब हो
ये बादशाह का हुक्म है

और एक हुक्म ये भी है
भले कोई भी मरे
मेरी इमेज ना खराब हो

सुनो मेरे मंत्रियों
सफेदपोश संत्रियों
जहां मिले जमीन खाली
रोप दो कपास को
कपास मिल में डाल कर
बुनो सफेद चादरें

गली गली में जाकर फिर
ढको हरेक लाश को
सवाल जो करे उसे
नरक में तब तलक रखो
कहे न जब तलक मुझे
कि आप लाजबाव हो

यह आपकी नीयत है। ये बादशाह का हुक्म है।

और एक हुक्म यह भी है
भले कोई मरे
मेरी इमेज ना खराब हो
खरीदो ड्रोन कैमरे
खिंचाओ मेरी फोटुएं
दिखाओ उसको न्यूज पे
करो मेरा प्रचार फुल
कहीं दिखे जो दाग
तो जबान से ही पौंछ दो
मगर ये ध्यान में रहे
जबान पे हो लार फुल
निकाल हर किसी की रीढ़
भीड़ वो बनाओ तुम
वो जुल्म पे, हिसाब पर
कभी न इंकलाब हो
ये बादशाह का हुक्म है
और एक हुक्म ये भी है
भले कोई मरे
मेरी इमेज इमेज ना खराब हो
जो सत्य हो वही दिखे
ना लाग ना लपेट हो
न कोई पेड न्यूज हो
न झूठ का प्रचार हो
काट दे जो जुल्म को
जो चीर दे अनर्थ को
पत्रकार की कलम में

ऐसी तेज धार हो
सलाख डाल कर
निकाल कर
उछाल दो उसे
किसी की आंख में अगर
ये बेहूदा सा ख्वाब हो
ये बादशाह का हुक्म है
और एक हुक्म यह भी है
मेरी इमेज ना खराब हो

यह बात माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से एजुकेशन पर हमले बोले जा रहे हैं, उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हम बंद करेंगे। गरीब का बच्चा..

श्री अध्यक्षः बस हो गयी बात।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं साहब, मेरा टाइम बच रहा है। 5 मिनट इन्होंने खराब किये हैं।

एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी चीज है, जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि यहां हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं। लगातार जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और उर्दू शब्द से तो आपको इतनी भारी चिढ़ है कि बस पूछो मत। पर मैंने पता करवाया है कि 'दिलावर' शब्द का अर्थ क्या होता है? इसकी मूल उत्पत्ति कहां है? 'दिलावर' शब्द अरबी मूल का फारसी शब्द है, यह बात मैं बताना चाहता हूं। अब आपको हो सकता है कि इसके लिए भी कोई कमेटी बैठानी पड़ जाये। यह बात मैं कहना चाहूंगा।

आप लगातार संविधान से छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। संविधान का आर्टिकल 243 (यू) के मुताबिक नगर निकाय के कार्यकाल को न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसी प्रकार से पंचायती राज को, लेकिन आप अपने स्वार्थ के कारण, फिर मैं कहना चाहूंगा संविधान को कमजोर कर रहे हैं। मेरे को पूछते हुए, तीन बजट हो गये कि भरतपुर के जिला प्रमुख के चुनाव कब होंगे? मुख्य मंत्री जी, ये तो आप बता दो। अभी पटवारी भर्ती हुई। यानी कमाल ही हो गया, साहब। यह तो उप चुनाव है, मैन चुनाव की तो बात ही छोड़ दो। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो न? पटवारी की 2024 में 1733 पदों पर भर्ती निकली, एसी के लिए 16 परसेंट के हिसाब से 277 पद होने चाहिए थे और एसटी के लिए 12 परसेंट के हिसाब से 208 पद होने चाहिए थे। आपने दिये 229 और 175, क्यों यह कौनसा फार्मूला आप निकाल रहे हैं? इसी प्रकार से हायर एजुकेशन के लिए 1648 पदों में एससी के लिए 260 और एसटी के लिए 194 पद होने चाहिए थे और आपने एससी के लिए 172 और एसटी के लिए 148 पद दिये। ये कैलकुलेशन कौन आदमी कर रहा है जो दलितों के पिछड़ों ...(व्यवधान)... और इससे पहले हमारे 153 बैकलोग थे।

श्री अध्यक्ष: बैठें, उनके बारे में कहेंगे तो क्या वे नहीं कहेंगे? नाम मत लो, बोल दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे 153 पद बैकलॉग में थे, उनको भी आपने गायब कर दिया। इसी प्रकार से पशु चिकित्सक भर्ती में 900 पदों का रिज़ल्ट आया, एससी के 39 और एसटी के 63 आपने खाली छोड़ दिये। कमाल है। ...(व्यवधान)... ओबीसी का तो।

श्री अध्यक्ष: एक बार हो गया। माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 47,571 पदों में से ओबीसी के 714, एससी के 661, एसटी के 68 और एमबीसी के 40, आपने इतनी संख्या कम कर दी। यानी एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी सबको ही लपेटे में ले लिया। ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों से क्या चिड़ है? गरीब का बच्चा, हम अपने बच्चों को तो प्राइवेट में भेजते हैं और गरीब का बच्चा सरकारी में पढ़ता है। वह प्राइवेट में भेजे तो हजारों रुपये की फीस दे। अगर उस फीस से उसको राजस्थान सरकार बचाना चाहे तो आप स्कूल बंद करो। यह बात कुछ समझ से बाहर है। मेरी बातें तो बहुत ज्यादा थीं सारी रह गयीं, सारी रिपोर्ट, वगैरह सब।

अब आधी मिनट में, मैं यू-टर्न सरकार का एक मामला बताना चाहूंगा। बाल गोपाल दूध योजना के नाम पर आपने मोटा अनाज देने की घोषणा की और यू-टर्न ले लिया, फिर पाउडर का दूध दे रहे हैं। शिक्षा विभाग में 100 दिन की कार्ययोजना में तबादला नीति बनाने की कही, फिर यू-टर्न ले लिया, 100 दिन पार हो गये, आपका उस पर कोई असर नहीं हुआ। दौसा के अंदर एक जाति विशेष के लोगों का आपने ट्रांसफर कर दिया और 3 घंटे में फिर यू-टर्न ले लिया, फिर उस ऑर्डर को वापस करना पड़ गया।

mdp/rtm/12.03.25/17:00/3e

अधिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग का आदेश, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में जो अधिशेष चल रहे शिक्षक हैं, उनकी पोस्टिंग अटक गई है। आपने पहले 15 अगस्त का कहा और उसके बाद पोस्टिंग दी जा सके और फिर आप ने ऑर्डर वापस ले लिया। 37 हजार शिक्षक अटक गए।

इसी प्रकार से अतिरिक्त विषय के डिग्री धारियों को नियुक्ति का आदेश आपने मार्च में निकाला और उसके 10 दिन बाद ही फिर उसको वापस ले लिया, यू-टर्न। प्रदेश में एडमिशन की जो अधिकतम आयु सीमा है, वह पहले आपने 31 मार्च की और फिर आपने इसको 31 जुलाई कर दिया और अब 1 अक्टूबर कर दिया, तीन-तीन यू-टर्न इसमें। इसी प्रकार से आपने मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया, फिर प्रतिबंध हटा दिया, एक और यू-टर्न आपका हो गया। फिर आपने 1000 पदों पर विज्ञप्ति निकाली, इंटरव्यू के लिए छह महीने बाद भी परिणाम जारी नहीं, सूचियों का कहीं अता पता ही नहीं है। यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। प्रधानचार्यों के पदों पर डीपीसी की काउंसलिंग जारी हो गयी, नहीं कर पाए, इसका आदेश आपने वापस ले लिया। व्याख्याता के 10,500 पदों पर डीपीसी करनी थी, उसके बाद

तकनीकी कमी बताकर फिर आदेश वापस ले लिया।

चलिए, आपकी मान लेता हूं, इस यू-टर्न सरकार और यह पूरा जो बजट, यह एप्रोप्रिएशन बिल जो है, ये सिर्फ इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए, खोखले हवा-हवाई जो दावे हैं, वह यहां पर सरकार ने पेश किए हैं। इससे राजस्थान का जो भविष्य वह मजबूत होने के बजाय कमजोर होगा।

मैं इस बजट की, इस पूरे बिल की निंदा करता हूं। जय हिन्द। जय भारत। राम-राम सा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यवाही पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

आज की कार्यवाही पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मैं माननीय सदन के नेता को पुकारूं उसके पहले आप सबको स्पष्ट कह रहा हूं कि कोई भी बीच में दखल नहीं करेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह स्टैंड अलाऊ नहीं कर रखा। अध्यक्ष जी, ने आपको विशेष अनुमति ...(व्यवधान).... दी है।

श्री अध्यक्ष: आपके पास भी था। ये प्राइवेट करके आए हैं। ...(व्यवधान).... अगली बार आप भी करा कर आना, आपको देंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (सं.2) विधेयक, 2025 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2025

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय मैं हमारे पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों का विभिन्न अनुदान की मांगों तथा आज वित्त एवं विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान अपने विचार रखने एवं बहुमूल्य सुझाव देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा के दौरान उठाए गए समस्त बिंदुओं का हमने संज्ञान लिया है और इन बिंदुओं का परीक्षण कर, उन पर यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मेरी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं मेरी एक पीड़ा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से साझा करना चाहूंगा। जैसाकि सर्वविदित है हमारी विधान सभा क्योंकि मेरे प्रतिपक्ष के साथी ने भी कहा है, देश में संसदीय परंपराओं के आदर्श के रूप में जानी जाती है। इसी विधान सभा में कई नामचीन हस्तियां निकली हैं। इस विधान सभा ने देश के संवैधानिक परंपरा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले और उसके रूप में विख्यात आदरणीय

स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत जी जैसे अजातशत्रु दिए हैं। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा और राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में विराजमान माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का नाम भी राज्य से जुडा है। यह हमारे लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है।

इस विरासत के विपरीत एक नयी ही स्थिति इस बार विधान सभा में देखने को मिली। आठ करोड़ प्रदेशवासियों के हित से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा करने के स्थान पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के बहुमूल्य समय को अनावश्यक विवाद कर शोरगुल में जाया कर सदन की गरिमा को गिराया गया है। मैंने पहली बार इस आसन को, पहली बार इस आसन की पीड़ा को अश्रुओं की धारा के रूप में निकलते देखा है। ऐसा दृश्य फिर हमारे सामने नहीं आए, यह संकल्प आज हम सभी को मिलकर लेना चाहिए। अब कुछ दिनों से सदन में सार्थक चर्चा हो पा रही है। इसके लिए मैं किसको धन्यवाद दूं? उनको धनवाद जो मेरे सामने विराजमान हैं या फिर उनको धन्यवाद दूं जो पिछले दो सप्ताह से अदृश्य हैं। मैं दृश्य और अदृश्य प्रतिपक्ष के दोनों माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सभी सदस्यगण को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के क्रियाशील होने पर शुभकामनाएं देता हूं। किंतु आज ही इस बात का भी अफसोस रहेगा की यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास व उद्घाटन तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया और तत्समय प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री राजेंद्र राठौड़ जी के साथ भाजपा विधायक दल सहर्ष उस समारोह में आया, फिर भी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यशील होने के पहले दिन जब लोक सभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी को आमंत्रित करके पक्ष-प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों के सामूहिक भोज का आयोजन रखा गया, तो ऐसे अवसर पर भी राजनीति से प्रेरित हो विपक्ष द्वारा आयोजन का बहिष्कार किया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उचित है या अनुचित, सभी को अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा। अध्यक्ष महोदय, ये सवाल भी मेरे जेहन में आ रहा है कि क्या यहां भी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध कोई इन्हीं के घर का सदस्य षड्यंत्र तो नहीं कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ में उनकी उपस्थिति देश की सर्वोच्च पंचायत लोक सभा के माननीय स्पीकर के साथ मंच पर होती तथा उन्हें भी इस साझे मंच के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका मिलता। ऐसा लगता है कि इससे उन्हें उन्हीं की पार्टी के अदृश्य शक्ति के षड्यंत्र ने वंचित कर दिया। मेरी सहानुभूति हमारे साथी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास इन प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार लोगों के हित, नागरिकों, पहले की सोच सिटिजन फर्स्ट के साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख फैसले

लेते समय हमेशा गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी ज्ञान हमारी आंखों के सामने रहते हैं। हमारे द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत बजट माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा दिए गए इसी प्रेरणादायी मूलमंत्र को प्रतिबिंबित करता है। इसी के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे द्वारा विरासत में समुचित संसाधन उपलब्ध हों, इस दृष्टि से प्रदेश में प्रथम बार ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन में वित्त मंत्री, हमारी उप मुख्य मंत्री हमारी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत कर रही थी, तब मेरे साथ सभी प्रदेशवासियों ने भी हमारे विपक्ष के साथियों के चेहरे पर उतार-चढ़ाव वाले भावों को देखा होगा। किसी भी चर्चा से अधिक तो विपक्ष के चेहरे की निराशा से स्पष्ट हो गया था कि हमारे जन-कल्याणकारी बजट में कोई भी कमी ढूंढना इनके लिए संभव नहीं था।

Ans/rtm 17.10 3f 12.03.2025

अगर इन्हें सही मायने में आम जन की खुशहाली की परवाह है तो इन्हें भी प्रसन्नता के साथ बजट का स्वागत करना चाहिए था। जब भी मैं देख रहा था, अभी भी मैंने देखा, मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया, 28 मिनट तक हमारे प्रतिपक्ष के नेता विधेयक पर नहीं आये, अन्य-अन्य बातों की ही बात करते रहे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े अंतराल के साथ, लगातार यहां चर्चा हुई है, डिमांड पर चर्चा हुई है। माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी ने उन विषयों को रखा है, अच्छा है, उन्हीं को दोहराकर आज भी काफी विषय उन्होंने रखे है। तो यह चिंता सता रही लगती है कि उन्हें अब ना पक्ष से निकलने का जनता अवसर ही नहीं देगी, जनता को यह कहना है, यह गलियां यह चौबारा, यहां आना ना दोबारा।

सभी माननीय सदस्यों ने यह भी देखा कि इस बार बजट में कई दिनों तक माननीय नेता, प्रतिपक्ष को उन्हीं के साथियों के कारण सदन में बोलने का अवसर ही नहीं मिला। जब उनकी यह दुविधा समाप्त हुई, तब से लगता है वह उस समय की भरपाई करने के लिए प्रत्येक बिंदु पर एवं प्रश्न पर बोलने का प्रयास करते हैं। वह जिस आधी-अधूरी तैयारी से तथा प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्य सदन में अपनी बात रख रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि उनकी तैयारी ठीक प्रकार से नहीं है, उनको अभी और तैयारी करनी चाहिए। अच्छा होता कि आप सब सही तथ्य पता करने के बाद ही अपनी बात माननीय सदन में रखते।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नई बात और देखी है। नेता प्रतिपक्ष को आजकल अपना अलवर क्षेत्र छोड़ पडोस के हमारे भरतपुर से अत्यधिक लगाव हो गया है। अपनी हर बात का दृष्टांत उन्हें भरतपुर ही दिखाई देता है। कृपया यह मुझे यह बता दें कि इनका यह भरतपुर के प्रति लगाव है या मेरे प्रति लगाव है या फिर मेरे बंसीवाले ने इन्हें भी भरतपुर की ओर आकर्षित कर लिया है?

माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर अर्थव्यवस्था को

पांच वर्ष में, हमारे कई साथी कह रहे थे, उनका भी मैंने सुना है, वह एक्सपर्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन एक्सपर्ट्स को जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। उनको किसी तरह का भाव नहीं दिया। जब भाव नहीं दिया तो दूसरे काम में भी स्टॉप हो गये थे। उसके बाद भी उनको भाव नहीं मिला। एक्सपर्ट्स दिखाने से पहले, बोलने से नहीं होता है, यह राजस्थान की आठ करोड़ जनता देखती है। कोई भाषण सुनने के लिए, आपका काम कहां पहुंचा है, राजस्थान की जनता इसे देखती है कि हमारा काम किसने किया है। अर्थव्यवस्था में पांच वर्ष 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने प्रारम्भ कर दिये हैं। जब प्रतिपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था के विकास के सम्बन्ध में कोई सार्थक चर्चा नहीं कर पाये तो मात्र किस वर्ष में जीएसडीपी कितनी हो पाएगी, 350 बिलियन किस वर्ष पहुंच पायेगी, इस सम्बन्ध में केवल आंकड़ों को लेकर बैठ गये हैं।

मैं माननीय सदन को हमारे आंकलन के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं। आप सुन लीजिये और नोट भी कर लीजिये। इसके बाद भी बता दीजिये। हम कोई भी काम करते हैं, हमारा काम ऐसा नहीं होगा कि कोई उंगली उठाने वाला पैदा हो जाए। हम बात करते हैं अन्दर से और वह करते हैं जो करकर दिखाते हैं। हम राजस्थान की जनता का जो विश्वास लेकर आये हैं, हम इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस संकल्प के साथ इस सदन में आये हैं, उस संकल्प को पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी 17 लाख 4 हजार 339 करोड़ रुपये, यानी की 197 बिलियन डॉलर रहेगी। वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार 535 करोड़ रुपये, अर्थात 230 बिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है। इसी प्रकार वर्ष 2028-29 में जीएसडीपी का आंकडा 30 लाख 26 हजार 290 करोड़, यानी 350 बिलियन हो जाएगा। आप आंकड़ा लगा लीजिये। यदि हम जीएसडीपी की वर्तमान वृद्धि दर से आकलन करें तो भी हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेगी। हमारी डबल इंजन की सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप हमें पूरा विश्वास है कि अपने सभी लक्ष्यों को ना सिर्फ समयबद्ध रूप से, वरन समय से पूर्व प्राप्त करने में सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि हमारे प्रयास से प्रदेश की जीएसडपी में वर्ष 2025-26 में, गत सरकार के अंतिम वर्ष के विरुद्ध 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर युवाओं के लिये अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दृष्टि से निवेश को बढावा दिया जाना अति आवश्यक है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस सम्बन्ध में कहा है कि हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिटी कॉम्बिनेशन दिया है और यह कॉम्बो है। इन्वेस्टमेंट से एम्प्लाइमेंट का और डवलपमेंट से डिग्निटी का। हमारा भी प्रयास हो कि हम प्रदेश के युवाओं का स्वाभिमान बढ़ाने की दृष्टि से प्रदेश का विकास तथा रोजगार के अवसर का सृजन सुनिश्चित करें। इसी

उद्देश्य से हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। यह बड़ी उसकी मजाक करते हैं। मैं कई साथियों को देखता हूं। जब राइजिंग राजस्थान में कुछ था ही नहीं तो आपने क्यों किया? जरा मुझे यह भी बता दो। जब राइजिंग राजस्थान में है ही नहीं, तो जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों किया? फर्क सिर्फ इतना था कि आपने अंतिम साल में दिखाने के लिये किया था और हमने प्रथम वर्ष में राजस्थान की जनता के लिए किया। आप कर रहे हैं तब तो अच्छा हो रहा है और हम कर रहे हैं तो राइजिंग राजस्थान ठीक नहीं है, उसकी आलोचना कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आगे बताना चाहता हूं कि राइजिंग राजस्थान में किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। किसी भी प्रदेश में निवेश, वहां नीतियां तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की स्थिति के आधार पर ही आता है। समिट के माध्यम से देश विदेश के उद्यमियों को राजस्थान की स्ट्रेंथ तथा कम्पीटिटिव इको सिस्टम के सम्बन्ध में जागरूक कर निवेश करते हुए, विकास में भागीदारी बनने के लिए आमंत्रित किया जा सका है। इस आयोजन में 32 से अधिक देशों के उद्यमियों के साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशों से भी उद्यमियों ने भाग लिया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि इस आयोजन में पूर्व 10 नीतियां तथा नवीन निवेश प्रोत्साहन योजना लाने, सिंगल विंडो को सुदृढ़ कर सेवाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही, छह माह का गहन आउटरीच प्रोग्राम करने के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश के एमओयू संभव हो पाए।

VPS-RTM-12.03.2025-17.20-3g

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने यह देखा होगा कि नीति कौन बनाता है? मैं आपसे इसीलिए यह कहना चाहता हूं कि जिनके मन में चेहरा देखकर काम करने की भावना होती है और एक नीति के आधार पर काम करने की स्पष्टता होती है, वह निश्चित रूप से पूरी तरह से दिखता है। वर्तमान सरकार में जो जारी की गयी नीतियां हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो नीतिया हैं- राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना, 2024, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एम-सैंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति, राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, राजस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति, यह नीतियां वह लाता है जिसके मन में करने की तमन्ना होती है और वह करना चाहता है और, माननीय अध्यक्षजी, 70 साल के इस देश के अन्दर जिस तरह का होता आया है, वह आपने देखा है। 70 साल उस गरीब के नाम पर उसको ठगा गया। 70 साल के अन्दर उनके प्रधान मंत्री यह कहते थे कि एक रुपया भेजते हैं तो पन्द्रह पैसे ही पहुंचते हैं लेकिन अब देश के यशस्वी प्रधान मंत्री सौ रुपये भेजते

हैं तो सौ रुपये ही जाता है, सौ रुपये ही जाता है। यह हमारी नीतियों का खेल है। हमारी नीतियों का खेल है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह उन्हीं प्रधान मंत्री की देन है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान का आयोजन सरकार के पहले ही वर्ष में किया जाना हमारी नीयत को दर्शाता है कि हम इन निवेश की सम्भावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध हैं। हम कांग्रेस सरकार की तरह मात्र चुनावी फायदे लेने के लिए दिखावे के काम नहीं करते हैं। जिन्होंने अपने सभी कार्यकालों को मिलाकर भी एक ही बार निवेश लाने का प्रयास किया, वह भी सरकार के अंतिम चरण में। पहले कभी नहीं किया। अंतिम चरण में आपने यह देखा होगा, कार्यकाल के अंतिम चरण में ये लेकर आये। मैं इस क्रम में आकड़ों का भी जो भ्रम जाल प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया, उसका उत्तर तथ्यों के साथ देना चाहूंगा।

कांग्रेस की विगत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किये गये इंवेस्टमेंट समिट, 12 लाख 84 हजार करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. किये गये तथा उसमें भी मात्र 3 प्रतिशत से भी कम लगभग 30 हजार करोड़ रुपये के ही निवेश का कार्य पूर्ण हो पाया था और इसकी तुलना में हमारे प्रथम वर्ष में ही 35 लाख करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. किये गये, जिनमें दो लाख करोड़, दो लाख चौबीस हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि के एम.ओ.यू. का कार्य प्रारंभ हो गया है। उसकी भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह फोटोज हैं। हर महीने मैं स्वयं मीटिंग करता हूं। यह दो लाख चौबीस हजार करोड़ रुपये के काम धरातल पर आ गये हैं। मैं आगे वह भी बताना चाहता हूं जो प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा। दो लाख चौबीस हजार करोड़ के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं तथा 30 मार्च, राजस्थान दिवस के अवसर पर, चैत्र प्रतिपदा के दिन भी, मैं यह कहना चाहता हूं आपसे क्योंकि हमारी यह तिमाही है, हमने राइजिंग राजस्थान को भी तिमाही में बांटा है। हमारा दिसम्बर में वह हुआ था, जनवरी, फरवरी और मार्च, मार्च के महीने में तिमाही हमारी होगी और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा दो लाख चौबीस हजार करोड़ का है, यह तीन लाख करोड़ रुपये के हमारे 30 मार्च तक पूरा करके हमारे हो जाएंगे। तीन लाख करोड़ रुपये से भी पार हो जाएंगे और इन कार्यों की ग्राउंडिंग भी सुनिश्चित कर ली जाएगी यानी, इनके समय से हमारा एक साल में दस गुणा होगा। तीस हजार और तीन लाख, यह दस गुणा होगा, यह देख लें एक बार।

मेरे स्वयं के द्वारा एम.ओ.यू. के सम्बन्ध में क्रियान्विति करने हेतु प्रत्येक माह निर्धारित तिथि को रिव्यू किया जाता है, जिसका परिणाम सभी के सामने है। मैं विपक्ष के सदस्यों को भी यह कहना चाहूंगा कि काश, उनकी सरकार में भी ऐसी ही मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गयी होती मगर उस समय तो इनके लोगों को जनहित के काम के लिए फुर्सत ही नहीं थी। अगर यह मॉनिटरिंग होती तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को उसका फायदा

मिलता। मैंने राइजिंग राजस्थान, 2024 के समय ही आगामी समिट की तिथियां, आप यह कह रहे थे कि अभी कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है, हमने आगामी समिट की तिथियां भी 09 से 11 दिसम्बर, 2026 तय कर दी है अगला हमारा राइजिंग राजस्थान उसमें होने वाला है, इसकी घोषणा भी कर दी है। इसके साथ प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में जनता के सामने निवेश की प्रगति का ब्योरा देने का भी एलान कर दिया था। हमने यह कहा कि हर साल उसी तिथि को हम राजस्थान की जनता को यह दिखाएंगे कि हमारे यह एम.ओ.यू. कितने धरातल पर आये, यह काम भी हम करेंगे।

इसी क्रम में हमारे द्वारा ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू कर दिया गया, इसके अंतर्गत यथार्थ स्थिति पता रहे, इस दृष्टि से मौके की स्थिति को फोटो अपलोड करने का प्रावधान भी रखा गया और जिसको मैं दिखा रहा हूं, यह भी हमने प्रावधान रखा है कि जैसे ही हमारा एम.ओ.यू. धरातल पर आयेगा उसके फोटोज भी हमारे कम्प्यूटर पर पूरी तरह से आ जाए जिससे कितना काम किया है और फिजिकल भी उसको जाकर देखेंगे कि किस तरह से यह काम चल रहा है।

हमारे द्वारा निवेशकों के प्रस्तावों को गुणावगुण व परीक्षण कर ही पूर्ण पारदर्शिता से भूमि आवंटन किया जाता है। आपके समय में चेहरा देखकर आवंटन किया जाता था। आवंटन की प्रक्रिया कैसी थी? जो आ गया, हम से आकर नमस्कार कर ली, दोस्ती कर ली उसको तो भूमि आवंटित हो जाती थी। हमने नीतियों के आधार पर भूमि आवंटन करने का काम किया है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास को सर्वप्रथम मानते हुए, हमने माननीय प्रधान मंत्रीजी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश के कोने-कोने में विकास सुनिश्चित करने के लिए राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत जिला स्तरीय आयोजन भी किये हैं। हमारा उद्देश्य बड़े निवेश के साथ ही एम.एस.एम.ई. के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एम.एस.एम.ई. पॉलिसी तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी (ODOP Policy) भी लायी जाकर उचित प्रोत्साहन उपलब्ध करवाया गया है।

माननीय सदस्यों को जानकर यह प्रसन्नता होगी कि इन जिला स्तरीय आयोजनों में 2 लाख 75 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हुए हैं। राइजिंग राजस्थान के क्रम में ही प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को भी पंख लगाने के लिए क्योंकि आपने यह देखा है, माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में पर्यटन की दृष्टि से पहला राज्य है, पर्यटन की दृष्टि से हमारे राजस्थान में बहुत सम्भावनाएं हैं और उन सम्भावनाओं को देखते हुए, उसको पंख लगाने के लिए आईफा जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आईफा के वैश्विक मंच से हमारे रंगबिरंगे प्रदेश की

संस्कृति, हमारी वास्तु कला, हमारी शिल्प कला, लोक कला और ऐतिहासिक विरासत की प्रशंसा हुई है। आईफा के आयोजन से जहां एक ओर राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्रों को एक बूम मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी आईफा के योगदान की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है परंतु यह दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने आईफा जैसे आयोजन पर भी कई प्रकार की अनर्गल टिप्पणी कर डाली है क्योंकि वह उनकी पुरानी आदत है।

इसी प्रकार सदन में राइजिंग राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भरतपुर की एक होटल के बारे में बिलकुल ही गलत तथ्य प्रस्तुत कर उसके आधार पर समस्त एम.ओ.यू. पर प्रश्न-चिन्ह लगाने का भ्रामक प्रयास भी किया गया है। यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, क्योंकि मैंने यह कहा था कि इनको प्रेम है भरतपुर से। इनको भरतपुर से प्रेम है। इस सन्दर्भ में मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि जिस होटल का निर्माण पूर्ण होकर उसमें मीटिंग करने तथा मिथ्या एम.ओ.यू. करना बताया गया, वहीं सत्य यह है कि उस होटल के प्रमोटर्स द्वारा पार्टनरशिप में एक नया होटल लाकर उसमें 30 करोड़ रुपये का नया निवेश प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रतिपक्ष को इस प्रकार के प्रदेश ट्यूरिज्म इकाइयों की स्थापना एवं उनसे मिलने वाले रोजगार से भी आपत्ति है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरे राजस्थान में, बड़ी बात आप छोड़िये, अगर एक हाईवे के किनारे कोई ढाबा लेकर भी आता है, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए और उसका स्वागत क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ढाबे पर काम करने वाला आदमी है, उसको काम की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, एक बार उस गरीब की तरफ जरा देखो, गरीब के कहने से कुछ नहीं होगा। उस गरीब के आंसुओं की तरफ देखो, उस गरीब व्यक्ति को जो वहां जाकर के काम करेगा और उसको दूसरा कोई और काम नहीं दे सकता, वह ढाबा वाला उसको काम देता है और वह वहां पर जाकर काम करता है, उसके मां-बाप को और उसके परिवार को रोटी मिलती है।

Ssy/Rtm/12.03.25/17.30/3h

यह छोटा काम नहीं है। यह हमारे उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है काम, जहां उसको आवश्यकता है। लेकिन हम मजाक उड़ा लेते हैं। छोटा काम होता है, जिलों में किस तरह से काम होता है, क्योंकि आपको बड़े-बड़े काम करने की आदत है, बड़े-बड़े होटल बनाने की, मॉल बनाने की, बड़े-बड़े काम करने की आदत है, वह आगे और बताऊंगा कि क्या-क्या आदत हैं, वह भी आ रही हैं, किन्तु आम जन के हित के आड़े आने पर तो मैं कहना चाहूंगा कि, हमसे बैर रखो या ना रखो यह आपकी है मर्जी, लेकिन जनहित के कार्य में सहयोग करो यह हमारी है आपसे अर्जी।

अध्यक्ष महोदय, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जो जैसा होता है उसे दूसरे में भी वैसा ही दिखाई देता है। क्या है कि जो आदत होती है, मैंने एक बार सुनाया था, मैंने पिछली बार

भी सुनाया था, कोई बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा था, अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वैसे नाम भी ले सकते हैं कोई बात नहीं है, कोई अच्छा था, उसका ठीक प्रकार से घर चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी उसको परेशानी हो गई, परेशानी हो गई तो कई लोग विश्वास करते हैं, कई नहीं करते, कोई हनुमान जी के पास जाता है, कोई भोले बाबा के पास जाता है, कोई ठाकुर जी के पास जाता है, कोई माताजी के पास जाता है, तो वह जाते हैं, मेरे दिन कब अच्छे आयेंगे, किसी को हाथ दिखाता है, किसी के पास जाता है। वह व्यक्ति भी गया, वह जब किसी के पास पहुंचा तो कहा कि मेरे को भी परेशानी है, मेरी परेशानी देखिये, उन्होंने कहा, आइये बैठिये, आराम से उन्होंने बैठाया, उनका देखा, चेहरा मोहरा देखकर उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, बोले साहब मेरी तो बहुत ज्यादा हालत खराब है मैं कैसे करूं, कैसे नहीं करूं? बोले, चिंता मत करिये, 3-4 महीने में आपका बहुत अच्छा हो जायेगा, बढ़िया हो जायेगा, ठीक हो जायेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी लाटरी खुलने वाली है, क्या होगा, मैं 3-4 महीने में कैसे ठीक हो जाऊंगा, कैसे मेरे को अच्छा लगेगा? वह बोले ऐसे ही हो जाओगे, कैसे हो जाऊंगा, उन्होंने कहा कि यह जो चल रहा है वह सब आपकी आदत में आ जायेगा।

मैं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि कुछ बातें आपकी आदत में आ गई हैं और यह लंबे समय से आदत में आ गई हैं क्योंकि जो जैसा करेगा उसकी समझ में वह ही आयेगा। यह आपका खोट नहीं है। मैं देख रहा था, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता हमारे कुछ कह रहे हैं, एक दिन पहले अध्यक्ष जी के पास जाकर कह रहे हैं कि नहीं, नहीं साहब अच्छा है, आइये, आप भी आयें, हम भी आयें। हमको पता है, भाई, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी को भी पता था। लेकिन एक बात बताइये, सिविल लाईन्स में आप रहते हैं, कितने लोग उनका उद्घाटन कर गये, कितने लोग उसमें पूजा कर गये, कितने लोग निकल गये, आपको पता नहीं होता है क्या? लेकिन हम जब जाते हैं उसमें तो क्या पूजा-पाठ नहीं करते हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): होम करते हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): क्या उसमें किसी को बुलाते नहीं हैं? भाई, उन्होंने पूजा-पाठ कर ली, हमारे अध्यक्ष जी ने अगर उसमें पूजा-पाठ का कार्यक्रम रख दिया तो क्या दिक्कत हो गई? हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा है, आप आयेंगे, चलिये, हमने पूछा अध्यक्ष जी से, हमने पूछा हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी से उन्होंने कहा नहीं, साहब आयेंगे, हमें चिंता थी।

अब आप हमें कहते हैं कि आप हमें कुंभ नहीं ले गये। भाई, आपकी आदत तो ऐसी है हम कैसे करें? अगर आपसे हमने कहा, मैंने पहले भी मेरे निवास पर एक कार्यक्रम रखा था, मैंने आप सभी को बुलाया, मेरे 3-4 साथी गये थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मुझे नहीं बुलाया।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मेरी सुन लीजिये, मेरे यहां से सब गया, रफीक जी

मेरे यहां गये थे, श्रवण जी मेरे यहां गये थे और बुड़ानियां जी मेरे यहां गये थे। सब लोगों को बुलाया मैंने। देखिये, आपको सूचना होगी, मेरी बात सुनिये, आपको सूचना होगी नहीं तो आपके पी.ए.को सूचना होगी, निश्चित रूप से मैंने बुलाया है। अगर नहीं बुलाता तो रफीक खान जी, बुड़ानिया जी और श्रवण जी नहीं पहुंचते। 5-7 लोग पहुंचे थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो परिपाटी रही है कि जब भी सदन का नेता बुलाता है, हम जाते हैं, पर बिना बुलाये तो हम कभी नहीं जाते हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने तो आपको यहां तक कहा, आप बता दीजिये मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको घर पर बुलाया, आपने फोन नहीं किया? मैंने फोन किया था आपको। आपको मैंने घर पर बुलाया और घर पर मैंने इसीलिए बुलाया कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। मैंने आपसे यह कहा कि नहीं कहा कि माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं आप, मेरे को देने में शायद आपके साथी संकोच करें, आप मेरे को जो आवश्यक काम हैं, जो जनता के हित के काम हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती, हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, मैंने कहा, आपके सदस्यों की कोई इस तरह की बात हो विधान सभा की तो वह काम मेरे को दे दीजिये, मैं उनको मेरे बजट में समाहित कर लेता हूं। यह मैंने आपको बुलाकर के कहा था। यह इसलिए नहीं, मेरे को उस दिन दु:ख हुआ, उस दिन मेरे को इसलिए दु:ख हुआ कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता का होना, माननीय सदस्यों का आना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत आवश्यक है।

हमने यह भी कहा, आपने इस बात के लिए कहा था कि हम जायेंगे। हमने तो उस दिन भी कहा कि आप चलना चाहें, लेकिन आपकी तरफ से पॉजीटिव बात नहीं, हम तो बिलकुल तैयार थे, जब हम और लोगों को, राजस्थान के सभी लोगों को राजस्थान मंडपम बनवाकर के उसमें सुविधा देने का काम कर रहे हैं, आप तो हमारे साथी हैं, आपको तो हम अपने साथ बैठाकर के ले जाते।

माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दूसरा, मैं और कहना चाहता हूं इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गत सरकार ने अपनी लगभग 50 पूर्व घोषणाओं पर कार्य ही प्रारंभ नहीं किया, मात्र खोखली हवाई घोषणाओं तक सीमित रह गये। जनता भी इनसे पूछते-पूछते थक गई कि, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा? जनता भी पूछ रही है। अभी कई मेरे पास आये, कई लोगों ने कहा, मेरे से कहा, साहब, घोषणा तो हमारी 2022-23 की है, लेकिन वह काम प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने कहा, आप मेरे को दे दीजिये, मैं काम प्रारंभ करा दूंगा, चिंता मत करिये।

हम बड़े दिल के लोग हैं। इधर जो बैठे हैं यह राजस्थान की जनता के हित के लिए काम करते हैं। कभी मत सोचिये, मन में यह धारणा मत करिये, आज भी मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के हितों पर हम कभी कुठाराघात नहीं होने देंगे। आप भी अगर उचित मांग लेकर, जनता के हित की मांग लेकर आयेंगे, क्योंकि हमारे देश के

पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्राम सड़क योजना चलाई थी, उन्होंने एक भी गांव में यह नहीं देखा कि किसका है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने खाद्यान्न सुरक्षा में किसी को पूछा नहीं कि यह कौन है।

आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि कभी आपका संपर्क नहीं हो पाया, देश के नहीं दुनिया का एक ऐसा संगठन जो सिर्फ समाज हित के लिए जीता है। उनकी 2-2, 3-3, 4-4 पीढियां खप गई, उन्होंने अपने आपको इस मां भारती के लिए समर्पित कर दिया। आप उनके लिए बात करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन की होड़ कर सके। उनके अन्दर हम जब देखते हैं 10-10, 20-20, 25-25, 40-40 साल हो जाते हैं, लेकिन हम उनकी जाति का कभी पता नहीं कर पाते हैं कि यह किस जाति के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों पर इस तरह की बात करना हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारी मानसिकता के लिए ठीक नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उन लोगों को चाहते ही कहां हो?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं इसीलिए कहना चाहता हूं आपसे कि आप इन सारी चीजों को भूल गये। वह कितना काम करते हुए इस देश और समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। वह मां भारती के सच्चे भक्त के रूप में काम कर रहे हैं। हम यहां जब हमारे कार्य के लिए बात करते हैं तो निश्चित रूप से मन में पीड़ा इस बात की होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कार्य करने की गति के कारण लगातार ना सिर्फ घोषित कार्य स्वीकृत हो रहे हैं अपितु धरातल पर भी आ रहे हैं। गत बजट घोषणा की प्रगति जहां मेरे द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिये गये जवाब 7 फरवरी, 2025 के दिन 62 प्रतिशत थी और 19 फरवरी को जिस दिन बजट पेश हुआ था वह बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई।

spp/rtm/12.03.2025/17.40/3j

माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि यह प्रगति आज जब मैं बोल रहा हूँ तो यह 82 प्रतिशत हो चुकी है। इससे भी ज्यादा हर्ष आप सबको यह जानकर होगा कि इस बजट की भी, जो अभी बजट वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ है, उसकी भी 68 घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। वर्ष 2025 प्रारंभ भी नहीं हुआ और घोषणाओं की क्रियान्वति भी हो गयी। अगर मैं इनकी घोषणाओं की क्रियान्विति बताऊं तो आपको मैं बता सकता हूं कि कितनी है। कांग्रेस के पांच वर्ष में 4,148 घोषणाओं में से लगभग 1,921 घोषणाएं अपूर्ण हैं। यह अपूर्ण है 1,900, मेरे साथी आप मेरे पास आते हैं कि यह घोषणा जैसा कि मैंने बताया और आपके भी आते है कि हमारे समय में घोषणा हुई थी, यह 2019 में हुई, यह 2020 में हुई, यह 2021 में हुई, ये 2022 में हुई। क्या हो गया अध्यक्षजी? क्या हैं ये? बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन करके दिखाना पड़ता है, जमीन पर जाना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने पंचायतों को दिए सामाजिक पेंशन आदि

का उल्लेख करते हुए फण्ड रिलीज की समस्या का बिंदु उठाया। मैं आपके माध्यम से सदन को गत सरकार द्वारा दिसंबर, 2023 में अपने समय के दायित्वों का भुगतान न कर लंबित छोड़ देने सम्बन्धी प्रमुख मदों के विवरण से अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों को राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग के 2,180 करोड़ रुपये का भुगतान किया ही नहीं। 2,180 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया। वृद्ध, असहाय, विधवा, किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,443 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया। किसानों के कल्याण की योजनाओं में 1,316 करोड़ रुपये का भुगतान कहां हुआ? ये तो बतायें। मनरेगा के 896 करोड़ रुपये का भुगतान किसको करना था, यह तो बताएं। बच्चों को शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 728 करोड़ रुपये का भुगतान ही भूल गए कि हमें इसका भुगतान करना है। बच्चों के पोषाहार का भुगतान 353 करोड़ रुपये का कहां हुआ? अनाथ बच्चों को पालनहार योजना की 136 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया। जल जीवन मिशन के 1,755 करोड़ रुपये जारी ही नहीं किये। कर्मचारियों से सम्बन्धित 2,924 करोड़ रुपये का भुगतान भी नहीं किया। अब क्या इसका जोड़ भी आपको बताना पड़ेगा? यह जोड़ बताकर कि कितना है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार 16 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किए बिना ही विदा हो गई। यह भुगतान ही नहीं किया। इस विवरण से ये स्पष्ट हो ही गया होगा कि इनकी सरकार काम करती ही नहीं थी। जो थोड़ा बहुत करती थी, उसका भी भुगतान करती नहीं थी और हम जनहित में इनके द्वारा छोड़े गए दायित्वों का भुगतान करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम अपने कराए कार्यों तथा घोषित कार्यों के लिए, जो वित्तीय संसाधन इस डबल इंजन की सरकार में, यह तो हम जुटा ही लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भुगतान के सम्बन्ध में उठाए गए कुछ बिंदुओं की वास्तविक स्थिति भी बताना चाहूंगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान गत सरकार में जहाँ तीन और चार माह विलंब से होता था, वहीं हमने इस देरी में कमी लाकर आज स्थिति ऐसी कर ली है कि माह दिसम्बर में पेड इन जनवरी का भुगतान हो चुका है तथा माह फरवरी, 2025 का भुगतान प्रारंभ कर दिया है। ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी फर्ज बनता है कि मैं माननीय सदस्यगणों को उनसे सीधी जुड़ी योजना MLA लैड की जानकारी भी दे दूं। जहां गत सरकार ने अपने कार्यकाल में लगभग 500 करोड़ रुपये इस योजना में जारी ही नहीं किए, वहीं हमारे द्वारा इस वर्ष 2024-25 में संपूर्ण एक हजार करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को MLA लैड योजना की प्रगति से अवगत भी कराना चाहूंगा। पांच वर्षों में किसी भी प्रकार का इन्होंने नहीं किया। एक बार वर्ष 2022 तेज में अधिकतम 498 करोड़ रुपये के व्यय के साथ अधिकतम 11,975 वर्ष 2019-20 के कार्य ही पूर्ण किए गए। वही हमारी सरकार द्वारा जनवरी, 2024 से अब तक 1270 करोड़ रुपये

के व्यय के 29 हजार 361 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इनसे तीन गुने काम हुआ है। साथ ही इन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने में जहां कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में औसतन 76 दिन का समय लग रहा था, वहीं हमारी सरकार में औसत दिन 31 होकर दिन का समय लग रहा है। सोलहवीं विधान सभा में इस योजना में प्राप्त कुल अभिशंसाओं में से 9 हजार 985 यानी 91% कार्यों के लिये स्वीकृति जारी कर दी जा चुकी है।

माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही MLA लैड के अतिरिक्त प्रति विधान सभा क्षेत्र बिना किसी भेदभाव के, माननीय अध्यक्ष महोदय, MLA लैड तो दिया ही है, लेकिन बिना किसी भेदभाव के, अब ये कहते हैं कि, साहब, भेदभाव 5 करोड़ रुपये सड़क निर्माण, ये अब का नहीं है, ये आते ही था। 3 करोड़ रुपये अन्य आधारभूत संरचना के लिए है, अब ये गिनते जायेंगे, कितना हुआ? 10 करोड़ रुपये पुनः सड़कों हेतु उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 10 करोड़ रुपये इस बजट में दिया है। इस प्रकार 5 करोड़ रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र के स्थान पर 23 करोड़ रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो चार गुना होता है।

कहां हैं हरिमोहन जी? हरिमोहन जी, आप यह तो बताओ आप इतने समय से सदन में हैं, कभी एक वर्ष में MLA लैड में 23 करोड़ रुपया मिला है क्या? कभी मिला ये क्या 23 करोड़ रुपये? किसी को मिला है क्या? ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आपको किसने कहा? हरिमोहन जी को कह रहे हैं। बैठिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आ रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं। आगे आ रहा हूँ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, ये जो दिया है ना, यही नहीं मिला। यही बात मैंने कही है। ये जो आप लोगो ने जो घोषणा की है ना, जो हम को कह रहे हो, MLA लैड में दे दिया। हमसे प्रस्ताव ही नहीं लिए गए। जो हारे हुए हैं ना, उनसे प्रस्ताव लेकर काम कर रहे हैं। MLA लैड का नहीं है हमारा। वही तो बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्षः नो-नो। मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं। ..(व्यवधान)..अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं, अगर सदन की आज्ञा होगी तो मैं जाऊंगा इनके घर लेने के लिए। अगर यह कहेंगे कि प्रस्ताव, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह भी कहना चाहता हूं, जितने प्रस्ताव, लगभग 126 विधान सभा क्षेत्रों के प्रस्ताव आ गए, उनको पैसा जारी हो गया। इसमें 3 करोड़ रुपये जो दिया है, उसमें 91 विधान सभा क्षेत्रों के प्रस्ताव आ गए, जिनका पैसा हमने दे दिया। अगर आपका प्रस्ताव लेने के लिए, अगर आप भेजोगे नहीं हमें प्रस्ताव, तो वह कैसे आएंगे? प्रस्ताव आप भेजिए और लीजिये। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः अमीन कागजी बैठिये। ..(व्यवधान).. ये क्या है हाकम अलीजी? ..(व्यवधान)..नो- नो।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): अब ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता मैं

कह रहा हूं। मैं पूर्व में भी माननीय राज्यपाल के भाषण की बहस में जवाब में सदन को अवगत करा चुका हूं कि पंचायतों को गत सरकार राज्य वित्त आयोग की, यह मैं कह रहा हूँ, 23 करोड़, प्रस्ताव तो आपको भिजवाने है, मेरे को घर लेने जाना है? आप भिजवाइये लीजिए, किसने मना किया? कहां भिजवाते हैं MLA लैड के, कलेक्टर को भिजवाइये। ..(व्यवधान).. प्रस्ताव दीजिये। मैं बोल रहा हूं न। अब तो मेज थपथपा दीजिये। हरिमोहन जी, हाथ कर रहे हैं, मेज नहीं थपथपाई अभी।

jyg/rtm/12.03.25/17.50/3k

...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह राजस्थान के इतिहास में लिखा जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी खड़े हैं। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): वो रतन देवासी जी को बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... श्रवण जी मैं आपकी पीड़ा को जानता हूं क्योंकि आपके पास पहुंच गये, रतन जी के पास पहुंच गये, इसलिए आप जोर-जोर से कह रहे हो कि आपके पास पहुंच गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश की 130 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। नरेन्द्र मोदीजी की प्रेरणा से हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। अब भी ताली बजाने में जोर पड़ रहा है क्या? ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के जवाब में सदन को अवगत करा चुका हूं कि पंचायतों को गत कांग्रेस सरकार ने राज्य वित्त आयोग की राशि, रुपये 2 हजार 180 करोड़ रुपये की देनदारिया छोड़ गयी थी। ...(व्यवधान)... आप देख लेना कितना हो रहा है? हमने उक्त देनदारी 2 हजार 180 करोड़ रुपये से 4 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान हमारी सरकार आने के बाद पंचायती राज संस्थाओं को जारी किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बार-बार प्रतिपक्ष को आईना दिखा रहे हैं, किंतु यह है कि अपने गिरेबान में झांकते तक नहीं। अपने गिरेबान में झांकते तक नहीं, देख तो लो, भाई। यह आप वहां पूछ कर तो देखो, आपका पैसा वहां पहुंच गया, प्रस्ताव नहीं देंगे तो आपके घर थोड़े लेने आयेगा? लगता है, अपनी कमी नहीं देखना। दूसरों पर बिना तथ्य के अनर्गल टिप्पणी करना, कांग्रेस के कल्चर का ही अभिन्न अंग बन गया है। सबको याद होगा कि अभी हाल ही में इनकी एक प्रमुख, अभी बताया न आपने, अभी हाल में इनकी एक प्रमुख सदस्या द्वारा देश की क्रिकेट टीम के कप्तान एवं अद्वितीय खिलाड़ी को भी नहीं बख्शा गया। किस तरह की टिप्पणी की गयी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा चर्चा के

दौरान अनेक बार केन्द्र सरकार के सम्बन्ध में भी अपनी अनर्गल टिप्पणियां की गयीं। उन्होंने न सिर्फ केन्द्रीय बजट, केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के बारे में बात की किंतु कोविड जैसी महामारी के समय जब माननीय प्रधान मंत्रीजी ने देश को सम्भालने के साथ-साथ मानवता की दृष्टि से सौ से अधिक देशों को सहायता उपलब्ध करायी थी, सौ से अधिक देशों को सहायता उपलब्ध करायी थी, उस काल खण्ड की भी विपक्ष के माननीय सदस्यों ने तारीफ करना तो दूर, उसकी आलोचना ही कर डाली। यदि हम प्रदेश के गत पांच वर्षों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे केन्द्रीय करों में हिस्सा राशि हो, केन्द्रीय सहायता हो, विशेष पूंजीगत सहायता योजना हो अथवा ऋण लेने की सीमा हो, केन्द्र सरकार ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया, हमारी केन्द्र की सरकार ने। हमारे विपक्षी साथी जब सत्ता में थे तो अपनी कमियां केन्द्र पर डालने की इनकी आदत-सी बन गयी थी, जो आज तक भी जारी है, इन पर तो यह कहावत सटीक बैठती है, नाच ना जाने आंगन टेढा। मैं एक दिन कह रहा था, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने उस दिन भी कहा, मैं उसको भी दोहराना चाहता हूं। मैं सरपंचों के कार्यक्रम में गया, इनको सरपंचों से वो है, वह आ रहा है विषय, वो भी मैं आपको बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की डबल इंजन सरकार से अत्यधिक दिलचस्पी को देखते हुए आपके माध्यम से इनकी सरकार तथा हमारी डबल इंजन की सरकार के अंतर को स्पष्ट करना चाहता हूं,

जब थी उनकी सरकार, चारों और थी लूटमारी,
त्राहि-त्राहि करती जनता, हर तरफ थी लाचारी,
ऐसे में जनता ने जब हमको दी जिम्मेदारी,
आयी डबल इंजन की सरकार हमारी।
हुआ आशा का संचार, जगी उम्मीदें ढेर सारी,
मजबूत अर्थव्यवस्था, खुशहाली की हमने की तैयारी,
ऐसी डबल इंजन की सरकार हमारी।
हुए अपराधी बेकाबू, कानून-व्यवस्था भी हारी-हारी,
अपराध नियंत्रण से शांति व्यवस्था हमने सुधारी,
भर्ती दागदार की आपने, अटकी युवाओं की नौकरी सारी,
थाम हाथ युवाओं का हमने, की हर वर्ष रोजगार की तैयारी,
ऐसी डबल इंजन की सरकार हमारी।
कोरी घोषणाओं के ढोल पीट-पीटकर बनाया जनता को बेचारी,
करना था जब काम, कर रहे थे होटल में ऐश की सवारी,
आंसू पोंछ मजदूर, किसान के, दशा उनकी हमने सुधारी,
बिजली, पानी, सड़क सुविधा से हमने आज तस्वीर संवारी,
हां, ऐसी है डबल इंजन की सरकार हमारी।
करने ना थे वो काम पर प्रदेश की सूरत आपने बिगाड़ी,

भ्रष्टाचार की कर सवारी, किया खाली खजाना सरकारी,
केन्द्र के सहयोग से हटायी दूर हमने लाचारी,
बार-बार कहते हैं केन्द्र क्यों जाते हैं, केन्द्र से कुछ लेकर आते हैं,
दिल्ली इसलिए जाते हैं।
दिल्ली की नजदीकी से उनके दिल पर चली कटारी,
ऐसी डबल इंजन की सरकार हमारी।
बेपटरी की अर्थव्यवस्था, जेब कट रही थी भारी-भारी,
राइजिंग राजस्थान से अब विकसित प्रदेश की तैयारी,
हरित विकास से करनी है सुरक्षा पीढियों की हमारी,
गांव खिले, शहर खिले, आयेगी हर चेहरे पर मुस्कान की बारी,
ऐसी है डबल इंजन की सरकार हमारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष आंकड़े एवं तथ्यों के माध्यम से भी इनकी सरकार और हमारी सरकार, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, डबल इंजन वाली सरकार की...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे गांव का नाम अटारी। बस? ...(व्यवधान)... मुख्य मंत्रीजी, आपका गांव अटारी ही तो है। मुख्य मंत्री हमारे, गांव इनका अटारी। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, 2023 और 2024 के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापना हेतु हैक्टेयर में है, 66 हजार 149, आपने किया, हमने 1 लाख 501, यानी 50 प्रतिशत अधिक। कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना संख्या इनकी 92 और हमारी 412, चार गुणा से अधिक। सहकारी समितियों में नये गोदामों का निर्माण की संख्या 2023 में 0 और 2024 में 212, अब इसका तो प्रतिशत भी क्या निकालूं? सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि 259 मेगावाट और 1 हजार 689, छह गुणा। गो शालाओं को सहायता करोड़ों में, 733 करोड़, और 1 हजार 233 करोड़ हमारे, कौशल प्रशिक्षण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई की स्थापना से पूंजी विनियोजन करोड़ों में, 3 हजार 219 करोड़ 2023 में और हमारे 2024 में 11 हजार 500 करोड़, 3.5 गुणा अधिक। विभिन्न श्रेणी अस्पतालों का निर्माण की संख्या आपके समय 2023 में 160 हमारे में 260, डेढ़ गुणा अधिक। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान जल संचय योजना के अंतर्गत राशि करोड़ों में 103 करोड़ रुपये 2023 में और 2024 में 915 करोड़ रुपये, नौ गुणा अधिक। केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित राशि करोड़ों में, इनके समय 2023 में 1 हजार 498 करोड़ और अभी हमारे 2024 में 4 हजार 719 करोड़, यानी की तीन गुणा अधिक।

MLS/RTM/12.03.2025/18:00/3I

ग्रामीण क्षेत्र में ओडीएफ प्लस गांव संख्या 1096 और 38 हजार 415, 35 गुना। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण उन्नयन, नवीनीकरण - किलोमीटर्स 916, 2023 और 2596, ढाई गुना से अधिक। निस्तारण किये गये राजस्व प्रकरण 1 लाख और हमारे 2 लाख से ऊपर, दुगुना। रोडवेज के निगम बेड़े हेतु खरीदी गयी बस संख्या, 2023 में 0, हमारी 510

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इनको और कितने आंकड़े गिनाऊं, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि हम जनहित के विषयों पर हर चुनौती और मुश्किलों का सामना करते हुए खुशहाल राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस सन्दर्भ में मैं प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' जी की कालजयी कृति रश्मिरथी की चुनौतियों का डंटकर सामना करने की प्रेरणा देने वाली पंक्तियों का स्मरण करना चाहता हूं-

सच है, विपत्ति जब आती है,
कायर को ही दहलाती है,
सूरमा नहीं विचलित होते,
विघ्नों को गले लगाते हैं,
कांटों में राह बनाते हैं।
मुख से न कभी उफ़ कहते हैं,
संकट का चरण न गहते हैं,
जो आ पड़ता सब सहते हैं,
उद्योग-निरत नित रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के मुख्य बिन्दुओं पर आने से पूर्व मैं प्रतिपक्ष द्वारा उठाये गये कुछ विषयवार बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारी सरकार नयी शिक्षा नीति के उद्देश्य के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों और निर्णयों में आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू कर रही है। हम विद्यार्थियों के हित को देखते हुए जहां विद्यालयों की स्थिति में लगातार सुधार कर रहे हैं, वहीं आवश्यकतानुसार संसाधन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आज दिनांक तक हमारी सरकार द्वारा 85 विद्यालयों का उच्च स्तर पर अपग्रेडेशन किया गया है। 50 नये विद्यालय खोले गये हैं। 415 करोड़ रुपये व्यय कर अतिरिक्त कक्षा भवन निर्माण कार्य हाथ में लिये गये हैं तथा 21 हजार 299 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।

हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में 68 हजार 369 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा, जो कि इनकी सरकार के प्रथम वर्ष 2019-20 में किये गये व्यय से 34 हजार 291 करोड़ रुपये से लगभग दुगुना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट सत्र के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी चिन्ता व्यक्त करने के लिए लोकतंत्र के इस पावन

मन्दिर में चर्चा में भाग न लेकर सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। क्या इसे जनहित के प्रति सच्ची चिन्ता व सुधार करने की इच्छा माना जा सकता है?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिये जिस तरह से आप अपनी बात सदन के अन्दर कह सकते हैं, वह आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आने के लिए कहें, यह ठीक नहीं है। जहां एक ओर विपक्ष ऐसे दिखावे का सहारा लेकर मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहा है, वहीं हम जनहित में बिना रुके, बिना थके सतत् प्रयासरत् हैं। हमारे द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों का मूल्यांकन रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित स्टेट फाइनेंस, 2024 के विश्लेषण से ही हो जाता है। इसके अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर सभी राज्यों का औसत जहां मात्र 6.13 प्रतिशत है तथा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी वर्ष 2019-20 में वर्ष 2023-24 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कुल व्यय का औसत 6.78 प्रतिशत ही रहा। वहीं हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर व्यय हेतु वर्ष 2024-25 में 27 हजार 660 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 31 हजार 888 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो कुल प्रावधान का क्रमशः 8.26 प्रतिशत एवं 8.40 प्रतिशत है, जोकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 एवं वित्त आयोग की अनुशंसा द्वारा निर्धारित बैंचमार्क 8 प्रतिशत से अधिक है। हमारे द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को आवश्यक सुधार के साथ संचालित करने के फलस्वरूप जहां कांग्रेस सरकार के अन्तिम वर्ष में स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 लाख 51 हजार लोगों का इलाज हुआ, वहीं यह संख्या हमारे कार्यकाल में 20 प्रतिशत बढ़कर 36 लाख 27 हजार हो गयी।

आर जी एच एस के माध्यम से भी हमारे समय लाभान्वित सरकारी कार्मिक/पेंशनर्स की संख्या 6.72 प्रतिशत से बढ़कर 13 लाख 12 हजार 844 हो गयी। इसके साथ ही, आर जी एच एस फैमिली मैम्बर्स की संख्या में 2 लाख 16 हजार 912 की बढ़ोतरी भी हुई है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाने की दृष्टि से हमने बच्चों एवं बुजुर्गों से सम्बन्धित विशेष पैकेज जोड़ने के साथ-साथ प्रदेश के बाहर भी इलाज की सुविधा व्यवस्था अब कर दी है। फिर भी आप लोग जाने क्या-क्या राग अलापते रहते हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग पर चर्चा करते हुए, पता नहीं यह संयोग है कि जब भी मैं सदन में मेरी बात रखता हूं तो कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। आने वाले माननीय सदस्य द्वारा इस हेतु बजट कम रखने की बात की है। इसके साथ ही, विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा भ्रष्टाचार, बजरी माफिया, फोन टैपिंग, अपराध की स्थिति के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें कर अपने को, जैसे वो होता है न, पानी में बैठ जाता है, वो क्या होता है सफेद, पानी में बैठकर बाट देखता है, सोचता है, क्या है, आपने उन सारी बातों को उसकी तरह भुला दिया है। पहले उस बगुला भगत वाले चरित्र को उजागर करने का काम किया।

यह तो सर्वविदित है कि पेपर लीक किसके समय हुए। राजस्थान की जनता इस बात को

जानती है कि पेपर लीक किसके समय हुए। बजरी की लीज के सम्बन्ध में गलत निर्णय किसने लिये और किसके घर पर लिखा गया कि उसने खूब खाया और कौन तख्ती लगाकर आया। किसी ने पत्र लिखा, ये सारी चीजें, फोन टैपिंग को लेकर किसके समय होटलों में सरकार बैठी रही, जरा यह तो बताओ? किसको निकम्मा, नाकारा और क्या-क्या शब्द बोले, यह भी था। किसके समय क्षेत्र में मिनी सी एम घूम-घूमकर भ्रष्टाचार फैलाते थे? सबको पता है, रिफाइनरी जैसी परियोजना के काम में टांग अड़ाने के लिए कौन-कौन अपना दबदबा वहां दिखा रहे थे।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो उस समय के सी एम थे, वो अब भी वो ही चाह रहे हैं। उनका बजरी माफिया, खनन माफिया वही है। मैं कह रहा हूं, अभी चिन्ता मत करिये, अब वो नहीं चलने वाला है। बिलकुल नहीं चलने वाला है। जे जे एम तथा चिकित्सा विभाग की गत सरकार के समय कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में, हमारे बारे में बात कर रहे थे जे जे एम की, आपने इतना काम किया, हमने कितना काम किया। आपने कितना काम किया, पूरा पता है। राजस्थान की जनता जानती है। 2023 तक काम पूरा होना था। पूरा काम होना था। अगर आप पूरा काम करके चले जाते तो हमको तो काम पूरा मिलता। हमने तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी से निवेदन किया था कि जे जे एम का काम 2028 तक बढ़ा दीजिये, क्योंकि हमारे राजस्थान की जिस तरह से गत सरकार ने दुर्गति की है, हमने तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को निवेदन किया और उन्होंने हमारे निवेदन पर हमारी बात स्वीकार करते हुए 2028 तक बढ़ाया, इसीलिए हमारे क्षेत्र में काम हो जाएंगे।

MKD/RTM/12.03.2025/18:10/3m

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूरे देश में ही बढ़ा है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): पूरे देश में ही बढ़ेगा। पूरे देश में ही बढ़ेगा, अरे एक राज्य में थोड़े, हम आपकी तरह नहीं हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं। माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान..।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं भी इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी वजह से पूरे देश का भला हो गया।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 2008 से 2013 तक और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजनीति से पता पड़ता है कि उनके विचार और उनकी राजनीति क्या चाहती है तो गुजरात के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने उन सरकारों को तो, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, 2008 से 2013 के बीच में, इन्होंने उन सरकारों के सिलेंडर के पैसे नहीं घटाये थे और जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां सिलेंडर के पैसे घटाये थे। ये हम नहीं करते हैं। हम सबको समान भाव से देखते हैं, चाहे हमारे केन्द्र

की सरकार हो, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा, हमारी सरकार देश के लिए काम करती है, प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम करती है, इसलिए हमने जब निवेदन किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जे.जे.एम. को 2028 तक पूरे देश में बढ़ाने का काम किया।

चिकित्सा विभाग की गत सरकार के समय कार्य प्रणाली किसे नहीं पता है, किसने नहीं देखा, बीच में बहाने में बनाकर के प्रभारी के रूप में ऐसे-ऐसे सरका दिया, ये राजस्थान की जनता देख भी रही थी कि अचानक से सरका दिया चिकित्सा मंत्री को, प्रभारी के बहाने कि जाइये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, कि ये अपनी ओर जरा देखें कि किस तरह से हमारी गत सरकार ने काम किया है।

अध्यापकों के सम्मेलन में ट्रांसफर इंडस्ट्री की पोल किसके समय खुली? पता नहीं है? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, किसी के सामने एक अंगुली करने से चार अंगुली अपनी तरफ होती है। जरा विचार करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर ये नहीं होती तो राजस्थान की जनता आपको वहां और हमको यहां नहीं बैठाती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय पुलिस विभाग का औसत बजट 7 हजार 650 करोड़ रुपये वार्षिक रहा था, वहीं हमारी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से इसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए, इसे 11 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है। हमारे द्वारा 6 हजार 500 पदों पर भर्ती, 250 कालका पेट्रोलिंग टीम, 3 महिला पुलिस बटालियन की स्थापना तथा एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन जैसे कदम उठाये हैं।

रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रदेश में अपराध बढ़ने के सम्बन्ध में टिप्पणी की थी। साथ ही, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्यों को अब महिलाओं की सुरक्षा की चिन्ता सताने लगी है। इनके लिए तो मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि वे यहां नहीं हैं, लेकिन इतना कहूंगा कि चलो देर आये, दुरुस्त आये। लेकिन, वे होते तभी कहता, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी सदन में कोई नहीं होते हैं तो अगर विषय होता है तो मैं जिक्र नहीं करता। जो सदस्य सदन में नहीं हैं, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। आपकी महिलाओं के प्रति भावनाओं से सब परिचित हैं। हैं कि नहीं हैं?

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): (..व्यवधान.) सर, आप यह सही शब्द नहीं कह रहे हैं (..व्यवधान.)।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): महिलाओं कह रहा हूं। विपक्ष के द्वारा उठाए गए इन बिन्दुओं के क्रम में मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि गत सरकार के अन्तिम वर्ष की तुलना में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में महिला अत्याचार के प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। अब मैं इनको बता देता हूं, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता बता रहे थे, इनको पूरा

गणित बताना आवश्यक है। दुष्कर्म के साथ हत्या के मामले में 7.32 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। दहेज और मृत्यु मामले में 6 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूं, दुष्कर्म और बालिका मामले में लगभग 3 प्रतिशत की कमी हुई है, दहेज उत्पीड़न मामलों में लगभग 23 प्रतिशत की कमी हुई है, छेड़छाड़ के मामलों में साढ़े 8 प्रतिशत की कमी हुई है। इस प्रकार हमारे शासनकाल के प्रथम वर्ष में महिला अत्याचार के मामले में कुल साढ़े 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। ये मैं माननीयों को अवगत करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको राम के नाम से भी बड़ी दिक्कत है। लेकिन, मैं राम जल सेतु परियोजना, कहां हैं रामकेश जी? मैं देख रहा था, किधर हैं?

श्री रामकेश (गंगापुर): राम से कोई दिक्कत नहीं है (..व्यवधान..)

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): राम जल सेतु परियोजना। चलो, ठीक है, मान लिया ना? चलो, आपने सच स्वीकार किया, हमने मान लिया ना।

श्री अध्यक्ष: बैठो। आप बोलोगे, इधर से (..व्यवधान..)।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): क्यों चिन्ता करते हो। आपको तो दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि आपके नाम के आगे राम है। इसलिए तो वे दोनों बोल रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हमारी राम जल सेतु परियोजना है। माननीय, जहां हमारे द्वारा प्रदेश को सतत जल संकट से उबारने के लिए राम जल सेतु परियोजना, यमुना जल समझौता, स्टेट वाटर ग्रिड का निर्माण कर प्रयास किये जा रहे हैं। वहीं विपक्ष द्वारा, मनोज जी, तसल्ली तो रखो, तसल्ली तो रखो। आपके पड़ोस में जो बैठे हैं, उनसे पूछा। पडोसियों को पूछो, ये कितने दिन से काम कर रहे थे। ये कितने दिन से जनता को कह रहे थे। मैं बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं, आपके पास। ये कितने दिन से कह रहे थे। इन्होंने तो कई चुनाव इस बात पर जीते हैं। वहां जाकर के चुनाव से तीन महीने पहले पत्थर लगाते थे कि हम इधर से, हरियाणा की तरफ से यमुना का पानी ला रहे हैं। इस पर चुनाव जीते हैं, 70 साल में क्या किया? यही किया।

माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि, मैंने कहा कि स्टेट वाटर ग्रिड के निर्माण के प्रयास किये जा रहे हैं। वहीं विपक्ष द्वारा एम ओ यू की जानकारी तथा बजटीय प्रावधान को भ्रामक संख्या से प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है।

हमारे विपक्ष के साथियों को प्रदेश की जनता की समझ पर विश्वास ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जनता है, सब जानती है और मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं।

मेरे मित्रों, मैं हमेशा जनप्रतिनिधि के लिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और वह मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी अगर बात का, मेरी बात का, अगर किसी सदस्य की बात का भरोसा नहीं है तो भले ही हम जीतकर आ जाएं, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी जनता के

बीच में नहीं बनती है, क्योंकि जब तक जन-प्रतिनिधि हो, जनता में जवाबदेही नहीं है और जनता में इस बात की पहचान नहीं हो कि आपके मुंह से निकला हुआ एक-एक शब्द वो जनता के हित का है और जनता के काम करने का है, यह जनता को विश्वास होना चाहिए। जनता के मन में वह भाव आना चाहिए और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जनता जानती है। असत्य ज्यादा दिन नहीं चलता, हां, एक बार का असत्य चल भी सकता है, लेकिन जल्दी बुझ जाता है। सच धीरे चलता है, लेकिन लगातार चलता है। इसमें आपको हम सभी को यह अन्तर समझना होगा।

इस सदन में हमको इसलिए नहीं भेजा है कि बस आरोप-प्रत्यारोप लगाते चले, हमारी बात को इतिश्री करते चलें। हमें जनता के बीच में रहते हुए, जनता के कामों को ध्यान दिलाना होगा। उनके जिन वायदों को हम करके आये हैं, क्योंकि यह स्थिति होती है कि आदमी से जब बात करते हैं तो उससे कुछ भी हां करा लीजिए। कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहता है। हमने जनता से जो वायदे किये, हम एक-एक वायदे को जनता को बार-बार ध्यान दिलाते हैं और आपके माध्यम से मैं बार-बार इसको रिपीट भी करता हूं, जनसभा के अन्दर भी करता हूं और सदन के अन्दर भी करता हूं कि जो हमने संकल्प पत्र लिया है, हम उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे।

Bhs/Rtm/12.03.25/18.20/3n

हमने ई.आर.सी.पी. कॉरपोरेशन को वृहद् रूप देते हुए स्टेट वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन बनाने का भी निर्णय लिया है। हमारे द्वारा जहां एक ओर कॉरपोरेशन के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटाये जा रहे हैं वहीं केंद्र का भी योजनाओं की क्रियान्वित में पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह भी तो समझ में आना चाहिये कि यदि हम वेबसाइट पर सबके देखने के लिये एम.ओ.यू. अपलोड कर सकते हैं तो इसे किसी से छिपाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जब हम वहां अपलोड कर सकते हैं, वहां पर सब लोग देख रहे हैं तो हम कहां छुपायेंगे इसको? इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। 17 दिसंबर, 2024 को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री की उपस्थिति में स्वयं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ करने से विपक्ष पूरी तरह से हताश और बौखला गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारे द्वारा केंद्र और हरियाणा सरकार के सहयोग से हथिनी कुंड बैराज से यमुना जल, राजस्थान के प्रयास भी अब रंग लाने लगे हैं और शेखावाटी क्षेत्र के अभी मनोज जी कह रहे थे तो मैं यही कहना चाह रहा था। मैं पेपर भी लेकर के आया हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मेरा क्या होगा? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठो। सब होगा। माननीय सदस्य, अच्छा होगा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): सुन तो लो श्रवण जी, सब होगा। सुनिये। सुनिये। इनको ऐसा लग रहा है कि यमुना जल का सीधा नल इनके यहां पहुंच जाये। मैं आपको

बताना चाहता हूं माननीय, यह रंगों का त्यौहार है, होली है और मैं शेखावाटी के रंगों की बौछार भी मैं साथ में दे रहा हूं और वह मैं यह दे रहा हूं कि दिनांक 5 मार्च को, अभी 5 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त डी.पी.आर. तैयार करने हेतु टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और वह यह पेपर मेरे पास है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो कह रहे थे कि चार महीने में डी.पी.आर. बन जायेगी, पिछले बजट में कहा था।

श्री अध्यक्ष: पूरा सुनें।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं आ रहा हूं न। हां, आ रहा हूं न। मैं वो ही कह रहा हूं। यह अभी आपने क्वेश्चन उठाया था, प्रतिपक्ष के नेता ने क्वेश्चन उठाया था, सदस्य ने हमारे ने कि आपने कहा वह टास्क फोर्स नहीं बनी, भाई क्या है कि आप तो एक जगह हो, एक जगह हो आप, दो जगह कर्नाटक मान लीजिये और हिमाचल मान लीजिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): तेलंगाना भी है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हां, तेलंगाना मिलीजुली है। मिलीजुली है, लेकिन अब हमारे तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पूरे देश में है तो कहीं ना कहीं चलता रहता है तो हमारे वहां चुनाव चल रहे थे दिल्ली के और आपको यह लग रहा था की टास्क फोर्स नहीं बनी, टास्क फोर्स नहीं बनी। भाई, तसल्ली करो, बड़ी पार्टी है, काम होगा, तसल्ली से होगा। क्यों नहीं होगा? और अब तैयार हो गई चार महीने में, आपने कहा चार महीने में डी.पी.आर. बन जायेगी, क्यों चिन्ता कर रहे हो और उसमें भी कहीं ना कहीं तोहफा आयेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने कही इसलिये ...(व्यवधान)... मैंने कहा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हां, तो यही मैं कह रहा हूं कि आप दो जगह हो, हम पूरे देश में हैं, हम पूरे देश में लगे हुए हैं, हम भी बिज़ी थे, हमारे मुख्य मंत्री जी हरियाणा भी बिज़ी थे तो धीरे-धीरे होता है। हमने कहा हो गया, मनोज जी, और कहां बुडानियां जी ...(व्यवधान)... पारीक जी।

श्री अध्यक्ष: बैठो। नो। माननीय सदस्य, मैंने पहले ही कहा था। दिया था न अवसर बोलने के लिये। बैठिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): टास्क फोर्स के लिये धन्यवाद।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): धन्यवाद है? चलिये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नो।

भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): मैं सदन को देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी के एक कथन की याद दिलाना चाहता हूं,

'महान उपलब्धियां,
महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलतीं,
महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलतीं और
आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती हैं।'

माननीय अध्यक्ष जी, शहरी विकास की मांगों पर चर्चा के दौरान बार-बार आ जाते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र का काम उन पर ही ज्यादा रहा था। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य सुन रहा था। इनके द्वारा उठाये गये विभिन्न बिंदुओं का जवाब तो खैर मेरे साथी हमारे शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री दे चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दिया, किंतु माननीय सदस्य, जिस प्रकार जोर-ज़ोर से अपनी कमियों को छिपाने की दृष्टि से बोल रहे थे, उससे मुझे बहुत ही अचरज हुआ। मैं मात्र उदाहरणस्वरूप उनके समय की कार्यप्रणाली उजागर करने वाले एक काम का जिक्र करना चाहूंगा। सदन को जानकर आश्चर्य होगा। मैं फोटो भी लाया हूं उसका, फोटो लाया हूं। यह मेरे भीलवाड़ा के माननीय सदस्य आये होंगे, उधर तो भीलवाड़ा का कोई है ही नहीं, इधर ही है। हां, उधर ही है, उधर ही है, उधर ही है, हमारे इधर ही है। उधर नहीं है न भीलवाड़ा में? मैं इसलिये कह रहा हूं उधर ही हैं भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा शहर में एक ऐसा हाई लेवल ब्रिज इनके समय निर्मित किया गया, जिसकी ओर कोई अप्रोच सड़क है ही नहीं और इस पर क्यों 34 करोड़ रुपये खर्च किये, यह तो यही जानें और वह कैसा है कि एक तरफ से चला गया और बीच में रुक गया, आगे न जमीन है, ना रोड है, न जमीन एक्वायर की है। भाई, आपको किससे दुश्मनी है जो ऊपर चढ़ करके, ऊपर चढ़ करके वह नीचे गिरे? यह ज़रा मैं उनसे पूछता, लेकिन वह हैं ही नहीं। किनसे दुश्मनी है? वो कौनसा पाइंट उसको बनाना चाहते थे? क्या स्थिति हो रही है? इस पर नहीं कहते हैं वो। तो मैंने आपके सामने नमूना दिया है। अगर कभी आप में से भी कभी भीलवाड़ा जाने का मौका लगे, नहीं तो मेरे भीलवाडा के साथी हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, उनसे पूछ लीजियेगा, इनसे पूछ लीजियेगा और जाइए और पूछिए उनसे कैसे बनाया है यह।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गत सरकार के ऐसे अनूठे कार्यों की लिस्ट अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था। साथ ही साथ रेडियो पर भूले बिसरे गीत कार्यक्रम भी चल रहा था। अजीब संयोग है कि उसी समय जो गाना बज रहा था उसके बोल थे, चाहे दिन हो, चाहे रैना, बस नोट गिनते रहना और आगे ...(व्यवधान)...

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह लाइन तो सही है गाने की?

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): गाने की है, आगे की मैंने, अब आप समझदार हैं, आगे मैंने क्यों नहीं गाया। आगे, मचाये शोर, उसको क्यों कहें, रोकना चाहते हो, पता नहीं, रेडियो को कैसे पता चल गया कि ज्यादा शोर कौन मचाता है। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हरिमोहन जी मचाते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कृपलानी जी क्या बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना ज़ोर देकर माननीय सदस्य हमारी सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि उनके समय के कार्यों की जांच करवायी जाये तो मुझे क्योंकि बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं तो इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैं उच्चस्तरीय समिति गठित कर ऐसे समस्त कार्यों की जांच कराने की घोषणा करता हूं। क्योंकि सीनियर सदस्य हैं, अच्छे सदस्य हैं, अनुभवी सदस्य हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, उनकी मांग आयी है

तो मैंने उनकी मांग मानते हुए उसकी घोषणा की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तुत बजट की चहुंओर प्रशंसा हो रही है। आमजन के साथ-साथ प्रबुद्धजन, निवेशकों, प्रवासी राजस्थानी सभी ने बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। इसी से चिंतित हो तथा अपनी खीज प्रकट करने के लिये प्रतिपक्ष के द्वारा मात्र अनर्गल टिप्पणियां व अधूरे आंकड़ों की दुहाई दी जा रही है।

मैं माननीय सदन के समक्ष आप के माध्यम से इस बजट विनियोग विधेयक के कुछ प्रमुख तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। बजट का कुल आकार 5 लाख 37 हजार 69 करोड़ रुपये का है, जो कि वर्ष 2024-25 की तुलना में 8.40 प्रतिशत अधिक है। गत सरकार के अंतिम वर्ष से 37.41% अधिक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कि वेज एंड मीन्स को हटाते हुए वास्तविक व्यय के लिये वर्ष 2025-26 हेतु 4 लाख 17 हजार 69 करोड़ रुपये का प्रावधान उपलब्ध है। आधारभूत संरचना के निर्माण तथा प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से पूंजीगत व्यय हेतु 53 हजार 686 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यह वर्ष 2023-24 के व्यय से दो गुना से अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में औसतन पूंजीगत व्यय जी.एस.डी.पी. का मात्र 1.64 प्रतिशत ही था, वहीं हमारी पूर्ववर्ती एवं वर्तमान सरकार द्वारा यह औसत लगभग 2.5% रखा जा रहा है।

Kas/rtm/12.03.2025/18.30/30

राजकोषीय घाटा, एफ आर बी एम एक्ट की अनुमत सीमा में 4.25 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो कि कांग्रेस की गत सरकार के औसत 4.34 प्रतिशत से कम है। हमारे द्वारा प्रदेश के बजट में ऋण भार पर नियंत्रण करते हुए जी एस डी पी रेश्यो मात्र 36.50 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि ऋण के सम्बन्ध में जोर-जोर से बोलने वाले विपक्ष की गत सरकार के समय यह प्रतिशत 37.83 रह गया था।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रयासों के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में भी राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वृद्धि से कहीं अधिक 11.04 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह 1,85,053 वार्षिक होना संभावित है। कृषि बजट में 14.67 प्रतिशत वृद्धि करने के साथ ही प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट 27,854 करोड़ रुपये का दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य सहित प्रतिपक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी व्यय पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य है कि कांग्रेस अपने दोहरे चरित्र का बार-बार प्रदर्शन कर वोट की राजनीति के लिये जहां बाबा साहब अंबेडकर का गुणगान करने का प्रयास करती है, वहीं ये भूल जाते हैं कि वर्ष 1951 में भारत के संविधान निर्माता को किसने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने के लिये मजबूर किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, उनको टिकट भी नहीं दिया और पूरी कोशिश करके उनको चुनाव में हराया गया था, ये यह

नहीं भूलें। वहीं दूसरी ओर उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए हमारी केन्द्र की सरकार ने उन्हें भारत रत्न से अलंकृत करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में भी एस सी, एस टी कल्याण हेतु हमारे द्वारा उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 44,230 करोड़ रुपये व 33,983 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। साथ ही एस सी, एस टी फंड के अंतर्गत भी संपूर्ण राशि की स्वीकृतियां जारी कर आगामी वर्ष के लिये फंड में वृद्धि की जाकर दोनों में 1750-1750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में हमारे द्वारा जहां एक ओर कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगा कर आमजन को राहत दी गई, वहीं ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिये विभिन्न कदम उठाये गये। इस प्रकार जनहित में हमने एक तीर से दो लक्ष्य साधने का काम किया है।

मैं सदन के समक्ष वित्त विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु रखना चाहूंगा। आमजन को स्टांप ड्यूटी में राहत दी गई है। उद्यमियों तथा आमजन के लिये विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत एमनेस्टी योजना लाई गई है। नवीन वैट अधिनियम प्रस्तावित कर उद्यमियों तथा निवेशकों को सहूलियत प्रदान करने के साथ ही टैक्स एफिशिएंसी भी बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे द्वारा किये गये एफिशिएंट रेवेन्यू मोबोलाइजेशन के परिणाम स्वरूप राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां कर एवं गैर कर राजस्व वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1,69,627 करोड़ रुपये होनी अनुमानित हैं तथा माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में भी दंड व्यवस्था के साथ न्याय व्यवस्था की स्थापना हेतु नियमों व कानूनों में डी-क्रिमिनलाइज करने बाबत प्रस्ताव रखे गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने मेरे सरपंचों के सम्मेलन में भाग लेने के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए कहा था कि मैं अपने आपको सरपंच ही मानने लगता हूं। मैं जब सरपंचों के कार्यक्रमों में पहुंच जाता हूं तो मैं अपने आपको सरपंच ही मानने लगता हूं। आपने एक बात और कही थी कि मैंने कहा कि सरपंचों के सम्मेलन में पैसा उड़ता है। मैंने यह कहा कि पैसा उड़ता है, पकड़ने वाला चाहिये। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज भी आपके पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, नीति है, आज भी मैं कह सकता हूं कि पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिये और इसे पकड़ने में हमने राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाया है। हम देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका सपना पूरा करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं, और वो हम कर रहे हैं।

यह कहा गया कि मुझे यह नहीं कर, मुख्य मंत्री जैसा आचरण करना चाहिये। मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं एक आम आदमी और जन सेवक ही बना रहना चाहता हूं। सभी की प्रेरणा स्रोत श्रीमदभागवत गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक का मैं यहां स्मरण करना चाहूंगा।

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरूषः ॥

अर्थात् आसक्ति का परित्याग करके कर्तव्य समझ कर कर्म करना चाहिये, क्योंकि फल की आसक्ति के बिना कर्म करने से व्यक्ति परम लक्ष्य को प्राप्त करता है।

मैं और मेरे सभी साथी इसी भावना के साथ बिना स्वार्थ के निष्काम कर्म कर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिये कृतबद्ध हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ ..

श्री अध्यक्ष: इसी का इंतजार कर रहे हैं।

घोषणायें:

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा बजट तथा बजट पर हुई चर्चा के अवसर पर की गई घोषणाओं की निरंतरता में जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ और घोषणा सदन में करना चाहूंगा।

पेयजल:

1. प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आमजन को आसानी से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये हमारे द्वारा 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत किये गये बजट में हमने 1,500 हैंड पम्प लगाये जाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों की आवश्यकता के आकलन की दृष्टिगत अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 2,500 हैंड पम्प लगाये जाने की घोषणा करता हूं। पहले 1,500 थे, अब 2,500 हैं।

Msk/rtm/12.03.25/1840/3p

2. साथ ही, प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल सम्बन्धी समस्या का तत्काल निराकरण हो सके, इस हेतु प्रत्येक जिला को Summer Contingency के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये का United Fund भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के लिए 70 करोड़ से अधिक के कार्य करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूं। उन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

ऊर्जा :

4. माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किये जायेंगे। इन GSS की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

सड़क :

5. प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु हमने 19 फरवरी, 2025 को बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य करवाये जाना प्रस्तावित किया था। अब माननीय सदस्यगण के माध्यम से विभिन्न

क्षेत्रों से आ रही मांग के दृष्टिगत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए प्रावधित 10 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूं।

6. प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 820 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाये जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधायें :

7. माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा तीन प्रमुख Highways पर 'Zero Accident Zones' बनाये जाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में अब इन Highways के समीप 5-5 स्थानों पर वाहनों, विशेष कर बड़े वाहनों के चालकों हेतु 'सुविधा एवं विश्राम स्थलों' की स्थापना करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, कई जगह दिक्कत आती है, एक्सीडेंट होते हैं। उनको पार्किंग करने की सुविधा नहीं मिलती है। उसमें सुविधा भी मिलेगी। इन स्थलों पर नेत्र जांच सहित चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है।

8. साथ ही, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

9. प्रदेश के कोने-कोने तक, विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 हजार नवीन परमिट जारी किये जाने की मैं, घोषणा करता हूं।

10. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टेण्ड सहित अन्य विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

11. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किये जाने की घोषणा करता हूं। इस कड़ी में-

I. विकास प्राधिकरण एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम व नगर परिषद् क्षेत्रों में 25 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय व 10 हजार वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति दी जाती है।

II. नगर विकास न्यास एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में 10 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय एवं 5 हजार वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति,

III. अन्य समस्त क्षेत्रों में 5 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय एवं 2 हजार 500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगी।

IV. साथ ही, पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरणों में पट्टा जारी करने की सक्षमता तक पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही किया जाना भी प्रस्तावित है।

12. इसी क्रम में, ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 90 दिवस से घटाकर 45 दिवस किया गया था। अब मैं, इस अवधि को और कम करते हुए 30 दिवस किये जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही, रूपान्तरण प्रकरणों के अनुमोदन की शक्तियां सम्बन्धित संभागीय आयुक्त को दिया जाना भी प्रस्तावित है।

13. विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में स्थित आवासीय भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से आवंटन में लगने वाले अत्यधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को, आगामी वर्ष ऐसे भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने की मैं, घोषणा करता हूं।

14. सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित किये जाने की दृष्टि से BIDA के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करते हुए नगरीय विकास विभाग के अध्यधीन भिवाड़ी विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली-मुम्बई कॉरिडोर पर लॉजिस्टिक हब के विकास को सुनिश्चित करने के लिए दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास व रिफाइनरी से सम्बद्ध क्षेत्र एवं पेट्रो-केमिकल जोन के समुचित विकास हेतु बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किये जाने की भी घोषणा करता हूं।

15. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों का बेहतर तरीके से संग्रहण किये जाने हेतु गृहकर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण किया जायेगा।

16. हमारे द्वारा 19 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत बजट में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 50 हजार स्ट्रीट लाइट लगाये जाने की घोषणा की गयी थी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त मांग एवं आवश्यकता के मद्देनजर मैं, इस संख्या को बढ़ाते हुए एक लाख स्ट्रीट लाइट लगाये जाने की घोषणा करता हूं।

औद्योगिक विकास :

17. प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए 'Ease of Doing Business (EoDB)' की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, आमजन को राहत देने की दृष्टि से प्रथम चरण में, प्रत्येक जिला मुख्यालय के साथ ही चयनित उप पंजीयक कार्यालयों (Sub Registrar Offices) का समय सप्ताह में दो दिन,

क्योंकि कई लोग सरकारी महकमे में भी होते हैं, उनको परेशानी होती है। दो दिन सोमवार एवं शुक्रवार को, बढ़ाकर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक किये जाने की मैं, घोषणा करता हूं। इससे ऐसे लोगों को छुट्टी नहीं लेनी पड़े और वे अपना का सुबह और शाम में करा लें।

18. उद्यमियों को राहत उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित करने की दृष्टि से पर्यावरणीय नियमों की पालना करने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियत्रंण मण्डल द्वारा ऑटो नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध करवायी जाना प्रस्तावित करता हूं।

19. प्रदेश में उत्पादन की लागत कम कर आमजन के साथ ही उद्यमियों को राहत देने की दृष्टि से CNG एवं PNG पर VAT दर घटाकर 7.5 प्रतिशत किये जाने की मैं, घोषणा करता हूं।

20. साथ ही, उद्यमियों को GST, VAT एवं विद्युत शुल्क सम्बन्धी विवरण एवं आवश्यक सभी कम्युनिकेशन, Integrated Tax Management System (ITMS) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है।

21. प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे व दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला एवं दोहा में राजस्थान फाउण्डेशन के नये चेप्टर्स शुरू किये जाने प्रस्तावित हैं।

22. प्रदेश के नवगठित जिलों- ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना कुचामन, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपूतली बहरोड़, फलौदी तथा सलूम्बर में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) की स्थापना की जायेगी। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्र आकेड़ा डूंगर-जयपुर एवं जोधपुर- पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

mdp/rtm/12.03.25/18:50/3q

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

23. राज्य के निवासियों, विशेष रूप से युवाओं का देश की वैभवशाली सस्कृति, विरासत तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों से परिचय करवाने हेतु 'भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम' प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करता हूँ।

24. जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि वर्ष 1949 में नव संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इन्द्रयोग के दिन लौहपुरुष सरदार पटेल द्वारा विभिन्न रियासतों को मिलाते हुए 'वृहद् राजस्थान' की स्थापना की गयी थी। अत: 30 मार्च, 2025 को नव संवत् चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन 'राजस्थान दिवस' के अवसर पर सप्ताह भर वृहद् स्तर पर धूमधाम के साथ आयोजन किये जाने के लिए 25 करोड रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, क्योंकि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के भाषण में उसका जिक्र हुआ कि हम इस राजस्थान की रियासत, जो ऐतिहासक है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही 'राजस्थान दिवस' मनाया जायेगा।

25. प्रदेश में विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

युवा विकास एवं कल्याण :

26. प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विभागों की सेवायें सुगमता एव गुणवत्ता के साथ सुलभ करवाने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष, वन विभाग में एक हजार 750 कार्मिक, 4 हजार पटवारी तथा 10 हजार स्कूल शिक्षकों की भर्ती किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

27. जो युवा प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करते हैं उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने बाले नवनियुक्त युवाओं को एकबारीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ करने की मैं घोषणा करता हूँ।

28. सम्भाग स्तरीय 'Centre for Advanced Skilling and Career Counselling' स्थापित करने के क्रम में जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 100-100 करोड़ रुपये के कार्य आगामी वर्ष हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं।

29. प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमत्री Internship Programme अथवा National Apprenticeship Programme Join करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपंड का विकल्प दिये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

30. प्रदेश के युवाओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों/वाचनालयों में अध्ययन सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

31. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए सभी नवगठित 8 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही, विभिन्न उच्च एव तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना व भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

32. जयपुर स्थित कोचिंग हब में निर्मित आधारभूत सरचना का समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में IIT-जोधपुर का कैम्पस स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

33. प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन को गति देने के साथ ही, विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से हेतु मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' (MSRA) प्रारम्भ किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

34. वचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक-बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से 'राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

35. आदर्श वेद आवासीय विद्यालय, रैवासा-सीकर की तर्ज पर तारातरा मठ, गोमरख धाम-बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही, राजसमंद में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।

36. प्रदेश के युवाओं को खेल सम्बन्धी समस्त आवश्यक सुविधायें प्रदान किये जाने की दिशा में हमारे द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं। इन कार्यों को और अधिक गति देने की दृष्टि से 'खेल निदेशालय की स्थापना किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

37. भीलवाड़ा में Multipurpose Sports Complex, श्रीगंगानगर में साईकिल ट्रेक तथा कुम्हेर-डीग व केशोरायपाटन-बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

38. Thalassemia रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त Dedicated Thalassemia Centre की स्थापना राजस्थान इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के अध्यधीन की जायेगी। साथ ही, Thalassemia की रोकथाम हेतु बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है।

39. प्रदेश में अति गम्भीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आगनबाड़ी केन्द्रों में ऐसे बच्चों को दिये जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त, 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में सम्पूर्ण स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र (CLMC) एवं 11 अन्य चिकित्सालयों में स्तनपान प्रबन्धन इकाई (LMU) की स्थापना की जानी भी प्रस्तावित है।

40. आमजन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

41. प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, उन्नयन, upgradation, भवन निर्माण, repair व maintenance सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट *7* देखें)

सामाजिक सुरक्षा:

42. माननीय अध्यक्ष जी, गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु पण्डित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अम्बेड़कर जी के अंत्योदय की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए गरीबी मुक्त गाँव योजना प्रारम्भ किये जाने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गाँवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जायेगा। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में 5 हजार गाँवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। इस हेतु 300 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम छोटे थे, तब से ही सुनते आ रहे थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीब का इन्होंने मन से साथ नहीं दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय पण्डित दीनदयाल उपाध्याय और मानननीय

भारत रत्न बाबा साहब अम्बेड़कर जी के सपने को पूरा करने के लिए जो हमारे बी.पी.एल. के परिवार हैं, उनको सुविधा देते हुए, उनको सशक्त बनाते हुए, उनको मजबूत करते हुए हमने 5 हजार गांवों को इस योजना में क्रियान्वयन के लिए किया। हमने इसके लिए 300 करोड़ रुपये के बजट का भी प्रावधान किया है।

43. युवा दिव्यागों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष 2 हजार Scooty दी गयी हैं। आगामी वर्ष इस सख्या में वृद्धि कर 2 हजार 500 दिव्यांगजन को Scooty दिये जाने की मैं घोषणा करता हूँ।

Ans/rtm 19.00 4a 12.03.2025

44. हमारे द्वारा महिलाओं को सम्बल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लखपति दीदी के लिए मात्र 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था एवं लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे एक लाख रुपये के सेविंग बॉण्ड की राशि को भी बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपये करने जैसे विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इसी क्रम में, प्रदेश में महिलाओं को सक्षम बनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी का सम्मान किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु टेबलेट उपलब्ध करवाये जाने की मैं घोषणा करता हूँ।

यह वह बहनें जो अंतिम पायदान पर खड़ी है। अपनी मेहनत से लखपति दीदी बनी है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की योजनाओं से लखपति बनी है।

45. प्रदेश में वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयासरत है। इसी क्रम में, MBC कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

कृषि एवं पशुपालनः

46. किसान साथियों को माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50 हजार सौर ऊर्जा पम्पों पर अनुदान उपलब्ध करवाने का हमने निर्णय किया था। किसान साथियों की इस सम्बन्ध में अधिक आवश्यकता को देखते हुए अब मैं, इस संख्या को बढ़ाते हुए 60 हजार सौर ऊर्जा पम्पों हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ।

47. कृषक साथियों के लिए हमने ब्याज मुक्त/अनुदानित ब्याज पर अल्पकालीन फसली ऋण, दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं गैर कृषि कार्यों हेतु ऋण का प्रावधान किया है। अब किसान भाइयों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों (PLDB) के ऋणों हेतु One Time Settlement (OTS) योजना लायी जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

48. भरतपुर की अनाज व सरसों मण्डी को शहर से बाहर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, बहरावण्डा कलां सवाई माधोपुर, नासिरदा-टोंक व सेखाला-जोधपुर में

गौण कृषि मण्डियाँ स्थापित की जायेंगी।

49. प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(सूची के लिये परिशिष्ट 8 देखें)

50. देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम 'Centre of Excellence Indigenous Farm' स्थापित किये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

51. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बगड़-झुंझुनूं व गंगापुर-भीलवाड़ा को Polyclinic में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ीखुर्द-फलौदी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु उप चिकित्सा केन्द्र, धीरपुरा-जोधपुर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

Green Growth (हरित विकास) :

52. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की संकल्पना 'कैच द रैन' से प्रेरणा लेकर 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान के अन्तर्गत CSR के माध्यम से 5 हजार जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

53. मोखला पारेवर-जैसलमेर व बुचारा मेन-जयपुर में नवीन कन्जर्वेशन रिजर्व, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना एवं जैविक उद्यान, नाहरगढ़-जयपुर में संवर्द्धन कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, राज्य पक्षी गोडावण के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरू उद्यान-जैसलमेर में 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।

54. साथ ही, प्रदेश के टाईगर रिजर्वस् में आवासरत ग्रामीणों को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए देय पैकेज को रिवाइज किया जाना प्रस्तावित है।

55. टाडगढ़-रावली, फुलवारी की नाल एवं माउण्ट आबू वन्य जीव अभयारण्यों के इको सेंसिटिव जोन हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा।

56. प्रदूषण मण्डल में कन्सेंट आवेदनों के बेहतर प्रबंधन हेतु ऑनलाईन प्रणाली का उन्नयन किया जायेगा।

सुशासन :

57. प्रदेश में आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हमारे द्वारा 'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम' लाये जाने का विनिश्चय किया गया है। इसी क्रम में, Surveillance तंत्र का विस्तार कर सुदृढ़ किये जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष, 25 हजार CCTV कैमरे स्थापित किये जाने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही, महिला सुरक्षा की दृष्टि से आगामी वर्ष, 250 और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स के गठन की भी घोषणा करता हूँ।

58. प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा करता हूँ। साथ ही, पुलिस हेतु 400 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

59. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि अँग्रेज़ों के समय से चले आ रहे कानूनों को समाप्त कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में 'दण्ड' के स्थान पर 'न्याय' की प्राथमिकता स्थापित करते हुए नवीन न्याय संहिताओं को प्रतिस्थापित किया है। इनके समुचित क्रियान्वयन की दृष्टि से-

1. फोरेन्सिक साक्ष्य संकलन हेतु 70 Mobile Forensic Units उपलब्ध करवायी जायेंगी।

II. अभियोजन विभाग का सुदृढ़ीकरण कर 250 नवीन पद सृजित किये जायेंगे, तथा

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, हम जब यूनिट बना रहे हैं फोरेन्सिक, तो उसके लिए कर्मचारी भी चाहिये। हमें उसे खोलने से पहले इस बारे में विचार करना होगा। आप देखते हैं, हम जितनी घोषणाएं कर रहे हैं उसके साथ ही उसके निर्माण की व उसके विकास की, मैन पावर की, दोनों चिंता करते हुए हमने काम किया है।

III. विभिन्न उपकरणों हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना भी प्रस्तावित है।

60. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासन/प्रशासन तंत्र को वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप अधिक पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं दक्षता से कार्य करने के लिए नये वित्तीय एवं Legal Framework को अपनाया जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से युवाओं तथा सरकारी कार्मिकों में Financial Management तथा Legal Research की क्षमता विकसित करने हेतु National Law University, जोधपुर के अन्तर्गत Centre of Excellence for Legal Research and Applications व राज्य सरकार के अधीन Centre for Economic Transformation and Financial Management स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

61. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सेवा प्रदायगी हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व किसी से छुपा नहीं है तथा जिस तेजी से तकनीक उन्नत होती जा रही है, उसको अपनाते हुए ई-गवर्नेस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को जोड़ते हुए, राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करता हूँ। साथ ही, नवीन AI/ML (Artificial Intelligence and Machine Learning) Policy भी लायी जायेगी।

62. राजकीय कार्मिकों तथा पेंशनर्स को अतिरिक्त राहत देने के लिए विभिन्न कदम उठाये जाने प्रस्तावित हैं।

मैं इनका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 9 देखें)

VPS-RTM-12.03.2025-19.10-4b

63. विभिन्न विभागों में कार्यरत मंत्रालयिक कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ ही, उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि किये जाने की दृष्टि से कार्मिक विभाग के अध्यधीन 'मंत्रालयिक निदेशालय' की स्थापना किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ।

क्योंकि मंत्रालयिक कर्मचारी परेशान होते थे, उनको अपना एक प्लेटफार्म चाहिए उनको

अपनी बात कहने के लिए और वह मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय की स्थापना यहां होनी चाहिए, इसके लिए मैं घोषणा करता हूं।

64. अधिकाधिक प्रदेशवासियों को शहरी क्षेत्र की सुविधायें प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से 25 नवीन नगर पालिकाओं के गठन किये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। साथ ही, 4 नगरीय निकायों का क्रमोन्नयन भी प्रस्तावित है। इनकी सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नाम भी बोल देते।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नाम बोलना है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): होली है, लोग घर जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: ये पढ़ लेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): 65. प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालयों के coverage के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किया जायेगा। इनका विवरण भी मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

66. प्रदेश में किसी भी संस्था द्वारा जन उपयोगी कार्य करवाये जाने की स्थिति में माननीय सदस्यगण MLA LAD योजना से किसी भी ऐसी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं। दस लाख तक तो आपका था, अब मैं इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किये जाने की घोषणा करता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एम.एल.ए. लेड भी बढ़ाओ, साहब।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): इसमें कई माननीय सदस्यों की मांग पर क्योंकि वे कहीं पर हां करके आ जाते थे, वहां पर नहीं दे पाते थे तो आवश्यकता यह महसूस करते हैं क्योंकि आप यह देखिये कि जन-प्रतिनिधि का जो आई-क्यू है, चश्मा है, वह उत्तम है। वह उसको, जहां उसको उपयोग लगता होगा, उसको यह लगता है कि पैसा तो मेरे पास है लेकिन उपयुक्त स्थान के लिए मैं दे नहीं पा रहा हूं तो हमारे जन-प्रतिनिधियों की यह जो पहले दस लाख थी, इसको बढ़ाकर हमने 25 लाख रुपये किया है, जिससे कि वह दिखती हुई परेशानी का समाधान कर सके लेकिन यह सोच-विचार करके ही करना चाहिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ताली बजाओ इन्द्राजी।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): 67.पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयों यथा-उपखण्ड, तहसील, उप तहसील, गिरदावर सर्किल, पटवार मण्डल आदि के ढांचे में बिना समुचित विवेचन के व्यापक परिवर्तन किये जाने से आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ा है। अतः प्रदेश की इन इकाइयों के सृजन, सीमांकन व क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के सम्बन्ध में समुचित परीक्षण तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किये जाने की घोषणा करता हूं।

68. प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में स्थापित किये जाने वाले समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों में समुचित तालमेल के साथ और वह भी ऐसे नहीं, बिना इसके नहीं होता है। जिला स्तरीय कार्यालयों में समुचित तालमेल के साथ अधिक दक्षता से सेवा प्रदायगी का कार्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से, घोषणा करने से नहीं, 'मिनी सचिवालय', बनाये जाने की मैं, घोषणा करता हूँ। साथ ही, मिनी सचिवालय, जहां नये जिले बने हैं वहां, नये जिलों में साथ ही, लालकोठी-जयपुर स्थित कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्यस्तरीय, क्यों भाई, जब जिले में बन जायेगा तो जयपुर में भी तो चाहिए, राज्यस्तरीय कार्यालय हेतु 'ऑफिस कॉम्पलैक्स' की स्थापना 450 करोड़ रुपये व्यय कर की जानी भी प्रस्तावित करता हूँ।

69. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये जनहितैषी तथा समावेशी बजट का जहाँ चहुँओर स्वागत हुआ है, वहीं आमजन की हमारी सरकार से अपेक्षायें भी बढ़ी हैं। इस कारण हमें, जनता तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं विशेषकर- शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र से सम्बन्धित बहुत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रस्तावों का समुचित परीक्षण करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये जा चुके हैं। परीक्षण उपरान्त गुणावगुण के आधार पर-

I. 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करता हूँ।

II. 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा करता हूँ।

71. हम जनता के हितों के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। मैं, सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूँ कि सबके सहयोग व सबको साथ लेते हुए समस्त कठिनाइयों, चुनौतियों को पार कर विकसित राजस्थान @2047 की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए सतत् विकास के पथ पर निरन्तर चलते रहेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, मैं एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि-

"विकास के पथ पर चलना है,
नई मंजिलों की ओर बढ़ना है,
हर ओर प्रगति का उजास फैलाना है,
जन मन में आशा की किरण जगाना है,
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से नींव मजबूत बनानी है,
ज्ञान, कौशल, तकनीक से नई मंजिलें पानी है,

ठाना है, हर आमजन को सम्मान मिले,
जन जन को विकास का अभिमान मिले,
आओ मिलकर विकास की ओर कदम बढ़ायें,
एक नया और 'समृद्ध राजस्थान' बनायें ।

एक नया और 'समृद्ध राजस्थान' बनायें ।।"

70. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, सभी सदस्यों की ओर से प्रदेश की विधान सभा को 'पेपरलैस' करने के लिए आपको बधाई एवं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सम्मानित सदन में ऑनलाईन पद्धति से कार्य करने हेतु आप द्वारा उपलब्ध करवाये गये टेबलेट्स के साथ ही सभी माननीय सदस्य क्षेत्र में भी ऑनलाईन रहकर पूर्ण दक्षता से जनहित में कार्य कर सकें, इस दृष्टि से 19 फरवरी, 2025 को बजट के अन्तर्गत माननीय सदस्यगण को Laptops उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा के क्रम में, आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि बजट सत्र के दौरान आज ही समस्त माननीय सदस्यगण को Laptops उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। यह भी हमारे कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं गति का परिचायक है।

आपने जब यहां पर लगा दिया तो ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): साथ में प्रिंटर भी दो।

श्री अध्यक्ष: प्रिंटर के लिए कह रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप बताते हैं लेकिन लेट बताते हैं जूलीजी की तरह। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने पहले भी बता दिया था।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर जनहित में कार्य कर सके इस उद्देश्य से मैं यह कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने यह इतिहास रचा है हमारी विधान सभा में तो हम भी अगर यह काम काम करे तो उसको जोड़े तो इससे जानकारी भी मिलती रहे और कहीं देख रहा था मैं, क्योंकि यह तो बजट है इसलिए मुझे इस पर पढ़ना है, बाकी का वह तो मैं इससे ही पढ़ा था तो यह जरूरी है क्योंकि नेट में अगर थोड़ा अटक जाता है तो वह ठीक नहीं होती इसलिए है बाकी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं और आप सबसे यह अपेक्षा भी है।

Ssy/Rtm/12.03.25/19.20/4c

आपके घर में आपके लिए टयुटर उपलब्ध है। टयुटर घर में उपलब्ध है, आपका छोटा भतीजा, बेटा आपको सारी बातें बता देगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इसमें इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं, वह पूरा इंट्रेस्ट आपको बता देगा, वह हमारे तैयार हैं, आप सभी को बता देंगे कि आपको क्या करना है।

अध्यक्ष जी, फूल चमन में खिलते हैं, हम सदन में मिलते हैं, फूलों के होने से चमन खिलता है, हम सबके होने से सदन चलता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): एक आदमी नहीं हो तो।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): फूलों का रूठ जाना चमन को वीरान करता है, हमारा रूठ जाना सदन को उदास करता है, फूल खिलते रहें तो चमन आबाद है, हम मिलते रहें तो यह सदन साद है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सदन आबाद है।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): फूलों में और हम में बस इतना ही फर्क है, फूल बॉयकाट नहीं करते, चमन छोड़कर बाहर नहीं जाते, वह चमन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते, फूल, फूल से नाराज हो पर चमन को नहीं छोड़ता, हम सबसे पहले सदन छोड़ते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, क्या सही है, क्या गलत, हम नहीं देख पाते हैं, एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पूरा कर लें, पूरा कर लें ...(व्यवधान)... फिर आप बोलना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अब यह ...(व्यवधान)... करने लगे मेरे को, आपको कह रहा हूं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हां, बोलो, बोलो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप तो बैठो। हो गया।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): एक मिनट, बैठिये।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): एक दूसरे की नाराजगी में सदन ही छोड़ जाते हैं, शादी में नाराज कौन होता है? शादी में नाराज फूफा, शादी नहीं रुकवाता है, शादी में नाराज फूफा शादी नहीं रुकवाता है, उसकी नाराजगी भी चलती है और शादी भी चलती है। पर यहां नाराज फूफा, मामा, मौसी सदन नहीं चलने देते, जैसे कोई नाराज बाराती शादी बिगाड़ डाले, जैसे कोई गुस्सा में आया फूल चमन उजाड़ डाले, क्या भाई, भाई से गुस्सा होकर घर छोड़ देता है, घर की चीजें कुर्सी, टेबल तोड़-फोड़ देता है, क्या नाराजगी से सुबह-शाम रुक जाते हैं, घर के रोजमर्रा के सारे काम रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, काम होते रहते हैं, चमन खिलता रहता है, शादी होती रहती है। ऐसे ही कोई रुठे, नाराज हो, पर सदन चलना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, गरिमा बनी रहनी चाहिए। गलतफहमियां कहलवा लो, 'सॉरी' की बात हो तो बोल लो, बुलवा लो, पर घर तो मत छोड़ो, सदन से तो ना जाओ, चमन को तो मत भूलो।

प्यार से, प्रेम से, स्नेह से बनाओ प्रेम की रंगोली, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, होली, होली। आप सभी को होली की बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।

आप सभी के माध्यम से राजस्थान की समस्त हमारी जनता को होली के इस पंच दिवसीय त्यौहार की बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस रंगों के त्यौहार होली पर सारे गिले-शिकवे मिटाते हुए, हम एक साथ रंगों की होली मनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): महंगाई बढ़ गई, विधायक कोटा बढ़वाना चाहते हैं तो यह और कर दो होली के त्यौहार पर सबके लिए।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): चलिये, होली मनाइये। होली मनाइये, होली का रंग लगाइये और अपने गले-शिकवे हटाइये। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जय हिन्द। जय भारत। जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बैठिये। राजस्थान विनियोग ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, उत्तर के बाद नहीं बोलते।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं परेशान हूं ...(व्यवधान)... पानी तो पिलाओ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 19 मार्च 2025 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.26 बजे बुधवार, दिनांक 19 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

पैरा संख्या 3 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	पेयजल सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	नारायणपुरा, ज्ञानपुरा, मुंडावरा, बिलाली, रतनपुर/कराना, गढी, बामनवास कांकड तथा बड़ागांव-पाइप लाइन सहित नलकूप निर्माण कार्य (बानसूर)-कोटपूतली बहरोड़	2 करोड़ 25 लाख रूपये
2.	पावटा-प्रागपुरा हेतु पेयजल योजना-कोटपूतली बहरोड़	20 करोड़ रुपये
3.	रूणिया बरडा, भवानीपुरा, सरसिया, रीको पीपलूंद हेतु जल आपूर्ति योजना (जहाजपुर)-भीलवाड़ा	25 करोड़ रुपये
4.	खण्डेला में पेयजल सम्बन्धी विभिन्न कार्य-सीकर	10 करोड़ रुपये
5.	मोही, कुंवारिया, बडारडा में जलापूर्ति योजना संवर्धन के कार्य-राजसमंद	14 करोड़ रुपये
6.	वार्ड 39, झोटवाड़ा में उच्च जलाशय का निर्माण-जयपुर	1 करोड़ 50 लाख रुपये
7.	चौमूं को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट-जयपुर	25 लाख रुपये

परिशिष्ट 2

पैरा संख्या 4 में उल्लिखित सूची

क्र.स.	जीएसएस
1.	33 केवी जीएसएस-मणिहारी फांटा (शिव)—बाड़मेर, डण्डाली (सिणधरी)–बालोतरा, बाघपुरा (सहाडा), बोरियापुरा (रायपुर) -भीलवाड़ा, थेबड़ी-डीडवाना कुचामन, बकानी-II (खानपुर), धतूरिया कलां-झालावाड़, धुँवा-बारां, चकवाड़ा (दूदू)-जयपुर, जोशियां-जैसलमेर
2.	132 केवी जीएसएस-आडेल–बाड़मेर, कटीखंडी (छबड़ा)-बारां व बडलियास (मांडलगढ़)-भीलवाड़ा, भादसोडा (कपासन)–चित्तौड़गढ़, बिचून (दूदू)-जयपुर, मुकुन्दगढ़-झुंझुनूं
3.	220 केवी जीएसएस-खोहरामुल्ला एवं मातासुला के मध्य-दौसा, फतेहगढ़-जैसलमेर

परिशिष्ट 3

पैरा संख्या 6 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	सडक सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	हमीरपुर सड़क से वाया बस्ती होते हुए चरयामोड़ तक सड़क (2 किमी.) (थानागाजी)-अलवर	80 लाख रुपये
2.	गोवडी से झांकड़ी तक सड़क (3 किमी.) (थानागाजी)- अलवर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
3.	लाड्या का गुवाड़ा से वनखंडी महादेव बंजारा बस्ती तक सड़क (1.5 किमी.) (थानागाजी) अलवर	60 लाख रुपये
4.	हरपुरा-खुमारिया-हिंगोनिया-लल्लाई-भाटोलाव-सरवाड-जडाना-खंगरा-सातोलाव-खिरियां खुर्द-नागोला तक एमडीआर सडक (केकड़ी)-अजमेर	40 करोड़ रुपये
5.	रायपुर-दीपावास सम्पर्क सड़क मार्ग से कुंडाल होते हुए NH-162 तक सड़क (5 किमी.) (रायपुर)-व्यावर	4 करोड़ रुपये
6.	चंडावल नगर से देवली कलां होते हुए रामपुरा कलां तक सड़क का चौड़ाईकरण (13 किमी.)- ब्यावर	16 करोड़ रुपये
7.	मनोहरपुर से सहरोद तक सड़क (4 किमी.) (अटरू)-बारां	3 करोड़ 50 लाख रुपये
8.	मुण्डियर से राजपुर बैहठा सड़क (18 किमी.) (शाहबाद)-बारां	18 करोड़ रुपये
9.	किशनगंज के विभिन्न गांवों में सीसी रोड (8 किमी.)-बारां	14 करोड़ रुपये
10.	कोटा-धरनावदा सड़क का सुदृढीकरण कार्य (1.5 किमी.) (छबडा)-बारां	5 करोड़ रुपये
11.	रिझा से दिलोद सडक वाया फूलबड़ौदा सड़क का चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (10 किमी.) (छबडा)-बारा	10 करोड़ रुपये
12.	चक 273 RD नाथवाना RUB का निर्माण (लूणकरणसर) बीकानेर	9 करोड 50 लाख रुपये
13.	सांखला फाटक रेलवे क्रॉसिंग के समीप रेलवे अण्डरपास एवं कोटगेट फाटक पर रेलवे अण्डरब्रिज-बीकानेर	35 करोड़ रुपये
14.	म्यूजियम जंक्शन पर फ्लाई ओवर की DPR-बीकानेर	1 करोड़ रुपये

15.	धनाऊ ईशरोल-राणीगांव-रड़वा-जसाई तक सड़क का चौडाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (46 किमी.) (चौहटन)-बाडमेर	20 करोड़ रुपये
16.	बावतरा-पादरू-मिठोडा-दाखा (सिवाना)-बालोतरा सड़क का सुदृढ़ीकरण (सिवाना) – बालोतरा	20 करोड़ रुपये
17.	बागीदौरा में भैरवजी मंदिर के पास अनास नदी पर पुल निर्माण हेतु DPR-बांसवाड़ा	50 लाख रुपये
18.	माकोद नदी पर, बड़गांव व नीचला घंटाला से रधावा के बीच पुलिया निर्माण (गढ़ी)-बांसवाड़ा	8 करोड़ रुपये
19.	बूंदी क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का उन्नयन कार्य-बूंदी	15 करोड रुपये
20.	गेण्डोली से झाली जी का बराना सड़क का चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण (4.5 किमी.) (केशोरायपाटन)-बूंदी	9 करोड़ रुपये
21.	भरतपुर शहर की विभिन्न सड़कों एवं सड़क जंक्शनों से सम्बन्धित कार्य-भरतपुर	35 करोड रुपये
22.	MDR 201 सहाड़ा से कांगनी, सालेरा चौराहा, गिरडिया, नेगडिया, खेडा का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (19 किमी.) (सहाड़ा) - भीलवाडा	30 करोड़ रुपये
23.	जालमपुरा चौराहे से रावतखेड़ा, छाबडिया, भुवाना तेजा का बरडा, भवानीपुरा NII-148D (12 किमी.) (जहाजपुरा)-भीलवाड़ा	18 करोड रुपये
24.	बाडी गुडाखेडा से चित्तौड़गढ़ जिला सीमा तक का चौड़ाईकरण (10 किमी.) (निम्बाहेड़ा)-चित्तौडगढ़	9 करोड़ 10 लाख रुपये
25.	विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य (निम्बाहेड़ा)-चित्तौडगढ	10 करोड़ 80 लाख रुपये
26.	अम्बामाता-मरजीवी जोगीयों का खेड़ा, चाहरखेडी-छापरोल कारूण्डा-घागरोल-नारायणी चौकी-जलोदिया केलूखेड़ा-बरखेडा-चिताखेडा रंगावली NIH-113 रम्भावली चौराहे तक सडक (निम्बाहेडा) चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़	10 करोड़ रुपये
27.	नगर से कुम्हेर मार्ग पर सुन्दरावली एवं जनूथर में बाईपास हेतु DPR (नगर)-डीग	20 लाख रुपये
28.	किशनपुरा एवं वरदा के बीच मोरन नदी पर पुलिया निर्माण (सागवाडा)- डूंगरपुर	9 करोड रुपये
29.	धाणी बरवा से बनकोडा तक डामर सड़क (3 किमी.) (सागवाड़ा)- डूंगरपुर	1 करोड़ 80 लाख रुपये

30.	खरगु पाल रोड से पुरानी गोशाला होते हुए नवणिया तक (3 किमी.) (सागवाड़ा)- डूंगरपुर	1 करोड 80 लाख रुपये
31.	ओबरी ठाकुरजी मंदिर से पीपलागुज तक डामर सड़क मय पुलिया (2 किमी) (सागवाड़ा)- डूंगरपुर	1 करोड़ 40 लाख रुपये
32.	गामड़ा से उदयपुरामाफी तक डामर सड़क (2 किमी.) (सागवाड़ा)- डूंगरपुर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
33.	पादरा महादेव मन्दिर से नवाटापरा तक डामर सड़क (4 किमी.) (सागवाड़ा)-डूंगरपुर	2 करोड़ 40 लाख रुपये
34.	रा.उ.प्रा.वि. बोरखेड से पांचों का तालाब तक डामर सड़क (3 किमी.) (सागवाड़ा)- डूंगरपुर	1 करोड़ 80 लाख रुपये
35.	नागराना टोल प्लाजा से 13 एसबीएन नहर तक नवीन सड़क निर्माण (2.25 किमी.) (संगरिया)- हनुमानगढ़	95 लाख रुपये
36.	तिगरिया मोड़ से गोविन्दगढ़ वाया चारणवास सड़क का चौडाईकरण (10 किमी) (चौमू) जयपुर	20 करोड रुपये
37.	देवगाव सांभरिया सड़क से मुंडली सडक निर्माण कार्य (600 मी.) (बस्सी)-जयपुर	42 लाख रुपये
38.	कोटा-झालावाड़ फोरलेन से गरोठ उज्जैन फोरलेन तक याया सुकेत-पिपलिया-भवानीगण्डी-डग सड़क का सुदृढ़ीकरण (डग) -झालावाड़	22 करोड़ 89 लाख रुपये
39.	अगुणी ढाणी सोलाना से गुकाना बाइपास सड़क (3.5 किमी.)-झुंझुनूं	90 लाख रुपये
40.	बलौदा से उरीका (2.5 किमी.) (सूरजगढ़)-झुंझुनूं	1 करोड़ रुपये
41.	डुमोली खुर्द से सिंधियाला बाला जी मंदिर वाया पावर हाउस सीसी सड़क (1 किमी) (सूरजगढ़)-झुंझुनूं	80 लाख रुपये
42.	किठाना (सुल्ताना किठाना सड़क) से सुल्ताना-खुडोत सड़क का डामरीकरण कार्य (4 किमी.)-झुंझुनूं	1 करोड़ रुपये
43.	डेडा चाहरों की ढाणी से चिम्गा वाला बरस सड़क (1.5 किमी.) (सूरजगढ़)-झुंझुनूं	60 लाख रुपये
44.	नागवास से हरियाणा बार्डर को जोड़ने हेतु सड़क (4 किमी.) (सूरजगढ़)-झुंझुनूं	1 करोड़ 60 लाख रुपये
45.	जोडिया से सिलारपुरी तक सड़क (2.5 किमी.) (सूरजगढ़)-झुंझुनूं	1 करोड़ रुपये
46.	पन्नेसिंहपुरा से मुडनपुरा तक सड़क (1.5 किमी) (सूरजगढ़) -झुंझुनूं	60 लाख रुपये

47.	बुहाणा से धालौडा आश्रम तक सड़क (1.5 किमी.) (सूरजगढ़) - झुंझुनूं	60 लाख रुपये
48.	अरागी ढाणी में झाल्डी जोहड़ी से बुगाला बाईपास एवं मिश्राणी से लेकर पीपल जोहड़ तक सड़क (5 किमी.) (नवलगढ़)-झुंझुनूं	1 करोड़ 50 लाख रुपये
49.	लाख की ढाणी सीमा से झटपट बालाजी होते हुए डुगरा तक सड़क (2.5 किमी.) (नवलगढ़)-झुंझुनूं	75 लाख रुपये
50.	बापर से कुम्हारों का बास व नाथजी का कुआं सड़क कार्य (5 किमी.) (चिड़ावा)-झुंझुनूं	1 करोड़ 35 लाख रुपये
51.	जोधपुर से खेजड़ली तक SH61 सड़क का चौड़ाईकरण (12 किमी.) - जोधपुर	25 करोड़ रुपये
52.	छायण से बारू सडक (12 किमी.)- फलौदी, जैसलमेर	6 करोड़ रुपये
53.	जैसला (घंटियाली) में मेघवालों को ढाणी रा.उ.प्रा.वि. जैसलां सड़क (3 किमी.) घंटियाली-जोधपुर	90 लाख रुपये
54.	उम्मेदनगर-मथानियां हाईवे से चम्पावतों व मेघवालों की ढाणियों तक सड़क (3 किमी) (औसियां)- जोधपुर	90 लाख रुपये
55.	चामू से छाबा रोड़ (13.25 किमी.) (शेरगढ़) जोधपुर	13 करोड़ 25 लाख रुपये
56.	भवरानी से रोजीयो की ढाणी से रायथल तक सड़क (11) किमी.) (आहोर)-जालोर	4 करोड़ रुपये
57.	ओडवाडा से बालवाड़ा तक सड़क (6 किमी.) (आहोर)-जालोर	2 करोड़ रुपये
58.	आकोली से रामबोटकी, दीगांव से नारणावास, सुमेरगढ़ खेड़ा से देवाड़ा, भवरानी से रोजीयों की ढाणी से रायथल, सापणी से बोकड़ा, कवराड़ा से भूति, हरजी से वल्डिया महादेव, उखरड़ा से चांदराई, खोड़ा मोमाजी से कुआडा से थांवला तक डामरीकरण सड़क (40 किमी) (आहोर)- जालोर	20 करोड़ रुपये
59.	खैरथल रोड से मालियों की ढाणी, ग्राम पेहल तक सडक निर्माण कार्य (1.5 किमी.) - खैरथल तिजारा	65 लाख रुपये
60.	सांगोद, कनवास तथा दीगोद क्षेत्र की ग्रेवल सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण-कोटा	25 करोड़ रुपये
61.	सारेला खेडलीघाटा सड़क से सारोला माइनर के किनारे ग्रेवल सड़क (1.5 किमी.) (सांगोद) कोटा	43 लाख रुपये
62.	पाडलिया से मारवाड़ा चौकी सडक (2) किमी.) (सांगोद)-कोटा	60 लाख रुपये
63.	असकली किमी 0/600 पर पुलिया निर्माण कार्य	1 करोड 20 लाख

	(रामगंजमण्डी) - कोटा	रुपये
64.	कोटा क्षेत्र की विभिन्न सडकों का उन्नयन कार्य-कोटा	15 करोड़ रुपये
65.	सुमेरनगर से ढीबरी चम्बल वाया गोठडाकला सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (9 किमी.) (पीपल्दा)-कोटा	7 करोड़ रुपये
66.	खेडली-गरडाना-कचौलिया-काकूनिया तक सड़क (6 किमी.) (सागोद)-कोटा	5 करोड 10 लाख रुपये
67.	SH-52 किमी 58/800 से SH-77 किमी. 19/500 तक वाया कोठीया, गढ़ी, अजबपुरा, खारीयों की ढाणी, बसई जोगीयान, थानागाजी, जोधपुरा, टोडी लूहार, किशोरी, भिकमपुर, अजबगढ़ तक सडक (13 किमी) (MDR-255) (बानसूर)-कोटपूतली बहरोड़	21 करोड़ रुपये
68.	शुक्लावास से धाडा वाया पुरुषोत्तमपुरा तक सड़क (3 किमी.) (कोटपूतली) कोटपूतली-बहरोड	2 करोड़ 18 लाख रुपये
69.	द्वारिकपुरा से दांतिल तक सड़क उन्नयन कार्य (2.78 किमी.) (कोटपूतली) कोटपूतली-बहरोड़	4 करोड़ 60 लाख रुपये
70.	जसनगर बाईपास का निर्माण (5 किमी.) (मेड़ता)-नागौर	22 करोड़ रुपये
71.	कसनाउ (SH-92A) से देहरी तरनाउ मेरवास माताजी तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (20 किमी.) (जायल) नागौर	21 करोड रुपये
72.	मेड़ता की प्रमुख सड़कों के कार्य-नागौर	15 करोड़ रुपये
73.	चुई से खिवताना तक सड़क (5 किमी.) (डेगाना)-नागौर	1 करोड़ 53 लाख रुपये
74.	दोतिना-सिलारियांदेहरी-फरडोद-मेरवास-दुगस्ताउ-धानणी-तवरा तक सड़क (40 किमी.) (जायल) नागौर	16 करोड़ रुपये
75.	केलवाद से हीरावास तक सड़क (5 किमी) (सोजत) पाली	2 करोड़ 51 लाख रुपये
76.	भगतसिंह सर्किल से जाखानगर NH-62 चौराहे तक सड़क चौडाईकरण (सुमेरपुर)-पाली	10 करोड 50 लाख रुपये
77.	सिंरवल (कोटड़ा) से सुमेरपुर वाया भीमाणा-दानवरली-बीजापुर सुमेरपुर सड़क सुदृढीकरण व चौड़ाईकरण हेतु DPR (53 किमी.) (बाली) पाली	15 लाख रुपये
78.	हडमतिया मोड़ से हड़मतिया जागीर तक (2.3 किमी.) सड़क निर्माण-प्रतापगढ़	1 करोड़ 10 लाख रुपये
79.	प्रतापगढ़ सडक से वीरमसिंह नगर तक ग्रेवल सड़क का	2 करोड 40 लाख

	डामरीकरण (4.5 किमी), वीरमसिंह नगर से राप्रावि बोसियों की ढाणी (जैतसर) तक सडक (2 किमी.) (लोहावट) फलौदी	रुपये
80.	ढेलाणा भैसेडी नाडी लिंक सड़क से बामनिया सुथारों की ढाणी स्कूल तक सड़क (1.6 किमी.) (लोहावट) फलौदी	52 लाख रुपये
81.	नान्देवाल की हवेली. लोहावट से भाकरी सड़क (14 किमी.) (लोहावट) फलौदी	16 करोड़ रुपये
82.	गढ़टकनेत दो सौ बीघा बड़ से नीम की ढाणी तक सड़क (3 किमी.) (श्रीमाधोपुर)-सीकर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
83.	कासली से बिन्जासी वाया नेतड़वास भुवाला एवं लाडवा तक सड़क निर्माण कार्य (16.5 किमी.) (धोद) सीकर	17 करोड़ 90 लाख रुपये
84.	बी.टी. रोड से थोराना जोहडा गांव कुदन से कुदन यालसर सड़क वाया हरिराम बाबा मंदिर, कोराना जोहड़ा (3.75 किमी.) (घोद)-सीकर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
85.	रसीदपुरा से आकवा तक (4.8 किमी) (घोद) सीकर	3 करोड़ 76 लाख रुपये
86.	सवाई माधोपुर में विभिन्न सड़कों के कार्य-सवाई माधोपुर	20 करोड़ रुपये
87.	खण्डार में विभिन्न सड़कों के कार्य-सवाई माधोपुर	5 करोड़ रुपये
88.	गंगापुरसिटी में विभिन्न सड़कों के कार्य-सवाई माधोपुर	10 करोड़ रुपये
89.	मेगा हाईवे से चाडक्य दह (बनास नदी) वाया बाबा आश्रम ढूंढ (5 किमी.) सवाई माधोपुर	5 करोड़ रुपये
90.	रोहिड़ा नदी पर आपेश्वर महादेव के पास पुलिया निर्माण (पिण्डवाडा)-सिरोही	12 करोड़ 10 लाख रुपये
91.	रामसिंहपुरा से थली मोड़ तक, नारेड़ा से काचरिया सहित टोडारायसिंह की विभिन्न सड़कों के कार्य-टोंक	15 करोड़ रुपये
92.	नाहरगढ़ बाबा से हरिपुरा वाया बीच का पुरा सीसी सड़क निर्माण (4.5 किमी.) (टोडाभीम) करौली	4 करोड़ 38 लाख रुपये
93.	श्रीमहावीर रेलवे स्टेशन से कान्दरोली रोड़ वाया सनेटकापुरा (5 किमी.) (हिण्डौनसिटी) करौली	2 करोड़ 10 लाख रुपये
94.	सम्पर्क सड़क खेड़ां (4) किमी.) प्रतापगढ़	1 करोड़ 80 लाख रुपये
95.	छबड़ा क्षेत्र में सड़क निर्माण-बारां	10 करोड़ रुपये
96.	मामली से पचलावदा गणेशपुरा सड़क (4.5 किमी.) (किशनगंज)-बारां	3 करोड 20 लाख रुपये

97.	सम्पर्क सड़क माधोपुरा (किशनगंज) बारां	80 लाख रुपये
98.	कामां से बिलोंद से केदारनाथ सड़क निर्माण (6.5 किमी.)-डीग	4 करोड़ 10 लाख रुपये
99.	बड़ी सादड़ी क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य-चित्तौड़गढ़	12 करोड़ रुपये
100.	अजमेर रोड से कालवाड़ रोड तक प्रस्तावित सेक्टर रोड का निर्माण एवं सौन्दर्याकरण का कार्य-जयपुर	7 करोड़ 50 लाख रुपये
101.	केरू सालोडी सड़क से जोलियाली वाया पोपावास बम्बोर पुनियों की प्याऊ सड़क (लूणी)-जोधपुर	8 करोड़ रुपये
102.	कालानाडा वाया-तुकधड़ा-ढाणीवाला कुआं-मांगलियावास तक सड़क (8 किमी.) (खींवसर) नागौर	6 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 4
पैरा संख्या 10 में उल्लिखित विवरण

क्र सं.	सिंचाई कार्य
1.	बस स्टेण्ड निर्माण/मरम्मत कार्य- घाटोल-बांसवाड़ा, आहोर जालोर, टोडाभीम करौली, नगर डीग व रामगंजमण्डी -कोटा
2.	सीवरेज सम्बन्धी कार्य- • इटावा में सीवरेज हेतु DPR-कोटा • झुंझुनू शहर में सीवरेज लाइन कार्य-झुंझुनूं • राजसमन्द शहर के लिए सीवरेज लाइन की DPR-राजसमन्द • झोटवाड़ा में सीवरेज कार्य-जयपुर
3.	ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य- • नदबई में ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य की DPR-भरतपुर • कुम्हेर में ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य-डीग • हवामहल क्षेत्र में ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य-जयपुर
4.	विभिन्न योजनाओं हेतु मास्टर प्लान बनाने, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, सड़कों के विकास, ड्रेनेज आदि के कार्य भरतपुर
5.	लालसोट व रामगढ़ पचवारा में नाला निर्माण, सड़क निर्माण व सौन्दर्गीकरण सम्बन्धी कार्य-दौसा
6.	कोठारी अस्पताल से बाबूलाल फाटक ओवर ब्रिज होते हुए एम.एस. कॉलेज के मुख्य नाले तक नाला निर्माण कार्य बीकानेर
7.	मुख्य सड़कों के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स, सुदृढीकरण एवं सौन्दर्याकरण कार्य-राजसमंद
8.	पृथ्वीराज नगर, अटल आवासीय, चाचियावास योजनाओं में सड़क, पार्क व अन्य निर्माण कार्य-अजमेर
9.	खोड़ा गणेशजी रोड पर 94 आवासों का निर्माण (किशनगढ़) अजमेर
10.	थीम पार्क का निर्माण जैसलमेर
11.	सूरसागर में अमर शहीद हेमू कालानी स्मृति स्मारक एवं उद्यान निर्माण-जोधपुर
12.	एयरपोर्ट पर नये स्टेट टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य-जयपुर एवं किशनगढ़ एयरपोर्ट का उन्नयन-अजमेर

परिशिष्ट 5

पैरा संख्या 25 में उल्लिखित सूची

क्र. सं.	पर्यटक/धार्मिक स्थलों के कार्य
1.	Rural Tourism को बढ़ावा देने हेतु मेनार-उदयपुर में विकास कार्य।
2.	रामानन्द जी की छतरी का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य, गागरोन-झालावाड़
3.	बांके बिहारी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर एवं गंगा मंदिर में विकास कार्य-भरतपुर
4.	श्री गलता जी मंदिर में बृहद विकास कार्य-जयपुर
5.	भैरवजी मंदिर, भवानपुरा, आनन्दपुरी में विकास कार्य-बांसवाड़ा
6.	श्री भूरासिद्ध महाराज की पर्वत श्रृंखला पर स्थित शिव मंदिर समूहों के विकास कार्य-अलवर
7.	गुहडा में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा-जैसलमेर
8.	अजमेर, जयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, चूरू, जोधपुर, उदयपुर, करौली, राजसमंद, टोंक, सिरोही, जैसलमेर एवं बारां में स्थित राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) की सम्पत्तियों को निजी क्षेत्र के सहयोग से कार्यशील बनाया जाना प्रस्तावित है।
9.	राजकीय संग्रहालय एवं किले के संरक्षण, जीर्णोद्धार व उन्नयन सम्बन्धी कार्य अजमेर
10.	प्रवेश द्वार से लेकर अम्बेडकर सर्किल सड़क मार्ग एवं विभिन्न चौराहों का सौन्दर्यीकरण-अजमेर

परिशिष्ट 6

पैरा संख्या 31 में उल्लिखित विवरण

क्र. सं.	महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक
1.	नवीन महाविद्यालय-घाटोल-बांसवाडा
2.	नवीन कृषि महाविद्यालय-पीपलूंद(जहाजपुर)-भीलवाड़ा व राजसमंद
3.	नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय-इन्द्रगढ़-बून्दी
4.	भवनों की मरम्मत एवं उन्नयन हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे

परिशिष्ट 7

पैरा संख्या 41 में उल्लिखित विवरण

क्र सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	• एसएमएस में स्ट्रोक इन्टर्वेशनल एवं रिहेबिलिटेशन यूनिट की स्थापना-जयपुर • आर.के. चिकित्सालय में कार्डियोलोजी यूनिट स्थापना-राजसमन्द • महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में कैंसर यूनिट की स्थापना-भीलवाड़ा • महात्मा गांधी चिकित्सालय में स्थायी कार्डियोलोजी यूनिट-जोधपुर
2.	• कमला नेहरू हॉस्पिटल, कांकरोली का सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-राजसमंद • जनाना चिकित्सालय में 4 OT का नया Block-जयपुर • गणगौरी चिकित्सालय में विभिन्न विकास कार्य-जयपुर • राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढीकरण-जयपुर
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-नापासर (लूणकरणसर)-बीकानेर व बड़ीसादड़ी-चित्तौड़गढ़
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन-चांदोली-अलवर, सारथल बारां, बडलियास (मांडलगढ़)-भीलवाड़ा, लखा (फतेहगढ़) जैसलमेर, नाणा-पाली, धोलापानी (छोटी सादड़ी), सालमगढ़-प्रतापगढ़, शिवसिंहपुरा (लालसोट) दौसा, सिमल्या (सांगोद)-कोटा व मानोता (नगर)-डीग
5.	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-ड्या (झाड़ौल) उदयपुर, उगरियावास-जयपुर
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन- गरडदा-बूंदी, किरवाडा (टोडाभीम)-करौली, गोरीया-पाली, रिडमलसर (आऊ), रायमलवाड़ा (बापिणी)-फलौदी, देवरिया (पचपदरा) बालोतरा, भोजास एवं माडपुरा (खींवसर)-नागौर व पोटला-चित्तौड़गढ़
7.	नवीन Urban Ayushmaan Aarogya Mandir (UAAM)-प्रतापनगर विस्तार (मुरलीपुरा), वीकेआई रोड, किशनबाग भट्टाबस्ती-जयपुर
8.	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र-आसेजीनगर, चन्द्रनगर (बावडी खुर्द)-फलौदी, हड्डा-जैसलमेर, अणगौर-पाली, महेशपुरा, सोननगर (खींवसर)-नागौर व झिलारा-कोटा
9.	नवीन ट्रोमा सेन्टर गोगुन्दा-उदयपुर
10.	बेड क्षमता वृद्धि- - जिला चिकित्सालय, शाहपुरा-भीलवाड़ा

	- उप जिला चिकित्सालय, टोडारायसिंह-टोंक - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटोल-बांसवाड़ा, चेचट-कोटा, जाखल-झुंझुनूं व उनियारा-टोंक

परिशिष्ट 8
पैरा संख्या 49 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	सिंचाई कार्य	लागत
1.	जवाई कमाण्ड क्षेत्र के खालों का पक्का निर्माण का कार्य (सुमेरपुर)-पाली	20 करोड़ रुपये
2.	ठिंटोडा में ठेहलेश्वर महादेव मंदिर के समीप लघु सिंचाई योजना हेतु DPR (जहाजपुर)-भीलवाड़ा	1 करोड़ रुपये
3.	रेपी नदी में होडापुरा गांव के पास एनिकट (शाहबाद)-बारां	8 करोड़ रुपये
4.	देवरी-सिरसीपुरा तालाब की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य (शाहबाद)-बारां	10 करोड़ रुपये
5.	चन्द्रभागा नदी में जल उपलब्धता बढ़ाने, मुण्डलियाखेडी बांध से कालीसिंध नदी के संगम तक पुनरुद्धार के तहत दो नवीन एनिकट, घाट निर्माण कार्य, बैंक प्रोटेक्शन वर्क, Desilting work-झालावाड़	11 करोड़ रुपये
6.	आम्बा, खानपुरा से दौराई के बीच, नाथूवाला रावतों के कुएं के पास एनिकट एवं कॉजवे जीर्णोद्धार तथा मरम्मत व अजयसर के तालाबों की मरम्मत (पुष्कर)-अजमेर	10 करोड़ रुपये
7.	चम्बल एवं छोटी कालीसिंध नदी के संगम के पास 2 लिफ्ट बनाकर चम्बल, छोटी कालीसिंध एवं क्षिप्रा नदी के मध्य के क्षेत्र में प्रेशर आधारित सिंचाई प्रणाली विकसित करने हेतु कार्य की DPR (गंगधार, डग)-झालावाड़	1 करोड़ रुपये
8.	किशनपुरा लिफ्ट परियोजना को सोलर आधारित करने, पाईप लाईनों की मरम्मत एवं अन्य जीर्णोद्धार-कोटा	8करोड़ 50 लाख रुपये
9.	मोरस बांध के केनाल की लाइनिंग एक्सटेंशन और स्लूस रिपेयरिंग कार्य (पिण्डवाड़ा)-सिरोही	5 करोड़ 50 लाख रुपये
10.	मांडवाड़ा बांध की नहरों को पक्का करने सम्बन्धी कार्य (पिण्डवाड़ा)-सिरोही	2 करोड़ 50 लाख रुपये
11.	घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से कार्य-हनुमानगढ़	325 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 9
पैरा संख्या 62 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	कार्मिक कल्याण सम्बन्धी बिन्दु
1.	राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप ही राजमेस के अधीन संचालित मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत डेमोंस्ट्रेटर/चिकित्सकों को पीजी कोर्स के दौरान अध्ययन अवकाश स्वीकृत होने पर देय वेतन एवं स्टाइपेंड का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।
2.	निःशक्त पुत्र/पुत्री को पारिवारिक पेंशन की पात्रता हेतु निर्धारित आय की सीमा में वृद्धि करने के लिए न्यूनतम पेंशन एवं देय महंगाई राहत की राशि में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3.	कार्मिक/पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र माता-पिता को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन (enhanced pension) दिए जाने हेतु पेंशन नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
4.	कार्यप्रभारित कार्मिकों की वेतन विसंगति का निराकरण करने हेतु पूर्व में प्राप्त वेतनमान/पे-लेवल को संरक्षित किये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
5.	RGHS के तहत कैंसर पीड़ितों को सुलभता से इलाज उपलब्ध कराने हेतु Onco Facilitation Programme शुरू किया जायेगा।

परिशिष्ट 10
पैरा संख्या 64 में उल्लिखित सूची

क्र सं.	नवीन नगर पालिका	जिला
1.	पीसांगन	अजमेर
2.	जसोल, समदड़ी	बालोतरा
3.	रायपुर	ब्यावर
4.	बीगोद, बनेड़ा	भीलवाड़ा
5.	साहवा	चूरू
6.	मनिया, सेपऊ	धौलपुर
7.	खाटू खुर्द	डीडवाना कुचामन
8.	अरनोद	प्रतापगढ़
9.	डग, खानपुर व मनोहर थाना	झालवाड़
10.	मंड्रेला, बुहाणा, मलसीसर	झुंझुनूं
11.	कालाडेरा, कानोता, खेजरोली	जयपुर
12.	मथानियां	जोधपुर
13.	सूरौठ	करौली
14.	रियांबड़ी	नागौर
15.	पलसाना	सीकर
16.	मंडार	सिरोही
नगर निकायों का क्रमोन्नयन		
17.	जैतारण	ब्यावर
18.	छबड़ा	बारां
19.	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
20.	रावतसर	हनुमानगढ़

परिशिष्ट 11

पैरा संख्या 65 में उल्लिखित विवरण

क्र सं.	इकाइयों/कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन
1.	ऊर्जा विभाग-चौहटन बाड़मेर में अधिशाषी अभियंता (विद्युत), श्रीगंगानगर में अधीक्षण अभियंता (विद्युत)
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग- तख्तगढ़-पाली में अधिशाषी अभियंता कार्यालय
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग- - बांदीकुई-दौसा व जैतारण, ब्यावर में अधिशाषी अभियंता कार्यालय - मालाखेडा-अलवर में सहायक अभियंता कार्यालय
4.	जल संसाधन विभाग- नसीराबाद-अजमेर व तख्तगढ़-पाली में सहायक अभियंता कार्यालय
5.	कृषि विभाग-उपरेड़ा (राशमी) - चित्तौड़गढ़ में कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
6.	- उप तहसील से तहसील-लोसल-सीकर - नवीन उप तहसील-गांगता (धौरीमन्ना) बाडमेर व धुंधाड़ा-जोधपुर
7.	- पुलिस चौकी से पुलिस थाना-गांधीनगर-भीलवाड़ा - नवीन पुलिस चौकी-नायपुर (खण्डार)- सवाई माधोपुर
8.	कार्यालय भवन निर्माण- - बीकानेर विकास प्राधिकरण कार्यालय का भवन निर्माण-बीकानेर - प्रतापगढ़ तहसील कार्यालय-अलवर
9.	- विशेष न्यायालय (एससी/एसटी)- शाहपुरा-भीलवाड़ा - सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खैरथल तिजारा, पहाड़ी (कामां)-डीग - राजस्व अपीलीय न्यायालय (कैम्प कोर्ट)- शाहपुरा-भीलवाड़ा व केकड़ी-अजमेर
10.	HCM RIPA, जयपुर में Recreation Centre स्थापित किया जायेगा।
11.	केन्द्रीय कारागृह कोटा एवं पाली, राजसमंद व भीलवाड़ा के जिला कारागृहों को शहर के बाहर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।
12.	आरएसी-धौलपुर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल-बीकानेर, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र-भरतपुर, अलवर तथा थानों के आधारभूत संरचना के कार्य (65 करोड़ रुपये)